राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम सत्र का तेतीसवां दिवस [संख्या : 21

शुक्रवार,

27 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11:00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या : 626

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका स्वास्थ्य कैसा है ?

श्री अध्यक्ष : आप मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा।

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के स्वास्थ्य केन्द्र

626. **श्री मनोहरसिंह इन्दा (शेरगढ़)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितने उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा कितनी एडपोस्ट हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कितने पद चिकित्सकों के, कितने कम्पाउन्डर्स के, कितने नर्सेज के एवं कितने ए. एन. एम. के राजकीय मानदण्ड से स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के कुल कितने अस्पतालों में कितने समय से चिकित्सकों, कम्पाउन्डर्स व ए. एन. एम. के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इनको भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर कम्पाउन्डर व प्रसाविकाओं के पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सकों के पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1-देखें।)

श्री मनोहरसिंह इन्दा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एड–पोस्ट की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर नहीं रखी गई है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची जो दी गई है वह एक ही पंचायत समिति की दी गई है जबकि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 2 पंचायत समितियां हैं एक तो शेरगढ़ और दूसरी बालेसर। तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि 11 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें 10 में पद रिक्त हैं और केवल एक में ही पद भरा हुआ है। विधान सभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों में सारे पद खाली हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बात ध्यान में लाई गई है शेरगढ़ पंचायत समिति का या इसे स्थगित कर दें, क्योंकि हमारा बालेसर पंचायत समिति का ध्यान नहीं रहा इस कारण से आप इसे स्थगित कर दें।

दूसरा प्रश्न है, मैं एक बात आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष : नहीं, जब स्थगित ही करा रहे हैं तो पूरा करवाइए ठीक है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके प्रश्न की जो मंशा है चिकित्सा अधिकारी के दो जगह खाली हैं इनकी जगह लगा दिए जायेंगे, वह तो लगा देंगे जैसी मैंने 15 की घोषणा की है।

श्री अध्यक्ष : आपको और मौका मिलेगा स्थगित कराने के बाद। स्थगित करना है तो प्रश्न स्थगित किया जाता है।

नेक्स्ट। श्री रामकिशन। प्रश्न संख्या 627 (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर में पर्यटन विकास पर व्यय

628 **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

जोधपुर नगर के पर्यटन विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं? प्रत्येक योजना में कितनी-कितनी राशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है? योजनानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मन्त्री (सुश्री पुष्पा जैन) : मरु क्षेत्र के समग्र पर्यटन विकास की दृष्टि से एक मरु त्रिकोण परियोजना तैयार करवाई गयी है, जिसमें जोधपुर बीकानेर, जैसलमेर जिले में 274.58 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत जोधपुर शहर के पर्यटन स्थलों के विकास पर 18.80 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं। कार्यवार सूची संलग्न है। इस योजना पर विदेशी वित्तीय संस्था से

(सुश्री पुष्पा जैन)

ऋण प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करवाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने प्रश्न यह पूछा है कि जोधपुर नगर के पर्यटन विकास हेतु कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन है ? पहला प्रश्न यह है। दूसरा प्रत्येक योजना में कितनी-कितनी राशि व्यय की जायेगी ? इसके अन्दर ऐसा कोई विवरण नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : सवाल हो गया ना, अब बैठिए। हो गया ना सवाल ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, मैं पूछ रही हूं। योजनानुसार जो विवरण सदन की मेज पर रखा गया है इसके अन्दर बताया है कि शहर की दीवारों की मरम्मत, माचिया पार्क एवं आस-पास के क्षेत्र का विकास, मसूरिया पहाड़ियों का विकास, इस पर कितनी राशि व्यय की जायेगी, शहर के आस-पास की पहाड़ियों का सुन्दरीकरण इसमें कौन-कौन सी पहाड़ियां हैं ? यह मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष : उनके नाम हैं क्या ? पहाड़ियों के सब के नाम हैं क्या वहां पर ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इसमें कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं. नहीं–नामकरण किया हुआ है क्या ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : है, श्रीमान् मसूरिया पहाड़ियां, गुलाबसागर, फतह सागर ऐसी ऐसी कई हैं। मगर ऐसा कोई विवरण नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : सभी आ गई उसमें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, श्रीमान् ऐसे कैसे आएगी ? जानकारी तो चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : श्रीमन् आज दो महिलाएं भिड़ गई हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : लेकिन हमारी बहुत दोस्ती है। कायम रहेगी।

श्री अध्यक्ष : भगवान से दुआ करिए फिर।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, शहर की दीवारों की मरम्मत पर 0.50 लाख, माचिया पार्क एवं आस-पास के क्षेत्र के विकास पर 1.00 करोड़ रुपये, मसूरिया पहाड़ियों के विकास पर 10.00 करोड़ रुपये, शहर के आस-पास की पहाड़ियों के सौन्दर्यकरण अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी योजना प्रस्तावित है, तय नहीं किया गया है फिर भी माननीय सदस्या और उनके साथ और जो भी माननीय सदस्यगण हैं और वह जो भी अधिक उपयुक्त समझेंगे निश्चित रूप से उन पहाड़ियों को ले लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : आप सजेशन दे दीजिए उनको शामिल कर लेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम मण्डोर उद्यान जिसकी माननीय

(५)

(सुश्री पुष्पा जैन)

सदस्या बहुत समया से मुझे कह रही हैं उसके लिए 0.80 लाख रुपये, मसूरिया पहाड़ियों पर रोप-वे उसके भी लिए माननीय सदस्या बहुत उत्सुक हैं, उसके लिए भी इस योजना में प्रावधान किया गया है 1.50 करोड़ रुपये का।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि मसूरिया पहाड़ियों का कार्य काफी लम्बे अरसे से पड़ा है यह कब तक पूरा हो जायेगा ? दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदया से यह जानकारी करना चाहूंगी कि जब मेरी मंत्री महोदया से बात हुई थी तब उन्होंने यह बताया था कि रणीसर, पदमसर को भी पर्यटन में ले लिया गया है लेकिन उसका हवाला इसके अन्दर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपको बता दिया था तो उस पर विश्वास करिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, श्रीमन् रणीसर और पदमसर का कहां बताया ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने मुझे बताया था तो मैंने कोई वायदा किया हो ऐसा नहीं है फिर भी मैंने जैसा अभी अर्ज किया आपसे कि विदेशी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त होने के उपरान्त ही इस पर दुबारा विचार किया जा सकता है। अगर इसमें आप चाहेंगी तो उन स्थानों को ले लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बुलाकीदास कल्ला।

प्राकृतिक आपदाओं हेतु केन्द्रीय सहायता

629. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या बाढ़ एवं अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गत दो वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी–कितनी धनराशि प्राप्त हुई एवं उसमें से कितनी-कितनी राशि किन–किन कार्यों पर व्यय की गई ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में अकाल एवं अभाव की स्थिति के कारण गायों की अकाल मौत हो रही है ? अब तक कुल कितनी गायें पिछली 6 माह में मृत्यु का शिकार हो चुकी है ? माह फरवरी तक अकाल एवं अभाव की स्थिति को समाप्त करने के लिए कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) राहत कार्य प्रदेश में कब से प्रारम्भ किए गए ? गत तीन माह में जिले वार राहत कार्यों में कार्यरत श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

अकाल राहत मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) केन्द्र प्रदत्त अकाल राहत राशि वर्ष 1989-90 में 33.95 करोड़

(श्री कैलाश मेघवाल)

रुपये एवं वर्ष 1990–91 में 93.00 करोड़ रुपये थी। उक्त राशि में से 1989-90 में तथा 1990–91 में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पिछले 6 माह में अकाल एवं अभाव की स्थिति के कारण गायों की अकाल मौत होने की कोई सूचना नहीं है। माह फरवरी, 1992 तक अभाव स्थिति से प्रभावितों को राहत उपलब्ध कराये जाने हेतु रुपये 390.29 लाख की राशि व्यय की गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में फरवरी, 1992 में राहत कार्य चलाये जाने की स्वीकृति दी गई। होली तथा फसल कटाई के कारण, तथा बड़ी संख्या में विभागीय कार्यों पर, मजदूरों का नियोजन होने कारण राहत कार्यों पर लगे मजदूरों की संख्या स्वीकृत नियोजन सीमा से अभी कम है। श्रम नियोजन का विवरण परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जानकारी दी है वह बिलकुल सही नहीं है। मैं स्वयं बीकानेर जिले और उसके आसपास के क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। वहां पर प्रतिदिन 1–1 गांव में कम से कम 2-2, 3-3 गायें अक्षासर, बालेसरा, बच्चूसर में मरी हुई मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी हैं। अध्यक्ष महोदय, हजारों गायें बेमौत अस्पतालों में मर गई हैं चारे और कैटल फीड के अभाव में। लगातार 5 साल से कोलायत तहसील में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है लेकिन वहां पर किसी भी मंत्री ने जाकर यह देखने की कोशिश नहीं की है कि अकाल पीड़ित जनता की क्या हालत हो रही है।

श्री देवीसिंह भाटी (पशुपालन राज्य मंत्री) **:** मैं पचासों बार गया हूं। आप कैसे चैलेंज कर रहे हैं कि किसी मंत्री ने जाकर वहां पर नहीं देखा है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या किया आपने ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय श्री देवीसिंह भाटी। माननीय श्री देवीसिंह जी भाटी। प्लीज सिट डाउन। बैठिए आप।

श्री देवीसिंह भाटी : इतने जोर से बोलने की जरुरत क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह तरीका नहीं है आपका। बैठिए आप।

श्री देवीसिंह भाटी : इतने जोर से बोलने का यह कौनसा तरीका है ?

श्री अध्यक्ष : यह तरीका नहीं है आपका। बैठिए आप।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कौनसा तरीका है ?

श्री अध्यक्ष : You address me.

श्री देवीसिंह भाटी : डांटने की जरुरत नहीं है।

(6)

श्री अध्यक्ष : प्लीज । प्लीज श्री देवीसिंहजी भाटी । आप डाइरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं । आप मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्य है मर्यादाओं को ध्यान में रखें। मेरे से बात करिए आप ।

श्री देवीसिंह भाटी : तो आप कह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : You ask my permission. Sit down please. You ask my permission. Without seeking my permission you cannot talk to the Hon'ble Member directly. भविष्य के लिए भी मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आप ध्यान रखें । अध्यक्ष से जब तक आप परमिशन नहीं ले लें तब तक डाइरेक्ट किसी भी माननीय सदस्य से बात करने की कोशिश न करें यहां पर । आप सवाल पूछिए । यह कोई तरीका नहीं हैं, आफ्टर आल यह विधान सभा है आप मंत्री हो गए इसका मतलब विधान सभा की सारी मर्यादाएं टूट जाएंगी, नहीं मर्यादाएं रखनी पड़ेंगी, And it is you primary duty, मन्त्रिमण्डल की पहली ड्यूटी है यह ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से समूचे प्रदेश में टैस्ट वर्क कब शुरू किए गए ? क्या यही है कि इस महीने में अकेले बीकानेर में पिछले अकाल कार्यों में लगभग चालीस हजार से ज्यादा राहत मजदूर कार्यरत थे और क्या यह सही है कि अभी पूरे प्रदेश में 21 हजार 195 आदमी कार्यरत है ?

क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय सरकार से 1992 के अन्त तक लगभग 242 करोड़ रुपये की राशि आपको प्राप्त हो चुकी है उसमें से अब तक आपने कुल मिलाकर करीब-करीब 54 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है । इस प्रकार लगभग 242 करोड़ रुपये की राशि आपके पास में केन्द्रीय सरकार से प्राप्त राशि और राज्य सरकार की करीब 96 करोड़ रुपये की राशि आपके पास पड़ी है । आपके पास राशि होते हुए आपने क्यों नहीं अकाल राहत कार्य शुरू किए ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने एक शिकायत की कि मन्त्री नहीं गए लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि यहां जितने भी माननीय विधायक बिराजते हैं उनके सम्पर्क में भी रहा हूं और कल्ला साहब आपने तीन दिन पहले एक बात कही थी यह नाल और बीकानेर के बीच से करीब दस हजार के करीब गायें खड़ी हैं उनको शिविर में नहीं लिया जा रहा है । मैं, माननीय अध्यक्ष, महोदय, आपके द्वारा माननीय विधायक को सूचित करना चाहता हूं कि दस हजार नहीं थी, लेकिन पांच हजार के करीब गायें थी, आपकी सूचना के आधार पर मैंने वहां आदेश भेज दिए हैं कि इन पांच हजार गायों को आप शिविर में ले लीजिए और इसकी प्रशासनिक स्वकृति भेज दी जाएगी। मैं बहुत जागरुक हूं इस विषय में और जैसा आपने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल को मैं धीरे-धीरे फेज आउट कर रहा हूं। राजस्थान के 40 हजार 271 गांव हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उन 40 हजार 271 गांवों में से 30 हजार 41 गांव जो है वह अकालग्रस्त है, अभावग्रस्त है यह रिपोर्ट आई है । उसमें से 50 से 74 तक का जो खराबा है वह है 13 हजार 479 गांवों में और

(श्री कैलाश मेघवाल)

75 से 100 प्रतिशत तक का जो खराबा है वह है 16 हजार 562 गांवों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो प्रस्तावित है, जो कल तक स्वीकार हो जाएंगे, एक तारीख को जो काम चालू हो जाएंगे उनमें से करीब-करीब 13,003 मांग हमने ले लिए है और अकाल राहत की सारी तीन लाख की लेबर सीमा बना दी है। मैं यह भी मानता हूं कि अकाल राहत के कार्यों पर नियोजन नहीं हुआ है लेकिन आपने मेरी दी हुई सूची देखी होगी और उस सूची में विभागीय कार्यों पर भी लोग काम कर रहे हैं। होली का अवसर था, पूरे नियोजन मिले नहीं। मैंने इस बार यह कोशिश की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से यह प्रस्ताव बने तब से माननीय विधायकों को भी सूचित किया है और लगातार मैं जिलाधीशों के सम्पर्क में हूं कि एक तारीख से यह सारा नियोजन हो जाय। किसी तरह भी अकाल की चुभन अधिक नहीं बढ़े। आप यह सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए और 31 तारीख तक आपको स्वीकृतियां भेज दी जाएंगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने तीन-चार स्पेसिफिक क्वेश्चन किए थे कि राज्य में टैस्ट वर्क हमेशा अक्टूबर में शुरू होते हैं आपने कब टैस्ट वर्क राज्य में पहली बार शुरू किए ? अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वासपूर्वक आपको कहता हूं कि मैं अकालग्रस्त जिले से आता हूं..

श्री अध्यक्ष : अभी फैमिन पर अपन बहुत लम्बी चौड़ी बहस करने वाले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे दो-तीन क्वश्चन्स का जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : हां, अब आप प्रश्न पूछिए। आप सप्लीमेंट्री न पूछें, क्योंकि, बहस करेंगे डिटेल में।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गत वर्ष आपने बीकानेर जिले में इस महीने में कितने श्रमिकों को नियोजन दे रखा था ? क्या यह सही है कि बीकानेर में कम से कम दो हजार से अधिक गायें पिछले 6 महीने में मरी हैं ? इसका स्पेसिफिक आर जवाब दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर में कितनी गायें मरी हैं यह सूचना मेरे पास अभी नहीं है। मैंने शुरू में प्रश्न के जवाब में बता दिया कि अकाल से गायों की मौत की सूचना मुझे प्राप्त नहीं हुई है। आपने सवाल जो पूछा हैं उसके बाद इसको मोनीटर कर रहा हूं कि अकाल से तड़प-तड़प कर जितनी भी गायें मरी हों उसकी सूचना मुझे भिजवा दी जाए। रहा सवाल अकाल राहत कार्यों का गए साल का जो नियोजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय विधायक को कि अभी भी बीकानेर में हम 25 हजार की लेबर लगाने जा रहे हैं और 25 हजार की लेबर के बाद जैसा आपने कहा पीक पीरियड तक यह लेबर पहुंचते-पहुंचते चालीस हजार भी हो जाएगी जो आपने मैक्सिमम बताई है वहां राहत कार्यों में। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कहीं कमी नहीं करूंगा।

(8)

(श्री कैलाश मेघवाल)

रकम का जहां तक सवाल है, बड़ी गम्भीरता से सारी स्थितियों को देखने के बाद मैं यह सोचता हूं कि शायद जुलाई आते-आते यह रकम हमारे लिए कम पड़े तो मैं माननीय विधायकों को भी इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से इस बात की पुरजोर मांग करेगी कि वह राजस्थान की अकाल की स्थितियों को देखते हुए नाइन्थ फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों से हटते हुए हमें अलग से भी कुछ अकाल राहत के लिए रकम दें। यह मांग करने का हमारा विचार है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनको सेटिसफाई हो जाने दीजिए। सवाल इनके क्षेत्र का है लेट हिम बी सेटिसफाइड। बाकी जनरल बहस तो अकाल पर होने वाली है। देन लेट हिम बी सेटिसफाइड।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : देखिए जिन्होंने सवाल किया हैं उनको जितना भी सेटिसफेक्शन मिल सकता है मिलने दीजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय अकाल राहत मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने इस वर्ष केवल तीन करोड़ और कुछ लाख रुपये की राशि आपने खर्च की है।

श्री कैलाश मेघवाल : तीन करोड़ 92 लाख।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 3 करोड़ 92 लाख रुपये। आपको 93 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से प्रतिवर्ष मिल रहा है। गत दो वर्षों का आपके पास 50.81 करोड़ रुपया है, तो 242 करोड़ से अधिक की राशि केन्द्रीय सरकार की आपके पास होते हुए और आपकी स्वयं की 96 करोड़ राशि होते हुए, आपने इतनी देरी से, अभी तक आप जवाब नहीं दे रहे हैं मैं तीसरी बार प्रश्न कर रहा हूं कि आपने प्रदेश में राहत कार्य, टैस्ट वर्क कब शुरू किए? हमेशा अक्टूबर में टैस्ट वर्क शुरू हो जाते हैं इस बार आपने इतनी देरी से टैस्ट वर्क क्यों शुरू किए? और जो विभागीय कार्य आपने बताएं हैं वह विभागीय कार्य या तो बन्द पड़े हैं या कभी भी एक महीने में कोई श्रमिकों की संख्या लगी आपने यह 2,03,542 जो श्रमिकों की संख्या बताई है यह निश्चित रूप से गलत है, और यह तथ्यों से परे हैं। आपके यह 2,03,542 जो विभागीय श्रमिकों की कार्य संख्या हैं यह निश्चित रूप से गलत है। बीकानेर की संख्या आपने 15,533 बताई यह भी संख्या गलत है। क्योंकि कुछ सड़कों के काम आज से दो महीने पहले पूरे हो चुके हैं उनकी संख्या को भी जोड़ रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने अकाल राहत समितियों का गठन किया, क्या उनकी राज्य में कभी भी एक जगह बैठक हुई, क्या माननीय मुख्यमन्त्री जी, अकाल राहत मंत्री जी राज्य के किसी भी जिले में अकालग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने गए?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय विधायक

I

(श्री कैलाश मेघवाल)

को सूचित कर दूं कि जो 245 करोड़ आपने गिनाया, आपको मैंने एक सूची दी है जिसमें पहले जो 41 करोड़ के करीब रुपया खर्च हुआ है वह अगर आप बाकी कर देते तो आज हमारे पास जितना पैसा है वह सही फीगर सदन के सामने आ जाते मुझे इतना ही कहना है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : सही है।

श्री कैलाश मेघवाल : 203 ही बनता है आप उसको फिर घटा-बढ़ा लीजिए। जहां तक सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय कार्यों पर जो आपने दी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यहां की व्यस्तता के कारण जितना मोनिटरिंग मुझे व्यक्तिशः करना चाहिए था, वह व्यक्तिशः मोनिटरिंग में नहीं कर सका हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं....

श्री अध्यक्ष : यह टैस्ट वर्क का बार-बार पूछ रहे हैं, टैस्ट वर्क कब शुरू हुए ?

श्री कैलाश मेघवाल : टैस्ट वर्क, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से शिकायतें आना चालू हुई, जैसे पशुओं की शिकायतें आना चालू हुई....

श्री अध्यक्ष : अक्टूबर में टैस्ट वर्क शुरू नहीं हुआ ना इस साल....

श्री कैलाश मेघवाल : नवम्बर से चालू हो गए; नवम्बर दिसम्बर में। हुआ क्या है कि जब से शिकायतें आनी शुरू हुई। आप देखिए कि अब चारे निकासी पर रोक हमने 1991 के सितम्बर में लगा दी और 1991 के सितम्बर के बाद ही हमने चारे के लिए वहां राशि भी उपलब्ध की है और दूसरी भी स्थिति पैदा की है। दूसरा मैं निवेदन कर दूं कि वन विभाग को भी यह निर्देश दे दिए गए हैं इनके बीहड़ों में जो घास है वह सुरक्षित रख दी जाए और बीकानेर में पचास हजार गांवों को संरक्षित करने का डेयरी फेडरेशन को अनुदान दिया गया। हम शुरू से सतर्क हैं और आगे भी कोई कमी नहीं होगी। यहां दो तारीख को बहस होने वाली है, मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर आने वाले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यहां के स्थगन प्रस्ताव, यहां के दूसरे माध्यमों से अकाल के बारे में उठाई गई बात को मैंने गम्भीरता से लिया है। जैसे टोडाभीम से आने वाले विधायक ने एक बात उठाई, उसके आधार पर मैंने वहां श्रमिकों की संख्या का नियोजन करने के आदेश दिए, जैसे नोहर से आने वाली विधायिका ने एक बात उठाई वहां चारे डिपो की, यहां के सारे विधायकों को और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम दो तारीख को सारी बहस करेंगे। मैं इस सदन से निर्देश चाहूंगा कि जहां जो कमियां जिस तरह की हैं, अकाल की चुभन राजस्थान में कम से कम हो इस बात के लिए राजस्थान सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहेगी। माननीय प्रद्युम्न सिंहजी दो तारीख को कर लेंगे इसी सवाल को। मेरी सारी तैयारी है वैसे आज भी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा मुझे मालूम है अकाल राहत मन्त्रीजी बहुत योग्य हैं और उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय...

(10)

श्री अध्यक्ष : जहां तक यह मन्त्रियों का सवाल है मन्त्री जाते रहते हैं ! अब आप पूछेंगे तो कई मन्त्री खड़े हो जाएंगे मैं गया था....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं जाने की बात नहीं कर रहा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं स्वयं गया हूं यह शिकायत अभी नहीं मिली है कि गायें मरनी शुरू हो गई हैं। देखिए दो-चार अपनी मौत से मरती होंगी उसके लिए आप अकाल का नाम लेंगे उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन यह जनरल फीलिंग है, मैं स्वयं गया हूं। जब इस तरह की बात होती है तो सड़क के किनारे पर गायें मरी हुई मिलती हैं, मैंने वह भी देखा है। कि अकाल में गायों के अस्थि पंजर सड़क पर पड़े मिलते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इनकी चतुराई की बात कर रहा हूं। बहुत चतुराई से इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं उसके अन्दर सरकार ने अपने फेल्योर्स को छिपाने की चेष्टा की है, इसलिए मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं। राहत कार्यों पर वर्ष 1992 हेतु निर्धारित श्रमिकों की संख्या, आर्डर्स निकाल दिये अब आप डिटेल्स दे दीजिए कि आपने जो एक लाख की संख्या निर्धारित की है इसके लिए क्या आपने आदेश किए हैं। किन-किन जिलों में कौन-कौन से राहत कार्य आरम्भ हो गये। क्योंकि सरकार की जो की नीति है भारत सरकार से रुपया उपलब्ध होने के पश्चात भी उसको खर्च नहीं करने, अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न के माध्यम से यह बात पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, देखने के लिये विभागीय कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या 1 लाख 82 हजार है। अध्यक्ष महोदय, 1 लाख 82 हजार, यों तो दुनियाभर के लोग काम कर रहे हैं. आपके कौनसे काम हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के काम हैं, इरिगेशन के काम हैं, सारे काम ठेकेदारों द्वारा होते हैं अगर सरकार उनको भी गिन ले, उन श्रमिकों की संख्या को भी गिन ले जो ठेकेदारों द्वारा हो रहे हैं तब तो मुझे कुछ कहना नहीं है। यों तो रोजगार के लिये लोग बाहर भी ज ते हैं. प्राइवेट दुकानदारों के यहां काम करते हैं और प्राइवेट तरीकों से काम करते हैं तो सरकार का उसके अन्दर जो अपना दायित्व है, जो टेस्ट वर्क शुरू होने चाहिए थे टाइम से वह टेस्ट वर्क आपने शुरू किये नहीं, आप कहते हैं कि हमने अक्टूबर नवम्बर में कर दिये। नवम्बर में कितने जिलों में टेस्ट वर्क शुरू हो गये। कहां कहां टेस्ट वर्क शुरू हो गये कृपया विस्तार से बतायें। मैं इसलिए पूछ रहा हूं इसके अन्दर आपने बहुत चतुराई से जो आपकी इनएफीसियेंसी है उसको छिपाने की चेष्टा की है। सीधे सवाल तो मैंने आपसे पूछे कृपया मन्त्री महोदय उनका उत्तर दें। 2 तारीख को तो इसके बारे में विस्तार से निश्चित रूप से बहस होगी लेकिन आपने जो चीजें इस प्रश्न के माध्यम से कन्सील करने की चेष्टा की है आप उन पर प्रकाश डालें कृपया।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। वास्तविक स्थिति सदन के सामने रख देना, यह सही है, सूची आपके सामने है, चाहें तो मैं पढ़ दूं। जो हमने फरवरी के लिये श्रमिकों की संख्या का

(श्री कैलाश मेघवाल)

नियोजन किया था वह पूरा नहीं हो पाया। कारण भी मैंने आपको बताये हैं। मजदूर मिलते भी नहीं जहां तक आपने टेस्ट वर्क का सवाल पूछा। मैंने आपसे निवेदन किया था कि जहां-जहां से मांग आने लगी, टेस्ट वर्क प्रारम्भ करने की बात मैंने इसलिए नहीं की है यह टेस्ट वर्क प्रारम्भ होते थे जबकि मजदूरी कम थी। आज हमको 22 रुपया प्रत्येक मजदूर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से देना पड़ता है और इसलिए वह मजदूरी बढ़ गई है। दूसरा मैं आपको यह भी निवेदन करूं कि यह जो राशि है 3 करोड़ 92 लाख की यही नहीं है। अब तक 7 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और मेरा ऐसा ख्याल है कि परसों 31 तारीख तक हमको 15 करोड़ रुपयें का चुकारा करना पड़ेगा। यह सूचनाएं किस तरह आती हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक स्वयं मन्त्री रहे हैं। कोई न कोई कट आउट डेट लेकर सूचना दे दी जाती है और उसके बाद जो खर्चा होता है वह दुकिंग होता रहता है। मैं आपको यह भी निवेदन करू माननीय श्री कल्ला साहब 1988-89 का सबसे भयंकर अकाल राजस्थान में माना जाता है। जिस समय आपने सबसे ज्यादा खर्च किया। उस समय आपकी सरकार ने भी अप्रेल में ही काम चालू किये थे। अप्रेल के पहले कोई काम चाले नहीं हुये हैं पुराने सालों में....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कह रहा हूं आपको, अप्रेल में ही हुये थे।

श्री अध्यक्ष : जो चीज आन रिकार्ड है उस पर बहस करने से कोई मतलब नहीं है। मंत्रीजी एक मिनिट बिराजिये आप। (व्यवधान) जो स्थिति है वह इसमें स्पष्ट है। वह कमी है तो कमी है। एक लाख की इन्होंने पूरी योजना बनाई है। आप सुनिये 21 हजार अभी लगे हुये हैं। आगे के लिए इन्होंने 1 लाख 22 हजार 3 सौ 47 की पूरी योजना बना रखी है। अब इसमें कोई संशोधन करना हो, इसमें कोई सुझाव हो वह तो आप दे सकते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, हो गया यह तो। इससे ज्यादा कोई जवाब आने की इसमें गुंजाइश नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमेशा हो जाता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : जिस प्रश्न पर आप जोर देना चाहते हैं। उसी पर दीजिए समितियां बनाई हैं, उनकी मीटिंग बुलाने के लिये, आप मोनीटरिंग करेंगे, कब से शुरू हो जाएगी कितनी हुई, वह करिये प्रश्न आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अप्रेल, मई, जून तीन महीने रह गये अकाल राहत कार्य....

श्री अध्यक्ष : आंकड़े आपके सामने आ गये। इन आंकड़ों में आपको लगता है कि पूरा नहीं है, कम है, ज्यादा है तो यह कह सकते हैं कि जो आपने दिये हैं वह सफिसियेंट नहीं हैं, आंकड़े बढ़ाइये, गुंजाइश और है तो उस पर सरकार विचार कर लेगी। पिछली समितियों का बता दीजिए। बिराजिये आप।

(12)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पेयजल की समस्या के लिये आपने क्या किया है ?

श्री अध्यक्ष : आप केवल समितियों को कह दीजिए कि जो समितियां आपने बनाई हैं उनकी मोनीटरिंग क्या हो रही है ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, समितियों के बारे में जो माननीय विधायक ने कहा है यह महत्वपूर्ण मसला है । मैं एक दो दिन में ही सारी समितियां जिस तरह की बनी हुई हैं, कैसा कार्य कर रही हैं, उनके पुनर्गठन की आवश्यकता है या नहीं अकाल राहत की दृष्टि से....

श्री अध्यक्ष : अकाल राहत पर जिस दिन बहस होगी उस दिन पूरा जवाब दे दीजिए । मोनीटरिंग वाला क्या हुआ नैक्स्ट । श्री सुरेन्द्र गोयल ।

जिला पाली में मरुस्थल वनारोपण एवं चारागाह विकास कार्यक्रम

630. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1989 एवं 1990–91 में वन विभाग द्वारा पाली जिले में मरुस्थल वनारोपण एवं चरागाह विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि, कौन-कौन से गांव में, किस-किस कार्य हेतु स्वीकृत की गयी ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायत समितिवार कार्यों की स्वीकृति किन मानदण्ड के अनुसार जारी की गई ? क्या सभी सम्पूर्ण हुये कार्यों का भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है । विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) दिनांक 15 मार्च, 1990 से 27 मार्च, 1990 तक मात्र 12 दिन में उप वन संरक्षक, पाली ने जिला कोष कार्यालय, पाली से कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य के भुगतान हेतु उठाई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) जिला परिषद्, पाली की बैठक 11 अगस्त, 1990 को जिला कलक्टर की मौजूदगी में जन प्रतिनिधियों ने उप वन संरक्षक, पाली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये कि 15 मार्च, 1990 से 27 मार्च 1990 के मध्य उप वन संरक्षक ने विभिन्न चैक्स के माध्यम से 11 लाख 19 हजार रुपये की राशि उठाकर फर्जी कार्य किया ? यदि हां, तो क्या जिला कलक्टर ने उक्त प्रकरण की जांच करवाने का आश्वासन सदस्यों को दिया था ?

(5) क्या उप वन संरक्षक के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

वन मंत्री (श्री लालचन्द डूडी) : (1) वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 में वन विभाग द्वारा पाली जिले में मरूस्थल विकास कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि, गांव तथा पंचायत समितिवार कार्यों के विवरण की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(श्री लालचन्द डूडी)

(2) मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जाने वाले सभी कार्यों की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा दी जाती है। परिशिष्ट 'क" में दर्शाये गये कार्यों का भुगतान पूर्ण रूप में कर दिया गया है।

(3) दिनांक 15-3-90 से 27-3-90 तक की अवधि में उप वन संरक्षक, पाली द्वारा उठाई गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4 पाली में जिला परिषद् की बैठक 11 अगस्त को न होकर 9 अगस्त, 1990 को हुई थी। उक्त बैठक की कार्यवाही के विवरण के अनुसार विधायक महोदय ने 1.32 लाख की धनराशि के अपव्यय की सम्भावना बताई थी जिस पर जिला कलक्टर, पाली, द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था।

(5) जी नहीं, जांच की कार्यवाही जारी है। जांच जिला कलक्टर द्वारा 30 अप्रेल तक पूरी करली जाएगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने प्रश्न के खण्ड 2 में बताया कि उन पर 45.90 लाख रुपये मार्च, 90 तक व्यय हुये हैं। क्या जो-जो कार्य किये गये हैं। मौके पर क्या वृक्षारोपण और चारागाह में सुधार हुआ है? बताने की कृपा करें। अगर मौके पर आज दिन तक कोई वृक्षारोपण हुआ ही नहीं दर्शाता है तो मंत्री महोदय बतायें कि जिन्होंने भ्रष्ट तरीकों से फर्जी मस्टररोल भर कर पैसा उठाया उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र 12 दिनों में 11.30 लाख रुपये जो परिशिष्ट "क" में खर्च होना बताया है, जबकि सर्दियों में वृक्षारोपण व चारागाह विकास हो ही नहीं सकता तो यह रुपये किस-किस कार्य के कब-कब से बकाया थे और मार्च माह में ही क्यों उठाये गये? यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : अब आप 25 प्रश्न पूछेंगे तो कोई मतलब नहीं। जवाब आएगा नहीं। आप सीधे-सीधे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। आपने क्या सवाल पूछे सही मायने में मैं भी नहीं समझ पाया कि आप क्या पूछ रहे हैं। इसको समराइज करके सवाल के रूप में बोलिये। पढ़-पढ़ कर क्या पूछ रहे हैं। सवाल क्या है यह बताइये।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मेरा सवाल यह है कि जब मार्च, 90 माह में मात्र 12 दिन में 11.30 लाख रुपये निम्न चैकों के माध्यम से 15, 23 और 27 तारीख को मात्र तीन दिन में 11 लाख 30 हजार रुपये इन्होंने उठाये जबकि मौके पर किसी प्रकार का वृक्षारोपण एवं चरागाह का कोई कार्य नहीं हुआ और मार्च माह में न तो कोई वृक्षारोपण हो सकता है और न सर्दी के मौसम में वृक्षारोपण हो सकता है तो यह रुपये....

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि तीन दिन मे 11 लाख खर्च नहीं हुए और न

(14)

(श्री अध्यक्ष)

वहां कोई काम हुआ। यह सवाल है आपका। बैठिये।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के सम्बन्ध में यह पैसा डी. आर. डी. ए. की तरफ से जाया जाता है। 27 मार्च को ही डी. आर. डी. ए. ने इस पैसे को रिलीज किया था और यह कार्य....

श्री अध्यक्ष : 27 मार्च मतलब आज ही।

श्री लालचन्द डूडी : पिछले साल तो उसके बाद भी पिछले साल के किये हुए सारे कार्यों का भुगतान करना था। मजदूरों को भुगतान करना था। काम की मन्जूरी पहले आ गई थी और बैंक में रुपया ट्रान्सफर बाद में हुआ था इस वास्ते, क्योंकि फाइनेन्सियल ईयर खतम हो रहा था इसलिए 27 तारीख को करना जरूरी था।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय यह बता रहे हैं कि 12 दिन में पैसे एडवान्स में बताये गये जबकि मेरा निवेदन यह है कि सर्दियों में न तो किसी प्रकार का वृक्षारोपण हो सकता है न चारागाह पर किसी प्रकार का खर्चा किया जा सकता है। 8 महीने के लम्बे पीरियड में किसी प्रकार का कोई काम हो ही नहीं सकता. पोसिबल ही नहीं है तो किस काम के लिये पैसा उठाया गया। ऐसा मेरा निवेदन है। दिनांक 9 अगस्त, 1990 को मैंने गवर्निंग काउन्सिल से....

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा फिर पूछ लेना। मैं आपको सन्तुष्ट करना चाहता हूं आप जवाब देंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, ये जो कार्य थे, ये सारे डी. आर. डी. ए. के मार्फत (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। माननीय डाक्टर साहब, थोड़ा ध्यान रखिये। मैं सुन नहीं पाता हूं और फिर माननीय सदस्यों को ही दिक्कत होती है। थोड़ा धीरे बोलिये।

श्री लालचन्द डूडी : उप वन संरक्षक, मरूस्थल वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास पाली द्वारा वर्ष 1989–90 के....

श्री अध्यक्ष : नहीं, उनका सवाल सीधा-सा है।

श्री लालचन्द डूडी : हां, तो मैं उसके बारे में बता दूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, तो आप डिटेल में मत बोलिये। मैं उलझ जाऊंगा। सीधा-सा जवाब दे दीजिये, ये कह रहे हैं कि आपने जब 27 मार्च को रुपया लिया तो आगे जो मौसम आ रहा है उसमें वृक्षारोपण सम्भव नहीं था और हुआ भी नहीं है।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, आगे का नहीं था। यह तो उससे पिछले समय में जो कार्य करवाये जा चुके थे, उनका पेमेंट था, वह देनदारी थी।

श्री अध्यक्ष . पहले पूछा क्या है आपने (व्यवधान) भई उनको सन्तुष्ट हो जाने दीजिये। सवाल उनका है, आपका नहीं है।

[redacted]

श्री सुरेन्द्र गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब 8 महीने में किसी प्रकार का कोई काम मार्च तक नहीं हुआ....

श्री अध्यक्ष : पिछले साल में नहीं हुआ, ये पिछले की कह रहे हैं।

श्री लालचन्द डूडी : पीछे का हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 27 मार्च को जो पैसा उठाया गया था, वह 27 मार्च के पहले के साल भर में जो काम हुए हैं, उनका था। पहले का था।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं पहले का ही निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पहले तो बरसात के टाइम में ही हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप यह कह रहे हैं कि पहले काम ही नहीं हुआ।

श्री सुरेन्द्र गोयल : जुलाई के बाद में, जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर....

श्री अध्यक्ष : आज का नहीं है ये कह रहे हैं कि पिछला पेमेण्ट उठाया था।

श्री सुरेन्द्र गोयल : आज किसी प्रकार का काम नहीं हुआ। 45.90 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी वृक्षारोपण नहीं हुआ, एक जगह चारागाह का विकास नहीं हुआ। जो सूची पेश की है। आप स्वयं मौके पर पधार कर या विधान सभा की कमेटी भेजकर दिखवा लें। किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ और 24 लाख रुपये उठाये हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। आप बैठिये तो सही।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इनका सवाल था कि इतने दिनों के अन्दर यह पैसा क्यों दिया गया। मैं निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष : इसका निर्णय यहां कैसे होगा। सुनिये आप। आप तो कह रहे हैं कि खर्चा हुआ, वृक्ष लगे, वे कह रहे हैं कि नहीं लगे। अब उसका निर्णय यहां कैसे होगा। वे तो जांच करेंगे उसकी।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, अगर कार्य नहीं हुआ है तो उसकी जांच करा लेंगे और जांच कराने में काम नहीं हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : हां, ये यही तो कह रहे हैं कि उसकी जांच अब कर दी जाएगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, वे ही अधिकारी जांच करेंगे जो फर्जी पेमेंट उठा रहे हैं। तो जांच किससे करवायेंगे यह बता दें। फोरेस्ट में यही तो होता है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ पूछेंगे। मैं एक-एक को पूछ रहा हूं और आप एक साथ पूछ रहे हैं। पाली वालों का सवाल है, पहले उनको बोलने दीजिये ना। आप बैठिये। खारची से आने वाले माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य सवाल पूछेंगे। आप बैठिये। आपका हो गया। अब आपका नहीं। अब और लोग पूछेंगे। आप ही के बारे में पूछ रहे हैं। इसी प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं। आप बैठिये।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 11 लाख और कुछ रुपये का भुगतान किया गया 27 तारीख को। यह आपने लिस्ट दी है। उसमें बताया गया है कि 1985–86, 1986–87 और 1987–88, इतने दिनों का बकाया पैसा उसी रोज चुकाया गया क्या? आपने लिस्ट देखी है इसके अन्दर यह पुराना भुगतान बताया है, यह बिल्कुल पुराना भुगतान बताया है....

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी यही तो कह रहे हैं।

श्री खंगार सिंह चौधरी : इसके अन्दर बिल्कुल फोरजरी हुई है और हमने वहां जिला परिषद् की मीटिंग में इस प्रश्न को उठाया था, उसकी जांच आज तक नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये। मैं समझ गया। माननीय गुलाब सिंह। आपका हो गया सवाल। आप बैठिये। गुलाब सिंह जो क्या पूछ रहे हैं आप? पहले पाली वालों को पूछने दीजिये। सारे एम. एल. एज. वहां मीटिंग में मौजूद थे। ... (व्यवधान) पहले इनको पूछ लेने दें। आप बाद में पूछ लेना।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शिकायत करने के पौने दो साल बाद आप यह कहते हैं कि 30 अप्रेल तक कार्यवाही कर दी जाएगी। चूंकि यह मामला वृक्षारोपण और चारागाह विकास का है। आप मुझे निश्चित रूप से बता दीजिये कि पौने दो साल बाद आप उसकी क्या जांच करा पायेंगे? अध्यक्ष महोदय, वहां पौधे खत्म हो गये, जल गये हैं। मुझे आप इनके जवाब दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री अचला राम।

श्री अचला राम (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में यह बताया गया है कि गाडेराव मुसाला महावीर सड़क, उसकी बांई ओर तो थोड़ा सा वृक्षारोपण हुआ है लेकिन दांई ओर बिल्कुल नहीं हुआ है। सिर्फ खड्डे पड़े हैं। तो क्या उसका भी फिजिकल वैरीफिकेशन होना है। सादड़ी सिदरली में कहीं भी वृक्षारोपण नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से आप सादड़ी परशुराम महादेव में तो वहां वृक्ष आलरेडी हैं और कुदरत की तरफ से पहले ही लगे हुए हैं। क्या उन लगे हुए वृक्षों को भी गिन लिया गया है। सादड़ी गाडेराव मुसाला महावीर, वहां कोई वृक्ष नहीं लगा है। रानी कैनपुरा, रानी फालना में खड्डा एक भी नहीं खुदा। मोकुमपुरा मींटवाड़ा, वहां पर भी एक पेड़ नहीं लगा। क्या इसकी भी एक...

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : उस पर कितना खर्च हुआ ?

श्री अचलाराम : खर्चा तो पहले ही बता दिया ना, 90 लाख रुपये का खर्चा होना बताते हैं। क्या इसकी सक्षम अधिकारी से निष्पक्ष रूप से जांच कराने का सरकार विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

श्री अचला राम : जन-प्रतिनिधियों को साथ में लेकर के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुन नहीं रहे हैं क्या, मैं क्या बोल रहा हूं ? श्री मदन कौर। बैठिये आप।

श्रीमती मदन कौर : (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, क्या वन मंत्रीजी यह बताएंगे कि डी. आर. डी. ए. से इस कामों की स्वीकृति कब-कब जारी की गई और स्वीकृति होने के बाद और भुगतान करने के बीच में कब-कब किस-किस स्तर के अधिकारियों ने उन कामों का निरीक्षण किया ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वीकृति का मामला है, मैं आपको बता दूं कि उप वन संरक्षक, मरूस्थल वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास, पाली द्वारा 1989–90 में वार्षिक योजना मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम की स्वीकृति हेतु अपने पत्र दिनांक 7.9.89 द्वारा परियोजना निदेशक, डी. आर. डी. ए. पाली को प्रेषित की गई। यानी उनको योजना तो भेजी थी 7.4.89 को और वहां से वर्ष 1990-91 में विभाग के माध्यम से वन विकास सेक्टर के, वन परिस्थिति निवाकरण कार्य के निष्पादन हेतु पाली जिले के लिए 44.95 लाख रुपये की राशि डी. आर. डी. ए. ने स्वीकृत की गई। वार्षिक योजना प्रस्तावित समस्त कार्य दिनांक 15.3.90 को भेजी गई थी, अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये उनको। (व्यवधान) इनको बोलने तो दीजिये आप।

श्री लालचन्द डूडी : और 15.3.1990 को स्वीकृति दी गई।

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने तो दीजिये आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप इनसे क्या पढ़वा रहे हैं ?

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे आप थोड़ा खुलासा करने दें तो मैं इसको सारा का सारा स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष : आप करिये ना। आप खुलासा ही तो करेंगे।

श्री लालचन्द डूडी : अब पढ़ने का जो काम है, वह तो पढ़ा ही जाएगा।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। आप खुलासा करिए पहले।

श्री लालचन्द डूडी : हां, पढ़ने की बात पढ़ने से होगी। पढ़ने से ही आएगा। याद नहीं रहा करता।

श्री जगमाल सिंह यादव : एक-दिन

(18)

(श्री जगपाल सिंह यादव)

का प्रश्नकाल आपके लिए रिजर्व नहीं कर दिया गया है और यह आपका प्रिविलेज भी नहीं है कि एक घंटा आप पढ़कर निकाल दें।

श्री लालचन्द डूडी : इसमें जितना समय लगेगा, उतना तो लगेगा ही। यह माननीय अध्यक्ष के देखने की बात है, आपकी नहीं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, इनको अपने तरीके से अपनी बात समझाने दीजिए। नहीं समझेंगे तो फिर देखेंगे। आप समझाने तो दीजिए पहले।

श्री लालचन्द डूडी : तो इसमें मैंने आपको बताया।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इनका सवाल यह था कि डी. आर. डी. ए. की स्वीकृति कब की गई और स्वीकृति के बाद किन-किन लोगों ने, किन-किन अधिकारियों ने निरीक्षण किया आपके पास है क्या यह सूचना ?

श्री लालचन्द डूडी : हां हैं यह सूचना 15.3.90 को स्वीकृति दी गई और उसके बाद जैसी मैं इसकी सारी डिटेल बता रहा हूं....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : चैकिंग किसने की, कौन-कौन अधिकारी वहां गये ?

श्री लालचन्द डूडी : यह जो 9 तारीख को डी. आर. डी. ए. की मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय सदस्य उपस्थित थे।

श्री खंगारसिंह चौधरी : 15.3.90 को यह स्वीकृति होना बताया है और 1985-86, 1986-87 और 1988-89 की लिस्ट है, इसके अन्दर यह भुगतान किया गया है। यह वाजिब था क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। ठीक है। ऐसा है बैठिये, बैठिये आप, प्लीज। अब हो गया आपका।

श्री खंगारसिंह चौधरी : बिल्कुल इसके अन्दर +++ था। तब तो निसंदेह गड़बड़ी की है इसमें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये बैठिये। प्लीज। देखिये, मंत्री महोदय, नहीं, नहीं इस प्रश्न में ऐसा लगता है कि जांच के मामले में कुछ डिले हो रही है। सवाल उलझा भरा है और आपके पास पूरे तथ्य भी नहीं हैं।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं, सारे तथ्य....

श्री अध्यक्ष : आप सीधा सीधा करिये फिर....

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं, 9 तारीख को मीटिंग हुई.... (व्यवधान) डी. आर डी. ए. की मीटिंग हुई उसमें माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के इस मामले को टेकअप किया और कलक्टर साहब ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने ज्योंही जांच शुरू की, यह राष्ट्रदूत अखबार में खबर छपी। उस खबर के आधार पर माननीय श्रीमती मदन कौर जी ने इस केस की जांच सी. एफ. से भी करवानी शुरू कर दी। सी. एफ. मिस्टर मान इसकी जांच कर रहे थे....

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : कितने दिन हो गये जांच शुरु हुए ?

श्री लालचन्द डूडी : वह जांच तो फाइनल में है ।

श्री अध्यक्ष : जांच शुरू कब हुई ? प्लीज ।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, 30 अप्रैल तक कलक्टर साहब फाइनल कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : जांच शुरु कब हुई है ? 30 अप्रेल को तो आप जांच की रिपोर्ट मांग रहे हैं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, यह कलक्टर साहब क्या होते हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : इनके तो साहब ही हैं ।

श्री अध्यक्ष : शुरू कब हुई है, यह बताइये ।

श्री लालचन्द डूडी : 18.8.90 को श्री एस. एस. मान ने इसकी प्रारम्भिक जांच शुरू की थी ।

श्री सुरेन्द्र गोयल : जिलाधीश महोदय ने निर्णय किया कि इसकी जांच की जाए । इस संबंध में निर्णय लिया गया कि ग्रामीण विकास अभिकरण के लेखाधिकारी, एवं लेखाकार इस मामले की जांच करें और इस मामले की गहराई से जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुरेन्द्र जी गोयल क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है । आप चाहते हैं कि जवाब नहीं आए । मैं इसको समाप्त करता हूं ।.... (व्यवधान) तो आप शांति से सुनिए । मैं आपकी तरफ से पूछ रहा हूं और बीच में खड़े हो गए । 20 मिनट रहे हैं, चौथा सवाल है, आपके 10 सवाल पूरे होंगे नहीं । फिर श्री माहिर आजाद जी का सवाल रह जाएगा । इनका नेक्स्ट आ रहा है । अब आप नहीं चाहते तो मत करिए । आप ऐसा कीजिए इस सम्बन्ध में पूरी जांच करा लीजिए, पूरी जानकारी करके फिर हाउस को संतुष्ट कीजिए कि जांच का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए । जांच 12.8 से शुरू की है और उसमें 9 महीने लग गए । जब प्रश्न बहुत ज्यादा गंभीर है और उसमें सारे माननीय सदस्यों की यह भावना है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो इसको सीरियसली लीजिए ।

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं ....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, डेढ़ साल हो गया ।

श्री अध्यक्ष : Take it more seriously.

श्री लालचन्द डूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं हाउस के सामने कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट के मोस्ट आॅनेस्ट अधिकारी हैं एस. एस. मान, इनके द्वारा यह जांच की जा रही है । वे बीच में बीमार हो गए, एक बार उनका ट्रांसफर हो गया । इसकी वजह से नहीं हुआ, अब बहुत जल्दी जांच होगी ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । (व्यवधान).... बैठिए आप । श्री माहिर आजाद ।

पाली जिले में कृषि मण्डी के माध्यम से सड़क निर्माण

631. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझनूं) एवं **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) के स्थान पर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में वर्ष 1988 से आज तक कृषि उपज मण्डी के माध्यम से राज्य सरकार ने किन-किन सड़कों की स्वीकृति प्रदान की ? गांव का नाम, दूरी, राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों में से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है, कौन-कौन सी सड़कों का कार्य अपूर्ण पड़ा है ? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ? अपूर्ण सड़कों को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा ?

(3) राज्य सरकार के पास कितनी सडकों की स्वीकृति के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? राज्य सरकार उन्हें कब तक मंजूर कर देगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री रामनारायण विश्नोई) : (1) पाली जिले में वर्ष 1988 से आज तक स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त सड़कों में से 24 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। अपूर्ण सड़कें परिशिष्ट "क" पर क्रमांक 25 से 51 तक अंकित हैं। सड़कों के अपूर्ण रहने का कारण निविदा दरों का अधिक आने से बार-बार निविदाएं आमंत्रित करना अथवा मण्डी समिति द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न करना रहा। अपूर्ण सड़कों में से क्रमांक 25 से 39 तक की सड़कें वर्ष 1992–93 तक पूर्ण होने की संभावना है। शेष क्रमांक 40 से 51 तक की सड़कों को मण्डी समिति सुमेरपुर द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

(3) पाली जिले की कृषि उपज मण्डी समितियों में से सोजत रोड की 5 सड़कों, जैतारण की 5 सड़कों, रानी की 6 सड़कों एवं सुमेरपुर की 8 सड़कों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से कृषि उपज मण्डी समिति, सोजत रोड, जैतारण तथा रानी की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से इनकी स्वीकृति संभव नहीं है। कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर की सड़कों का प्रस्ताव फरवरी, 92 में ही प्राप्त हुआ है जिस पर आगामी वर्ष 1992-93 में विचार किया जाएगा। उक्त सड़कों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया कि जो सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा रह गया उसका कारण कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा ऋण की स्वीकृति न दे पाना रहा है। मैं इसको सही नहीं मानता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति एक साथ जारी की जाती है ? यदि एक साथ नहीं की जाती और अलग-अलग ही की जाती है तो क्या यही कारण

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

है ? मैं जानना चाहता हूं बड़ागुढ़ा से रामसिंह का गुढ़ा तक की सड़क कब से अधूरी पड़ी हुई है और पूर्ण क्यों नहीं हुई ? और हरियामाता से करालिया के बीच के पुल के निर्माण के लिए जो वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी थी उसके बावजूद भी आज तक उस पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया। इसका क्या कारण है और कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह जानकारी चाही है कि प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति एक साथ नहीं दी जाती है क्या ? यह सही है कि प्रशासनिक स्वीकृति पहले दी जाती है और उसके बाद निदेशालय में यह देखा जाता है कि उस समिति में पैसा उपलब्ध है या नहीं, उसके आधार पर वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। जहां तक दो अन्य सड़कों के निर्माण का सवाल पूछा गया है मैं उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि बड़ागुढ़ा से रामसिंह का गुढ़ा की सड़क थी वह एक किलोमीटर की थी और वह पूर्ण कर दी गई है और हरियामाता से करालिया की सड़क थी वह 6 किलोमीटर की थी....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : सड़क नहीं पुलिया पूछ रहा हूं। हरियामाता से करालिया के बीच में जो पुलिया निर्माण की स्वीकृति जारी की थी उस पर तो निर्माण कार्य प्रारम्भ ही नहीं हुआ। उसका क्या कारण रहा और कब तक हो जायेगा ?

श्री रामनारायण विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें पुलिया का प्रश्न नहीं पूछा गया है। कौनसी पुलिया अधूरी है, कौनसी पुलिया बची है...

श्री अध्यक्ष : आप देख लेना, सड़क के साथ पुलिया जरूरी है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो सड़क में ही आती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हेमराज मीणा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सेकण्ड सप्लीमेंटरी की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा। (व्यवधान) सवाल करने वाले माननीय सदस्य तो अनुपस्थित हैं। यदि कोई सीरियसनेस होती तो वे उपस्थित रहते।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उनके यहां मेला है इसलिए नहीं आये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। पाली जिले का मामला हो तो सब खड़े हो जाएंगे।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : सुमेरपुर की सड़कों का परिचय आया है इसमें।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए, इनका जवाब सुनिए।....(व्यवधान)....कृपया सुरन्द्र गोयल बैठिए, इनका जवाब सुनिए। श्री हेमराज मीणा।

२२

किशनगंज-शाहबाद की सहरिया परियोजना

632. **श्री हेमराज मीणा** (किशनगंज) : क्या जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1978 से किशनगंज व शाहबाद में सहरिया परियोजना संचालित है ? अब तक प्रतिवर्ष कितना बजट आवंटित किया गया एवं कितना, कितना, कब-कब, किस-किस योजना में व्यय किया गया ?

(2) क्या व्यय किये गये बजट व योजना का भौतिक सत्यापन किया गया ? यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सहरिया आदिवासियों को मिला है ? क्या इनके जीवन स्तर में सुधार के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

जन जातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (श्री जीवराम कटारा) : (1) हां, यह सही है कि किशनगंज व शाहबाद में वर्ष 1977-78 से सहरिया विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1977-78 से वर्ष 1991-92 तक सहरिया विकास परियोजना अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता, राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि तथा साथ ही अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत कुल मिलाकर 543.443 लाख रुपए की राशि आवंटित हुई जिसका विवरण परिशिष्ट–1 पर दिया गया है : वर्ष 1977-78 से वर्ष 1991-92 (जनवरी-92 तक 321.831 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है जिसका सैक्टरवार विवरण परिशिष्ट–2 पर दिया गया है।

(2) व्यय की गई राशि का नियमित प्रबोधन एवं योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाता है। इस वर्ष दिसम्बर, 91 में आयोजित सहरिया विकास समिति की बैठक में एनीकट, लिफ्ट योजनाओं आदि का भौतिक सत्यापन पंचायत समिति, शाहबाद एवं किशनगंज के माध्यम से विशेष रूप से कराया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट–3 पर दिया गया है।

(3) जी हां, सहरिया आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार के कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है किन्तु इनके जीवन स्तर में सुधार हेतु शैक्षणिक विकास, आर्थिक उन्नयन एवं अन्य सुविधाओं की पूर्ति के लिए सभी सहरिया परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे मानते हुए लाभान्वित किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री हेमराज मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से परिशिष्ट-3 पर जो रिपोर्ट मिली है उसके संबंध में दो-तीन प्रश्न पूछना चाहूंगा। जो डीजल पम्प सैट आदिवासियों को दिए गए हैं वे आदिवासियों के नाम से तो कागज में लिखे गये हैं, आदिवासी उसके मालिक नहीं हैं।

(श्री हेमराज मीणा)

दूसरे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं और रिपोर्ट में यह आया है कि आदिवासी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसकी आप दुबारा जांच करा लें। दूसरा, मेरा सवाल यह है कि जो एनीकट निर्माण हुए हैं इन एनीकट्स की गलत साइड चयन की गई है और इन एनीकट से सिंचाई नहीं हो रही है। ऐसे तीन एनीकट हैं खेराई, खादड़ी और मटियाखार जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी दिए गए हैं और वह कार्य पूर्ण बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसकी भी जांच कर ले। तीसरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : तीसरा बाद में पूछ लेना, सारे सवाल एक साथ ही पूछेंगे क्या ? इनकी जांच करा लीजिए, दोनों की जांच की कह रहे हैं।

श्री जीवराम कटारा : अध्यक्ष महोदय, जिनके नाम से डीजल पम्प आवंटित किए गए हैं वे उन्हीं को दिए गए हैं लेकिन कभी-कभी भागीदारी....

श्री अध्यक्ष : आप इसकी जानकारी कर लीजिए।....(व्यवधान)....यदि वे उपयोग नहीं करते है तो केन्सिल कीजिए उनका नाम।

श्री जीवराम कटारा : इसकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : दूसरा जो है उसकी भी जांच करा लें।

श्री जीवराम कटारा : जी हां।

श्री हेमराज मीणा : तीसरा यह है कि कृषि प्रदर्शन 1991-92 में 200 लगाये गये हैं। ये प्रदर्शन सहरिया आदिवासियों के किसी भी खेत में नहीं लगाए गए हैं। सहरिया आदिवासी जिसके खेत में मजदूर मजदूरी करता है उस खेत का जो मालिक है उसके खेत में लगाये हैं। अध्यक्ष महोदय इसकी भी जांच कराई जाय। इसका वास्तविक लाभ सहरिया आदिवासियों को मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है इसकी भी जांच करा लीजिए।

श्री जीवराम कटारा : इसकी भी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री महावीर प्रसाद जैन।

टौंक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय

633. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)** : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति क्षेत्र टौंक में कितने विद्यालय कहां-कहां पर स्थित हैं ? विद्यालयों में छात्रों की संख्या कितनी है तथा अध्यापकों की संख्या कितनी है ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्यालयों में अध्यापक नियमित पढ़ायें इसकी क्या उचित देखभाल की व्यवस्था विभाग द्वारा की हुई है ?

(२५)

पंचायत राज राज्य मन्त्री (श्री हरलाल सिंह खर्रा) : (1) पंचायत समिति क्षेत्र टौंक में विभिन्न ग्रामों में 126 विद्यालय हैं। विद्यालयवार छात्रों व अध्यापकों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। पंचायत समिति टौंक में उचित देखभाल व व्यवस्था के लिये 3 शिक्षा प्रसार अधिकारी नियुक्त हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6-देखें)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक तो आपने जो परम्परा शुरू की है क्योंकि उत्तरदायित्व जो है वह रहा नहीं है, इस दृष्टि से यहां का यहां उसका समाधान हो, इसके लिए तो आपकी बड़ी कृपा है, सदन बहुत आभारी है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इसमें इन्होंने यह कहा कि 56 पद रिक्त है। 126 आपके विद्यालय हैं उनमें 56 पद रिक्त हैं और उन 56 पदों के अलावा भी इन्होंने कुछ स्कूलों मे जो अध्यापक लगा रखे हैं, जो सूची दी है इसमें आप देखेंगे कि जहां पर 105 छात्र पढ़ रहे हैं वहां एक अध्यापक, जहां पर 48 विद्यार्थी हैं वहां पर 2 अध्यापक, जहां 144 विद्यार्थी हैं वहां 6 अध्यापक हैं, जहां 74 विद्यार्थी हैं वहां एक अध्यापक है। सिसरोला में 65 विद्यार्थी हैं वहां एक अध्यापक है। यह एक प्रकार से नियम विरुद्ध है और यह जो आपने 56 पद रिक्त बताये इनके नहीं भरने के क्या कारण हैं और नियम विरुद्ध जो अध्यापक लगा रखे हैं, इस असमानता के कारण और एक विद्यालय में दो अध्यापक होने आवश्यक हैं जबकि लगभग 43 स्कूलों में केवल एक अध्यापक लगा रखा है, इसके कारण से जब मास्टर छुट्टी पर चला गया, स्थिति यह है कि आधे दिन तो वह छुट्टी पर रहते हैं आधे दिनों में वह केवल हाजिरी लगाते हैं और इसलिए अध्यापकों को....

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रश्न मेरा यह है कि एक तो यह रिक्त पद कब भर दिये जाएंगे और यह असमानता जो है उसके क्या कारण हैं ? नार्म्स के अनुसार कब लग जाएंगे ?

श्री अध्यक्ष : क्या कारण है। बैठिये, समझ गया मैं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्षजी, वैसे तो सारे ही राजस्थान में जो रिक्त पद हैं उनके भरने के लिए पहले ही आदेश कर दिये थे, मैरिट के आधार पर यह पद भरे जाएंगे और यदि वहां रिक्त पद नहीं भरे गये हैं तो जल्दी ही रिक्त पद इसी महीने के अंत तक या अगले सप्ताह तक भर दिये जायेंगे और यह कार्यवाही चालू है।

श्री मोहन लाल चौहान : आपने पहले भी कहा था, अब तक तो भरे नहीं है।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : उसमें माननीय अध्यक्षजी, दस जिलों में तो सारे राजस्थान में दस जिलों में....

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्य, आपकी क्या आदत पड़ गई है बीच में खड़े

(श्री अध्यक्ष)

होकर बोलने की । अब आप कुछ तो सीखिये ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : राजस्थान में दस जिलों में तो हाई कोर्ट से स्टे है और बाकी जिलों में रिक्त पद भरने की कार्यवाही चालू है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप इनका जवाब दीजिए । भरने का सवाल आ गया है । यह जवाब दीजिए कि आपने जो असन्तुलन बना रखा है कि पचास पर तीन अध्यापक और सौ पर एक अध्यापक....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : और छात्र संख्या के हिसाब से....

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, मेरा सवाल सुनिए । इनका इतना ही सवाल है कि आपने जो सूची दी है उसमें कहीं पर तो पचास पर दो अध्यापक हैं, कहीं 103 पर एक अध्यापक है, कहीं पर सौ के ऊपर छः अध्यापक लगा रखे हैं, यह जो असन्तुलन है या तो उसका कोई नियम बनाएँ....

श्री महावीर प्रसाद जैन : नियम बने हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष : कि किस आधार पर आप अध्यापक रखते हैं ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : माननीय अध्यक्षजी, इसके लिए एक से 49 तक एक अध्यापक, 50 से 89 तक 2 अध्यापक और 90 से 129 तक तीन अध्यापकों की व्यवस्था कर रखी है ।

श्री अध्यक्ष : इसको लागू करिये, लागू नहीं हुई है ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : यदि वहां इस तरह की गड़बड़ है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यदि क्या, है । आपको पता नहीं है क्या ?

श्री हरलाल सिंह खर्रा : है तो उसकी दुरुस्ती करवा दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : हां । नेक्स्ट । श्री शिवकिशोर सनाढ्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है । केवल एक सवाल ।

श्री अध्यक्ष : बस हो गया यह । श्री शिवकिशोर सनाढ्य ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझे दो सवाल पूरे करने हैं । बैठिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पूरा नहीं हुआ, यह जो अध्यापकों की भर्ती का मामला है....

श्री अध्यक्ष : भेड़ ऊन राज्य मन्त्रीजी, जवाब दें ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दस जिलों में हो तो....

श्री अध्यक्ष : महावीरजी का नोट नहीं हो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, सचेतक महोदय नींद ले रहे हैं । बैठाइये इनको । हां, बोलिये आप ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : इनका नोट नहीं हो रहा है । आप बोलिये । आप शुरू करिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन × × × :

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये मन्त्रीजी, आप तो जोर से बोल सकते हैं । इनसे जोर से बोलिये । इनसे भी जोर से बोलिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह + + + है । आसन को + + + है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : महावीरजी, आप समझ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कि मैं बोलने नहीं दूंगा । यह अधिकार आपको किसने दिया है ? यह अधिकार किसने दिया है कि आप हाउस को नहीं चलने देंगे ? आप बैठ जाइये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, प्लीज ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह अपनी + + + वापस लें, इन्होंने आसन की अवमानना की है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्लीज ।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इनको बाहर निकाल दीजिए । यह आपके आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : टोंक से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपका नाम लेकर पुकार रहा हूं । श्री महावीर प्रसादजी, सदन से बाहर चले जाइये । बाहर चले जाइये । सदन के बाहर चले जाइये । मैं आपका नाम लेकर पुकार रहा हूं, बाहर जाइये । बाहर जाइये प्लीज । कृपा करके सदन के बाहर चले जाइये । सदन में व्यवधान पैदा मत करिए । आप सदन के बाहर चले जाइए ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : हां, बैठिये । बोलिए ।

डा चन्द्रभान : यह क्या हो गया सत्ता पक्ष को, अध्यक्ष महोदय आज ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन का गठन

634. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) राजस्थान सरकार ने राजस्थान सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लिमिटेड का गठन किन–किन उद्देश्यों को लेकर किया था ?

(2) क्या इसके गठन का उद्देश्य भेड़ पालकों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाना था ? यदि हां, तो क्या उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है ?

(3) क्या फैडरेशन नियमों के अन्तर्गत कार्यरत है ? यदि हां, तो इसकी साधारण सभा की बैठकें इसके गठन के बाद कब-कब हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या भेड़ पाल सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को भी साधारण सभा में प्रतिनिधित्व किया है, उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार भेड़ पालक सहकारी समितियों के सदस्यों को लेकर पुनः इस सम्पूर्ण बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री भेड़ व ऊन(श्री रमजान खां): (1) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन लिमिटेड का गठन भेड़ व ऊन विपणन सम्बन्धित गतिविधियों के विकास हेतु किया गया था जो परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उद्देश्यों के अन्तर्गत निहित भावना यही थी, परन्तु वित्तीय साधनों की सीमितता एवं कुछ व्यापारिक गतिविधियों में हुई हानि के कारण इन उद्देश्यों की पूर्णरूपेण पूर्ति नहीं हो पाई है।

(3) राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ व ऊन विपणन फैडरेशन का गठन....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रमजान खां : राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत हुआ था और फैडरेशन इस अधिनियम के अन्तर्गत ही कार्यरत है।....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हाउस है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रमजान खां : फैडरेशन की केवल एक साधारण सभा की बैठक दिनांक 17.11.80 को हुई थी।

(4) जी हां। प्रतिनिधित्व करने वाले भेड़पालकों के नाम की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) जी हां। सरकार भेड़ पालक सहकारी समितियों के सदस्यों को लेकर पुनः बोर्ड का गठन करने का प्रयास कर रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बताया है कि इनके नौ उद्देश्य थे इसके गठन के लिए, लेकिन

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

इन्होंने दूसरे प्रश्न में यह बता दिया कि इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। इन्होंने यह भी बता दिया कि जो इनकी साधारण सभा है उसकी मीटिंग इनकी हुई थी। 17.11.80 को, इन्होंने यह भी बता दिया कि हम बोर्ड का गठन करने जा रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह साधारण सभा....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उठकर बातें कर रहे हैं। देखिये आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह सब मंत्री लोग तो बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। प्लीज, आपस में बात मत करिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इस सत्ता पक्ष को आज क्या हो गया ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पंचायत राज मंत्री जी तो अपनी सीट से वहां गये।

श्री अध्यक्ष : यह चक्र घूमता रहता है कभी–कभी किसी पर घूमता रहता है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन उद्देश्यों की, जो नौ उद्देश्य हैं, इनमें से किसी उद्देश्य की पूर्ति तो आपके इस विपणन बोर्ड के द्वारा नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : यह तो वह खुद मान रहे हैं ना। वह खुद मान रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन श्रीमान, नौ उद्देश्यों में से एक-आध की भी हो, आखिर इसमें हजारों रुपये....

श्री अध्यक्ष : हां, नहीं है। आप बैठिये। आप बताइये, कब तक पूर्ति कर देंगे ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप कब तक पूर्ति कर देंगे यह सारी, समय बांध दीजिए इसके लिए आप।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, भेड़ पालक सहकारी समितियों के चुनाव हो रहे हैं और यह चुनाव बहुत शीघ्र करवा कर बोर्ड का गठन करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र नहीं, आप टाईम दीजिए। शीघ्र का मतलब कुछ नहीं होता है, समय दीजिए, कब तक कर देंगे आप।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आप स्पष्ट बतायें कि इसका बोर्ड....

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। मैं आपकी तरफ से ही पूछ रहा हूं। कब कर देंगे आप ?

श्री रमजान खां : अब चुनाव में कई प्रकार की अड़चनें आती हैं...

श्री अध्यक्ष : नहीं, जितनी भी हैं, आप टाइम बांध दीजिए।

श्री रमजान खां : अभी स्टे ले रखा है।

श्री अध्यक्ष : आखिरी समय बता दीजिए।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, समय कैसे बताऊं, स्टे ले रखा है चेयरमैन के चुनाव के लिए....

श्री अध्यक्ष : जिनका स्टे है उनको छोड़िये।

श्री रमजान खां : जब तक स्टे खारिज नहीं हो....

श्री अध्यक्ष : वह आपकी मर्जी की बात नहीं है। यह तो स्टे वाले हैं।

श्री रमजान खां : तो मैं समय कैसे बताऊं ?

श्री अध्यक्ष : आप अपनी ओर से कब तक कर देंगे, यदि हाईकोर्ट का स्टे है तो छोड़िये।

श्री रमजान खां : जल्द करवा दिया जाएगा, स्टे खुलते ही करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। एक प्रश्न और रह गया है। श्री रामस्वरूप।

श्री रामस्वरूप मीणा : प्रश्न संख्या 399

श्री अध्यक्ष : एक सवाल और ले लेने दीजिए। हां बोलिये, बोलिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसमें यह डिले कब तक, यह जब तक रहने वाले हैं तब तक किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इनके लाखों रुपये के गबन और घोटाले हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप इनकी मजबूरी समझिये। हाई कोर्ट का स्टे आ जाता है, क्या करेंगे यह। आप जाकर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए। जब हर कदम पर ज्युडिशियरी का स्टे आ जाता है, तो उसको मानना, इनके लिए बाध्य है। अब यह क्या करेंगे, 1980-85, वहां दस-दस साल तक मुकदमे चलते हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने कहा कि नहीं है, उसके ऊपर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। हो गया। उनका जवाब दीजिए, एक सवाल पूरा हो जाने दीजिए।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16 मार्च, 1992)

खनन क्षेत्र बून्दी के लम्बित वाद प्रकरण

399. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1.4.90 को बूंदी जिले के खनन क्षेत्र से सम्बन्धित खानों के कितने वाद/प्रकरण खनिज विभाग या राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे ? उनमें से कितने निर्णीत हो चुके हैं तथा बकाया किस स्टेज पर हैं ?

(2) इस समय खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ बूंदी जिले में पड़ने वाले किसी भी खनन क्षेत्र या खनन पट्टे आदि के सम्बन्ध में कितने वाद तथा प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1.4.90 से अब तक उक्त

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जिले से सम्बन्धित कितने वाद/प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा खनिज विभाग के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश प्रदान किए गए हैं तथा इसके क्या कारण रहे हैं ?

(4) उक्त तिथि से अब तक खनिज विभाग, बूंदी से सम्बन्धित कितने वाद/प्रकरण खनिज विभाग के खिलाफ निर्णीत किए गए हैं तथा खिलाफ फैसले होने के क्या कारण रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि खनिज विभाग, बूंदी या इसी से सम्बन्धित सरकार के खिलाफ चल रहे मामलों में सही ध्यान एवं प्रभावी पैरवी का अभाव रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा इस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु सरकार को कब एवं क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री कालूलाल गुर्जर) : (1) दिनांक 1.4.90 को बूंदी जिले के खनन क्षेत्र से सम्बन्धित विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में 93 वाद विचाराधीन थे। उनमें से 11 वाद निर्णीत हुए हैं। शेष वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(2) वर्तमान में बूंदी जिले में खनन क्षेत्र या खनन पट्टों से सम्बन्धित खनिज विभाग के खिलाफ 169 वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। सूची संलग्न है।

(3) 1.4.90 से अब तक बूंदी जिले में केवल एक मामले में विभाग के विरुद्ध निर्णय हुआ है जिसमें विभाग के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का निर्णय हुआ है। एक पक्षीय कार्यवाही का कारण संबंधित वाद में विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना रहा है।

(4) उक्त तिथि से अब तक केवल एक वाद में विभाग के विरुद्ध निर्णय हुआ है इसका कारण विभाग द्वारा वाद का जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाना रहा है।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे 4 प्रश्न हैं। पहला इतने ज्यादा वाद चल रहे हैं इसका क्या कारण है ? दूसरा, क्या गलत आवंटन के कारण ज्यादा वाद चल रहे हैं। तीसरा, ज्यादा वाद होने के कारण क्या सरकार अलग वकील नियुक्त करने का कोई इरादा रखती है ? यदि नहीं रखती है तो क्यों ? चौथा प्रश्न, एक पक्षीय कार्यवाही विभाग के खिलाफ कौन से केस में हुई है और कब हुई है और उस समय कौन सरकारी वकील था जिसने जवाब पेश नहीं किये और इतने मुकदमे होते हुए भी आपने लीगल असिस्टेन्ट क्यों नहीं नियुक्त किया ?

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा एक प्रश्न है। यह मामला केवल खनिज विभाग का ही नहीं है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के खिलाफ अमुमन केसेस चल रहे हैं हाईकोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। क्या इन केसेस में विभाग पूरा ध्यान नहीं देता यह उसका एक कारण है। जो

(श्री रामनारायण वर्मा)

लिस्ट दी गयी है उसमें वाद संख्या भी नहीं दी गयी है। यह खनिज विभाग का मामला है और लाखों रुपयों का मामला है, लाखों रुपयों की रायल्टी का मामला है, उन्हीं जगहों पर हजार रुपया-ट्रक लेकर जो अवैध खनन हो रहा है इस तरह के केसेस हो रहे हैं। कोटा से आने वाले सारे माननीय विधायक जानते हैं कि वहां इस तरह का अवैध खनन हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : तो मेरा निवेदन यह है कि क्या जिस केस में विभाग के खिलाफ निर्णय हुआ है उसकी अपील कब तक कर दी जायेगी और इन्टरिम आर्डर्स हो रहे हैं उसमें यह शामिल नहीं है। इन्टरिम आर्डर विभाग के खिलाफ जिन केसेस में हो रहे हैं उन केसेस में इन्टरिम आर्डर खारिज करने के लिए और जिनमें अपील होनी चाहिए उनमें अपील करने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है और कब तक कर देगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। इन सब प्रश्नों के पूछने का एक ही मकसद है कि जो आपने जवाब दिये हैं एक्सपार्टी डिसीजन हुए हैं। उनमें पैरवी ठीक ढंग से नहीं की गयी, इसलिए पैरवी करने के लिए यदि आपको लगता है कि एडवोकेट जनरल के यहां से पूरी नहीं होती है तो अपने विभाग का अलग वकील करके इसकी पैरवी करें इसकी व्यवस्था कब करने जा रहे हैं यह बता दीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1-4-90 के पहले के बहुत कम केसेस थे और उसके बाद केसेस बढ़े इसलिए विभाग की ओर से नया वकील नियुक्त करने के लिए मैं इसको कानूनी तौर से दिखवाकर अगर आवश्यक हुआ तो निश्चित रूप से लगा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हुआ।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : डिपार्टमेन्ट वकील को सूचना नहीं देता है। डिपार्टमेंट मिला हुआ है वकील से....

श्री अध्यक्ष : आप समापित पैनल में हैं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

अनुपस्थित सदस्य के तारांकित प्रश्नोत्तर

आर. एफ. सी. द्वारा ऋण हेतु निष्पादित अनुबन्ध

627. श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या आर. एफ. सी ने अनेकानेक अनुबन्धों के अन्तर्गत ऋण लेने वाले उद्यमियों से निम्न शर्तें ऋण देते वक्त रखी हैं कि :-

(i) ऋणी ऋण की अवधि के दौरान कोई राजनैतिक तरीके का साहित्य नहीं छापेगा।

(श्री रामकिशन)

(ii) ऋणी ऋण के दौरान कोई ट्रेड नहीं करेगा।

(iii) ऋणी ऋण की अवधि के दौरान हुण्डी पर कर्जा नहीं लेगा।

(2) क्या राज्य सरकार ने इन सबको या इनमें से किसी को संविधान में प्रदत्त अधिकारों के सन्दर्भ में जांचा है और क्या ऐसे प्रतिबन्ध इन अनुबन्धों के लिए कानूनी रूप से उचित व वैध हो सकते हैं जो नागरिकों के मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त करते हों ?

(3) क्या इन अवैध अनुबन्धों का निरस्तीकरण कराने के लिये सरकार कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान में शर्त संख्या 1 किसी अनुबन्ध में नहीं लगाई जाती है। शर्त संख्या 2 व 3 इस परन्तुक के साथ लगाई जाती है कि ऐसी कार्यवाही करने के पूर्व राजस्थान वित्त निगम की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

(2) ये दो शर्तें ऋण की सुरक्षा, राशि का सम्भावित दुरुपयोग रोकने तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वसूली सुनिश्चित करने की दृष्टि से ही लगाई जाती हैं। इन शर्तों के लगाने से किसी उद्यमी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर जिले में मिसिंग लिंक के रूप में सड़क निर्माण

991. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 1991-92 के वित्तीय वर्ष में कितनी मिसिंग लिंक के रूप में सड़कों का निर्माण कराया है ? विधान सभा क्षेत्र अनुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक निर्माण कराने की बहुत मांग है और क्या अगले वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में मिसिंग लिंक रोड निर्माण करने का कोई प्रभावी कार्यक्रम राज्य सरकार तय करने जा रही है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1991–92 के वित्तीय वर्ष में तीन मिसिंग लिंक के सड़कों की स्वीकृति दी गई है जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। वांछित सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" में दी गई है।

(2) जी हां। अगले वित्तीय वर्ष में कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में मिसिंग लिंक रोड निर्माण करना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

मिसिंग लिंक रोड के अन्तर्गत सड़क निर्माण

992. **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील भरतपुर के ग्रामपार के लिए भरतपुर उच्चेन रोड के ग्रामवासियों ने स्वयं कच्ची सड़क निर्मित कर दी है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामपार के लिए ग्रावागमन की कोई सुविधा नहीं है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों ने एवं जनप्रतिनिधियों ने मिसिंग लिंक रोड प्रोग्राम के अन्तर्गत सरकार से इस सड़क को पक्की कराने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक पक्की कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। यह सड़क मिसिंग लिंक नहीं है अपितु एप्रोच रोड है और इसका निर्माण योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए वर्तमान में सम्भव नहीं है।

राज्य में ग्रेवल व पक्की सड़कों का निर्माण

993. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1991–92 में सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में कुल कितनी सड़कें ग्रेवल व पक्की तैयार की गई ? ब्यौरा सड़क का नाम लम्बाई एवं पूरी लागत सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1991–92 में विभिन्न जिलों में बनाई गई विभिन्न प्रकार की सड़कों की लम्बाई एवं लागत संलग्न सूची "क" में है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर जिले के पंचायत मुख्यालयों पर सड़क निर्माण

994. **श्री शम्भूदयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) मार्च, 1990 से 31 जनवरी, 1992 तक प्रदेश में कुल कितने पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई ?

(2) अजमेर जिले में उपरोक्त अवधि में कितनी सड़कें स्वीकृत की गईं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में इस अवधि में कितनी सड़कें मंजूर की गईं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के

(३४)

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले कितने ग्राम सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इस वर्ष ऐसे ग्रामों को सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मार्च, 1990 से 31 जनवरी तक प्रदेश में कुल 90 पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

(2) अजमेर जिले में उपरोक्त अवधि में 6 सड़कें स्वीकृत की गई है । सूची परिशिष्ट "अ" सलंग्न है ।

(3) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में इस अवधि में एक सड़क जुनिया से हिंगोनियाँ 6.5 कि॰मी. लम्बाई में रुपये 12.00 लाख राशि की स्वीकृत की गई है । सूचना परिशिष्ट "अ" में क्रम संख्या 6 पर दर्शाई गई है ।

(4) केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में 1971 की जनगणनानुसार 500 से अधिक आबादी वाले 22 ग्राम सड़कों से जुड़े हुए नहीं है । सूची सलंग्न परिशिष्ट "ब" में दर्शाई गई है ।

(5) जी नहीं । 1971 की जनगणनानुसार 500 से अधिक आबादी वाले उपरोक्त गांवों को सड़कों से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तिय संसाधनों की उपलब्धता के अभाव में सम्भव नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें ।)

जोधपुर-नागौर राज्य मार्ग पर अतिक्रमण

995. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सभी है कि लगभग चार वर्ष पूर्व जोधपुर से नागौर जाने वाले राज्य मार्ग की केन्द्रीय रेखा से पचास फीट पूर्व की रोड़ बाउन्ड्री में मण्डोर ग्राम की सीमा में स्थित ग्यारह किलोमीटर के पास अनुमानित एक हजार मीटर की दूरी तक लम्बाई एवं दो से तीन मीटर चौड़ाई अर्थात् लगभग 2,500 वर्गमीटर सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर पत्थर की दीवार बनाकर अवैधानिक कब्जा कर लिया है ?

(2) यदि हां, तो सम्बन्धित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त अतिक्रमण को हटाने की अभी तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को राजस्व विभाग के तहसीलदार के बराबर राजस्व कानून के अनुसार अतिक्रमण हटाने की शक्ति प्रदान की हुई थी ?

(4) उपरोक्त रोड बाउन्ड्री में स्थित अतिक्रमण कब तक हटा दिया जायगा एवं सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्ड की कब क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) अतिक्रमण प्रमाणित नहीं होता । अत: किसी प्रकार की कार्यवाही करना सम्भव नहीं है ।

(3) जी हां ।

(4) इस स्थान पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण प्रमाणित नहीं हो पाने से किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

प्रतापगढ़ क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

996. **श्री रखबचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत के लिये वर्ष 1984 से 1992 तक बजट में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जिला चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत हेतु वर्ष 1983-84 से वर्ष 1991–92 तक निम्नानुसार आवंटन किया गया है :–

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रुपये लाखों में)
1.	1983–84	17.80
2.	1984–85	24.00
3.	1985–86	14.60
4.	1986–87	18.00
5.	1987–88	19.60
6.	1988–89	21.00
7.	1989–90	25.00
8.	1990–91	
	(अ) सड़कों की मरम्मत के लिये 31.50	
	(ब) बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये 10.50	42.00
9.	1991–92	29.00
	योग :	211.00

महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय भवन

997. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर में पुस्तकों के बढ़ते हुए भार को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में ऊपरी मंजिल में अधिक भार नहीं रखने की चेतावनी दी है ।

(2) क्या यह सही है कि 1945 में जयपुर राज्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर मिर्जा इस्माईल ने इस पुस्तकालय का निरीक्षण कर इसकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके विस्तार के लिए मन्दिर के भीतरी चौक के ऊपर वाली दोनों छतों पर निर्माण के निर्देश दिए थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस निर्देश के फलस्वरूप इन छतों पर निर्माण हेतु एक नक्शा (ब्लयू प्रिन्ट) बना कर दिया था ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यदि हां, तो विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय जयपुर में पुस्तकों के बढ़ते हुए भार को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में ऊपरी मंजिल में अधिक भार नहीं रखने हेतु सुझाव दिया गया था।

(2) जी हां । 1945 में जयपुर राज्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री सर मिर्जा इस्माईल ने इस पुस्तकालय का निरीक्षण कर इसके विस्तार के लिये मन्दिर के भीतरी चौक के ऊपर वाली दोनों छतों पर निर्माण के निर्देश दिये थे ।

(3) जी हां । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस निर्देश के फलस्वरूप इन छतों पर निर्माण हेतु एक नक्शा (ब्ल्यू प्रिंट) बनाकर दिया था तथा तत्सम्बन्धित तखमीना भी तैयार किया गया था किन्तु वांछित धनराशि के अभाव में वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी ।

सार्वजनिक उपक्रम

998. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में सार्वजनिक उपक्रम कितने हैं ? इन उपक्रमों में से कौन-कौन से उपक्रम लाभ में और कौन-कौन से उपक्रम घाटे में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि समय-समय पर विभिन्न समितियों ने सार्वजनिक उपक्रम जो घाटे में चल रहे हैं, उन्हें बन्द करने का सुझाव दिया था ? यदि हां, तो घाटा देने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को कब तक बन्द कर दिया जावेगा ?

(3) सार्वजनिक उपक्रमों में होने वाले घाटे के लिए कौन जिम्मेदार हैं।

(4) क्या लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों का मूल्यांकन करवाया गया ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजकीय उपक्रम ब्यूरो के अधीन कुल 41 राजकीय उपक्रम है । वर्ष 1989–90 के वित्तीय परिणामों के आधार पर लाभ एवं हानि में चल रहे उपक्रमों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं ।

(2) जी हां । राजस्व व्यय के पुरिक्षण हेतु श्री ललित किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित समिति ने कुछ राजकीय उपक्रमों की समीक्षा कर राज्य सरकार को उनके बाबत सुझाव प्रस्तुत किये, सुझावों में एक उपक्रम राजस्थान कृषि उद्योग निगम को बन्द करने का सुझाव भी दिया गया ।

सरकार घाटा देने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को घाटे की स्थिति, सार्वजनिक

(राजकीय उपक्रम मंत्री)

हित में उपादेयता, पुनर्जीवन की सम्भावना इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों को ध्यान में रख-कर बन्द करने के विकल्प पर विचार करती है।

(3) सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे में चलने के कई कारण है। इनमें दीर्घ/कार्यशील पूंजी का अभाव, प्रतिकूल बाजार स्थिति, उत्पादन एवं अन्य खर्चों में वृद्धि, विक्रय दरों/सेवा दरों में समय पर उचित वृद्धि न होना भी सम्मिलित है। घाटे की स्थिति के लिए अधिकारी विशेष की जिम्मे-दारी तभी सम्भव है जबकि नुकसान व्यक्ति विशेष की लापरवाही के कारण हुआ हो।

(4) राजकीय उपक्रम ब्यूरो को लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक उपक्रमों का मूल्यांकन नहीं कराया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

अलवर–भरतपुर बस स्टेण्ड पर सड़क निर्माण

999. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अलवर-भरतपुर के मध्य, नगर बस अड्डे पर मुख्य सड़क पर निर्माण आदेश कब से हुए हैं ? स्थगन आदेश कब से हैं ?

(2) विभाग द्वारा स्थगन के विरुद्ध ए.सी.जे.एम., डीग एवं ए.डी.जे., डीग के न्यायालयों में प्रत्येक पेशी पर क्या-क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या विभाग के वकील एवं अधि-कारी ने ठेकेदारों से मिलकर उपरोक्त सड़क निर्माण में विलम्ब किया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी अधिकारी एवं वकील, ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर–भरतपुर के मध्य नगर बस अड्डे पर मुख्य सड़क के आवश्यक मरम्मत कार्य के आदेश ठेकेदार को दिनांक 12. 11. 90 तथा पुनः दिनांक 4.9.91 को दिये गये। अस्थायी स्थगन आदेश दिनांक 12. 9. 91 को तथा स्थायी स्थगन आदेश दिनांक 30. 11. 91 को ए.सी. जे.एम. कोर्ट डीग द्वारा दिये गये।

(2) विभाग द्वारा स्थगन आदेश के विरुद्ध ए. सी. जे. एम. डीग एवं ए. डी. जे. कोर्ट डीग के न्यायालयों में प्रत्येक पेशी पर हुई कार्यवाही का विवरण संलग्न परि-शिष्ट "अ" तथा "ब" में अंकित है।

(3) जी नहीं। क्योंकि ए.सी.जे.एम. कोर्ट डीग के दिनांक 30. 11. 91 के निर्णय के विरुद्ध विभाग द्वारा दिनांक 6. 1. 92 को ए. डी. जे. कोर्ट डीग में अपील दायर कर दी गई थी तथा ए.डी.जे. कोर्ट डीग में अपील का अभी तक निर्णय न होने के फलस्वरूप निर्माण करना सम्भव नहीं है। अतः कोई भी दोषी नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

(38)

बयाना-भरतपुर मार्ग का सड़क निर्माण

1000. **श्री करोसी लाल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बयाना-भरतपुर मार्ग जगह-जगह से टूटा हुआ है ? क्या सरकार इस मार्ग को पूर्णतः मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि बयाना से झील (केला देवी) तक सड़क अधिक टूटी फूटी है एवं उसमें गड्ढे भी अधिक मात्रा में हैं ? क्या सरकार इस मार्ग को जल्द से जल्द ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । आवश्यकतानुसार समय-समय पर सामान्य मरम्मत आदि का कार्य किया जाता रहा है ।

(2) जी नहीं । आवश्यकतानुसार सामान्य मरम्मत का कार्य किया जाता रहा है ।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सड़क निर्माण

1001. **श्री प्रकाश चन्द बैरवा** (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में जयपुर जिले में क्या-क्या कार्य किये गये ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की बस्तियों को स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के तहत अब तक किसी सड़क से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में जयपुर जिले में विधान सभा क्षेत्रवार किये गये कार्यों की वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाई गई है ।

(2) जी नहीं । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत जयपुर जिले में अब तक 3 अनुसूचित जाति की बस्तियों को सड़क से जोड़ा गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1. जयसिंह पुरा खोर जयपुर ग्रामीण
2. हिंगोनिया फुलेरा
3. लूनियावास सांगानेर

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

सलूम्बर क्षेत्र की सड़कों का निर्माण

1002. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के निम्नांकित सड़क मार्गों का निर्माण कब तक किया जाना निर्धारित है :–

1. जगत से गिंगला

(श्री फूलचन्द मीणा)

2. जगत से झामेश्वरजी

3. सलूम्बर से विडावल (6.50 कि. मी. के बाद)

4. कुराबड से झामेश्वरजी वाया लालपुरा ?

(2) इन सड़क मार्गों के बन जाने से किन-किन पंचायतों का मुख्यालय पंचायत समिति मुख्यालय से जुड़ेगा ?

उत्तर

(1) सलुम्बर विधान सभा क्षेत्र की इन सड़कों की स्थिति निम्न प्रकार से हैं :–

		कुल लम्बाई	डामर	मेटल	ग्रेवल	कच्चा	अनुमानित लागत लाखों में
1.	जगत से गिंगला	19.00	3.25	–	15.75	–	89.00
2.	जगत से झामेश्वरजी	11.00	–	–	–	11.00	48.00
3.	सलुम्बर से विडावल	19.00	6.5	–	2.5	10.00	48.00
4.	कराबड़ से झामेश्वरजी	12.00	–	–	–	12.00	52.00

उक्त सड़कों को पूर्ण डामरयुक्त बनाना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(2) केवल जगत से गींगला तथा सलुम्बर से बेडावल सड़क मार्ग का निर्माण हो जाने पर पंचायत मुख्यालय उथड़ा तथा बेडावल पंचायत समिति मुख्यालय सलुम्बर से जुड़ जावेंगे।

दौसा क्षेत्र के पंचायत मुख्यालय को सम्पर्क सड़कें

1003. **श्री मोहनलाल (परबतसर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में कितने ऐसे गांव हैं जिन्हें पंचायत मुख्यालयों से सड़क द्वारा नहीं जोड़ा गया है ?

(2) उन्हें सड़क से कब तक जोड़ दिया जावेगा ?

(3) क्या सभी राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़ने हेतु सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायत जसोता को अलवर रोड से कब तक जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(40)

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में 135 गांव पंचायत मुख्यालयों से सड़क द्वारा नहीं जोड़े गये हैं।

(2) 135 गांवों में से एक गांव खेड़ला खुर्द को वर्ष 1992-93 तक पंचायत मुख्यालय से कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क द्वारा जोड़ दिये जाने की सम्भावना है। शेष गांवों को पंचायत मुख्यालयों से सड़क द्वारा जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान में सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत मुख्यालय जसोता पहले से ही अलवर रोड़ से ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है।

मालवीय नगर, जयपुर में चिकित्सालय

1004. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर, जयपुर के सेक्टर नं. 5 से 13 में निवास करने वाली जनसंख्या में काफी वृद्धि होने के बावजूद अभी तक वहां कोई चिकित्सालय नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि सैक्टर नं. 9 के पास चिकित्सालय के लिये आवासन मण्डल द्वारा जमीन छोड़ी गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कब तक चिकित्सालय निर्माण की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में मालवीय नगर में एक डिस्पेंसरी एवं एक 50 शैयायुक्त चिकित्सालय कार्यरत है इसके अतिरिक्त आंखों का केलगिरी आई अस्पताल भी कार्यरत है, जिसे राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। शहरी मापदण्डों के अनुपात में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

(2) यह सही है कि मालवीय नगर के सेक्टर 9 के पास आवासन मंडल ने चिकित्सालय के लिए 2500 वर्ग गज जमीन छोड़ी है। वर्तमान में इस जमीन की स्थिति विवादास्पद है।

जब आवासन मंडल ने यह जमीन चिकित्सालय के लिए छोड़ी थी तब मालवीय नगर क्षेत्र में 50 शैय्याओं युक्त चिकित्सालय, जो वर्तमान में कार्यरत है, नहीं था। वर्तमान में मालवीय नगर क्षेत्र में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उक्त कथित भूखण्ड पर चिकित्सालय निर्माण की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहर थाना (झालावाड) के भवन की मरम्मत

1005. **श्री मदन दिलावर** (अटरु) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहर थाना जिला झालावाड़ की भवन मरम्मत

I

(श्री मदन दिलावर)

के लिये चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

(2) इसमें से कितनी राशि मरम्मत पर व्यय की गई ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष (1991-92) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरथाना के भवन की मरम्मत हेतु कोई राशि आवंटित नहीं की गई।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मेडिकल महाविद्यालयों द्वारा विभिन्न उपकरणों की खरीद

1006. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

गत दो वर्षों में विभिन्न मेडिकल महाविद्यालयों में कौन-कौन से नये उपकरण, मशीनें, एक्सरे संयंत्र इत्यादि खरीदे गये ? वर्ष और महाविद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत दो वर्षों में महाविद्यालयों एवं संलग्न चिकित्सालयों में खरीदे गये उपकरण मशीन, एक्स-रे संयन्त्रों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रेफरल चिकित्सालय, मकराना में चिकित्सकों के पद

1007. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मकराना राजकीय रेफरल चिकित्सालय में कुल कितने चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं तथा स्त्री रोग चिकित्सक व वरिष्ठ चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) किस-किस चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक के पद कब-कब से रिक्त हैं ?

(3) मकराना चिकित्सालय में महिला चिकित्सक को कब-कब लगाया एवं महिला चिकित्सक कब रही ?

(4) क्या मकराना रेफरल चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजकीय रैफरल अस्पताल मकराना में निम्न पद स्वीकृत है :–

1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)–एक
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) –एक
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तीन

मकराना में पी. पी. सेन्टर भी कार्यरत है, जिसमें निम्न चिकित्सकों के पद स्वीकृत है :-

1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)–एक
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु) –एक

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) स्वीकृत पदों के अनुसार चिकित्सक कार्यरत है ।

(3) मकराना में डा. (श्रीमती) मीना मल्होत्रा दिनांक 2-5-89 से 8/91 तक कार्यरत रही उसके बाद दिनांक 30-9-91 को डा. शशि मल्होत्रा को लगाया गया जो स्वेच्छा से अनुपस्थित हो गई । अब डा. (श्रीमति) रेखा आचार्य को लगाया गया है ।

(4) मकराना में स्वीकृत पदों के अनुरूप चिकित्सक पदस्थापित है ।

अलवर के चिकित्सों द्वारा स्थानान्तरण के विरुद्ध प्राप्त स्थगन आदेश

1008. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) एवं **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) अलवर जिले में किन-किन चिकित्सकों ने किस-किस तिथि से न्यायालय से स्थानान्तरण के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन केसों के प्रभारियों ने लम्बित स्थगन आदेशों को खारिज करवाने में रुचि नहीं ली है ? प्रभारी अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार इन प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विचार रखती है ?

(4) क्या सरकार इन केसों के प्रभारी अधिकारियों को बदलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले के 7 चिकित्सकों द्वारा न्यायालय से स्थानान्तरण आदेशों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर रखें हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां, प्रश्न के भाग एक के लिए संलग्न सूची में चाही गई सूचना सम्मिलित है ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रभारी अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने बाबत कोई शिकायत उपलब्ध नहीं है । अतः फिलहाल प्रभारी अधिकारियों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

मेडिकल कालेजेज में डाइटीशियन्स के पद

1009. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) क्या यह सही है कि राज्य के मेडिकल कालेजेज के अस्पतालों में भर्ती रोगियों को मुफ्त भोजन दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त भोजन कहां और किसके निर्देशन में तैयार किया जाता है ?

(श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद)

(2) क्या मरीजों को वितरित किये जाने वाले भोजन की तैयारी की निगरानी के लिए डाइटीशियन का कोई पद होता है ? यदि हां, तो राज्य में डाइटीशियन के कितने पद कहां-कहां हैं ?

(3) यदि नहीं, तो क्या यह पद सृजित किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के मेडीकल कॉलेजों के अधीनस्थ अस्पतालों में गरीब भर्ती रोगियों को मुफ्त भोजन दिया जाता है । यह भोजन चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी अधिकारी की देखरेख में रसोईघर में तैयार किया जाता है ।

(2) मरीजों को वितरित किये जाने वाले भोजन की निगरानी के लिये डाईटीशियन का पद होता है । डाइटीशियन के तीन पद मेडीकल कॉलेज, जयपुर में एवं एक पद मेडीकल कॉलेज, जोधपुर में स्वीकृत है ।

(3) डाईटीशियन के पद अन्य मेडीकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में सृजित किये जाने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा ।

पैन्शनर्स को चिकित्सा सुविधा

1010. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान प्रदेश में पैन्शनरों को जो दवा लिखी जाती है, उनमें से कई दवाइयां सहकारी बाजार अथवा दुकान से उपलब्ध नहीं होती है उनके बारे में क्या प्रावधान है ?

(2) जो दवाइयां रोगी, को अपना पैसा खर्च कर खरीदनी पड़ती है उसका पुनर्भरण किस प्रकार किया जाता है ? इस बारे में क्या व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) पैन्शनरों को जो दवाईयां सहकारी अथवा अन्यत्र अधिकृत दूकानों से उपलब्ध नहीं होती उनके लिए वर्तमान में कोई विकल्प या प्रावधान नहीं है ।

(2) ऐसी दवाईयों की खरीद के व्यय के पुनर्भरण का कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में वाटर कूलर्स

1011. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में रोगियों के पेयजल हेतु कुल कितने वाटर कूलरों का प्रावधान अब तक किया गया है और उनमें से कितने चालू हैं और कितने खराब हैं ? रिपेयर के पश्चात् उनमें से कितने

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

कूलर पुनः कार्यरत हो सकते है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) आगामी ग्रीष्म ऋतु में पेयजल व्यवस्था हेतु सरकार क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में रोगियों के पेयजल हेतु 10 वाटर कूलर स्थापित किये हुए है जिनमें से चार कार्यरत हैं व चार मरम्मत के लिए दिए हुए है। शेष दो खराब हो चुके हैं जो मरम्मत योग्य नहीं हैं।

(2) आगामी ग्रीष्म ऋतु में जो चार वाटर कूलर मरम्मत हेतु भेज रखे हैं उनकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ लगेगी व दो हैण्ड पम्प पेयजल हेतु लगे हुए हैं।

सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, छबड़ा की एक्सरे-मशीन

1012. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या छबड़ा सामुदायिक चिकित्सालय में एक्सरे मशीन लगाने की सीवकृति है ? यदि हां, तो अब तक क्यों नही लगी और कब से स्वीकृत है ?

(2) क्या यह भी सही है कि एक्सरे के लिए डाॅर्करूम बन कर तैयार है तथा लाइट की फिटिंग भी हो गई है पर मशीन नहीं पहुंची है ? यदि हां, तो अब मशीन कब तक लगा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 90–91 में स्वीकृति जारी की गई थी, प्रशासनिक कारणों से टेण्डर निरस्त कर पुनः 10-9-91 को आमंत्रित किये गये हैं, निर्णय शीघ्र लिये जाने की संभावना है।

(2) जी हां, क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण होते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छबड़ा पर एक्ससे मशीन उपलब्ध करा दी जावेगी।

डेगाना (नागौर) में रेफरल चिकित्सालय

1013. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में तहसील मुख्यालय होते हुए भी अभी तक रेफरल अस्पताल नहीं हैं ? यदि हां, तो अभी तक यह स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ? अब वहां कब तक रेफरल अस्पताल की स्वीकृति दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) जिला नागौर में कुल कितने रेफरल अस्पताल वर्तमान में कार्यरत हैं ? बजट वर्ष 1992–93 के दौरान ऐसे कितने अस्पताल जिले में और खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिये जाने की योजना हैं ? पूर्ण ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, योजनामद में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण डेगाना में रेफरल अस्पताल स्वीकृत नहीं हो पाया है। आगामी वर्षों में वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य स्थानों के साथ इस पर भी विचार करना सम्भव होगा।

(2) नागौर जिले में वर्तमान में 7 रेफरल अस्पताल है। वर्ष 1992-93 में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की योजना है। इस योजना का जिलेवार विभाजन अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

भरतपुर में रेफरल चिकित्सालय

1014. श्री अरुणसिंह (डीग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भरतपुर में कितने रेफरल चिकित्सालय खोलने का राज्य सरकार का कार्यक्रम है? कितने खोल दिये गये हैं? बाकी कब तक खोलने का विचार है?

(2) क्या डीग में रेफरल चिकित्सालय हेतु बना भवन, राजकीय भवन एवं पथ (सा. नि. वि.) विभाग को सौंपा जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रत्येक पंचायत समिति में एक रेफरल अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) खोलने का सरकार का कार्यक्रम है।

--सात पंचायत समिति क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं।

--शेष बची सेवर व कुम्हेर पंचायत समिति क्षेत्र में शीघ्र ही वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने पर विचार करना सम्भव होगा।

(2) डीग का रेफरल अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) का भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा जा चुका है।

विदेश जाने वाले राजकीय चिकित्सक

1015. श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विदेश में जाने वाले राजकीय सेवारत चिकित्सकों को राज्य सरकार से अनापत्ति-पत्र (एन. ओ. सी.) आवश्यक रूप से लेना पड़ता है? यदि हां, तो फिर पिछले पांच वर्षों में कितने चिकित्सक बिना अनापत्ति-पत्र प्राप्त किये ही विदेशों में चले गये?

(2) ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) ऐसे चिकित्सक कब से कब तक विदेश में रहे? उनके विदेश में रहने के समय को क्यों और किस प्रकार नियमित किया गया?

(4) इस प्रकार विदेश जाने वाले चिकित्सकों की उस अवधि को नियमित करने के लिए कौन सक्षम है और किसने नियमित किया?

(46)

उत्तर

(1) राजकीय सेवारत चिकित्सकों को विदेश भ्रमण व विदेश में किसी सेमीनार/कांफ्रेन्स में भाग लेने के लिए राज्य सरकार से पासपोर्ट बनवाने के लिए व विदेश जाने के लिए पूर्वानुमति/अनापत्ति पत्र प्राप्त करना होता है। विदेश में नौकरी करने के लिए भी राजकीय सेवारत चिकित्सकों को पहले विदेश सेवा हेतु पंजीयन करवाना होता है। तत्पश्चात् विदेश में नियुक्ति पत्र मिलने पर राज्य सरकार से विधिवत अनापत्ति पत्र प्राप्त कर चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

राजकीय सेवारत ऐसे बहुत से चिकित्सक हैं जो लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं इन चिकित्सकों में से कुछ विदेश भी गये हो सकते हैं। अतः पिछले पांच वर्षों में ऐसे चिकित्सकों की निश्चित संख्या बता पाना सम्भव नहीं है जो बिना अनापत्ति पत्र प्राप्त किये विदेश गए।

(2) उन सभी चिकित्सकों के विरुद्ध जो या तो लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे है या बिना अनापत्ति पत्र प्राप्त किये विदेश चले गए है, के विरुद्ध नियमानुसार सी. सी. ए. नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। ऐसे जितने भी प्रकरण विभाग की जानकारी में आये है उन सभी में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है अथवा की जा रही है।

(3) चूंकि लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सक भी बिना अनापत्ति पत्र के विदेश गये हो सकते हैं अतः स्पष्ट रूप से विदेश जाने की अवधि की जानकारी देना सम्भव नहीं है।

(4) बिना अनापत्ति पत्र के विदेश जाने वाले चिकित्सकों के विदेश प्रवास की अवधि को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

परिवार कल्याण के तहत नसबन्दी आपरेशन

1016 श्री हरीश कामनानी (अजमेर पश्चिम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में प्रत्येक जिले में कुल कितने परिवार कल्याण की दृष्टि से नसबन्दी या अन्य तरीकों से आपरेशन हुए ?

(2) क्या राज्य में प्रत्येक जिले को वर्ष 1990-91 व 1991-92 में परिवार कल्याण के केसों का लक्ष्य दिया हुआ था यदि हां, तो प्रत्येक जिले में कितना-कितना लक्ष्य पूरा हुआ ?

(3) क्या राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग को छोड़कर भी अन्य विभागों को परिवार नियोजन करने के लक्ष्य दिये हुये हैं ? यदि हां, तो किस-किस विभाग को कितने-कितने ? वर्ष 1990-91 व 1991-92 के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में परिवार नियोजन की दृष्टि से कौनसा जिला सबसे अधिक सक्रिय है ?

(5) राज्य में परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनता को इस राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्साहित करने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चला रखे हैं ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 1990-91 व 1991–92 के दौरान नसबन्दी किये गये केसेज की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी हां। इस मूल प्रश्न के भाग एक के लिये सदन की मेज पर रखी हुई सूची में चाही गई सूचना सम्मिलित है।

(3) हां। वर्ष 1990–91 व 1991-92 में राज्य में अन्य विभागों को जो लक्ष्य दिये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अन्य विभागों को दिये गये लक्ष्य सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लक्ष्यों (2,25,000) में सम्मिलित हैं।

(4) वर्ष 1990-91 में जिला झुंझुनू और 1991–92 में अभी तक (फरवरी के अंत तक) जिला अलवर परिवार नियोजन कार्यक्रम में अग्रिम रहा।

(5) राज्य में परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनता को इस राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं :-

1. नसबंदी करवाने वाले पुरुष एवं महिलाओं को 150/–रुपये से 170/-रु. प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
2. नसबन्दी कराने वाले आई. आर. डी. पी. व गंदी बस्ती के चयनित परिवारों को भी 150/–रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाती है।
3. राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाने के लिए समय-समय पर विशेष नसबन्दी शिविरों को आयोजन किया जाता है।
4. परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत महिलाओं/पुरुषों को शीघ्र गर्भ धारण न होने के लिए औषधियों एवं निरोध आदि निःशुल्क दिये जाते हैं।
5. प्रेरक को प्रत्येक केस के लिये 15/ रुपये दिये जाते हैं।
6. दो बच्चे वाले माता/पिता की नसबन्दी कराने पर ग्रीन कार्ड दिये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

राजकीय चिकित्सालय, श्री गंगानगर में अवधिपार औषधि ...

1017. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या श्री गंगानगर के राजकीय अस्पताल में वर्ष 1991 में अवधिपार दवाइयां पाई गई हैं ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में ? इसके क्या कारण रहे ? दोषियों को दण्डित किया गया तो क्या दण्ड दिया गया ?

(2) क्या राज्य के अन्य अस्पताल में भी जन-सामान्य के लिये भी ऐसी ही दवाइयां पाई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, विभिन्न प्रकार के 591

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

इन्जेक्शन अवधिपार पाये गये। उप जिलाधीश, गंगानगर द्वारा जांच कर ली गई पर जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कारणों को मध्यनजर रखते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) पिछले वर्षों की औसत खपत के आधार पर रोगियों के लिये विभिन्न प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. द्वारा पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार की दवाईयां खरीदी जाती हैं।

सम्बन्धित वर्ष में कुछ दवाईयों का उपयोग न हो पाने के कारण कुछ औषधियों के बचे रहने के परिणाम स्वरूप इनका अवधिपार हो जाना अस्वाभाविक नहीं है।

प्रदेश में नियुक्त तदर्थ चिकित्सक

1018. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में इस समय तदर्थ नियुक्ति पर कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ?

(2) क्या तदर्थ चिकित्सकों को जनवरी, 1992 तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या उक्त श्रेणी के चिकित्सकों को प्रतिमाह वेतन दिये जाने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस बाबत कब तक निर्णय ले लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) तदर्थ नियुक्ति वाले चिकित्सकों के प्रशिक्षित एवं कार्य अनुभव होते हुए भी लोक सेवा आयोग के जरिये उन्हें स्थाई नियुक्ति क्यों दी जाती है विभागीय समिति के द्वारा क्यों ? नहीं

(5) क्या सरकार ऐसे चिकित्सकों की समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए विभागीय समिति के माध्यम से ही स्थाई करने हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में 996 तदर्थ चिकित्सक नियुक्त थे इनमें से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 407 चिकित्सकों का चयन हो चुका है, परिणाम स्वरूप जिनकी नियमानुसार नियुक्ति की जा चुकी है, अब केवल 589 चिकित्सक तदर्थ रूप से पदस्थापित हैं।

(2) तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये सभी चिकित्सकों को 29-2-92 तक का वेतन भुगतान करने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं।

(3) उक्त श्रेणी के चिकित्सकों की नियुक्ति कार्मिक विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर दी जाती है। इसके पश्चात-ऐसे चिकित्सकों की सेवा अवधि में वृद्धि कार्मिक विभाग व राजस्थान लोक सेवा आयोग

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

से स्वीकृति प्राप्त कर समय-समय पर बढाई जाती है। इन स्वीकृतियों को प्राप्त करने में विलम्ब की अवस्था में वेतन मिलने में कदाचित विलम्ब हो जाता है। वर्तमान व्यवस्था में किसी परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(4) चिकित्सा अधिकारी का पद सीधी भर्ती का पद है, इसलिये वर्तमान नियमों के प्रावधान के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही पदों को भरा जाता है।

(5) वर्तमान नियमों के प्रावधान के विपरीत तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये चिकित्सकों को विभागीय समिति के माध्यम से स्थाई करने बावत राज्य सरकार द्वारा विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

प्रदेश के खाद्य निरीक्षक

1019. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) एवं **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रदेश में कुल कितने खाद्य निरीक्षक हैं ? जिला अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक खाद्य निरीक्षक के सेम्पल लेने के न्यूनतम क्या लक्ष्य निर्धारित हैं ? क्या उन लक्ष्यों की पालना की जा रही है ?

(3) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे निरीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) प्रदेश में 34 पूर्णकालीन खाद्य निरीक्षक हैं। इनके अतिरिक्त 240 स्वास्थ्य निरीक्षक ऐसे हैं जिन्हें अंशकालीन खाद्य शक्तियां प्रदत्त हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पूर्ण खाद्य निरीक्षकों को 10 एवं अंशकालीन खाद्य स्वास्थ्य निरीक्षकों को तीन नमूने प्रति माह लेने के लक्ष्य निर्धारित किये हुए हैं। लक्ष्यों की पालना करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। कभी-कभी लक्ष्यों की पूर्ति में व्यवहारिक कठिनाइयां भी आती है।

(3) लक्ष्य प्राप्त न कर सकने की स्थिति में निरीक्षकों को चेतावनी देना, खाद्य शक्तियों को वापस लेना एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

आदिवासी औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन

1020. **श्री टीकम चन्द कान्त** (रेवदर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आदिवासी औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से प्रदेश की कितनी व कौन-कौन सी तहसीलें हैं ? वर्तमान में इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु सामान्य से अधिक क्या प्रोत्साहन लाभ दिये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री टीकम चन्द कान्त)

(2) क्या यह सही है कि आबूरोड औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों की स्पर्धा गुजरात की सीमा में बसे उद्योगों से संभावित है ? यदि हां, तो इस तुलना में राजस्थान के उद्योगों को पनपने हेतु सरकार क्या-क्या अधिक लाभ एवं सुविधायें प्रदान करने का बिचार रखती है ?

(3) इस क्षेत्र की लघु सीमेण्ट इकाइयां ग्रेनाइट इकाइयां आदि पर क्या कोई नया कर बोझ है जिससे ये घाटे में जाने की स्थिति में आ चुकी है ? क्या सरकार द्वारा इस हेतु कोई अध्ययन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) आदिवासी औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से प्रदेश की तहसीलों की सूचना एवं वर्तमान में इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु सामान्य से अधिक जो प्रोत्साहन लाभ दिये जा रहे हैं की सूची "क" संलग्न है ।

(2) जी हां, वर्तमान में आबूरोड में दो औद्योगिक क्षेत्र अम्बाजी व अरबूदा स्थापित किये गये हैं । ये दोनों ही क्षेत्र गुजरात प्रदेश की सीमा से लगे हुये है । इस कारण गुजरात क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा होना स्वभाविक है । औद्योगिक क्षेत्र आबूरोड को उद्योग रहित जिलों के अन्तर्गत चयनित किया गया है तथा इसे एक विकास केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है । गुजरात प्रदेश के उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु इस क्षेत्र में समस्त उच्च प्रकार की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करायी गयी हैं, जिसमें आवासीय कालोनी व व्यवसायिक केन्द्र भी शामिल है । इस क्षेत्र को विकसित करने हेतु रीको के माध्यम 464 लाख रुपये का विनियोजन किया जा चुका है और रुपये 99 लाख का विनियोजन मार्च 93 तक करना प्रस्तावित है । राजस्थान में ग्रोथ सेन्टर्स के विकास हेतु 5 स्थलों का चयन किया गया है । जिसमें से एक आबूरोड भी है । आबूरोड में 1000 एकड़ भूमि का चयन कर ग्रोथ सेन्टर्स के विकास हेतु परियोजना तैयार कर केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी गई है । परियोजना रिपोर्ट के संबंध में केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इस क्षेत्र में सभी प्रकार की उच्च श्रेणी की आधारभूत सुविधाये उपलब्ध करवाई जा सकेगी, ताकि उद्यमियों को उद्योग लगाने हेतु आकर्षित किया जा सकें । आदिवासी उद्यमियों को 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्ड पर विकास शुल्क दर में 50% रियायत प्रदान की जाती है ।

(3) जी नहीं सरकार द्वारा वर्तमान में इस हेतु कोई अध्ययन नहीं कराया जा रहा है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा का अधिग्रहण

1021. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

भीलवाड़ा स्थित मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स को सरकार ने कब हाथ में लिया ? मेवाड़ मिल को हाथ में लेने के बाद

(श्री बंशीलाल पटवा)

मैनेजमेंट के किस-किस अधिकारी की देखरेख में मिल की कितनी भूमि कौन-कौनसी मशीन व अन्य आर्टिकल किस-किस तिथि को कितनी-कितनी कीमत में बेचा गया तथा भूमि व मशीनरी बेचने में कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। अब तक राज्य सरकार के नियंत्रण में आने के पश्चात् अब तक हुई हानि का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स लि., भीलवाड़ा की प्रबन्ध व्यवस्था वित्तीय संस्थानों/बैंकों के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रबन्ध निदेशक द्वारा 29.1.85 से की जा रही है। किस-किस अधिकारी की देखरेख में मिल की कितनी-कितनी भूमि, मशीन व अन्य आर्टीकल्स किस मूल्य में बेचे गये व क्या प्रक्रिया अपनाई गई आदि के विवरण की सूची "क" व "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है। 1985 से 1990-91 तक लाभ हानि के विवरण की सूची "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान लघु उद्योग निगम में घाटा

1022. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान लघु उद्योग निगम वर्तमान में घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो कब से ? वर्ष 1989 से अब तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घाटे के क्या कारण रहे हैं तथा राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठाने जा रही है ?

(3) क्या राजस्थान लघु उद्योग निगम के कर्मचारी संगठन ने भी कच्चा माल आगार में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक का ध्यान आकर्षित किया है ? यदि हां, तो तत्सन्दर्भ में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित कच्चा माल आगार, में काफी लम्बे समय से वही अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या उक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोप लगे हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह घाटा वर्ष 1982-83 से निरन्तर चल रहा है। वर्ष 1988-89, 89-90 एवं 90-91 को हानि की स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	हानि (रू. लाख)
1988-89	4.42
1989-90	15.41
1990-91	25.17

(52)

(उद्योग मंत्री)

(2) निगम का घाटे में रहना मुख्य रूप से चूरू व लाडनूं स्थित ऊनी मिलों का निरन्तर लगभग 30 लाख रुपये प्रतिवर्ष का घाटा तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को दिये जाने वाले 40–50 लाख रुपये प्रति वर्ष ब्याज का भार है।

(3) जी हां। राजस्थान लघु उद्योग निगम (सहायक) कर्मचारी संगठन ने निगम के कच्चा माल आगार, जयपुर में तथाकथित भ्रष्टाचार की ओर प्रबन्ध निदेशक का ध्यान आकर्षित किया था। इन सभी आरोपों की जांच निगम मुख्यालय, जयपुर से कराई गई थी। इन जांच अधिकारियों ने सभी बिन्दुओं पर जांच की किन्तु एक भी आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया गया। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

(4) निगम के जयपुर स्थित कच्चा माल आगार में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी के पदस्थापन आदि का विवरण निम्नानुसार है :–

1.	श्री के. सी. गुप्ता, व्यवस्थापक	15-5-89
2.	श्री बी. के जैन, लेखाकार	15-5-89
3.	श्री अब्दुल वहीद, वरिष्ठ सहायक	17-12-81
4.	श्री घमण्डीलाल वरिष्ठ सहायक	25-6-89
5.	श्री भंवरसिंह चौहान, कनिष्ठ सहायक	3-10-72
6.	श्री शिवनन्दनसिंह भदोरिया कनिष्ठ सहायक	15-5-89
7.	श्री सुखबिन्दर सिंह, कनिष्ठ सहायक	15-5-89
8.	श्री अशोक कुमार बोहरा कनिष्ठ सहायक	4-3-82
9.	श्री अब्दुल सलाम, पैकर	4-8-83
10.	श्री अब्दुल नईम, पैकर	5-4-73
11.	श्री जगदीश लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	29-5-72
12.	श्री रमेश चन्द्र, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23-6-86
13.	श्री गोपाल लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	22-5-64
14.	श्री राम सहाय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1-6-65

उपरोक्त स्थिति से ज्ञात होगा कि अधिकारी, लेखाकार, स्टोरकीपर, रोकड़िया जैसे पदों पर कार्यरत व्यक्तियों का स्थानान्तरण वर्ष 1989 में ही किया गया था और अन्य जो कर्मचारी लम्बे समय से कार्यरत है उनमें पेकर्स एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही हैं जिनके स्थानान्तरण से आगार की कार्य प्रणाली पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। उक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के कोई भी आरोप जांच बाद सही नहीं पाये गये।

(5) स्थानान्तरण एवं पदस्थापन एक सतत प्रशासनिक प्रक्रिया है जो आवश्यकतानुसार किये जाते हैं। जब भी आवश्यकता महसूस की जावेगी स्थानान्तरण कर दिये जावेंगे। तुरन्त कोई स्थानान्तरण करना न तो आवश्यक है न ही वांछनीय।

वित्त निगम, शाखा प्रबन्धक, बांसवाड़ा के विरुद्ध शिकायतें

1023. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिला कलक्टर को वित्त निगम, बांसवाड़ा में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने पर पत्र क्रमांक एफ 2/भ्र.भ्र./90/1360 दिनांक 12-11-1990 मुख्य महाप्रबन्धक, राजस्थान वित्त निगम, जयपुर को दिनांक 20-11-1990 को पत्र भेजा गया था ?

(2) क्या वित्त निगम, बांसवाड़ा में पापड़ उद्योग के उद्यमियों से लूट-खसोट की गई थी ?

(3) क्या शाखा प्रबन्धक, वित्त निगम, बांसवाड़ा के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उक्त पत्र प्राप्त होने पर राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच कराई गई तथा श्री देवाशीष बोस, सहायक प्रबन्धक को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए एक आरोप पत्र दिनांक 30/1/92 को दिया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र, बस्सी हेतु अवाप्त भूमि

1024. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किस-किस किस्म की कितनी-कितनी भूमि अवाप्त की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस भूमि का किस-किस दर से मुआवजा दिया जाना निश्चित किया गया, तथा कितना दिया गया ?

(3) क्या चरागाह भूमि अवाप्ति का मुआवजा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए अभी कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है अपितु राजस्व विभाग की स्वीकृति से जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा ग्राम बस्सी और हीरावाला में चरागाह किस्म की राजकीय भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु रीको के पक्ष में आवंटित की गई है। भूमि का विवरण निम्नानुसार है :–

ग्राम का नाम	क्षेत्रफल बीघा-बिस्वा	भूमि की किस्म
बस्सी	81–14	चरागाह
हीरावाला	136.14	चरागाह

(2) इस भूमि का जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 के नियम 11–ए

(उद्योग मंत्री)

(II) के अन्तर्गत प्रीमियम निर्धारित किया गया है। जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा प्रीमियम की निर्धारित दर एवं रीको द्वारा जिला कलक्टर (राजस्व), जयपुर को भुगतान की गई प्रिमियम की कुल राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

ग्राम का नाम	प्रिमियम की दर	रीको द्वारा भुगतान की गई प्रिमियम की कुल राशि रु०
बस्सी	12,000/– प्रति बीघा	9,60,400.00
हीरावाला	10,000/– प्रति बीघा	13,67,000 00

(3) जी नहीं। क्योंकि चरागाह किस्म की राजकीय भूमि को अवाप्त नहीं किया जाता है अपितु राजस्व विभाग की अनुमति से जिला कलक्टर द्वारा चरागाह से खारीज करके राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–92 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के उपरांत आवंटित की जाती है। राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959 में प्रीमियम की राशि ग्राम पंचायतों को भुगतान करने का प्रावधान नहीं हैं।

गंगापुर सिटी में उद्योगों को ऋण वितरण

1025. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गंगापुरसिटी में लोगों को तथा इण्डस्ट्रीज को ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कितने उद्योगों को कितना-कितना ऋण दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन लोगों में कितना-कितना ऋण बाकी हैं ? क्या सरकार ऋण वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से 200 औद्योगिक इकाई कामगारों को उपलब्ध करवाये गये ऋण के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) बकाया राशि की सूचना भाग 1 के उत्तर में दी गई सूची में दी गई है। ऋण नियमानुसार वसूल किया जाता है। इकाइयों को ऋण देने एवं वसूली की प्रक्रिया नियमानुसार निरन्तर चलती रहती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मालवीयनगर एवं सांगानेर औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित भू-खण्ड

1026. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मालवीय नगर एवं सांगानेर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में आवंटित भूखण्डों पर समयावधि एवं विधिनुसार उद्योग स्थापित नहीं किये गये

(श्री गोपीराम जाट)

हैं? यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का पूर्ण विवरण, भू-खण्ड संख्या, फर्म का नाम एवं भू-खण्ड आवंटन तिथि एवं कब तक उद्योग स्थापित किया जाना था आदि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आवंटित भू-खण्डों पर गैर औद्योगिक कार्य किये जा रहे हैं? यदि हां, तो इन्हें रोकने की अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि आवंटित भू-खण्डों पर स्थापित कई उद्योग काफी समय से बन्द पड़े हैं? यदि हां, तो क्या रीको को इसकी जानकारी है? इनके पुनः पंजीकरण की अब तक क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) केवल एक मात्र औद्योगिक इकाई द्वारा मालविया औद्योगिक क्षेत्र के भूखण्ड संख्या एफ. 48–49 के कुछ भाग एल.पी.जी. गैस गोदाम के रूप में काम में लिया जा रहा है। सम्बन्धित इकाई मैसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज को रीको द्वारा नोटिस दिया गया है और नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। बंद इकाइयों में से अभी तक किसी इकाई का अपंजीकरण नहीं किया गया है। अतः पुनः पंजीकरण की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

हैरीटेज होटल्स निर्माण हेतु अनुदान

1027. **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राज्य के किलों और महलों को हैरीटेज होटल बनाने हेतु 35 लाख रुपये अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? यदि हां, तो किलों, महलों और किन-किन हेरीटेज को कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में भावी होटल निर्माताओं को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान देने के उद्देश्य से 35.00 लाख रु. का प्रावधान वर्ष 1991–92 में किया गया है। किलों एवं महलों को हैरीटेज होटल बनाने हेतु अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

अनुदान देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना शेष है।

बून्दी जिले में पर्यटन विकास

1028. **श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोराय पाटन)**: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बून्दी जिले में इस वर्ष पर्यटन विकास के लिए कितनी बजट राशि प्रदान की गई?

(2) इस आवंटित राशि में से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर व्यय की

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

गई ? सूची कार्य एवं राशि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आवंटित राशि का उपयोग कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) अगले वित्तीय वर्ष के लिये बून्दी जिले में पर्यटन विकास के लिए कितना बजट राज्य सरकार से मांगा गया है और इसके खर्च करने की क्या योजना प्रस्तावित की गई है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष बून्दी जिले में पर्यटन विकास के लिए 9.50 लाख रु. की राशि निम्न कार्यों हेतु स्वीकृत की गई हैं :–

1. सुख महल के सामने टेरेस गार्डन का विस्तार–	6.00
2. बून्दी बूर्ज की फ्लड लाइटिंग	3.50

(2) अभी तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(3) आवंटित राशि का उपयोग किया जाना शेष है। राशि पर्यटन विकास निगम को उपयोग हेतु स्थानान्तरित की गई है। उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से टेरेस गार्डन के विस्तार हेतु निविदायें प्राप्त की जा चुकी है एवं कार्यादेश देना शेष है। बूर्ज की फ्लड लाइटिंग हेतु फरवरी-92 में मैसूर लेम्पस् को कार्य करने के आदेश दिये जा चुके है।

(4) अगले वित्तीय वर्ष 1992-93 में बून्दी जिले हेतु निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :–

(राशि लाख रु. में)

1. चौरासी खम्भों की छतरी एवं हाड़ी रानी उद्यान परिसर का विकास	6.00
2. बून्दी स्थित दरवाजे की मरम्मत, पेंटिंग तथा चित्रीकरण–	3.50
3. केशवराय पाटन स्थित मन्दिर में पेंटिंग कार्य एवं फ्लड लाईटिंग–	2.50
4. जैतसागर झील स्थित बाग परिसर का विकास तथा सूर्यास्त बिन्दु डूंगालाजी (तलवास) का विकास	5.00
5. बून्दी स्थापना दिवस समारोह आयोजन हेतु प्रावधान	1.00

झालावाड़ जिले की नदियां

1029. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरा पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालावाड़ जिले में कौन-कौनसी कितनी नदियां हैं उन पर किन-किन स्थानों पर कितने-कितने बड़े देह हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त नदियों का सर्वे करवाकर छोटे बांधों का निर्माण करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नदियों एवं देह की सूचना परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) नदियों पर एनिकट बनाना व्यवहारिक नहीं है तथा उस क्षेत्र में नदियों के बहाव को देखते हुए, एनिकट बनाना उचित नहीं है परन्तु विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण करवाकर जलोत्थान योजनाएं प्रस्तावित है जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" में दर्शाया जाकर सदन की मेज पर रख दिया गया है। यह सूची पूरी नहीं है। धीरे-धीरे सर्वे के आधार पर नए स्थानों का चयन भी किया जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

अरथुना मुख्य नहर पर माइनर निर्माण

1030. श्री सोमा (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या अरथुना मुख्य नहर की थाली तलाई से माइनर लालपुरा, वड़ीखेन, ओड़वा, ओड़ा, कांजेली, केसरपुरा, कोटडा, देवेला व नांदरी जाने वाली माइनर पूर्व से ही स्वीकृत है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य क्यों नहीं आरम्भ किया गया ?

(2) अब कब तक निर्माण कार्य आरम्भ किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, नहर का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। उसके पूर्ण होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 1992-93 में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।

संगरिया के विभिन्न चकों में फसलों का औसत

1031. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) श्री गंगानगर जिले के संगरिया क्षेत्र में 8, 9, 11, 12 बी. जी. एस., 14, 15, बी. एन. डब्लू, 20, 21, 23, 24, एस. डी. एस. 10, 11, 12, 13, एल. एल. जी. 18, 19, 20, 21 एस. वी. एम. 13, 14, 15, 16, 17, 18 एस. डी. पी. 37, 38, 39, 41, 42, पी. टी. पी., 9, 10, 11, 12, बी. जी. पी., 29, 30, 31, ए. एम. पी. चकों की पिछले वर्ष 1990 तथा वर्ष 1991 को आबपाशी की औसत प्रत्येक फसल की क्या रही है ?

(2) 1, 2, 3, 4 के. एस. डी., 1, 2, 3. 4 पी. टी. पी. 1, 2, 3, 4 एम. जे. डी. और 1, 2, 3, 4 एम. एम. के. की 1990 व 1991 की औसत आबपाशी प्रत्येक फसल की क्या रही है ?

उत्तर

(1) फसल का विवरण प्रपत्र-अ के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) फसल का विवरण प्रपत्र-ब के अनुसार सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें।)

रेवदर क्षेत्र की सिंचाई योजनाएं

1032. श्री टीकमचन्द कांत (रेवदर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री टीकमचन्द कांत)

(1) आबू पर्वत एवं आस-पास का कितना पानी बिना सिंचाई के व्यर्थ जा रहा है और कितना सिंचाई हेतु उपयोग में ला रहे हैं ?

(2) रेवदर विधान सभा क्षेत्र की सूकली खेलवाड़ा, करोड़ीध्वज, भैंसासिंध, निम्बोडा आदि सिंचाई योजनाएं किस अवस्था में हैं, कब से प्रस्तावित हैं और निर्माण कब संभावित है ? योजनाओं सहित जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आबू पर्वत एवं आस-पास आबू रोड़ तहसील का करीबन 3916 एम. सी. एफ. टी. पानी बिना उपयोग के जा रहा है और 393 एम.सी.एफ.टी. पानी सिंचाई हेतु उपयोग में लिया जा रहा है।

(2) रेवदर विधान सभा क्षेत्र की सूकली खेलवाड़ा, करोड़ीध्वज, भैंसासिंध, निम्बोडा आदि सिंचाई योजनाओं की वर्तमान सिंचाई निम्न प्रकार है:–

(अ) सूकली खेलवाड़ा–

सूकली खेलवाड़ा योजना की केन्द्रीय जल योजना से स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। स्वीकृति प्राप्त होने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुरूप कार्य करवाया जाना संभव होगा।

(ब) करोड़ीध्वज–

करोड़ीध्वज सिंचाई योजना का प्रशासनिक तखमीना विचाराधीन है। तखमीना स्वीकृत होने के पश्चात् वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप कार्य कराया जाना संभव होगा।

(स) भैंसासिंध सिंचाई योजना–

भैंसासिंध सिंचाई योजना का संशोधित तखमीना पक्का बांध का पुनः वर्तमान बी. एस. आर. पर तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना पर लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत कुछ कार्य करवाया भी गया था लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़कर चले जाने पर कार्य बन्द पड़ा है। संशोधित तखमीने की स्वीकृति होने के पश्चात् एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप कार्य करवाया जाना संभव होगा।

(द) निम्बोडा बांध–

निम्बोडा बांध का प्रशासनिक तखमीना बना लिया गया है, जिसकी स्वीकृति होने पर एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप कार्य कराया जाना संभव होगा।

निरर्थक बहते जल के उपयोग की योजनाएं

1033. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

क्या यह सही है कि राज्य में निरर्थक बहते जल के उपयोग के लिये एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से किसी प्रकार की योजना गत 2 वर्ष में प्रारम्भ की गई ? यदि हां, तो किस-किस जिले में कौन-कौनसी योजनायें चालू की गईं ? कितनी योजनायें स्वीकृत की गई ? स्वीकृत योजना की अनुमानित लागत क्या है और वर्तमान में कितने काश्तकारों को लाभान्वित किया गया ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में बहते निरर्थक जल के उपयोग हेतु स्वीकृत नई सिंचाई योजनाओं की सूची प्रपत्र "अ" एवं "ब" में सदन की मेज पर रख दी गई है । ज़िलेवार स्वीकृत योजनाओं का विवरण, अनुमानित लागत आदि प्रपत्र "अ" एवं "ब" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है । मरू विकास कार्यक्रम तथा सूखा सम्भाग क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 77 योजनाएं पूर्ण की गई व 3022 है. में सिंचाई क्षमता अर्जित की गई ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

तहसील नगर (भरतपुर) की सिंचाई योजनाएं

1034. **श्री सम्पतसिंह (नगर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सीकरी (जिला भरतपुर) सिंचाई सिस्टम (रूपा रेल नदी) पर वर्ष 1988 से प्रतिवर्ष वर्तमान वर्ष 1992 फरवरी माह तक कितनी धन राशि खर्च की गई है ? मस्टर रोल मेनटिनेन्स एवं सिंचाई कार्यों पर पृथक-पृथक सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(2) भरतपुर इननडेशन एवं रिचार्ज सिस्टम सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने हेतु सरकार ने दो वर्षों में क्या योजनायें क्रियान्वित की हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या तहसील नगर में अन्य सिंचाई योजना शुरू की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो विगत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सीकरी, सिंचाई सिस्टम (रूपारेल नदी) पर वर्ष 1988 से वर्तमान वर्ष माह फरवरी, 92 तक, वर्ष 1988-89 में 7.01 लाख, वर्ष 1989-90 में 7.90 लाख, वर्ष 1990–91 में 20.65 लाख एवं वर्ष 1991–92 में माह फरवरी, 1992 तक 7.40 लाख रुपये व्यय किये गये । मेन्टेनेंस मस्ट्रोल व अन्य सिंचाई कार्यों पर व्यय की सूची–"क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) भरतपुर इननडेशन एवं रिचार्ज सिस्टम को पुनर्जीवित करने के लिए सीकरी सिस्टम, बाणगंगा सिस्टम व गम्भीर सिस्टम के रिनोवेशन हेतु 748 लाख रुपये की योजना तैयार की गई है जिसमें से 193.20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है । गत दो वर्षों में बजट प्रावधान के अनुसार योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है । विवरण सूची–"ख" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) नगर तहसील में अन्य कोई सिंचाई योजना शुरू नहीं की जा सकती है । क्योंकि रूपारेल नदी से प्राप्त पानी, सीकरी सिस्टम के कमाण्ड की ही पूर्ति नहीं कर पाता है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

बोरखेड़ पंचायत के ग्राम ओबरी के डूब की भूमि

1035. **श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्रीमती कमला मील)

(1) क्या यह सही है कि बोरखेड़ पंचायत ओबरी ग्राम की अनेक आदिवासियों की कृषि भूमि डूब में आ गई हैं ? कितने आदिवासी परिवारों की कृषि भूमि डूब में आ गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या प्रभावित व्यक्तियों को अन्यत्र भूमि दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि मुआवजे की राशि पूर्ण रूप से नहीं दी गई ?

(4) क्या सरकार उन प्रभावित परिवारों को पूर्ण रूप से मुआवजा देने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । कुल 31 आदिवासियों की भूमि डूब में आई है जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । क्योंकि डूब में आई भूमि का मुआवजा नकद राशि के रूप में चुका दिया गया है ।

(3) डूब क्षेत्र की भूमि के मुआवजे की पूर्ण राशि चुका दी गई है मात्र 57 पेड़ एवं 11 कुओं का भुगतान शेष है जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(4) शेष रही सम्पत्ति के मुआवजे की राशि शीघ्र ही चुका दी जावेगी ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें ।)

रायसर (लालसोट) में एनीकट निर्माण

1036. **श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट)** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अकाल राहत के तहत पचायत समिति लालसोट के ग्राम रायसर (खेड़ला खुर्द) में एनीकट बनवाया गया था ? यदि हां, तो उस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) क्या जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को करवाने के लिए प्रतिवर्ष सिंचाई विभाग को राशि दी जाती है ? यदि हां, तो रायसर एनीकट के अधूरे कार्य को इसके तहत पूरा क्यों नहीं करवाया गया ?

(3) क्या विभाग वर्ष 1992–93 में जवाहर रोजगार योजना में मिलने वाली राशि से रायसर एनीकट का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । इस पर 2.37 लाख रुपये व्यय किये गये हैं ।

(2) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रतिवर्ष जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जिले में कराये जाने वाले कार्यों की व उन पर खर्च करने हेतु धनराशि की स्वीकृति देता है । इस कार्य को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पूर्ण कराने हेतु जिला कलक्टर को प्रस्तावित किया गया

(सिंचाई मंत्री)

थ्या मगर स्वीकृति नहीं मिलने से कार्य नहीं करवाया जा सका।

(3) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा इस कार्य की स्वीकृति एवं धनराशि प्रदान करने पर कार्य करवाना सम्भव होगा।

उप-खण्ड नीम का थाना के बांधों की डूब की भूमि

1037. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिंचाई विभाग उप-खण्ड, नीम का थाना में बांधों की डूब में आई भूमि का मुआवजा किन-किन व्यक्तियों को दिया गया ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर मुआवजा दे दिये जाने के बावजूद काश्त की जा रही है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ? क्या आज तक इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो ब्यौरा सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांधों की डूब में आई भूमि के मुआवजे का विवरण संलग्न प्रपत्र- "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जिस भूमि का मुआवजा दे दिया जाता है उस पर काश्त करने के लिए राजस्व विभाग के अधीनस्थ अलोटमेन्ट कमेटी एक वर्ष के लिए भूमि का आवंटन बैंड कल्टीवेशन रूल्स के अन्तर्गत करती है एवं इसका लेखा-जोखा राजस्व विभाग रखता है। अवैधानिक रूप से काश्त की जाने से अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा-91 आर.एल.आर.एक्ट. 1956 के तहत कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। अतिक्रमियान की सूची प्रपत्र- "ब" पर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

दीपावास बांध का भराव स्तर

1038. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के 20 हजार किसानों की मांग को न्यायोचित मानते हुए सरकार ने 13 जनवरी, 1992 को उक्त क्षेत्र के दीपावास बांध के भराव के स्तर को तीन फीट नीचे करके एक फाटक लगाने का प्रस्ताव स्वीकार किया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) उक्त फाटक 3 फीट नीचे करने पर अनुमानित कितना व्यय होगा ? क्या सरकार आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व फाटक नीचा करने का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्य का तखमीना तैयार किया जा रहा है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) उपरोक्त कार्य पर 5.00 लाख रुपये अनुमानित व्यय होने की सम्भावना है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप कार्य कराया जाना सम्भव होगा। परन्तु बांध के स्तर को तीन फीट नीचे करने का कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व करा दिया जाएगा।

आकस्मिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत

1039. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण), **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) एवं **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) : क्या बाढ़ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) आकस्मिक आपदाओं जैसे अग्नि, वर्षा, आंधी आदि में पीड़ित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने सम्बन्धी क्या नियम/प्रक्रिया है एवं इस प्रकार के पीड़ितों को कब तक/कितने दिनों में राहत पहुंचाई जाती है तथा इसका मानदण्ड क्या है ?

(2) जयपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनवरी, 1990 से अब तक ऐसी कितनी घटनायें कहां-कहां पर घटी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन घटनाओं में किन-किन को कितनी-कितनी सहायता राशि कितने समय बाद दी गई तथा अब तक कितने मामले लम्बित हैं एवं क्यों तथा इन्हें कब तक निबटा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) आकस्मिक आपदाओं जैसे अग्नि, वर्षा, आंधी आदि में पीड़ित व्यक्तियों को घटना की सूचना मिलने पर तत्काल भोजन सामग्री तथा अस्थाई आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धित क्षेत्र से तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा उनकी सिफारिश एवं नियमों के अन्तर्गत देय सहायता राशि दी जाती है। विभिन्न घटनाओं में आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्ड परिशिष्ट–"अ" व "ब" पर संलग्न हैं।

(2) जयपुर जिले में जनवरी, 1990 से अब तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 2719 घटनायें घटित हुई हैं। विवरण परिशिष्ट–"स" पर संलग्न है।

(3) 1579 व्यक्तियों को सहायता दी गई 797 मामले लम्बित है इन पर अगले एक महीने में निर्णय ले लिया जायेगा। नुकसान के एवज में सहायता देने की अवधि सामान्यतया 1 महीने से लेकर 5 महीने रही है पर कुछ मामलों में इससे भी अधिक समय लगा है अगर गांव विशेष में लाभान्वित व्यक्तियों के नाम माननीय विधायक चाहे तो के विवरण उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

ग्राम बिडोली (सीकर) के विद्युत संबंधी प्रकरण

1040. श्री दिलसुख राय चौधरी (फतेहपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री दिलसुख राय चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिडोली, तहसील सीकर, जिला सीकर में किसानों के कुओं को बिजली ग्राम जीणवास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के ट्रांसफर्मर से दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार कनेक्शन क्षेत्र का सहायक अभियन्ता एवं बिल जमा करने वाला सहायक अभियन्ता अलग-अलग होने से किसानों को होने वाली परेशानी दूर करने के लिए ग्राम बिडोली में ट्रांसफार्मर रख कर बिजली देने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम बिडोली में होरों की ढाणी के किसान झुंझाराम एवं पोखरराम को कुए का कनेक्शन ग्राम मांड़ेता के ट्रांसफार्मर से देने के कारण विद्युत पूरी नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दो अलग-अलग रेवेन्यू हल्का होने पर ग्राम बिडोली के किसानों को अलग से ट्रांसफार्मर देकर राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बिडोली तहसील सीकर जिला सीकर में (1) कानाराम कुमावत (2) नारायणराम पुत्र गोगा (3) सुरजन पुत्र जोधा (4) भूरा बलाई पुत्र माला (5) हेमा पुत्र केसरा द्वारा कुओं के कनेक्शन के लिए प्रार्थना-पत्र दिये काफी समय होने पर भी आज तक कनेक्शन नहीं हुए हैं ? यदि हां, तो क्या कारण हैं ? इनकी प्राथमिकता सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम बिडोली की विद्युत आपूर्ति ग्राम जीणवास में स्थित ट्रान्सफार्मर से तकनीकी दृष्टि से साध्य होने के कारण नजदीक के ट्रांसफार्मर से दी जाती है। दोनों क्षेत्रों के सहायक अभियन्ता अलग-अलग होने से विद्युत आपूर्ति में तकनीकी दृष्टि से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में ग्राम बिडोली में नया ट्रान्सफार्मर रखना तकनीकी दृष्टि से आवश्यक नहीं है।

(2) ग्रामों की राजस्व सीमा के आधार पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जाते हैं। ट्रांसफार्मर तकनीकी दृष्टि से विद्युत भार को देखते हुए उस क्षेत्र में स्थापित किये जाते हैं जहां से अधिकतम उपभोक्ताओं को उचित वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति की जा सके। इस ग्राम के सभी कृषि उपभोक्ताओं को निर्धारित 8 घण्टे पारी में सभी क्षेत्रों के सामान ही विद्युत आपूर्ति की जाती है। व्यक्ति विशेष अथवा ट्रांसफार्मर विशेष से विद्युत आपूर्ति निर्धारित समय से अधिक नहीं की जाती है।

(3) जी नहीं, ग्राम बिडोली में कानाराम कुमावत श्री नारायण पुत्र गोगा, श्री सूरजम पुत्र जोधा, श्री भूरा बलाई पुत्र माला का कोई नये कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। केवल श्री हेमा पुत्र केसर का आवेदन दिनांक 13.9.1988 को प्राप्त हुआ था जो कि वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 9 (सामान्य) पर अंकित है। कृषि के सीमित लक्ष्यों के होने के कारण इसे कनेक्शन नहीं दिया गया। श्री कानाराम कुमावत ने कृषि लोड बढ़ाने हेतु

(ऊर्जा मन्त्री)

प्रार्थना-पत्र दिया जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

1041. श्री शम्भू दयाल बडगूजर (केकड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के कितने राजस्व ग्रामों व ढाणियों में विद्युतीकरण होना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मार्च, 1990 से जनवरी, 1992 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के कितने ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये और कितने ग्रामों को उक्त अवधि में विद्युतीकृत किया गया ?

(3) क्या राज्य सरकार इस वर्ष ऐसे ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है, जिनका अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के कितने ग्रामों की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण होना शेष है तथा मार्च, 1990 से जनवरी, 1992 तक कितनी हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया ?

(5) क्या सरकार शेष बची हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कुल 139 ग्राम हैं। इनमें से 119 ग्रामों का विद्युतिकरण माह फरवरी, 1992 तक किया जा चुका है। शेष 20 ग्राम अविद्युतिकृत हैं। गांव से जुडी ढाणी/मजरे का अलग से विद्युतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मूल गांवों के भाग ही माने जाते हैं। अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची संलग्न है।

2. वर्ष 1990–91 से माह जनवरी, 1992 तक विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत कुल 3 ग्राम विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित थे जिनका विद्युतिकरण किया जा चुका है।

3. शेष गांवों का विद्युतिकरण उपरोक्त/योजना मद में आवंटित वित्त एवं वार्षिक लक्ष्यों के अनुरूप आगामी वर्षों में करना सम्भव होगा।

4. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में 17 ग्रामों की हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं, जो शेष हैं। मार्च, 1990 से जनवरी, 1992 तक 11 हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण किया गया है।

5. उक्त शेष 17 ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतिकरण आगामी वर्षों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किया जाना संभव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

इटावा में विद्युत् मण्डल के सब-डिवीजन कार्यालय की स्थापना

1042. **श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले के सुल्तानपुर सब डिवीजन के अन्तर्गत पंचायत समिति इटावा एवं सुल्तानपुर में अलग-अलग कुल कितने घरेलू, व्यवसायिक एवं औद्योगिक कनेक्शन हैं तथा उनसे माहवार कितनी आय होती है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा में अधिक उपभोक्ता होने तथा अधिक आय होने व भौगोलिक कारण से वहां पर अलग से सब डिवीजन खोले जाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जनहित में पूर्व की तरह इटावा में सब डिवीजन खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति इटावा व सुल्तानपुर के अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या व अनुमानित आय का माहवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है ।

(2) इटावा में अलग से सब डिविजन खोले जाने की मांग जन प्रतिनिधियों द्वारा की गई है ।

(3) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

रायसिंह नगर में विद्युत् कनेक्शन

1043. **श्री रामस्वरूप (रायसिंह नगर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर में चक नं. 31 आर. बी. I, II, III में कृषि कार्य हेतु कितने ट्यूबवैल कनेक्शन हैं ? यह कनेक्शन किस-किस तारीख से चालू किये गये और किस-किस नाम से लगाये गये हैं, इनमें से कितने कनेक्शन हरिजनों के नाम हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्षेत्र रायसिंह नगर में चक नं. 32, 33 आर. बी. और 34 आर. बी. में कृषि कार्य हेतु ट्यूबवैल कनेक्शन किस-किस किसान के नाम से व कहां-कहां लगाये गये हैं ? इसमें से हरिजनों को जमीन में कितने कनेक्शन हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्षेत्र रायसिंह नगर में 32 आर. बी. बारानी में कितने ट्यूबवैल व कस किस नाम पर चालू हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्षेत्र रायसिंह नगर में चक 1 आर. बी. में कितने ट्यूबवैल कनेक्शन किस-किस नाम पर चल रहे हैं और हरिजन किसान के नाम से कौन से कनेक्शन किये गये हैं ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिहनगर के चक 31 आर, बी. I व III में कृषि कार्यों

(ऊर्जा मंत्री)

हेतु 4 विद्युत कनेक्शन दिये हुये हैं। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम व पता	कनेक्शन की तारीख
1.	सुब्बासिंह/चन्दन सिंह चक नं. 31 आर. बी.–I	27-7-76
2.	भजन सिंह/जगतसिंह चक नं 31 आर. बी.–III	7-4-76
3.	ओम प्रकाश/गणेशीलाल चक नं. 31 आर. बी.–I	14-11-83
4.	तारासिंह/वतनसिंह चक नं. 31 आर. बी.–III	20-5-89

चक 31 आर. बी.–II में कोई कनेक्शन नहीं है।

उक्त कृषि कनेक्शन की पत्रावली में अनुसूचित जाति-जन जाति का प्रमाण-पत्र नहीं है, इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने हरिजनों को कनेक्शन दिये गये।

(2) क्षेत्र रायसिंहनगर में चक 32 आर. बी. में 3 कृषि कनेक्शन, 33 आर. बी. में शून्य एवं चक 34 आर. बी. में एक कृषि कनेक्शन दिया गया है। ग्रामवार विवरण निम्न है :–

क्र.सं.	उपभोक्ता का नाम	ग्राम
1.	रिछपाल सिंह/रणजीत	चक 32 आर.बी.
2.	देवीलाल, ओम प्रकाश	"
3.	सतपाल/बुद्धराम	"
4.	रामकरण/चेतराम	चक 34 आर. बी.

उक्त कृषि कनेक्शनों की पत्रावली में भी अनुसूचित जाति/जन जाति का प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि कितने हरिजनों को कनेक्शन दिये गये।

(3) क्षेत्र रायसिंहनगर में 32 आर.बी. बारानी नाम से जनगणना पुस्तिका 1981 में ग्राम अंकित नहीं है। ग्राम 32 आर.बी. का विवरण बिन्दु संख्या 2 में दर्शा दिया गया है।

(4) क्षेत्र रायसिंहनगर में चक 1 आर. बी. में 2 ट्यूबवैल कनेक्शन दिये गये हैं। विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं. उपभोक्ता का नाम

1. गुरजन्ट सिंह/महेन्द्र सिंह
2. कृपाल सिंह/करनेल सिंह

इन उपभोक्ताओं ने हरिजन होने का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। अत: यह बताना सम्भव नहीं है कि इनमें कितने हरिजनों को कनेक्शन दिये हुये हैं।

छोटी सादड़ी क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

1044. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेडा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) छोटी सादड़ी तहसील निम्बाहेड़ा के कितने ग्रामों को पिछले दो वर्षों में विद्युतीकृत किया गया ? इनमें कितने कृषि कनेक्शन दिये गये ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(2) उक्त क्षेत्र के कुल कितने गांव विद्युतीकृत नहीं हुये हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वित्त वर्ष में कितने ग्रामों को विद्युतीकृत करने की सरकार की योजना है ?

(4) उक्त क्षेत्र में कितने कृषि कनेक्शन प्राथमिकता में होने के बावजूद बाकी हैं ? नामवार व गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछले दो वर्षों (1989-90 से 1990-91) में तहसील निम्बाहेड़ा एवं तहसील छोटी सादडी के क्रमश: 9 एवं 12 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया। इनमें तहसील निम्बाहेड़ा में 3 एवं तहसील छोटी सादडी में 10 कृषि कनेक्शन दिये गये। ग्रामवार सूची "अ" संलग्न।

(2) तहसील छोटी सादडी में कोई भी ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है। तहसील निम्बाहेडा में कुल 18 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष हैं। नामवार सूची "ब" संलग्न है।

(3) वर्ष 1991-92 में तहसील निम्बाहेडा के 4 एवं तहसील छोटी सादडी से 3 ग्रामों को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

(4) तहसील निम्बाहेडा में 1672 एवं तहसील छोटी सादडी में 1938 कृषि आवेदन पत्र लम्बित हैं। ग्रामवार संख्या सूची "स" व "द" संलग्न है :

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मन्डोर सूरसागर क्षेत्र में विद्युत् सब स्टेशन

1045. **श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जोधपुर के मण्डोर व सूरसागर क्षेत्र में 132 के. वी. ग्रिड निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो मण्डोर व सूरसागर में 132 के. वी. ग्रिड की योजना की क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ?

(3) बी. जे. एस. कालोनी, लक्ष्मीनगर, शक्ति नगर, मदवासियों क्षेत्र में प्रस्तावित 33 के. वी. के प्रस्तावित सब स्टेशन तैयार करने की योजना को कब तक कार्य रूप दे दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर में एक अतिरिक्त 132 के. वी. ग्रिड सब स्टेशन की तकनीकी आवश्यकता का अध्ययन किया जा रहा है। अभी अतिरिक्त 132 के. वी. सब स्टेशन के निर्माण एवं स्थान का निर्णय नहीं किया गया है।

(2) भाग (1) के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(3) अभी लक्ष्मीनगर, शक्ति नगर, मदवासिमों क्षेत्र में 33 के. वी. सब स्टेशन

(ऊर्जा मंत्री)

प्रस्तावित नहीं है। बी. जे. एस. कालोनी में 33 के. वी. सब स्टेशन की तकनीकी आवश्यकता का अध्ययन किया जा रहा है।

भवानीमण्डी का मण्डी यार्ड

1046. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भवानीमंडी मंडी यार्ड में व्यापारियों को पानी, बिजली तथा उनके माल की सुरक्षा के पूर साधन उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) भवानीमंडी मंडी यार्ड में सन् 1990 से अब तक कितनी चोरियां किन-किन व्यापारियों के यहां हुई, उसमें कितना-कितना माल चोरी में गया ? कितने अपराधी पकड़े गये, कितना माल बरामद हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भवानीमण्डी यार्ड में व्यापारियों को पानी बिजली तथा उनके माल की सुरक्षा के लिये चौकीदारी की पूरी व्यवस्था है।

(2) भवानीमण्डी मण्डी यार्ड में 1990 से अब तक 5 बार चोरियां हुई है। चोरी गये व बरामद हुए माल का विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्र. सं.	नाम फर्म जिनके चोरी हुई	चोरी गये माल का विवरण	बरामद माल का विवरण
1.	शिवनारायण पूनमचन्द एण्ड कं.	575 बोरी धनिया	51 बोरी धनिया
2.	सियाराम ट्रेडिंग कम्पनी	7 बोरी धनिया	—
3.	अनिलकुमार अरविन्द्र कुमार	3 बोरी मक्का	—
4.	हेमचन्द मन्नालाल	2 बोरी धनिया	—
5.	दिनेशकुमार चेतनकुमार	3 बोरी उड़द	—

उक्त वर्णित प्रथम चोरी में 3 अपराधी पकड़े गये हैं तथा दो अपराधी अग्रिम जमानत पर हैं।

कृषि मण्डी समितियों में नोशनल आधार पर पदोन्नतियां

1047. **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या अन्य विभागों की तरह कृषि उपज मण्डी समितियों में सीधी भर्ती/पदोन्नति में रोस्टर प्रणाली लागू है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या मंडी समितियों में रोस्टर

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

प्रणाली के आधार पर पिछले 10 वर्षों में पदोन्नति की गई हैं ? यदि हां, तो किस वर्ग की कब-कब ? इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई ?

(3) क्या उदयपुर खण्ड में नोशनल आधार पर कनिष्ठ लिपिकों को एक ही आदेश में एक कनिष्ठ लिपिक को वरिष्ठ लिपिक तथा सुपरवाइजर की एक साथ दो पदोन्नतियां दी गई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अन्य खण्डों के कर्मचारियों को भी इसी प्रकार नोशनल आधार पर पदोन्नति देने का विचार रखती है ?

(4) क्या मण्डी समितियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का बैक-लॉग पूर्ण कर लिया गया है ?

(5) क्या दिनांक 3-1-1992 को सिरोही खण्ड के कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नति चयन मण्डल द्वारा रोस्टर प्रणाली के आधार पर दी गई है ? यदि हां, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समितियों में भी रोस्टर प्रणाली राज्य सरकार के समान ही मंडियों के गठन के समय से ही लागू है।

(2) जी हां। मण्डी समितियों में गत 10 वर्षों में वर्षवार पदोन्नतियां दी गई हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति पर राज्य सरकार के आदेशानुसार रोस्टर प्रणाली लागू नहीं है। दी गई पदोन्नतियों का वर्षवार विवरण तथा इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को दी गई पदोन्नतियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां, भविष्य में पदोन्नति की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(4) जी नहीं।

(5) दिनांक 3-1-92 को चयन मंडल की बैठक में पांच पदों पर कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति की गई है। इसमें नियमानुसार जोन आफ कन्सीडरेशन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी पदोन्नतियां सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को दी गई हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

शेरगढ़ अभ्यारण्य का विकास

1048. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) शेरगढ़ (तह. अटरू) में सरकार द्वारा घोषित अभ्यारण्य में गत 5 वर्षों में कितना व्यय किया तथा किस-किस मद में ?

(2) अभ्यारण्य में वर्तमान में कितने संरक्षित पशु व पक्षी हैं ? नाम एवं संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मदन दिलावर)

(3) अभ्यारण्य के विकास की क्या योजना सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) शेरगढ़ अभ्यारण्य में गत पांच वर्षों में व्यय की गई राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) गत वन्यजीव गणना के अनुसार अभ्यारण्य में पाये गये पशु व पक्षियों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया है।

(3) पृथक से कोई योजना विचाराधीन नहीं है। बफर क्षेत्र में परिस्थिति की पुर्नस्थापन की दृष्टि से 750 हैक्टर क्षेत्र में वन विकास कार्य करवाया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-26 देखें)

झुंझुनू के बीड़ में अवैध कटाई

1049. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझनू) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू के बीड़ में अवैध रूप से कटाई कर अतिक्रमण किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसकी रक्षा हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उप वन संरक्षण, झुंझुनू को भी इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो उन प्राप्त शिकायतों का विवरण प्रस्तुत करते हुए इस सम्बन्ध में जिला वन अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में इस बीड में नये कब्जे नहीं हुए हैं। पूर्व में अतिक्रमण हुए थे, जिसके सम्बन्ध में प्रकरण राजस्व अपील अधिकारी, सीकर के न्यायालय में विचाराधीन हैं। बीड की सुरक्षा हेतु एक वनपाल एवं एक वन रक्षक तैनात हैं तथा अतिरिक्त स्टाफ भी इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु समय-समय पर लगाया जाता है।

(2) दिनांक 29-11-1991 को ग्रामवासी समसपुर, देंसूसर, चारणवास, सांती तथा झुंझुनू द्वारा झुंझुनू बीड में पेड़ काटने एवं काश्त करने तथा प्लाट काटकर बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच सहायक वन संरक्षक, झुंझुनू से कराई गई। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। उप वन संरक्षक, झुंझुनू द्वारा भी इस बीड का दिनांक 28-12-1991 को निरीक्षण किया गया।

(प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट-27 पर देखें)

तहसील सांगोद की नर्सरीज के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी

1050. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वन विभाग द्वारा मोई कलां, बपावर (तह. सांगोद) के पंचायत क्षेत्रों में नर्सरियों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों

(श्री मदन दिलावर)

ने कार्य किया है ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों से कितने मजदूरों ने आज तक कार्य किया ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों से अब तक कार्यरत सभी कर्मचारियों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) किन-किन मजदूरों का कितना-कितना भुगतान अब तक बाकी है ? नाम वार सूची सदन की मेज पर रखें । शेष भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । पिछले दो वर्षों से अब तक लगातार 14 श्रमिक कार्यरत हैं ।

(2) जी हां ।

(3) दो वर्षों से अधिक कार्य करने वाले किसी श्रमिक का भुगतान बकाया नहीं है ।

ओडवास (खेरवाड़ा) में वन भूमि का राजस्व भूमि में हस्तान्तरण

1051. **श्री चुन्नीलाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर जिले की तहसील खेरवाड़ा में 1974-75 तक कितनी वन भूमि का राजस्व खाते में हस्तान्तरण किया गया है ?

(2) क्या पंचायत मसारों की ओवरी के गांव ओडवास में आराजी नं. 240 वन भूमि का राजस्व में हस्तान्तरण हुआ है ? यदि हां, तो हस्तान्तरण दर्ज की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की तहसील खेरवाड़ा में 1974-75 तक किसी भी वन भूमि का राजस्व खाते में हस्तान्तरण नहीं किया गया है ।

(2) जी नहीं ।

कारागृह में बन्दियों की मृत्यु

1052. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिछले 3 वर्षों में राज्य की विभिन्न जेलों के किस-किस बन्दी की उपचार के दौरान मृत्यु हुई ? मृत्यु के कारण क्या रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) कारागृह में मृत्यु हुई है तो उपचार हेतु क्या प्रयत्न किये गये ? गम्भीर बीमार होने पर उन्हें अन्य अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया गया ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) दिनांक 1.1.89 से 31.12.91 तक की अवधि में राज्य की विभिन्न जेलों के बंदी जिनकी मृत्यु उपचार के दौरान सार्वजनिक चिकित्सालयों में हुई है, का

(कारागृह राज्य मंत्री)

विवरण परिशिष्ट "ए" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) दिनांक 1.1.89 से 31.12.91 तक की अवधि में राज्य की विभिन्न कारागृहों में उपचार के दौरान जिन बंदियों की मृत्यु जेल बैरक एवं जेल चिकित्सालय में हुई है, के उपचार हेतु किए गये प्रयत्नों का विवरण परिशिष्ट "बी" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

तहसील शिव का सामुदायिक भवन

1053. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की तहसील शिव में सामुदायिक सभा भवन के नाम से प्रभावशाली लोग अपने-अपने घरों के वास्ते कोटड़िया बना रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम जुड़िया की जनता की शिकायत के बाद भी श्री जोगराजसिंह पुरोहित की कोटड़ी बनाई जा रही है ? यदि हां, तो किस जमीन में, कौन से नम्बर में, किस प्रस्ताव ग्राम सहमति से सामुदायिक भवन पास हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। सामुदायिक सभा भवन का निर्माण ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 27.2.91 के प्रस्ताव अनुसार ख.नं. 14 की गोचर (सरकारी) भूमि पर पंचायत समिति के माध्यम से स्वीकृत किया गया है।

बीकानेर की पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों के रिक्त पद

1054. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की चारों पंचायत समितियों में ग्राम सेवकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या पंचायत समिति, नोखा में ग्रामसेवकों के रिक्त पद पर अस्थाई नियुक्तियां दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अस्थायी नियुक्तियों से उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, बीकानेर जिले की केवल पंचायत समिति नोखा में 11, कोलायत में 1 एवं लूणकरणसर में 3 पद रिक्त हैं। अन्य जिलों की पंचायत समितियों में स्वीकृत पदों से अधिक ग्राम सेवक एवं पदेन

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

सचिवों के कार्यरत होने से पद रिक्त है जो समायोजन द्वारा भरे जायेंगे।

(2) जी हां। पंचायतों के पुनर्गठन के शीघ्र बाद यह पद समायोजन से भरे जायेंगे।

(3) जी नहीं, क्योंकि फिलहाल अन्य जिलों में ग्राम सेवक अधिशेष चल रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र, शिव में नये प्राथमिक विद्यालय

1055. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि इस वर्ष विधान सभा क्षेत्र शिव की चारों पंचायत समितियों में सरकार ने एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोली है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्रवार प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले जाकर पंचायत समितिवार प्राथमिक विद्यालय खोले जाते हैं। विधान सभा क्षेत्र शिव में जिला बाड़मेर की पंचायत समिति शिव तथा बायतू तथा जिला जैसलमेर का कुछ भाग सम्मिलित हैं। इन पंचायत समितियों में खोले गये प्राथमिक शालाओं की पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–28 देखें।)

जिला टोंक में अध्यापकों के रिक्त पद

1056. **श्री घासीलाल चौपड़ा** (टोडारायसिंह) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोंक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी प्राथमिक शालायें हैं व प्रत्येक शाला में कितने-कितने विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं कितने-कितने अध्यापक लगा रखे हैं। शालावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला परिषद् टोंक में ग्रामीण प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के काफी स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो इनको कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) टोंक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 633 प्राथमिक पाठशालायें हैं उनमें 52,339 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, एवं इन पाठशालाओं में 1255 अध्यापक कार्यरत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही जारी है और शीघ्र ही पद भर दिये जावेंगे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

बीकानेर की पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पद

1057. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की पंचायत समितियों में अध्यापकों के पद रिक्त है ? यदि हां, तो स्कूलों के नाम, ग्राम व पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जिला स्थापना समिति, जिला परिषद्, बीकानेर द्वारा इससे पूर्व में चयनित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे दी गई ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक नियुक्तियां देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील सोजत में अवैध खनन् की शिकायतें

1058. **श्री खंगारसिंह चौधरी (खारची)** : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले की सोजत तहसील में मार्च, 1991 से जुलाई, 1991 तक अनाधिकृत खनन् की कब-कब व किस-किस के विरुद्ध सहायक खनिज अभियन्ता को शिकायतें की गई ?

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताई गई शिकायतों पर कब जांच की गई व जांच के बाद उक्त शिकायतों पर अवैध खनन कार्य करने पर बने पंचनामे पर कब फैसला किया गया ?

(3) प्रश्न के भाग (1) की शिकायतों पर इतने लम्बे समय तक कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण है ? प्रश्न के भाग (2) में दिये गये फैसलों की राशि कब वसूल की गई ? यदि नहीं, की तो क्यों ?

(4) प्रश्न के भाग (2) में किये गये फैसलों की राशि डिमाण्ड में कब दर्ज की गई।

उत्तर

(1) पाली जिले की सोजत तहसील में दिनांक 2.5.91 एवं 6.8.91 को श्री अब्दुल गनी जिनके पक्ष में खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम बोयल का खनन पट्टा स्वीकृत है, के विरुद्ध स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अनाधिकृत खनन कार्य करने की शिकायतें प्राप्त हुई।

(2) प्रश्न के भाग-1 में प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार क्षेत्र का सर्वे कराकर जांच की गई और पूर्व में हुए अनाधिकृत खनन कार्य के बारे में दि. 18.9.91 को मौका पंचनामा बनाया गया। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही कर पार्टी को सहायक खनिज अभियन्ता, सोजत के पत्र दिनांक 6.12.91 से नोटिस देने पर उनके द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर दिनांक 18.1.92

(खनिज राज्य मंत्री)

का अध्ययन कर बकाया राशि जमा कराने का फैसला सहायक खनि. अभियन्ता, सोजत ने अपने पत्र दिनांक 14.2.92 से किया।

(3) प्रश्न के भाग-1 में वर्णित शिकायतों पर कार्यवाही नियमानुसार की गई है, की गई कार्यवाही में असाधारण विलम्ब नहीं हुआ। पार्टी ने अभी तक उक्त राशि जमा नहीं कराई है। वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

(4) अनाधिकृत खनन कार्य के मामलों की राशि डिमाण्ड रजिस्टर में दर्ज नहीं की जाकर अनाधिकृत पंचनामा रजिस्टर में उसका लेखा-जोखा रखा जाता है।

रामगंज मण्डी में खनिज की आय

1059. **श्री जीतमल जैन (अलवर) :** क्या खनीज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खान अभियन्ता, रामगंज मण्डी का वर्ष 1989–90 व 1990–91 में आय लक्ष्य कितना निर्धारित हुआ जिसके विरुद्ध कितना प्राप्त हुआ व इसमें वर्षवार कितना अग्रिम लिया गया था ? लक्ष्य प्राप्त न होने के क्या कारण थे इसके लिये कौन जिम्मेदार है व सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 एवं 1990–91 के संबंध में लक्ष्य प्राप्ति की सूचना जो निदेशक, खान उदयपुर को दिनांक 31-3-90 एवं 31-3-91 को तार द्वारा या पत्रादि से भेजी गई थी उसमें आय लक्ष्य प्राप्त होने का विवरण ही था एवं अग्रिम राशि की कोई सूचना नहीं थी ? इस प्रकार भ्रामक व गलत सूचना देने के लिए कौन जिम्मेदार है ? सरकार इस लापरवाही के लिए किस प्रकार की कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? सूचना जो तार या पत्र से दी गई, की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1989–90 एवं 1990–91 की मांग व प्राप्ति के संबंध में जो विवरण पत्र प्रत्येक वर्ष का दिनांक 31-3-90 व 31-3-91 के बाद भेजा गया उसमें प्रत्येक वर्ष की कितनी मांग बनी व इसके विरुद्ध कितनी राशि वसूल हुई, कितनी बकाया रही व कितनी अग्रिम ली गई एवं पुराने वर्षों की मांग के विरुद्ध कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1989-90 एवं 1990–91 में मांग रजिस्टरों में लेखा पद्धति के अनुसार जो मांग इन वर्षों में बनती है कायम की जानी चाहिये ?

(5) क्या यह सही है कि वर्णित वर्षों में खान अभियन्ता, रामगंज मण्डी द्वारा अगले वर्षों में बनने वाली डिमाण्ड को भी दिनांक 31-3-1990 व 31-3-1991 एवं इसके पूर्व कायम कर दिया ? इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, यह किस पार्टी की कितनी-कितनी राशि कायम की गई ?

उत्तर

(1) खनि अभियन्ता, रामगंज मण्डी का वर्ष 89–90 व 90–91 में आय का

(खनिज राज्य मंत्री)

लक्ष्य क्रमशः 240 व 310 लाख निर्धारित किया गया जिसके विरुद्ध क्रमशः 242 व 311.86 लाख रुपये प्राप्त हुए। उक्त आय प्राप्त करने हेतु खनि अभियन्ता, रामगंज मण्डी ने कोई अग्रिम नहीं लिया। निर्धारित लक्ष्य पूरा हो गया इसलिये इस संबंध में आगे कोई कार्यवाही करने का मामला विचाराधीन नहीं है :

(2) जी हां, खनि अभियन्ता ने वर्ष 1989-90 व 90-91 में आय प्राप्ति की सूचना तार द्वारा दी। तार द्वारा सूचना सही होने से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती। तार की प्रति परिशिष्ट 1 व 2 संलग्न है।

(3) वर्ष 1989-90 व 90-91 के सम्बन्ध में भेजे गए विवरण पत्र परिशिष्ट 3 व 4 संलग्न हैं।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। मांग पट्टा क्षेत्र से नियमित खनिज से होने वाली आय को शामिल करते हुए कायम की जाती है। खनन-पट्टा क्षेत्र से निर्गमित खनिज की वसूली विभाग से रवन्ना जारी करने के आधार पर की है जबकि खनिज का निर्गमन पार्टी अपनी सुविधा अनुसार करती हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले की आरक्षित खनिज जिप्सम का आवंटन प्रकरण

1060. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में खनिज जिप्सम की कोई खान निजी क्षेत्र की संस्था को आवंटित की गई है जबकि सरकार द्वारा उक्त खनिज सरकारी क्षेत्र के लिए ही आरक्षित है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्था को पूर्व में भी बाड़मेर जिले में निम्न श्रेणी के खनिज खनन् के नाम से खनिज जिप्सम की खानें आवंटित की गई थी जिसका उपयोग दरडा (चूना) बनाने के काम में ही होना था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्था द्वारा आवंटित क्षेत्र में काम न कर दूसरे क्षेत्रों में अनाधिकृत खनन् किया गया और उत्पादित माल को दरडा बनाने के स्थान पर सीमेंट कारखानों को बेच कर सरकार के निर्देश की अवमानना की गई ?

(4) क्या यह सही है कि बाड़मेर के सहायक अभियता ने वर्ष 1987 में व बाद में भी यह स्पष्ट रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को भेजी कि उक्त संस्था द्वारा आवंटित क्षेत्र में कार्य न कर दूसरे क्षेत्र में अनाधिकृत खनन् किया गया है ? उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उक्त आवंटन में हुई अनियमितताओं की जांच करने के लिए खनिज राज्य मंत्री को लिखा था ? सरकार द्वारा उक्त संस्था द्वारा अनाधिकृत खनन के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए क्या सरकार उक्त संस्था का आवंटन रद्द करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही है कि खनिज जिप्सम को सार्वजनिक क्षेत्र में देने की सरकार की नीति रही है। लेकिन शासन के आदेश दिनांक 23-3-86 द्वारा बाड़मेर जिले में अकाल की स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से इन लोगों द्वारा गठित सर्वश्री बाड़मेर जिला जिप्सम घघड़ा उद्योग श्रमिक ठेका सहकारी समिति लिमिटेड के पक्ष में बाड़मेर जिले के उत्तरलाई क्षेत्र में खनिज जिप्सम के खनन करने की कार्यानुमति विशेष परिस्थितियों में दी गई।

(2) जी नहीं। पूर्व में सरकार ने निम्न श्रेणी के जिप्सम खनिज के नाम से खनिज जिप्सम की खानें आवंटित नहीं की। बल्कि उक्त संस्था को जिप्सम खनन करने की कार्यानुमति सन् 1986 में दी गई।

(3) जी नहीं। उक्त संस्था ने आवंटित क्षेत्र में ही खनन कार्य किया। शासन द्वारा उक्त संस्था को जारी स्वीकृति में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि ये उत्पादित खनिज को घघड़ा बनाने के काम में ही लेगी और सीमेन्ट कारखानों को माल नहीं बेचेगी। इसीलिये इस संस्था ने सरकार के निर्देशों की अवमानना नहीं की है।

(4) जी नहीं। सहायक खनिज अभियन्ता, बाड़मेर ने इस बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है।

(5) जी हां। इस संबंध में मुख्य मंत्री महोदय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच विभाग द्वारा कराई जा रही है।

उद्योगों की तालाबन्दी

1061. श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान प्रदेश में 2 वर्ष में कितने उद्योगों में तालाबन्दी हुई और कितनों को रुग्णता के कारण बन्द कर दिया गया ?

(2) इससे राजस्थान प्रदेश में पिछले दो वर्ष में कितने श्रम दिवसों की क्षति हुई है ?

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कितने श्रमिकों को अधिशेष घोषित किया गया व कितनों की छटनी की गई ?

उत्तर

(1) राज्य में पिछले 2 वर्ष में 23 उद्योगों में तालाबन्दी हुई और 28 को रुग्णता के कारण बन्द कर दिया गया।

(2) पिछले दो वर्षों में, वर्ष 1990 में

(श्रम राज्य मंत्री)

33329 व 1991 में 75499 श्रम दिवसों की क्षति हुई।

(3) श्रम विभाग को प्राप्त सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में 115 श्रमिकों को अधिशेष घोषित किया गया व 217 श्रमिकों की छटनी की गई।

जिला गंगानगर के श्रम निरीक्षक

1062. **श्री हेतराम बेनीवाल** (तारिया) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला श्री गंगानगर में श्रम विभाग के कितने निरीक्षक कार्यरत हैं ? इन निरीक्षकों की क्या ड्यूटी है ? जिले में कितनी व्यापारिक व औद्योगिक इकाइयां प्रत्येक निरीक्षक के कार्य क्षेत्र में आती हैं ? क्षेत्रवार सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रम निरीक्षकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के संस्थानों का निरीक्षण पिछले वर्ष कब-कब किया गया ?

(3) वर्ष 1991 में श्रम निरीक्षकों द्वारा दुकानों के समय पर खुलने व बन्द करने के आदेश का उल्लंघन व रजिस्टर इत्यादि आवश्यक दस्तावेज न रखने पर कितने व्यापारियों के चालान किये गये ? चालान के कागज कितने भरे गये, कितनों का वास्तव में अदालत में चालान हुआ व अदालत से कितने मुकदमों में किस प्रकार की और किन व्यक्तियों को सजा हुई ?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में 5 श्रम निरीक्षक एवं एक ग्रामीण श्रम निरीक्षक कार्यरत हैं। इन निरीक्षकों की विभिन्न श्रम अधिनियमों में प्रवर्तन कार्य एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत समझौता कार्यवाही करने का कार्य है। प्रत्येक निरीक्षक के कार्य क्षेत्र का विवरण सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) श्रम निरीक्षक अपने-अपने कार्य क्षेत्र में निरीक्षण कार्य करता है तथा संस्थानों में किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं।

(3) वर्ष 1991 में श्रम निरीक्षकों द्वारा दुकानों के समय पर खुलने व बन्द करने के आदेश का उल्लघंन व रजिस्टर इत्यादि आवश्यक दस्तावेज न रखने पर 654 संस्थानों के चालान किये गये। चालान के कागज 654 भरे गये, 654 का वास्तव में चालान हुआ व अदालत में 150 मुकदमों में 26,845/- रु. की राशि जुर्माना के रूप में वसूल की गयी। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मेवाड़ मिल में श्रमिकों की छटनी

1063. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

मेवाड़ मिल के श्रमिकों की छटनी कब-कब, किन-किन कारणों को लेकर की गई ? छटनी किये गये श्रमिकों तथा छोड़कर गये

(श्री बंशीलाल पटवा)

श्रमिकों को कितनी-कितनी राशि देय है? क्या पी. एफ. की राशि पी. एफ. विभाग में जमा हो गई? यदि नहीं, तो क्या कारण रहे? श्रमिकों की बकाया राशि सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

प्रबन्धकों से प्राप्त सूचना के अनुसार मेवाड़ टैक्सटाईल मिल में श्रमिकों की छंटनी नहीं की गई है। मिल का प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1986 में लेने के पश्चात नौकरी छोड़कर गये श्रमिकों को ग्रेच्यूटी की राशि 97,78,208/- रुपये का भुगतान कर दिया गया है एवं 23,02,000/- रुपये लगभग देय है। राज्य सरकार द्वारा प्रबन्ध लेने के बाद श्रमिकों की बकाया समस्त पी. एफ. की राशि जमा करवादी गयी है।

लघु उद्योगों में श्रमिकों की सीमा

1064. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत शक्ति (बिजली) से संचालित एवं शक्ति रहित सचालित कारखानों में कितने-कितने श्रमिक लगाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान में लघु उद्योगों में श्रमिकों की वर्तमान सीमा से लघु उद्योग के विकास में बाधा आ रही है? क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है?

(3) क्या यह सही है कि अनेक राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र के फैक्ट्री एक्ट को संशोधित कर उसे औद्योगिक विद्युत् सहित संचालित को 25 एवं विद्युत रहित संचालित इकाई को 50 कर्मचारियों को नियोजित करती है, को फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों से मुक्त किया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार राजस्थान में भी इसी प्रकार की मांग केन्द्र से करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फैक्ट्रीज एक्ट, 1948 के प्रावधाने के अनुसार ऐसे स्थान को जहां 10 या 10 से अधिक श्रमिक शक्ति (बिजली) की मदद से एवं 20 या 20 से अधिक श्रमिक बिना शक्ति की मदद से उत्पादन प्रक्रिया पर कार्य करते हों, "फैक्ट्री" मानी जाती है।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

(3) अन्य राज्यों ने फैक्ट्री एक्ट में क्या संशोधन किये हैं इसकी जानकारी राजस्थान सरकार को नहीं है।

फैक्ट्री एक्ट केन्द्रीय सरकार का कानून है तथा उसमें संशोधन भी केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के पास अभी कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है।

(८०)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28 फरवरी तथा 13 मार्च, 1992)

वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के जांच प्रकरण

163. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या वन विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग या राज्य अन्वेषण ब्यूरो के तहत जांच हुई है ? यदि हां, तो जांच के दौरान कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी सेवा में रहे एवं कौन-कौन निलम्बित रहे ? पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य अन्वेषण ब्यूरो या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गत 10 वर्षों में किस अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें (मय नाम एवं पद)।

(3) मुकदमे दर्ज होने के बाद कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी सेवा में रहा एवं कौन-कौन निलम्बित रहा ? सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त में से वर्तमान में किन-किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध राज्य अन्वेषण ब्यूरो के तहत जांच चल रही है, कौन-कौन निलम्बित है एवं कौन-कौन सेवा में है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) उपरोक्त में से वर्तमान में ऐसे अधिकारी या कर्मचारी कितने हैं जिनके विरुद्ध राज्य अन्वेषण ब्यूरो ने मुकदमें दर्ज कर रखे हैं ? इनमें से कौन-कौन निलम्बित हैं एवं कौन-कौन निलम्बित नहीं हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, जांच के दौरान जो अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित एवं सेवा में रहे की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" एवं "कक" के अनुसार रखदी है।

(2) जी हां, विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी हां, विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) जी हां, विवरण परिशिष्ट "ग" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) वर्तमान में विभाग में 30 अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध राज्य अन्वेषण ब्यूरों में मुकदमें दर्ज हैं, इनमें से एक कर्मचारी निलम्बित है तथा 29 अधिकारी/कर्मचारी निलम्बित नहीं हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

(दिनांक 10 मार्च, 1992)

मैसर्स गुरूनानक कृषि यन्त्र उद्योग, केशवरायपाटन

403. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या मैसर्स गुरु नानक कृषि यन्त्र उद्योग, केशवरायपाटन को राजस्थान वित्त निगम द्वारा एक लाख रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को व उक्त ऋण पेटे उद्यमी

(श्री रामनारायण वर्मा)

ने कितनी राशि किस-किस मद में वापस जमा करवादी है ? अब ऋण एवं ब्याज की कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

(2) क्या उक्त उद्योग को वित्त निगम द्वारा जब्त या कुर्क भी किया गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को कितनी-कितनी अवधि के लिये और क्यों ?

(3) क्या उद्योग को जब्त करने पर उद्यमी को मुग्रावजा देने का भी प्रावधान है ? यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में किस हिसाब से ?

(4) क्या गुरु नानक कृषि यन्त्र उद्योग को भी मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो अब कब तक अदा कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिनांक 17.3.80 को एक लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था । निगम को अब तक 94,341 रुपये मूलधन व ब्याज के पेटे प्राप्त हुए हैं । इकाई के खाते में राजस्थान वित्त निगम की 1.1.92 को बकाया राशि निम्न प्रकार है :–

मूलधन	53,219
ब्याज (1.1.91 तक)	1,60,433
अन्य	666
	2,14,318

(2) जी हां । राजस्थान वित्त निगम द्वारा उक्त इकाई को अधिदेय राशि के भुगतान नहीं करने पर दिनांक 20.2.85 को अधिग्रहित किया गया था । तत्पश्चात 29.3.86 को इकाई का कब्जा उद्यमी को वापस दे दिया गया ।

(3) जी नहीं । राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऐसे मामलों में मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(4) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(दिनांक, 12 मार्च, 1992)

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में नवसृजित प्राथमिक शालायें

485. श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या वर्ष 1991–92 में विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में प्राथमिक शालायें खोली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां ।

(दिनांक 13 मार्च, 1992)

सड़कों के रख रखाव एवं निर्माण कार्यों पर व्यय राशि

526. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(82)

(श्री परसादीलाल मीणा)

वर्ष 1991–92 में सड़कों के रख-रखाव तथा निर्माण पर कितनी-कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

उत्तर

वर्ष 1991–92 में सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर 1.4.91 से 29.2.92 तक राशि निम्न प्रकार व्यय की गयी है।

(व्यय करोड़ों में)

क्र.सं.	मद	निर्माण पर व्यय	रख-रखाव पर व्यय
1.	राज्य योजना	43.39	82.30
2.	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	8.85	—
3.	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	20.16	11.43
4.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र का विकास स्टेज द्वितीय	5.67	—
5.	भांखडा, गंगक्षेत्र की मंडियों का विकास	0.45	—
6.	खनिज क्षेत्र	1.15	—
7.	निर्बन्ध निजी योजना	2.85	—
8.	नेहरू रोजगार योजना	1.50	—
	योग :–	84.02	93.73

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(1) श्री भंवरलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका सुजानगढ़ (चूरू) के वार्ड नम्बर 3 के मध्य बने पानी के होज से गन्दे पानी के निकास एवं उस क्षेत्र में पक्की नालियों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

आपने सुन लिया होगा कि क्या यह विषय एडजोर्नमेन्ट मोशन का है ? फिर भी मैं सरकार को भेज रहा हूं। एक शहर में एक जगह खड्डा हो गया और उसकी पूर्ति जो नगरपालिका का विषय है उसको एडजोर्नमेन्ट मोशन का विषय बनाया गया है। आप कृपया ध्यान रखिये इसका।

(2) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका नैनवां के समय से पूर्व सेवा निवृत्त 7 सफाई कर्मचारियों को वापिस सेवा में नहीं लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

यह अविलम्बीय लोक महत्व के सवाल हैं ?

(3) श्री मनीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से लूणकरणसर तहसील के कतिपय ग्रामों में देखभाल के अभाव में पेयजल योजनाओं के बन्द हसेपे से वहां की जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सुमित्रासिंह और डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से

(श्री अध्यक्ष)

तिलम संघ द्वारा काश्तकारों को तिलहन खरीद में बाजार मूल्य से अधिक राशि देने का वादा करने के उपरान्त भी फसल अधिक मूल्य पर नहीं खरीदने से काश्तकारों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में।

(5) श्री दयाराम परमार और श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से संस्कृत शिक्षा के गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश में प्रतिबन्ध लगाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम दौलतपुरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दो वर्ष से चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त होने तथा भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं देने से वहां की जनता में व्याप्त असन्तोष के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य विधान सभा की ओर से नागौर जिले के वर्ष 1985-86, 1986-87 1987-88 के अकाल राहत कार्यों की मजदूरी का भुगतान न करने से मजदूरों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में।

(2) श्री मनीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में भयंकर अकाल की स्थिति तथा वहां राहत कार्य शुरू करवाने के संबंध में।

(3) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर के ग्राम ममाणा, बंसपुरा, सिगला व कोरसना को विद्युतीकृत किये जाने के उपरान्त भी वहां की जनता को विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जाने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। क्र.सं. 1 व 2 पर अंकित प्रस्तावों के प्रस्ताव माननीय सदस्यों को राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी। क्र.सं. 3 पर अंकित प्रस्ताव के प्रस्तावक माननीय सदस्य को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक अनुमान 1991–92 पर विचार के समय बोलने की अनुमति होगी।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री हरीश भामनानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से दी गंगानगर शुगर मिल की रामगंज, अजमेर स्थित शराब की डिस्टिलरी द्वारा खराब व गन्दे पानी के निकास से वहां की जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

(2) श्री किशनगोपाल कोगटा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर शहर की

(श्री अध्यक्ष) :

शास्त्रीनगर विस्तार योजना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त की जाने वाली भूमियों को अवाप्ति से मुक्त करने के संबंध में।

(3) डा. जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में बनीपार्क पावर हाउस रोड पर व्यवसायिक भवन निर्माता द्वारा अवैध निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(4) श्री अरूणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से रूंथ माडेरा क्षेत्र में वन गायों एवं नील गायों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि होने तथा इनके द्वारा किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री घासीलाल चौपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील टोडारायसिंह व देवली के ग्रामों को आर. ई. सी. स्कीम के तहत विद्युतिकरण में लापरवाही बरतने के संबंध में।

(6) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम निम्बाज से ब्यावर सीमेन्ट फैक्ट्री को पानी देने से निम्बाज के आस-पास के गांवों का जलस्तर सूख जाने के संबंध में।

(7) श्री श्रीकिशन सोनगरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर सिंचाई खण्ड प्रथम एवं द्वितीय द्वारा कार्य प्रभारी कर्मचारियों की कुल स्ट्रेन्थ का 70 प्रतिशत अधिशेष घोषित करने तथा उसके नार्म्स निर्धारित करने में भेदभाव बरते जाने के संबंध में।

(8) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनू सीकर, चुरू नागौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों से रोजगार हेतु विदेश गये लोगों की स्वदेश वापसी के समय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने तथा चैकिंग के नाम पर उन्हें परेशान करने के संबंध में भारत सरकार से पेशकश करने के संबंध में।

(9) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से रावतभाटा भैंसरोड़गढ़ क्षेत्र में यातायात की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने तथा इस मार्ग पर द्रुतगामी बस सेवा शुरू करने के संबंध में।

(10) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय खेरवाड़ा में रेफरल अस्पताल खोलने के संबध में।

(11) डा. चन्द्रभान, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के शेखावाटी अंचल में पर्यटन विकास की कार्य योजना बनाने तथा इस हेतु धनराशि का प्रावधान करने के संबंध में।

(12) श्री शम्भुदयाल बड़गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर जिले के शारीरिक शिक्षकों को शिक्षा विभाग में नियुक्ति नहीं देने से उनमें व्याप्त असन्तोष के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(13) श्री रामेश्वर भारद्वाज, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित आवासन मण्डल की शास्त्रीनगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी में सड़क व नालियों की मरम्मत नहीं करने से वहां के निवासियों को हो रही परेशानियों के संबंध में।

(14) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की अधूरी सड़कों को पूरा कराने एवं नई सड़क बनाने के संबंध में।

(15) श्री हरीश कुमावत सदस्य, विधान सभा की ओर से नावा तहसील क्षेत्र में पेयजल संबंधी समस्याओं का निराकरण विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कर करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी। मुझे माननीय सदस्यों को व्यवस्था के बारे में और कुछ निवेदन करना है।

एक तो आज जो पी. डब्ल्यू. डी की मांग है उस मांग पर केवल उन्हीं लोगों को बोलने का अवसर दिया जायेगा जिनके कटौती प्रस्ताव हैं ताकि आप 2 बजे तक उस मांग को समाप्त कर दें फिर जब विनियोग बिल आयेगा तो उस पर आप सब को, जैसा आपकी पार्टियों की लिस्ट देते हैं उसके लिस्ट मुताबिक बोलने का अवसर दिया जायेगा।

व्यवस्था

विधान सभा सचिवालय के बारे में सदन में चर्चा निषेध

मेरी अनुपस्थित में एक प्रश्न फिर आया यहां पर हमारे विधान सभा सचिवालय के बारे में चर्चा की गयी। माननीय सुरेन्द्र व्यास ने 273 के अन्तर्गत यह नोटिस दिया था कि उसकी सूचना मुख्य मन्त्रीजी को नहीं दी गयी। इस सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो लिखा है उसमें यह कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वे मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाना चाहते हैं। मैं उनको यह नोटिस पढ़कर के सुना देना चाहता हूं। कल दिनांक 24-3-92 को मांग संख्या 36 सहकारिता पर वाद-विवाद के समय तिलम संघ के अध्यक्ष श्री मीठालाल मेहता द्वारा सहकारिता के अधिनियम एवं सहकारिता के आन्दोलन की भावना के विरुद्ध उप नियमों के उप नियम 9 का प्रावधान रखा गया जिससे संचालक मण्डल के समस्त अधिकार स्वयं एवं स्वयं के अधीनस्थ प्रबन्ध निदेशक सहित कार्यकारिणी गठित कर प्राप्त कर लेने पर मैं चर्चा करूंगा। संचालक मण्डल की बैठक बुलाना समाप्त प्रायः कर कार्यकारिणी के माध्यम से करोड़ों रुपए की मशीनरी एवं उपकरणों का क्रय कर लिया एवं प्राइवेट पार्टीज को असंवैधानिक लाभ पहुंचाया। स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया केन्द्रीय सरकार के उपक्रम के लिए बिना जानकारी प्राप्त किये यह नोट जान-बूझकर के मिथ्या रूप से अंकित कर दिया गया कि संभवतया उक्त उपक्रम के पास सिविल कार्यों के लिए सभी सेक्शन उपलब्ध न हों। क्रय के लिए भी बिना कोई क्रय समिति बनाये एक व्यक्ति महा प्रबन्धक, श्रीगंगानगर परियोजना को अधिकृत कर दिया। इसी प्रकार तिलम संघ एक सहकारी समिति कि वे अन्य

(श्री अध्यक्ष)

परियोजनायें मात्र इसकी इकाइयां हैं । सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत एक समिति में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पद पर नियुक्ति चयन समिति जिसका गठन संचालक मण्डल द्वारा किया जाय व जिसके लिए पंजीयक सहकारी समितियों द्वारा नियम 41 के अन्तर्गत सेवा शर्तों का विनिश्चय किया जाय, आवश्यक थे किन्तु तिलम संघ द्वारा उक्त नियम एवं परम्परा की अवहेलना कर व विज्ञापित योग्यताओं की अंतिम तिथि के पश्चात भूल सुधार के माध्यम से अपने मर्जीदानों को समायोजित करने के लिए उक्त योग्यताओं को छूट दे दी गयी । कम्प्यूटर द्वारा जिन व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया उनकी नियुक्ति कर दी गयी जो अपने आप भ्रष्टाचार एवं पक्षपात की एक मिसाल है । कुल रिक्त स्थानों के लिए विज्ञापन नहीं निकाल कर परियोजनावार विज्ञप्तियां निकाली गयीं जो स्पष्टतया व्यक्ति विशेष को चयन करने को पूर्व निश्चय की रूचि का प्रमाण है ।

इसमें इन्होंने कहीं भी मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाने की बात नहीं की लेकिन इन्होंने जो भेजा है उसमें एक नोट नीचे लगाया है कि माननीय मुख्य मन्त्री श्री चतुर्भज वर्मा एवं माननीय मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत श्री मेहता का बहुत जोर-शोर से विधान सभा में बचाव करते हैं, प्रशंसा करते हैं । प्रतिलिपि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को इसी आशय से भिजवाई जा रही है । इस बिन्दु पर वे उचित समझें तो बचाव प्रस्तुत करें । इसमें प्रतिलिपि भिजवाने का इसमें लिखा है । जहां तक नियम 273 का सवाल है इस नियम में यह जिम्मेदारी माननीय सदस्य पर है कि वह जिस मन्त्री के खिलाफ आरोप लगाना चाहे उसको स्वयं प्रतिलिपि दें । यह हमारे विधान सभा सचिवालय के मार्फत जाने की जरूरत नहीं है । केवल अध्यक्ष को यह सूचित कर दें कि मैंने मन्त्री को इसकी सूचना दे दी है ताकि मन्त्री समय पर जवाब दे सकें । इसलिए इस सम्बन्ध में जो चर्चा इस सदन में हुई कि सचिवालय की कमी रह गयी, इन्होंने नकल नहीं भेजी है, यह सारी जो व्यवस्थायें हैं यह ठीक नहीं थी । इस तरह की चर्चायें इस सदन में सचिवालय के बारे में नहीं होनी चाहिए ।

एक प्रश्न और जो मेरे सामने है, माननीय कल्लाजी ने एक विशेषाधिकार मोशन दिया है और उसमें मुझे बार-बार कहा जा रहा है कि आप इसको हाऊस में डिस्कस करें । इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत-सी व्यवस्थायें इस सम्बन्ध में पहले भी हो चुकी और यह व्यवस्था बिल्कुल ही वेल एस्टेब्लिस्ड है कि जब तक किसी प्रिविलेज मोशन की लीगली जांच स्पीकर नहीं कर ले और जब तक वह उसकी अनुमति देने की स्थिति में नहीं हो तब तक उसकी हाऊस में चर्चा नहीं कराई जा सकती और आप चाहें तो इसके लिए मैं पढ़कर सुना दूं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सम्बन्ध में 2 मिनट सुन लेते श्रीमान् ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कुछ नहीं बोलने

(श्री अध्यक्ष)

दूंगा। मैं इसीलिए आपको व्यवस्था दे रहा हूं। मैं इसकी लीगली जांच करवा रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो प्रिविलेज मोशन आया है मैं उसको लाइटली नहीं ले रहा हूं। इट इज ए सीरियस मैटर, लेकिन ऐसा मामला जो पहले कभी नहीं हुआ इसलिए इसको गम्भीरता से मुझे जांच करानी पड़ेगी। जब तक मैं जांच करके किसी निर्णय पर नहीं पहुंचूं तब तक उसकी कोई चर्चा सदन में नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखें और बार-बार इसके बारे में प्रश्न पूछें तो मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। इसलिए सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी गम्भीर सवाल आता है तो हम उसको गम्भीरता से लें। मुझे भी उसको उसी गम्भीरता से एग्जामिन करना पड़ेगा। मैं न तो आपके कथन को लाइटली ले रहा हूं और न माननीय मुख्य मन्त्रीजी के ही। मुझे दोनों में से जो लीगल पोजिशन है, जो कानून व्यवस्था है उसको ढूंढ कर निकालना पड़ेगा और चूंकि आप देख रहे हैं कि विधान सभा चल रही है। हमारा सारा स्टाफ इसमें लगा हुआ है इसलिए बहुत कम समय मिल पाता है जिसमें हम इसको ढूंढ कर निकालें फिर भी मैं इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा।

श्री हरीश भामनानी :...(व्यवधान) हरीशजी, आप बैठिये। एक-एक बोलिये। इन्दौराजी बोल रहे हैं। इन्दौराजी बोलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 50 के अन्तर्गत एक स्थगन प्रस्ताव आपको दिया था और आपने वह प्रस्ताव जो जानकारी के लिए विभाग को भेज दिया। परसों आपने यह व्यवस्था दी थी कि 24 घण्टे में यदि जवाब आता है तो ठीक है नहीं तो आपको 2 मिनट बोलने की इजाजत दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं आया तो बुलवा दूंगा। आप बैठिये। डा. चन्द्रभान।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : आपने कहा कि इनके बोलने के बाद....

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप बोलिये। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति द्वारा और उनके एक डीन द्वारा माननीय सदस्यों का अपमान किया गया है। इसमें प्रिविलेज मोशन अनेक लोगों ने लगाया हुआ है। मैंने भी एक प्रिविलेज मोशन लगाया हुआ है....

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं इसके सम्बन्ध में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। कुछ नहीं कहना है आपको। मेरी बात सुनिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । आप पहले मेरी बात सुन लीजिए । आपने जो प्रिविलेज मोशन लगाया है उसमें त्वरित गति से कार्यवाही हो रही है । हमने उसको नोटिस दिया है उसका जवाब आ गया है । अब हमने सम्बन्धित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिये । उनका जवाब आने के बाद मैं उस पर निर्णय लूंगा ।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें एक नई बात आ रही है कि कुलपति अपने प्रभाव....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । उसकी क्या बात कर रहे हैं जो हो गया है उसकी । डा. चन्द्रभान ।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना के जरिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वयनित कनिष्ठ लिपिक और स्वास्थ्य निरीक्षक, इनकी मांगों के सम्बन्ध में इस सदन में जो चर्चा हो चुकी है और इन दोनों ही मांगों को लेकर स्वास्थ्य निरीक्षक और कनिष्ठ लिपिक लम्बे समय से विधान सभा के सामने, करीब एक महीने से धरना दे रहे हैं । 4 दिन में से उनमें से एक-एक लोग आमरण अनशन पर हैं और उनकी तबियत बहुत खराब है....(व्यवधान)....आमरण अनशन पर दो लड़के बैठ गये हैं । एक स्वास्थ्य निरीक्षक और एक कनिष्ठ लिपिक बैठा है और 4 दिन हो गये हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा इतने लम्बे समय से आन्दोलन चल रहा है इसलिए जो रिकार्ड बनाया है कनिष्ठ लिपिकों ने एक साल से धरना दे रहे हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : क्या करें । इस विषय में बार बार विधान सभा में कहने से, तीन बार तो इसका प्रत्युत्तर यहां और सरकार क्या कर रही है वह बता दिया है । अब वह आन्दोलन कर रहे हैं तो उनसे बात करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं उनकी समझ में आती है फिर भी आन्दोलन कर रहे हैं हम क्या करें ।

श्री अध्यक्ष : आप अपना काम करिये वे अपना काम कर रहे हैं ।

डा. चन्द्रभान : काम की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय । आपके माध्यम से एक क्लेरिफिकेशन मंत्रीजी से चाहूंगा कि अपने सदन में....

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने यह कहा है कि मैं 3 बार जवाब दे चुका हूं । इसलिए बार बार, देखिये आपको तो अपना सवाल राजनीतिक दृष्टि से उठाना है इनको प्रशासनिक दृष्टि से करना है इसलिए आप अपना काम करें, उठाते जाइये और वे अपना काम करेंगे ।

डा. चन्द्रभान : कनिष्ठ लिपिकों के सम्बन्ध में आपने.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हो गया । आपका सवाल उठ गया बैठिये । श्री बंशीलाल पटवा.... (व्यवधान)....अब आपका सवाल क्या है ? ....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कहा है कि लागू नहीं हो रहा है इसलिए आन्दोलन कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। बैठिये आप।

डा. चन्द्रभान : आपने कहा है कि 50 प्रतिशत वालों को सेवा में रख लेंगे और 50 प्रतिशत वालों को कनिष्ठ लिपिकों को सेवा में नहीं रख रहे है इसलिए इन्होंने आमरण अनशन किया है। आपने यह आश्वासन क्यों दिया ? मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि 50 प्रतिशत जिनके नम्बर हैं उनको सब को सेवा में लेंगे और आपने 50 प्रतिशत वालों को नहीं लिया इसलिए वे दोबारा आमरण अनशन पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये अब। श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक तारांकित प्रश्न दिया खनिज से सम्बन्धित मैंने सीमित जानकारी मांगी जिसमें भीलवाड़ा जिले और राजसमन्द के बारे में खातेदारी लैण्ड में कौन-कौनसे भू-आवंटन किये गये, किस तरह से किये गये और इस प्रश्न को बार-बार गवर्नमेण्ट मशीनरी स्थगित करवा रही हैं और मुझे जानकारी मिली है कि इस प्रश्न का सारा रिप्लाई आ चुका है लेकिन रोका जा रहा है और इसको देना नहीं चाहते हैं और इसमें बहुत-बड़ा घपला है श्रीमान्। मेरा यह निवेदन है कि जो नेक्स्ट डे आ रहा है उस दिन बाध्य करें, बाऊण्ड करें। मेरा एक निवेदन है कि आप इसमें मेरी मदद करें। बार-बार स्थगित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उनका जवाब नहीं आ रहा है तो हम उनको लिस्ट देने को तैयार हैं। हमारे पास लिस्ट मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बिराजिये आप। मैं मंत्री जी से बात करूंगा। श्री हरीश झामनानी। शुरू करें आप। आप देरी करते हैं 10 और खड़े हो जाते हैं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री हरीश झामनानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत दी गंगानगर शुगर मिल की रामगंज अजमेर शराब के डिस्टिलरी से खराब व गन्दे पानी निकलने से उत्पन्न समस्या के बारे में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

महोदय,

निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र (अजमेर पश्चिम) शराब की डिस्टिलरी रामगंज पुरानी चूंगी चौकी के पास स्थित है। प्रति दिन हजारों की तादाद में वहां खाली शराब की बोतलों की सफाई एवं केसर कस्तूरी शराब बनाने वाले काम आने वाले कच्चे माल के निकास से उस क्षेत्र में गंदगी का साम्राज्य बना हुआ है।

(12.20 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पानी व गन्दगी के निकालने की पूरी व्यवस्था न होने के फैक्टरी के बाहर बदबू ही बदबू रहने से उस क्षेत्र में रहने वाली

(श्री हरीश भामनानी)

जनता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गंदे व बदबूदार पानी के निकलने व उस क्षेत्र से दूर नाली या नाले की पूरी व्यवस्था न होने से डिस्टिलरी के बाहर ही पानी का जमाव रहता है। जिससे मच्छरों व कई बीमारियों के फैलने की सम्भावना सदैव बनी रहती हैं। वर्षों से परेशान वहां की जनता ने कई बार आबकारी अधिकारी, डिस्टलरी के अधिकारियों व जिलाधीश महोदय को इस समस्या के निराकरण करने हेतु ध्यान आकर्षित किया था। परन्तु इस समस्या को दूर करने वाले किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री, आबकारी मंत्री का इस ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि उक्त उद्योग से निकलने वाले गंदे व बदबूदार पानी को दूर दराज उस क्षेत्र से निकलवाने की माकूल व्यवस्था नाला बनवाकर की जाये एवं शराब बनने के बाद काम आये कच्चे बदबूदार माल को वहां न फेंककर अन्यत्र पटकवाने की व्यवस्था की जाये ताकि उस क्षेत्र की पीड़ित जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे। पहले उनको कहने दीजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से दो दिन पहले यह 295 का नोटिस लगा था और मैं इसका उत्तर उस समय भी देकर आया लेकिन अभी आपने उठाया है इसलिए इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब भेड़ ऊन राज्य मंत्री अपने प्रवास पर अजमेर गये थे तो एक समिति ने इस सम्बन्ध में इनको ज्ञापन दिया था और उसके आधार पर असिस्टेंट इन्जीनियर को गंगानगर शुगर मिल से मौके पर भेजा गया। उसका सर्वे कर लिया गया है। सर्वे के आधार पर एस्टीमेट बन गया। यह कार्य शीघ्र ही पूरा करा दिया जायेगा, बल्कि और जो गंदगी भरी हुई है उसके आधार पर टेण्डर इनवाइट करने हैं, उसको वहां से हटा दिया जायेगा।

श्री रामनारायण वर्मा : आप आदेश दे देंगे। उनकी व्यवस्था है कि मैं इनके बोलने के बाद दो मिनट में अपनी बात कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : किसने।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने शिक्षा विभाग के मामले में कुछ निवेदन किया था। राजस्थानी भाषा साहित्य एव संस्कृत अकादमी के मामले में मैंने 119 का नोटिस दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको पूरा होने दीजिए। उसके बाद बुला दूंगा। श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री रामनारायण वर्मा : यह वह मामला नहीं है। मान्यवर, हालत बहुत खराब है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको बुला दूंगा। आप बैठिये।

श्री रामनारायण वर्मा : ना तो कोई प्रतिवेदन है और यदि हम इस सदन में

(श्री रामनारायण वर्मा)

नहीं कह सकते तो बाहर कोई सुनवाई नहीं है। सरकार तो इसमें इन्ट्रस्टेड है कि इस अकादमी को खत्म कर दिया जाये। बीकानेर में अकादमी है। न उनको कोई इनाम बांटा जा रहा है। साल भर से सारी व्यवस्था ठप्प है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बैठिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : इतनी हालत खराब है और हमारा नोटिस न लगे और उस पर कोई सदन में चर्चा न हो, प्रतिवेदन में कोई नाम नहीं आये। क्या सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : आपने कर दी न चर्चा।

श्री रामनारायण वर्मा : सरकार उस अकादमी को भूल गई क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने कर दी चर्चा।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं चर्चा नहीं इसमें सरकार का जवाब दिलाइये हमें।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ जायेगा। श्री किशन गोपाल कोगटा।

श्री रामनारायण वर्मा : इसको रखिये सदन में चर्चा के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

ब्यावर शहर की शास्त्रीनगर विस्तार योजना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त भूमियों को अवाप्ति से मुक्त करना

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के विशेष उल्लेख का प्रस्ताव। ब्यावर शहर की शास्त्री नगर विस्तार योजना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त की जाने वाली भूमियों को अवाप्ति से मुक्त करने हेतु।

महोदय, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 5732/सा. नि./80 दिनांक 27 जुलाई, 1987 के द्वारा ब्यावर शहर की शास्त्री नगर विस्तार योजना की 152 एकड़ भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अवाप्त करने की अधिसूचना जारी की गयी। उक्त 152 एकड़ में से 101 एकड़ भूमि को चन्द राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया और मात्र 51 एकड़ क्षेत्र के बारे में अन्तिम निर्णय करना था। अधिसूचना जारी होने के चार साल में भी सरकार यह निश्चित नहीं कर सकी है कि इस भूमि पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किस प्रकार के एवं किन विभागों के भवनों का निर्माण करना है। इसके विपरीत इस भूमि पर आवासहीन व्यक्तियों के मकान काफी बडी तादाद में बन चुके हैं। जैन समाज के साधु-साध्वियों के उपयोगार्थ शौच विसर्जनार्थ खुली जगह के लिए समाज द्वारा जगह खरीदी हुई है तथा आश्रयहीन व्यक्तियों के भूखण्ड है। इसके साथ ही विश्व हिन्दू परिषद् व जैन समाज की जमीन भी है लेकिन सभी इस

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

दुविधा की स्थिति में हैं कि आगे जाकर इस 52 एकड़ भूमि का क्या स्वरूप बने। इसके कारण अब इन लोगों में जहां भयंकर असंतोष है वहां दूसरी ओर इस भूमि पर जो मकान बन चुके हैं उनको हटाने से गरीब व्यक्तियों को भारी आर्थिक हानि होगी।

नगर परिषद, ब्यावर ने अपनी साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास करके उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने की सिफारिश की है। अतः इस लोक महत्व के विषय पर मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर इस क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह।

जयपुर में व्यावसायिक भवन निर्माता द्वारा अवैध निर्माण

डा. जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में व्यावसायिक भवन निर्माता द्वारा अवैध निर्माण करवाये जाने के विषय में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख कर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, जयपुर में बनीपार्क में पावर हाउस रोड़ पर कमल अपार्टमेण्ट प्रथम व द्वितीय भाग नाम से दो आवासीय कालोनियों का निर्माण किया गया है। भवन निर्माता द्वारा भवन के निर्माण में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित मानदण्डों की खुली अवहेलना की गयी है। यही नहीं भवन निर्माता द्वारा अनाधिकृत रूप से दोनों ही कालोनियों में व्यावसायिक काम्पलेक्सों का निर्माण करवा लिया गया है, जिसकी स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त नहीं की गयी है। अब पुनः कमल अपार्टमेण्ट द्वितीय में व्यावसायिक कामप्लेक्स के एक हिस्से को आवासीय फ्लेटों में तब्दील किया जा रहा है। इस विषय में कालोनी के निवासियों द्वारा नगरीय एवं आवासीय मंत्री महोदय तथा जयपुर विकास प्राधिकरण को बार-बार लिखा गया है। किन्तु इस अवैध निर्माण को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त भवन निर्माता द्वारा स्वीकृत फ्लेटों से अधिक संख्या में फ्लेटों का निर्माण करवाया गया है। भवन निर्माता द्वारा निवासियों को अपने व्यावसायिक हितों के लिए कई प्रकार से प्रताड़ित एवं आतंकित किया जा रहा है। जिसकी एक रिपोर्ट थाना सदर में भी दर्ज करवायी गयी है। यह भी ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार उक्त भवन निर्माता को जयपुर में अनेक स्थानों पर भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

यह एक जनहित से जुड़ा हुआ मामला है। अतः मैं नियम 295 के तहत इस विषय में राज्य सरकार को सजग करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अरुण सिंह।

वन गायों एवं नील गायों द्वारा फसल को नुकसान

श्री अरुण सिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के

(श्री अरूणसिंह)

अन्तर्गत उल्लेख करना चाहता हूं कि ह घ माडेरा क्षेत्र में वन गायों वं नील गायों की संख्या भी गत 20 व 25 वर्षों से निरन्तर बढ़ती जा रही है। इससे एक ओर तो इस क्षेत्र के कृषकों की कड़ी मेहनत एवं परिश्रम लगा कर और पर्याप्त मात्रा में धन खर्च कर बीज क्रय करके बुआई की गयी। फसल को इन गायों द्वारा झुण्ड के झुण्ड में यकायक अटेक करने से किसान के पास अपनी मेहनत को बरबाद होते देखकर आंसू बहाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है क्योंकि खेतों में हमेशा ही काफी संख्या में किसान मौजूद नहीं रह सकता है और ऐसी परिस्थितियों में खेतों पर फसल की रखवाली हेतु बैठा किसान अपनी आंखों के सामने अपनी कमाई व मेहनत के बर्बाद होने का चश्मदीद गवाह बना हताश मूक दर्शक मात्र बना रहता है। इस समस्या के समाधान हेतु जिला स्तर पर भी इस समस्या के निराकरण हेतु बैठक हुई। वन मंत्री महोदय ने भी समस्या के समाधान हेतु बैठक बुलाई। लेकिन जन प्रतिनिधियों और किसानों ने जो वाजिब सुझाव दिये उनको क्रियान्वित करने हेतु कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया फलस्वरूप किसानों में अत्यधिक रोष व्याप्त है तथा यह रोष कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ी हुयी हालत में अग्नि में घी का काम करने में पूर्ण मदद करेगी।

इस ज्वलन्त समस्या के समाधान हेतु आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य है कि मांडेरा क्षेत्र के चारों ओर पक्की दीवार कम से कम 6 फीट ऊंची बनायी जाये तथा इस क्षेत्र में जहां-जहां भी मीठा जल उपलब्ध हो वहां पर गौशाला बना कर इन वन गायों और नील गायों के पालन-पोषण हेतु व्यापक प्रबन्ध किये जाये। साथ ही इन्हें अन्य क्षेत्र जैसे सिर्तसिनी, माडेरा अऊ, बदनगढ़, सोन गांव, कुचावटी के गांव जो मूल ग्रास फार्मस थे और अब जिनमें मात्र बबूल ही रह गये हैं को पुनः ग्रास फार्म में परिवर्तित करा दिया जाये।

अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के छोटे से प्रयास को सफल बनावे और यदि संभव हो तो वन गाय और नील गायों में भी बधियाकरण-कार्यक्रम को अपनाया जाये। with full force I Would like to emphasize that a boundary wall of about 6 feet high and Gaushala Should be constrictal at Mandera.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री घासीलाल चौपड़ा।

टोडारायसिंह में आर. ई. सी. स्कीम के अन्तर्गत विद्युतिकरण

श्री घासीलाल चौपड़ा (टोड़ारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र टोडारायसिंह में आर. ई. सी. स्कीम स्वीकृत हुये 9 साल हो गये लेकिन अभी तक भी सिर्फ 58 गांवों में विद्युतीकरण हो पाया है। वर्ष 1989-90 में 17 गांव 1990-91 में 7 गांव, 1991-92 में 8 गांवों में विद्युतीकरण स्वीकृत हुआ लेकिन अभी तक 1989-90 में से सिर्फ 5 गांवों में ही

(श्री घासीलाल चौपड़ा)

विद्युतीकरण हो पाया है । तीन वर्षों में 30 गांवों में विद्युत स्वीकृत होने के बाद मात्र 5 गांवों में ही विद्युतीकरण हो पाया है । ग्राम हरिपुरा पंचायत मोरे भाटीयान जो कि अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव है वहां पर पोल खींचे हुए करीब 9 साल हो गये लेकिन तार नहीं खींचे गये यहां तक कि पिछले दो साल पूर्व ग्राम कूकड़, फालोलाव, पथराज खुर्द, पथराज कलां, नीमेड़ा, मूंड्यिा, नारेड़ा इन गांवों में पोलों पर तार उतार कर ले गये । इस मामले में मैंने सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग टोडारायसिंह से जानकारी चाही तो उसने सही जवाब नहीं दिया तथा तथ्य छुपाये । अभी पिछले हफ्ते एक जानकारी मिली कि एक आदमी चोरी से बिजली के तार ट्रैक्टर में लेकर आ रहा था, वह काकसू थाने में पकड़ा गया । इसमें विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण तारों की चोरी हुयी । अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पिछले 3 सालों में स्वीकृत किये गये सभी गांवों में विद्युतीकरण करवाया जावे तथा विद्युतीकरण में जो देरी हुयी उनके क्या कारण है ? इसकी जांच करवायी जावे व शेष बचे हुये गांवों को 1992-93 के वर्ष में विद्युतीकृत करवाने की कृपा करें तथा बावड़ी ग्राम को मालपुरा से 33 के. वी. की लाइन से जोड़ कर ग्राम बावड़ी में 33 के. वी. का सब स्टेशन बनाना भी इसी बजट में रखा जाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र गोयल ।

ब्यावर सीमेन्ट फैक्ट्री को पानी देने से निम्बाज क्षेत्र का पानी सूख जाने सम्बन्धी

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ग्राम निम्बाज से ब्यावर सीमेन्ट फैक्ट्री को व निम्बाज के आसपास के गांवों का जलस्तर सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन कर रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम निम्बाज में पिछले 10 साल पहले से ट्यूब वेल खोद कर पानी पाइप लाइन द्वारा ब्यावर सीमेण्ट फैक्ट्री को व ब्यावर की जनता पीने का पानी सप्लाई किया जाता है । जब से ट्यूब वैल खोद कर पानी ब्यावर को सप्लाई किया गया तब से लगातार अकाल पड़ रहा है । औसत से कम वर्षा होती है जिससे नदी नाले बिल्कुल नहीं आते, जिससे निम्बाज ग्राम के जो पहले कश्मीर था अब बिल्कुल सूख गया है । काश्तकारों के कुओं व आसपास के ग्राम आसरलाव, मोहराए, समोस्ली, सरगावास, खिनावड़ी, खेड़महाराजपुर, खेड़ादेवगढ़, फूलमाल, बाजागुढ़ी, बिरोल के सभी कुएं सूख गये हैं । जल स्तर 500 फीट नीचे चला गया है व 20 हजार की आबादी वाले गांव को किराये के कुएं से पानी निकाल कर दो दिन में एक बार पानी सप्लाई किया जाता है जिससे त्राहि-त्राहि मची हुयी है । यहां तक कि पीने का पानी भी मुहैया नहीं रहा है व उक्त 10 गांवों में फसल पैदा होने का सवाल ही नहीं है । इसलिये निवेदन है कि ब्यावर सीमेण्ट फैक्ट्री को निम्बाज से दिया जाने वाला पानी को अविलम्ब बन्द किया जाय व भविष्य में

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

ब्यावर को पानी देने हेतु नये ट्यूबवेल खोदने की भी अनुमति नहीं दी जावे व निम्बाज गांव को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार जल्दी से जल्दी पीने के पानी की क्या व्यवस्था कर रही है और व्यवस्था कर रही है तो कब तक पानी उपलब्ध करवा दिया जायेगा? निम्बाज के लोगों ने कई बार आन्दोलन भी किया, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि तुरन्त निम्बाज गांव को पानी मुहैया करवाने हेतु क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इसको अभी सदन में रिपोर्ट दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी निम्बाज गांव के पानी की बात कह रहे हैं। माननीय श्री किशन सोनगरा।

अजमेर सिंचाई प्रथम एवं द्वितीय खण्ड में अधिशेष के नार्म्स निर्धारित करने सम्बन्धी

श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सिंचाई विभाग द्वारा कथित आर्थिक कटौती के उद्देश्य से सिंचाई खण्ड प्रथम एवं द्वितीय अजमेर में कार्यरत कार्य प्रभारी कर्मचारियों की कुल स्ट्रेन्थ में से 70 प्रतिशत कार्यप्रभारी कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किया है। इस हेतु विभाग द्वारा जो नार्म्स बनाये गये हैं में एक तरफा कार्यवाही कर मनमाने तरीके से बनाये गये हैं। इसमें संशोधन कर्मचारियों के हित में नियमानुसार होने चाहिये।

सिंचाई खण्ड प्रथम व द्वितीय अजमेर द्वारा जो नार्म्स अधीक्षक अभियन्ता, वृत, अजमेर के माध्यम से बनाये जाकर स्वीकृत करवाये गये हैं में विभागीय पदोन्नति नियमों की अनदेखी कर कई पदों को समाप्त कर दिया गया है। जैसे पम्प चालक, सीनियर मिस्त्री, सुपरवाइजर आदि। इन पदों के समाप्त होने से भविष्य में अधिक पदोन्नति पर सदैव के लिये रोक लग गयी है व अधिकारियों की मनमानी से अब इस पदोन्नति नियमों का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः दुबारा नोर्म्स बनाये जाकर सभी पदों को उसमें सम्मिलित करवाने का कष्ट करावें।

अधिशेष किये गये कर्मचारियों को अन्य विभागों में भेजे जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। लेकिन इसमें कर्मचारियों के लिये कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है। अन्य विभागों में इनकी सेवा शर्तें क्या होगी, पेन्शन/पदोन्नति व अन्य लाभ कब व कैसे दिये जावेंगे। क्या कार्यप्रभारी पद पर की गयी सेवा भविष्य में नियमित पदों में नियमित की भांति सम्मिलित कर उसका लाभ प्रथम नियुक्ति तिथि से दिया जावेगा या नियमित पद पर पदस्थापन की दिनांक से ही लाभ देय होंगे?

इसी प्रकार पेन्शन आदि का लाभ सी. पी. एफ. जैसे कटौतियों का भुगतान/समायोजन की विधि क्या होगी? अनेकों ऐसे प्रमोशन हैं जिनका खुलासा होकर नियमावली बनाना नितान्त आवश्यक है, जो अभी तक नहीं बनायी गयी।

नियमानुसार प्रत्येक अधिशेष कर्मचारी को उनके अधिशेष होने की सूचना देना

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

अनिवार्य होता है व कर्मचारी की इच्छा जानना नियम के अन्तर्गत आता है किन्तु विभाग से आज तक किसी भी कर्मचारी से न तो ऑप्शन लिया है व नहीं उसे अधिशेष होने की सूचना दी है।

नोर्म्स का निर्धारण बिना किसी आधार/नीति के तहत किया गया है। यदि मूल आधार आर्थिक कटौती को माना जावे तो 10–12 वर्ष पूर्व व आज की स्थिति को तुलनात्मक दृष्टि से देखना नितान्त आवश्यक है। वर्ष 1977 में समूचे राजस्थान में कुल 7000 सिंचाई कार्यप्रभारी श्रमिक/कर्मचारी थे व एक मुख्य अभियन्ता, दो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद सहित तीन जिलों पर एक अधीक्षण अभियन्ता का पद हुआ करता था।

वर्ष 1989–90 में राजस्थान में कुल 12000 सिंचाई कार्यप्रभारी श्रमिक कर्मचारी थे। वर्तमान में 10 हजार श्रमिक रह गये हैं। इसके विपरीत सात मुख्य अभियन्ता प्रत्येक जिले में एक-एक अधीक्षण अभियन्ता व उसके अधीन प्रत्येक जिले में तीन या चार अधिशाषी अभियन्ता एवं 15–20 सहायक अभियन्ता व 60 से 80 तक कनिष्ठ अभियन्ता का सृजन हुआ है। इसके अनुरूप लिपिक व अन्य पदों में भी बढ़ोतरी हुई है, अर्थात् वर्ष 1977 से 1989-90 तक श्रमिकों की संख्या दुगनी होनी चाहिए लेकिन वह भी नहीं हो पायी है। इसके विपरीत अधिकारी वर्ग में यह बढ़ोतरी 700 प्रतिशत तक की गई व की जा रही है।

वर्तमान नार्म्स निर्धारण के बाद अब राजस्थान से 5000 श्रमिक/कर्मचारी अधिशेष कर विभाग से निकाले जा रहे हैं। जिनमें से सर्वाधिक अजमेर के श्रमिकों/कर्मचारियों को अधिशेष किया जा रहा है। यदि सी. ए. व सी. सी. ए. को आधार मानकर नार्म्स का निर्धारण किया गया है तो यह भी तर्कसंगत नहीं है। क्योंकि यदि इसे आधार माना जाता है तो वर्तमान सी. ए. व सी. सी. ए. के तहत एक जिले में मात्र एक सहायक अभियन्ता का पद ही बनता है। यहां यह कहना भी नितान्त आवश्यक है कि आर्थिक आधार पर एक डिवीजन का सृजन तब हुआ करता है जब उसे प्रति वर्ष 90 लाख रुपये आवंटित हो। अर्थात् 90 लाख रुपये प्रति वर्ष मिलने पर एक अधिशाषी अभियन्ता का पद स्वीकृत होता है पर वर्तमान में समूचे राजस्थान में एक दो डिवीजनों को छोड़कर शेष रहे सभी डिवीजनों को वार्षिक 20 से 30 लाख रुपये ही आवंटित होते हैं।

यदि एक वृत का खर्च सम्पूर्ण लिपिक व अन्य वर्ग सहित कनिष्ठ अभियन्ता से लेकर अधिक्षण अभियन्ता तक के समान खर्चों को जोड़ने पर व उस वृत पर कार्यरत कार्य प्रभारी कर्मचारियों पर होने वाले खर्चा की तुलनात्मक तालिका बनायी जाकर अवलोकन किया जावे तो उपरोक्त वर्णित वर्ग से कार्यप्रभारी वर्ग पर किये गये खर्च की तुलना में हजारों प्रतिशत खर्च ज्यादा आवेगा। ऐसी स्थिति में आर्थिक कटौती के आधार पर की जा रही कार्यवाही की सत्यता आपके सामने आ रही है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार कर आवश्यक दिशा निर्देश अधीक्षण अभियन्ता सहित अधिशाषी

(श्री श्रीकिशन सोनगरा)

अभियन्ता को देने का कष्ट करें ताकि श्रमिक शांति बनी रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री माहिर आजाद।

रोजगार हेतु विदेश गये लोगों की स्वदेश वापसी के समय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होना

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत झुन्झुनू, सीकर, चुरू, नागौर, सहित प्रदेश के अन्य जिलों से रोजगार हेतु विदेश गये लोगों की स्वदेश वापसी के समय दिल्ली, बम्बई व कलकत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण हो रही लूट व धोखे के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में गृह मंत्री महोदय की तवज्जोह चाहूंगा। (व्यवधान) पूरा पढ़ लूंगा तो आप कहेंगे सम्बन्धित है।

राजस्थान राज्य के हजारों लोग जिनमें विशेषकर झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर आदि जिलों से विदेश में रोजगार हेतु गये हुए हैं। जिनमें अधिकांशत, इराक, सऊदी अरब, दुबई, जोर्डन, मस्कट, हांगकांग, बैंकांक, थाईलैण्ड, सिंगापुर, नेपाल आदि जगह शामिल है।

राजस्थान के यह हजारों लोग अपना घर बार, आस औलाद व अपनी मातृभूमि व एशो आराम को छोड़कर रोजी रोटी कमाने हेतु अपने परिजनों से हजारों मील दूर रहकर काफी दुख-सुख झेलकर अपने लिए ही नहीं देश के लिए भी विदेशी मुद्रा कमाकर लाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब यह लोग स्वदेश लौटते हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर, तो कस्टम पुलिस आदि की जटिल औपचारिकताओं से जैसे-तैसे निपटते हैं तो फिर हवाई अड्डों से बाहर निकलते ही इनका शोषण, इनके साथ धोखा व इनकी लूट विभिन्न स्तरों पर प्रारम्भ हो जाती है।

इन मजदूरों में से अधिकांशतः अनपढ़ होते हैं इस कारण इन्हें भारी असुविधाओं व जोखिमों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले इन गरीब, बेसहारा मजदूरों, जिनमें अल्पसंख्यक भी काफी तादाद में हैं, केन्द्रीय व राज्य सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध व व्यवस्था नहीं है। जबकि उद्योगपतियों व बड़े व्यापारियों को हर प्रकार की सुविधा व सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इन दिनों तो स्थिति बद से बदतर हो गयी है।

दिनांक 13. 3. 92 को झुंझुनू जिले के मलसीसर कस्बे के श्री अब्दुल रजाक सिरोहा के 23 वर्षीय पुत्र श्री अख्तर और चुरू जिले के 21 वर्षीय सलीम इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने, कस्टम क्लीयर कराने व उसके नाम से हवाई उड्डे से टैक्सी बुक होने के प्रमाणों के बावजूद भी आज तक इन लोगों का कोई अता-पता नहीं है। वे अपने घर नहीं पहुचे हैं। इसी तरह चुरू व लाडनूं के भी 3–4 नवयुवक इसी महीने में लापता हो गये हैं।

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

इसी प्रकार विगत वर्ष जयपुर के पहाड़गंज निवासी एक नवयुवक सलीम की काठमाण्डू में हत्या कर दी गयी थी। माननीय गृहमन्त्रीजी, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लिखे जाने पर भी आज तक सन्तोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी व राजस्थान के गृह मन्त्रीजी से विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य के इन हजारों मजदूरों की लूट समाप्त करने व जान माल की हिफाजत के पर्याप्त प्रबन्ध करने व भारत सरकार को आवश्यक व्यवस्था कराने की मांग करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृहमंत्रीजी, कुछ कहेंगे ?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने सवाल उठाया उसका सीधा सम्बन्ध तो भारत सरकार से है, फिर भी चूंकी राजस्थान के प्रवासी जो बाहर से आते हैं और आने के बाद इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी लेकर अपने गांव आने की व्यवस्था करते हैं। कई शिकायतें इस प्रकार की आयी कि वे अपने गांव ही नहीं पहुंचे, रास्ते में कहीं उनको गायब कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार भारत सरकार को इस सम्बन्ध में लिखेगी और इसकी पूरी तरह से कोशिश करेगी कि इस तरह की घटनायें नहीं हों इसके लिए सुनिश्चित व्यवस्था करें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : इसको अपने स्तर पर भी तलाश करायें।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको सुनेंगे या आप ही कहेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : भारत सरकार राज्य सरकार को लिखेगी तो सारी बात आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

रावतभाटा-भैंसरोड़गढ़ से चित्तोड़गढ द्रुतगामी बस शुरू करने बाबत

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय यातायात मन्त्रीजी का ध्यान रावतभाटा भैंसरोड़गढ़ क्षेत्र की जनता को यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति मुख्यालय है। रावतभाटा अतिरिक्त तहसील है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के अन्दर हैं। रावतभाटा एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है जहां देश के कोने-कोने के लोग यहां के लोग यहां के प्रतिष्ठानों जैसे भारी पानी अणुशक्ति आदि में कार्यरत हैं। अकेले रावतभाटा की आबादी 40,000 से अधिक है, इसके अलावा अतिरिक्त तहसील की अधिकांश आबादी कृषक वर्ग की है। इन सबको निजी, व्यवसायिक एवं सरकारी काम काज से आये दिन अपने जिले मुख्यालय चित्तौड़गढ़ आना-जाना रहता है। रावतभाटा से चित्तौड़गढ़ की दूरी 137 कि. मी. है जिस पर एक भी द्रुतगामी बस चालू नहीं होने से क्षेत्र की जनता को 137 कि. मी. दूरी तय करने में 6–7 घण्टे लग जाते हैं। चित्तौड़गढ़ आने-जाने में तीन दिन लग जाते हैं, जो आज के युग में बड़ा कठिन है।

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

अतः क्षेत्रीय जनता की मांग है कि एक द्रुतगामी बस रावतभाटा से प्रातः 5.30 बजे प्रस्थान कर आफिस समय पर चित्तौड़गढ़ पहुंच जाय और सांय 5.30 बजे चित्तौड़गढ़ से प्रस्थान कर रावतभाटा उसी दिन पहुंच जाये।

मैं माननीय यातायात मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र रावतभाटा भैंससोड़गढ़ की जनता को द्रुतगामी बस चलाकर राहत पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त तहसील रावतभाटा के क्षेत्र कुंडाल के गांव रेनखेड़ा घौलाई-नीमपुरा की आबादी को बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुंडाल में एक बस एकलिंगपुरा के सुनेल के बीच चलती है जो एकलिंगपुरा रात्रि विश्राम करती है। इस बस को एकलिंगपुरा से बढ़ाकर रेनखेड़ा होते हुए बड़ोदिया तक बढ़ा दिया जावे तो रेनखेड़ा-घालाई भीमपुरा की जनता बस सुविधा से जुड़ सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दयाराम परमार।

खैरवाड़ा में रेफरल अस्पताल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय खैरवाड़ा में रेफरल अस्पताल नही होने से लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय का गांव खैरवाड़ा है और मुख्यालय होने से सभी प्रकार के सरकारी कार्यालय भी खैरवाड़ा में ही हैं। इसलिए सभी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी भी खैरवाड़ा में ही रहते हैं तथा भौगोलिक दृष्टि से खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के बिल्कुल मध्य में स्थित होने के कारण विभिन्न मार्गों से जुड़ा हुआ है जैसे खैरवाड़ा से रावी छाणी मार्ग, खैरवाड़ा से बावलवाड़ा सोम मार्ग, खैरवाड़ा से पाटिया झांझरी मार्ग, खैरवाड़ा से ठेलाना कल्याणपुर मार्ग और खैरवाड़ा से ऋषभदेव मार्ग आदि आदि। इसलिए सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र के लोग खैरवाड़ा में ही इलाज करवाने के लिए आते है। इसके साथ ही खैरवाड़ा नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर स्थित होने के कारण छोटी-मोटी दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं जो वहां आने वाले मरीजों का इलाज करना तो दूर रहा बल्कि डाक्टर उनको देख भी नहीं सकता है क्योंकि चिकित्सा सुविधा के नाम पर केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर एक, डाक्टर, एक कम्पाउण्डर एवं दो नर्सों के पद स्थापित है।

अतः मैं राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय खैरवाड़ा में एक रेफरल अस्पताल खोल जाय ताकि सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. चन्द्र भान।

शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन विकास के संबंध में

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन विकास के संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य का शेखावाटी अंचल झुंझुनू व सीकर जिले पर्यटन विकास की दृष्टि से विपुल संभावनाओं वाला क्षेत्र है। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि विदेशी पर्यटकों के आकर्षण के इस केन्द्र के पर्यटन विकास की राजस्थान सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा की जा रही है। पर्यटन विभाग ने शेखावाटी जोन के नाम से कुछ बड़ी परियोजनाएं बनाने के लिए कागजी कसरत तो की लेकिन नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं निकला। सन् 1992-93 के बजट प्रावधानों में भी राज्य के अन्य क्षेत्रों के पर्यटक विकास के लिए तो धनराशि का प्रावधान किया गया है तथा कुछ ठोस योजनाएं और घोषणाएं भी हुई हैं लेकिन शेखावाटी क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है जो समूचे झुंझुनू एवं सीकर जिले की जनता व पर्यटन, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के साथ घोर अन्याय किया है। राज्य सरकार द्वारा केवल एक आश्वासन दे दिया जाता है कि 8 वीं पचवर्षीय योजना के मद में केन्द्र सरकार से सहायता राशि प्राप्त होने पर इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक स्थलों का विकास किया जायेगा।

महोदय, झुंझुनू जिले का मण्डावा शहर पर्यटन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर तो है लेकिन राज्य सरकार के मानचित्र पर कहीं नहीं दिखाई देता है। राज्य के कुछ गिनती के ही शहर व कस्बे हैं जहां मण्डावा के बराबर संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं लेकिन राजस्थान सरकार के पर्यटन, कला व संस्कृति विभाग ने इस शहर के पर्यटन विकास हेतु कोई कार्य नहीं किया। वहां जो भी पर्यटन विकास के लिए थोड़ा बहुत कार्य हुआ है वह स्थानीय जनता ने स्वयं ने अपनी जनसहयोग से ही किया है। मण्डावा के अलावा बिसाऊ, नवलगढ़, झुंझुनू डूण्डलोद, महनसर, फतेहपुर और रामगढ़ शेखावाटी आदि कस्बों की हवेलियों के भित्ति-चित्र व कला कृतियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि की है जिनकी राज्य सरकार द्वारा विकास तो दूर रहा बल्कि सुरक्षा तक नहीं कर पा रही है सरकार। शेखावाटी को इन हवेलियों के अलावा सीकर के नजदीक का हर्ष पर्वत, खाटू श्यामजी, शाकम्भरी, जीण माता और लोहर्गल जैसे ऐतिहासिक स्थल है जहां भी देशी और विदेशी पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते हैं। इन स्थलों के विकास हेतु भी सरकार की ओर से कोई कार्य योजना नहीं है।

समूचा शेखावाटी क्षेत्र शान्तप्रिय क्षेत्र है तथा पर्यावरण भी अच्छा है इस लिए भी पर्यटक वहां घूमना पसन्द करते है।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे स्वयं एक बार समूचे शेखावाटी क्षेत्र

(डा. चन्द्रभान)

का अपने अधिकारियों के साथ दौरा करें और इस क्षेत्र के पर्यटन विकास हेतु कार्य योजना बनावें। उक्त कार्य योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार धनराशि का स्पष्ट प्रावधान करें तथा केन्द्र सरकार से भी इस कार्यक्रम और योजना के लिए हर सम्भव सहयोग प्राप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रभूदयाल बड़गूजर। (अनुपस्थित)

माननीय श्री रामेश्वर भारद्वाज।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगी बीच में टोकने के लिए। सत्तारूढ़ पार्टी के जो भी 295 के विशेष उल्लेख के प्रस्ताव आते हैं उनका तो जवाब मंत्री लोग फौरन खड़े होकर दे देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा तो नहीं है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा है, मैं देख रही हूं। मैं आपको फिर बता दूंगी....

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद जी का उत्तर दिया....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी माहिर आजाद जी का नहीं दिया जवाब ? कैसी बात कर रही है आप ? आप आरोप तब लगाईये जब आरोप की बात हो...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने आसन को सम्बोधन करके आसन से व्यवस्था मांगी है, जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय सदस्या को, मेरी समझ में नहीं आता, आपने इनको अधिकार दे दिया क्या जवाब देने का। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी जानकारी के लिए बता रही हूं माहिर आजाद का दिया है आप सो रही थीं आपने सुना नहीं। मेरी गलती नहीं है, अभी आपने सुना ही नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीया अरोड़ा जी, आसन को सम्बोधन कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बता रही हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरी तरफ देख कर आप क्यों कहती है आप उनकी तरफ देखिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब इनका संसदीय जीवन बहुत लम्बा है....

श्री हेतराम बेनीवाल : सदन में दो महिलायें है दोनों लड़ रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपस में बात करते हैं इनको लड़ाई नजर आती है। गलत बात है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरे पड़ोसी हैं इसलिए मुझे खतरा है।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान रख रहे हैं आपका। विराजिये अब आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जब मैं खड़ी हो गई हूं तो मैं यह कहना चाहूंगी की 295 में मेरा भी नाम है। मुझे दुख है आपने मेरा नाम नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप। 295 एक सदस्य का होता है, दो नाम हीं नहीं होते हैं।

शास्त्रीनगर, जयपुर में हाउसिंग बोर्ड के पांचों सेक्टरों में भयंकर समस्या के संबंध में

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर के हाऊसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर के पांचों सेक्टरों में सड़क, मिट्टी एवं नालियों से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में मैं स्वायत शासन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाऊसिंग बोर्ड शास्त्रीनगर के पांचों सेक्टरों में 1973 के बाद एक भी सड़क एवं नाली की मरम्मत नहीं हुई। वहां के हालत ऐसी है कि वाहन तो क्या आदमी का पैदल चलना मुश्किल है।

नालियों की हालत ऐसी है रोज गन्दा पानी ऊपर से बहकर सड़क पर आ जाता है उसके कारण वहां से नागरिकों का आना जाना कठिन हो जाता है। यदि नागरिक पैदल चल रहे हैं और कोई वाहन पास से निकल जाय तो सभी के कपड़े गन्दे हो जाते है यदि किसी को काम से जाना है। अपने काम पर या नौकरी पर जा रहा हो तो ऐसी हालत में उसको कितना कष्ट होता है, वही समझ सकता है।

सड़कों की दशा ऐसी है, कोई सी भी सड़क का आप निरीक्षण करवावें तभी पता लगेगा। इस समस्या का यदि तत्काल निराकरण नहीं हुआ तो जनता उद्वेलित होगी जिसकी जवाबदारी विभाग की होगी। वहां की मिट्टी हटाकर वहां सड़के बनावें, वहां की नालियों का निर्माण कराने का आदेश दें।

मैंने अनेक बार इस समस्या की ओर माननीय मन्त्रीजी का व विभाग का ध्यान आकृष्ट किया है। सम्बधित अधिकारीगण को भी आपके सामने बिठाकर इस समस्या की चर्चा की है परन्तु मेरी यह शिकायत है कि अधिकारियों ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया यदि यही व्यावहार आगे भी चालू रहा तो जनता को कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा जो उचित नहीं होगा। ऐसी संवेदनशील सरकार के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी।

हाऊसिंग बोर्ड की जब योजना बनाई उस समय उसके पास से एक 150 फीट की रोड़ बनाई गई ताकि यातायात सुगमता से चल सके एवं शहर के अन्दर से वाहनों का दबाव कम हो। इसके लिए भी यह महत्वपूर्ण रोड है। उस पर भी लोगों ने कब्जे कर लिए है। इस कारण वहां मिट्टी प्रतिदिन टीलों से खिस कर सड़कों पर आ जाती है। ये मिट्टी न खिसके उसके लिए कार्य करना चाहिये। वहां से लोगों को हटाकर इस सड़क का निर्माण

(श्री रामेश्वर भारद्वाज)

कराकर इस समस्या से वहां के निवासियों को राहत दिलाई जाय। वहां के नागरिकों ने सरकार की योजना के अन्तर्गत ही पूरे पैसे देकर सरकार से मकान लिये हैं। इस कारण उन्हें राहत देना सरकार का सीधा दायित्व है। मैं आपके माध्यम से इस समस्या का शीघ्रतिशीघ्र समाधान करने का आग्रह अपेक्षा करता हूं कि इस अत्यन्त लोक महत्व की इस मेरी मांग पर उत्तर देकर कब तक इस समस्या का निदान करेंगे। खेद है कि दो वर्ष के बजट में इस क्षेत्र के लिए न हीं हाऊसिंग बोर्ड और न ही जे. डी. ए. ने अपना सहयोग किया है। यहां के निवासियों का उक्त मिट्टी में से निकल कर जाना असम्भव है। यह मिट्टी केवल हाऊसिंग बोर्ड तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह मिट्टी नाहरी का नाका, चन्द्र शेखर कालोनी, सीकर हाउस, पेन्टर कालोनी, सुदामा कालोनी से लेकर चांदपोल दरवाजे तक आ रही है। इसको उठाने का तत्काल प्रबन्ध नहीं किया गया तो वहां की जनता का मानस जो आन्दोलित हो रहा है वह क्या स्वरूप धारण करेगा, यह कहना मुश्किल है। आप इसके परिणाम से अवगत हैं। अब दोनों ही विभाग मन्त्री महोदय के पास हैं। अधिकारी वर्ग यदि सहयोग दे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उक्त क्षेत्र की सड़कों के रख रखाव का पैसा यहां शीघ्र लगाये जाने के निर्देश दें। साथ ही नालियों में मिट्टी भर गयी हैं और टूट-फूट हो गयी है, उसकी सफाई व सुधार के लिए तथा जो मिट्टी सड़कों पर आयी हुई है और समस्त कालोनी में छायी हुई है उसके उठाये जाने का प्रबन्ध कराने का निर्देश दें जिससे वहां का जन जीवन सामान्य हो सके। वहां के पार्कों का भी विकास करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। माननीय मन्त्रीजी से मैं इस सम्बन्ध में जवाब चाहूंगा।

(1.00 मध्याह्न)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामस्वरूप मीणा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में मिट्टी आ जाने से बेहद परेशानी हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, इस समय मन्त्री जी नहीं हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मन्त्रीजी तो जवाब देने के नाम पर चले गये, हम क्या करें क्योंकि मैंने खड़े होकर कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक है, विराजिये आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पता नहीं क्या एलर्जी हो गयी?

श्री उपाध्यक्ष : वह आप जानो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप एक काम करें, इन सबकी एलर्जी टैस्ट कराएं, कि इन मन्त्रियों को काहे-काहे से एलर्जी है काम करने से एलर्जी है, या सुनने से एलर्जी है, समझ में नहीं आता। क्या मुसीबत है। जन जीवन से

(104)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जुड़े हुये प्रश्न समझ कर उत्तर देने की बजाय यहां से गायब हो जायं, कितनी शर्म की बात है। मिट्टी में कोई वाहन चल नहीं सकता, आदमी चल नहीं सकता। धूल उड़ती है। सड़कों की बुरी हालत है। लोग परेशान हैं। जवाब देने की बजाय मन्त्री महोदय यहां से खिसक गये, खेद है।

श्री उपाध्यक्ष : अब ठीक है, आपने काफी बोल लिया। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, मैं भी बोल रहा हूं, एक साथ ही जवाब दे देना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां वरिष्ठ मन्त्री बैठे हैं, कोई इसी विभाग के मन्त्री आवश्यक नहीं है। उनको कन्वे होता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वे दूसरा बता रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप यह देखिये, दुखी होकर यह बात कही हैं, मैंने अन्तर्वेदना से बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अरोड़ा जी, बिराजिये। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बैठे थे मन्त्री महोदय, मेरे खड़े होते ही खिसक गये। क्या मतलब हुआ ? और आप उनका बचाव कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराज जाइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर इतना अनाथ हो गया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : शिकायत सुन ली, दो बार रिपीट कर दी। बात तो कही है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जयपुर वह है जो सबको शरण देता है। इसको अनाथ बनाकर रखा हुआ है, अफसोस की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मीणा जी।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान राजस्थान में सड़कों की तरफ दिलाना चाहता हूं। सड़कें तो जाने ठीक होंगी नहीं होंगी लेकिन, मंत्री महोदय, आप हमारी बात तो कम से कम सुनने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बात क्यों नहीं कह रहे हो ? क्यों भूमिका बना रहे हो ? मन्त्री जी यहां बैठे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : वे बगैर नम्बर ही इतना बोल गये....

श्री उपाध्यक्ष : ये सारे माननीय सदस्य गलत ही पढ़ते हैं ? आप अकेले ही बोलना जानते हो क्या ? इतने वरिष्ठ सदस्य भी पढ़ते हैं, आप पढ़ते क्यों नहीं हो ?

श्री रामस्वरूप मीणा : वे बगैर नम्बर ही इतना बोल गये, मैं तो अभी बोलने लगा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़िये आप। मना कौन रहा है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : बोल रहा हूं, साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सड़कों पर जो स्पीड ब्रेकर बना दिये गये हैं, उनसे ज्यादातर एक्सीडेण्ट होते हैं। मन्त्री महोदय, आप कम से कम इस बारे में अवश्य आश्वस्त करें कि जो स्पीड ब्रेकर गलत बना दिये गये हैं कब तक आप उनको हटा रहे हैं ? ठीक है, राजस्थान की बात आप सुनना नहीं चाहते हैं, मैं मेरे जिले की कह देता हूं। जिले की बात भी आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ माननीय सदस्यों के लिए अलग ही प्रकार के नियम चाहिए। वे अपने आप को स्पेशल घोषित करना चाहते हैं। बोल क्यों नहीं रहे हो आप ? मैं पढ़ना बन्द करा दूंगा। बोलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : ठीक है, मैं बांचना शुरू कर देता हूं। राजस्थान की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेरे क्षेत्र की ही बात कह रहा हूं। मेरे क्षेत्र का ही काम कर देना, चलो राजस्थान का मत करो। खाली मेरे क्षेत्र की आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह 295 है, क्या है ?

श्री रामस्वरूप मीणा : राजस्थान के लिए मैंने कह दी स्पीड ब्रेकरों वाली समस्या, आप कर देना।

टोडाभीम में अधूरी सड़कों को पूरा करने बाबत

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में हिन्दुस्तान का माना हुआ तीर्थ स्थान है। वहां पर सड़कों का अभाव है। जो एस. सी., एस. टी. का क्षेत्र है, जब से नयी सरकार बनी है तब से, जितनी अधूरी सड़कें पड़ी हुई थी, सरकार ने उनमें एक भी इंच काम नहीं कराया। नयी सड़कों का जो प्रावधान है उनका बनना तो दूर रहा। जब अधूरी पूरी नहीं हुई तो मैं उनके बारे में क्या निवेदन करूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे निम्नांकित सड़कें अधूरी पड़ी हैं कृपया उनको पूर्ण कराने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम हिन्दुस्तान के श्री महावीर जी तीर्थ स्थान के बारे में, जिस बारे में सदन में बहुत चर्चा हुई थी, निवेदन करना चाहूंगा कि महावीर जी से नांगल टोडाभीम होती हुई सड़क पर मिट्टी डाल दी गई है, रोड़ी बगल में पड़ी हुई है, तीन साल से उसको पूरा नहीं किया गया है। यह सड़क सीधी नेशनल हाई वे से मिलाती है। इससे 60 किलोमीटर की दूरी का अन्तर पड़ता है। यात्रियों को हिण्डौन होकर जाना पड़ता है। अगर यह सड़क बन गई तो 60 किलोमीटर का अन्तर कम हो जायेगा और सीधी नेशनल हाई वे से मेहंदीपुर बालाजी में आकर मिल जायेगी। पहली मांग।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मेहंदीपुर बालाजी से पंचायत साकरवाड़ा, जो मेरा गांव भी है और पंचायत हैड क्वार्टर भी, वहां से केवल 4 किलोमीटर दूर है।

106

(श्री रामस्वरूप मीणा)

हिन्दुस्तान के माने हुए तीर्थ स्थान मेहंदीपुर बालाजी को पंचायत हैड क्वार्टर से आज तक सड़क से नहीं जोड़ा गया है। मात्र मिट्टी और रोड़ी डाल कर उस सड़क को छोड़ दिया गया है। यात्रियों को पंचायत हैड क्वार्टर पर पांवों से जाना पड़ता है, तब लोग पैदल जाकर वहां पहुंचते हैं। इसलिए मेरा, मन्त्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आप इस अधूरी सड़क को, जो तीन हजार की आबादी के गांव और पंचायत हैड क्वार्टर को जोड़ती है, पूरा कराने का कष्ट करें।

तीसरी मेरी मांग है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि टोडाभीम से खेड़कड़ी गांव, जो पंचायत हैडक्वार्टर है, सड़क अधूरी पड़ी है, उसको पूरा कराने का कष्ट करें।

चौथी मेरी मांग है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि मातासूला रोड पर रोड़ी डाल कर छोड़ दिया गया है। उसे आप कृपया पूर्ण कराएं।

पांचवी मेरी मांग है कि मनकपुरा नेशनल हाई वे से दो किलोमीटर दूर है। उसको दो किलोमीटर बना दिया जाय तो यह गांव नेशनल हाई वे से जुड़ सकता है। कृपया आप इसको पूरा कराएं।

छठा, एदलपुर सड़क अधूरी पड़ी हुई है, उस पर मिट्टी डाल दी गई है। उसे कृपया आप पूरा कराने का कष्ट करें।

सबसे महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के माने हुए तीर्थ स्थान मेहंदीपुर बालाजी के बाई पास के बारे में जब से विधान सभा शुरू हुई है, मैं बार-बार आपके माध्यम से मांग करता आया हूं। कई बार तो दुर्घनाएं हो गयीं। राजस्थान रोडवेज की बसों को मन्दिर से आगे से होकर जाना पड़ता है। चार-चार घण्टे तक ट्रैफिक जाम रहता है। कई यात्री मर चुके हैं। पूर्व में उदाहरण पेश कर दिये गये हैं। आपने पहले भी कहा था। अब मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है, इस बाई-पास को कब तक बना रहे हैं?

इसके बाद मेरी आठवीं मांग है....

श्री उपाध्यक्ष : मांगें ज्यादा आ जाएंगी।

श्री रामस्वरूप मीणा : गुड़ाचन्द्र जी से लालसर सड़क की। पूर्व में इस सड़क पर अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है। एस. सी., एस. टी. के गांव है, पंचायत हैड क्वार्टर है। कृपया आप इस सड़क को पूरा कराएं।

नवीं मेरी मांग है कि कसला सड़क महावीरजी रोड से पंचायत हैड क्वार्टर को जोड़ती है, उसे भी पूरा कराएं।

गुडाचन्द्र जी को टोडाभीम से जो रोड गई है उस पर पहले से ही डामर है, लेकिन गुड़ाचन्द्र जी के पास, होस्टल के पास जो नदी आती है उस नदी के कारण यातायात अवरुद्ध रहता है। कृपया आप उस पर पुलिया बनवाने का कष्ट करें। अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका अधिक समय नहीं लेता हुआ राजस्थान के बारे में पहले ही निवेदन कर दिया, मेरे क्षेत्र के

(श्री रामस्वरूप मीणा)

बारे में, मेरे गांव के बारे में, मेहंदीपुर के तीर्थ स्थान के बारे में, जो सड़कों की समस्या है.... कृपया आप इसको हल करें। क्योंकि आप कहते थे कि सड़क पर कोई खड्डा पड़ता है तो मेरे हृदय पर खड्डा पड़ता है। तो मंत्री महोदय आपके हृदय पर खड्डा पड़ा है। आप कम से कम अधूरी सड़कों को पूरा करवा दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जो, बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर स्पीड-ब्रेकर्स को हटवा दो तो कम से कम जो रोज़ाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, इस सम्बन्ध में आज ही सदन में आश्वासन दें....।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय हरीशजी कुमावत।

नावां तहसील क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु अपूर्ण कार्यों को पूरा करने बाबत.

श्री हरीश कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, नावां तहसील क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को हल करने के पेंडिग कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय बोलना चाहते थे लेकिन आपका तरीका ऐसा था। अब नहीं बोलेंगे। मेरा कोई हुक्म नहीं चलता है। अब आप बिराजें। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : एक तीर्थ स्थान के बारे में घोषणा नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) आपने एक भी रोड आज तक नहीं बनाई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश जी कुमावत। माननीय रामस्वरूप जी बैठिये। आपका व्यवहार अशोभनीय है। कृपया बिराज जायं। अच्छा नहीं है।

श्री हरीश कुमावत : उपाध्यक्ष महोदय, गर्मी का मौसम प्रारम्भ हो चुका है। इस मौसम में पेयजल सम्बन्धी उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु निम्न कार्य शीघ्र कराये जाने आवश्यक हैं :–

(1) ग्राम जीणवार, चारणवास, बबलीगुढ़ा, मंगलपुरा, मीलाल, छापरी, ठठाना, रेबासा, दसेलपुरा, शिव व लाम्बा में निर्मित कुओं को शीघ्र गहरा कराया जावे।

(2) लूणना–सीरसी, पलाड़ा, उगरपुरा, पदमपुरा में नये कुएं निर्माण शीघ्र कराये जावें। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय अजमेर में दिनांक 25.1.92 से स्वीकृति पेंडिग पड़ी है। इसी प्रकार 26.1.92 को नावां तहसील क्षेत्र में 120 कुओं को गहरे कराने के प्रस्ताव भेजे गये हैं। स्वीकृति अभी जारी नहीं हुई है। स्वीकृति शीघ्र जारी कर काम चालू कराया जाय।

(3) गोविन्दी, राजास, लूणावा की ढाणी, खाण्डा की ढाणी में पानी की कमी की वजह से सप्लाई नहीं हो रही है

(108)

(श्री हरीश कुमावत)

राजास के कुएं को गहरा करा कर बीचड़ी बनाई जाय। बोरिंग करने से लाभ नहीं होगा। ठीकरिया कला में बने 3 नलकूपों को शीघ्र चालू कराया जाय।

(4) मारोठ की पुनर्गठन योजना अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता कार्यालय में स्वीकृति हेतु भेजी हुई है। शीघ्र स्वीकृत करा कर कार्य कराया जाय। भोपाल नामक खारे पानी के कुएं पर सरकारी विद्युत मोटर लगी है। जल प्रदाय विभाग के सुपुर्द बावड़ी नामक बड़े नलकूप में यह मोटर हस्तान्तरित कर दी जाय तो भी तात्कालिक आंशिक राहत प्राप्त हो सकती है। इस योजना की क्रियान्विति के लिए जन सहयोग भी गांव वाले देने को तैयार हैं। उनका सहयोग लिया जाकर शीघ्र समाधान किया जावे। इस ग्राम में हैण्ड पम्प की स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु दिसम्बर, 1991 से अभी तक नहीं लगाया गया है इसको शीघ्र लगवाया जाय। गुर्जरों की ढाणी में स्थिति सौर ऊर्जा उपकरण भी काफी लम्बे अर्से से खराब व बन्द पड़े हुये हैं, उसे भी शीघ्र ठीक कराया जाय।

(5) बबली से बुढ़ा पाइप लाइन डाली जा चुकी है। उसको बबली से चालू कर पानी दिया जाय।

(6) भीण्डा ठीकरिया के ट्यूबवैल को शीघ्र चालू कर ठीकरिया में पानी सप्लाई किया जाय। गांव में जी.एल.आर. जिसका कार्य चालू है, शीघ्र बनाया जाय।

(7) मुआणा में राजलिया से पाइप लाइन द्वारा पानी सप्लाई नहीं हो सकता। मुआणा में ही दुर्गा माता जी के मन्दिर के पास स्थित कुएं पर पम्प मोटर लगाकर मुआणा गांव को पानी दिया जा सकता है। राजलिया से डाली जाने वाली पाइप लाइन का इसमें उपयोग लिया जाय।

(8) अधीक्षण अभियन्ता, सहायक अभियन्ता इस भीषणतम समय में गांवों में चालू योजनाओं का निरीक्षण मौके पर जाकर देखें तथा गांव वालों की सलाहनुसार व्यावहारिक रूप से उनका समाधान करावे। इसमें जन-प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाय।

(9) कुचामन शहर तथा नावां शहर की पुनर्गठन योजना 26-11-90 से हुडको योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता कार्यालय मे पेंडिंग पड़ी है। शीघ्र स्वीकार की जाकर कार्य कराया जाय।

(10) ग्राम चौसला के कुएं को गहरा जाय तथा ऊंचाई पर जी.एल.आर. निर्माण कर दोनों बस्तियों को पानी सप्लाई किया जाय।

(11) जिन गांवों में अभी तत्काल व्यवस्था करना सम्भव नहीं हो, अभी से गत वर्ष की भांति टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।

(12) "तीस जिला तीस काम" योजना में नावां तहसील में पेयजल योजना के स्वीकृत कार्य शीघ्र पूरे कराये जाय।

(13) ग्राम श्यामगढ़ की मालियों की ढाणी में पाइप लाइन डाली जानी है जिसका कई बार आश्वासन दिया गया है

(श्री हरीश कुमावत)

अब एक किलोमीटर पाइप लाइन डाली जानी है, इसको शीघ्र पूरा कराया जाय।

(14) ग्राम भाटीपुरा, लखनपुरा, सांकड़िया, धौलपुरा, सूरतपुरा नये राजस्व गांव हैं जहां पीने का पानी अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है विभाग हर बार यह कहता है कि योजना का कार्य शीघ्र पूरा कर दिया जायेगा और पानी दे दिया जायेगा। जो गांवाई कूप है, वहां उपलब्ध है, वहां शीघ्र पीने का पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु इसको हाथ में लेकर पानी सप्लाई किया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान विशेष तौर पर इसलिये दिलाना चाहता हूं कि इन दिनों कई जगह मोटर जल जाती है, और 15-15 दिन तक ठीक करा के नहीं लगाई जाती है। इसलिये विशेषकर उनको निर्देश दिये जाय कि जहां भी मोटर खराब होती है, 5 दिन में ठीक करा कर उन्हें पानी सप्लाई किया जाय और जो पेंडिंग कार्य है, उनको शीघ्र पूरा कराने से हमारे यहां गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई ठीक हो सकती है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

गंगानगर के विभिन्न क्षेत्रों में गन्दे एवं बरसाती पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होना

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा गंगानगर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गन्दे एवं बरसाती पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होने से आम लोगों को हो रही असुविधा की ओर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार से है। शहर में बरसात के पानी एवं गंदे पानी के निकास की पूर्ण व्यवस्था नहीं है। गुरूनानक बस्ती के खड्डों में से गन्दे पानी को समय-समय पर पम्प-आउट किया जाता है। इस बस्ती के खड्डों में अतिक्रमी अतिक्रमण कर नीचे की सतह पर मकान बनाकर रहते हैं। बरसात के दिनों में जिला प्रशासन, नगर परिषद् तथा नगर विकास न्यास द्वारा बड़े पम्प तथा मोटर लगा कर खड्डों के पानी को पम्प-आउट किया जाता है। फिर भी इन लोगों के मकान में पानी आता है जिससे इनका नुकसान होना स्वाभाविक है। इस बस्ती के गन्दे पानी की समस्या नगर विकास न्यास द्वारा तैयार की जा रही योजना से हल हो जावेगी। इस योजना से अशोक नगर, नागपाल कालोनी, हाउसिंग बोर्ड आदि का पानी भी इन क्षेत्रों में नहीं आयेगा तो समस्या स्वतः ही हल हो जायेगी। पुरानी आबादी के गन्दे पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था हेतु नगर परिषद् द्वारा योजना तैयार कराई जा रही है। नगर परिषद् की योजना तैयार करने के निर्देश भी दे दिये गये हैं। यह सही है कि नगर विकास न्यास की योजना यथा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जवाहर नगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, अशोक नगर और नया चक में भी पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। नगर विकास न्यास द्वारा अपनी योजना श्याम नगर के अतिरिक्त गन्दे पानी के निकासी हेतु मुरब्बा नम्बर 25 चक, छट्टई-छोटी में जमीन अधिग्रहीत की है। जवाहर नगर, अशोक नगर में गन्दे पानी की निकासी हेतु निविदाएं भी आमन्त्रित की जा चुकी है। यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफेसर केदार नाथजी शर्मा।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्री गंगानगर) : मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने मेरे ध्याना-कर्षण प्रस्ताव का जवाब दिया है, कुछ तो ठीक है, वैसे उन्होंने वस्तुस्थिति को टच किया हैं। अब जहां आबादी शायद दो-ढाई लाख के नजदीक है, जिले का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट शहर है, इण्टरनेशनल बोर्डर पर है और पंजाब की बोर्डर पर है। इसकी अहमियत इसलिये बढ़ जाती है कि तीन एम. एल. ए.–संगरिया के एम. एल. ए. माननीय बेनीवालजी की वहीं रिहायश है, केसरीसिंहपुर के एम. एल. ए. की वहीं रिहायश है, उनकी रिहायश उस इलाके में जो डेंजरस जोन है। इस गन्दे पानी का सबसे बुरा असर उस इलाके पर पड़ता है जहां हमारे केसरीसिंहपुर के एम. एल. ए. साहब की रिहायश है।

मान्यवर, यह ठीक है कि हाईकोर्ट के स्टे आर्डर वहां पर है। एक बार वेकेट हो गया फिर दुबारा स्टे आर्डर मिल गया। आपने जमीन को एक्वायर करने के लिये चार नोटिस देकर जमीन का पजेशन तो ले नहीं पाये, इससे पहले स्टे आर्डर आ गया और सूरतगढ़ सड़क से, यह ठीक है, आपने कब्जा भी ले लिया। पुरानी आबादी का कब्जा अभी लेना है। अवार्ड हुआ नहीं, बिना अवार्ड हुए कब्जा मिल नहीं सकता। इसलिये मेरा यह कहना है कि हाई कोर्ट में ऐसे केसेज में स्पेशल वकील आप नियुक्त करेंगे तो काम बनेगा। जो आलरेडी वकील हैं, उन पर वर्क लोड इतना है, वे पैरवी करते नहीं है और उनकी इण्टेग्रिटी भी डाउटफुल है। कई लोगों की इण्टेग्रिटी भी डाउटफुल है। इसलिये लगातार स्टे आर्डर तीन साल से हैं।

मान्यवर, पिछले साल गन्दे पानी का सही निकास नहीं होने के कारण जो पीने की पाइप लाइन है, उसमें पेनिट्रेट कर गया। जो इण्टेस्टाइन रोग होता है, 10-12 बच्चे पीलिया रोग से मर गये, और कम से कम दो-ढाई हजार परिवार पीलिया रोग से ग्रसित हो गए। शहरी इलाके में बहुत बड़ी मायूसी पैदा हो गई।

मान्यवर, यह यही पानी नहीं है, शुगर फैक्टरी का पानी और आता है जो बहुत ही पोल्यूटेड पानी है उसकी गैस बहुत बड़ी बड़ी इर्रीटेटिंग और फाउल गैस है और जब उसका रुख बदलता है तो शहर में एक बहुत बड़ी बेचैनी पैदा हो जाती है। वह भी हमारे यहां एक बीमारी है। इसलिए, मान्यवर, इसके पहले कि हाई कोर्ट का स्टे वेकेंट हो, आपको इस फील्ड में वर्क करने हैं

(श्री केदारनाथ शर्मा)

एक तो खड्डे की कैपेसिटी बढ़ानी है। ड्रेन जब बनी थी तब 25 हजार की आबादी थी और आज आबादी 2-2.50 लाख की है। इसलिए ड्रेन की कैपेसिटी बढ़ायें और वहां पर इन्स्टाल करावें, ट्रांसफार्मर वहां लगाना है, जो वाटर कोर्सेज को बाहर खेतों में ले जाता है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। जब बारिश होती है बैकलैश करता है। बैकलेश करने से आस-पास जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं वहां पर कम से कम 4-5 हजार झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जिनमें ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग, मजदूर लोग रहते हैं। काफी नुकसान हुआ है। उनको दो साल में मुआवजा भी नहीं दिया। इसलिए हमेशा बैकलैश होने से उनकी सारी की सारी झुग्गी झोंपड़ियां डेस्ट्राय हो जाती हैं। ऐसी ही पुरानी आबादी है उसमें भी आपको काफी समय लगेगा जमीन एक्वायर करने में। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो पम्प आउट कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। एक तो उनकी कैपेसिटी बढ़ायें।

मान्यवर, जो खड्डे हैं, सिल्ट है। इनकी कैपेसिटी बिल्कुल कंफाइन्ड टेबल तक आ गई है। कब्जे तो नहीं हुए हैं। कब्जे तो जो पहले हुए थे उनको निकाल दिया, कब्जे हटा दिए। अब नये कब्जे वहां पर नहीं हो रहे हैं। इसलिए यह बहुत बड़ा सीरियस मसला है। इस शहर में इतनी बीमारियां हुई, इतना नुकसान हुआ और आज आप देखिये कि इस शहर को बसे हुए 50 साल हो गए। मैं तो इस शहर के बसने से पहले पैदा हुआ हूं और मुझे बहुत चिन्ता है। मंत्री जी अगर आप यहां ड्रेनेज की स्कीम बना दें तो मेरी उम्र में तो इतना सोचूंगा कि मेरे मरने से पहले ड्रेनेज स्कीम बन गई। मैं मंत्री रहा हूं। मैं स्वयं भी इस काम को नहीं करा पाया। माननीय श्री इन्दौरा जी जो सदस्य हैं वह भी मंत्री रहे हैं। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं, प्रोफेसर साहब तब तो देर से ही पूरा करेंगे। अगर आप इसका इन्तजार कर रहे हैं तो?

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं भी मंत्री रहा हूं, मैं भी इसका समाधान नहीं कर पाया। इसलिए यह कोई ओवर नाइट समस्या नहीं है जो पैदा हो गई। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। मैं आपकी रिप्लाई सुन रहा था। निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो आप फण्ड ईयर मार्क कर दें। यह टोटल 3 करोड़ की स्कीम है। अब न तो यू.आई.टी. के पास फण्ड है और न म्यूनिसिपेलिटी के पास, उनके पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और बाकी कौनसा महकमा बचा। हाउसिंग बोर्ड की दो कालोनी बनाई है, उनकी हालत तो बहुत खराब है। उन कालोनीज के पानी की वहां पर निकासी नहीं है। पिट्स बैकलैश करते हैं, बैकलैश करने से घरों में पानी फैल जाता है।

मान्यवर, आप समय दीजिए। इस सैशन के बाद एक दिन आप और आपके चीफ इंजीनियर्स, एक्सपोर्ट्स बैठ कर अगर कोई लेवल करना है तो लेवल कर दीजिए, ग्रॉफ बदलना है तो वह बदल दीजिए। हमें ऐतराज नहीं है। सूरतगढ़ में तो पानी तय कर दिया है। पुरानी आबादी है, बस्तियां

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हैं उनमें पानी की निकासी तय करना है, रास्ता है आप नेगोसियेशन करके तय कर दें। हाई कोर्ट के फैसले में तो देर लगेगी। पुरानी आबादी में कोई झगड़ा नहीं है। आप नेगोसियेशन से तय कर सकते हैं। कम से कम एक दिन वहां पर आप ठहरेंगे, सारे आफिसर्स आपके साथ होंगे, फिजिकल एग्जामिन टेक्निकली कर लेंगे। कुछ पैसा भी आप ईयर मार्क कर दें। कम से कम एक करोड़ रुपया देने की आज आप घोषणा कर दीजिए। हाई कोर्ट का स्टे वेकेट वाला काम आपको करना है और बरसात से पहले आपको काम करने हैं वह काम तो शुरू हो जायं ताकि लोगों में यह विश्वास तो हो। यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेतराम जी बैनीवाल।

श्री हेतराम बैनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही बात कही है कि गंगानगर शहर के आस-पास में हम 3 विधान सभा सदस्य रहते हैं। इस शहर का नाम जो गंगानगर है वह वास्तव में लोग इसे गंदा नगर कहते हैं। इसकी वजह यह है कि 20–25 हजार की आबादी का जब यह शहर था तो दोनों तरफ ईंट भट्टे निकालने वाले भट्टे थे उनके चारों तरफ पूरी आबादी बस गई और पानी की निकासी की व्यवस्था थी वह उन ईंट भट्टों के जो खड्डे थे उनमें पानी इकट्ठा होता था फिर बाहर निकाला जाता था। मेरा एक तो माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस मामले में जो उन्होंने स्कीम बनाई है सूरतगढ़ की तरफ पानी निकालने की। यह फिर फैल होगी। क्यों फैल होगी? एक बार पहले बनाई, जिस पर यू.आई.टी. ने एक करोड़ रुपये के लगभग राशि खर्च की थी, बड़े-बड़े नाले बनाये और नाले बनाकर इसका पानी निकालने की योजना बनाई। उसकी शिकायतें बहुत हुई पर जांच नहीं हुई। उसका सारा पैसा बर्बाद चला गया। यह आपने जो गुरुनानक बस्ती, इन्दिरा कालोनी और जवाहर नगर कालोनी बनाई, उनमें पानी निकालने की जो योजना थी वह बीच में रह गई और वह टूट गई। मंत्री जी अब अगर दुबारा योजना बना रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं मौके पर पहुंचे, इंजीनियर्स को साथ ले जायं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, राजनीति यह है कि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले पूरी तरह से हमको जमीन मिल गई और जो भूमि मिली वह बहुत कीमती है, 10 15 लाख बीघे की जमीन है। इसलिए बड़े मालदार लोगों ने, मैन्यूप्लेशन करके, अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके उस जमीन को नहीं लेने दिया और हाई कोर्ट में चले गए। अब आप स्वयं वहां मौके पर पहुंचे, चाहे पैसा हमारा कितना ही लगे लेकिन उस भूमि को लें।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर का जो दूसरा हिस्सा है उस तरफ शुगर फैक्टरी है और दूसरी कपड़ा फैक्ट्री है उन दोनों का गंदा पानी और एसेडिक पानी निकलता है। जो पुराने गांव में जाता है। वहां पर आपको जमीन मिल सकती है। वहां जमीन कीमती नहीं है। अब आप जल्दी नहीं करेंगे तो हो

(श्री हेतराम बेनीवाल)

सकता है कि वह जमीन भी आपको नहीं मिले। उस जमीन को लेकर जब तक इस पानी को बाहर निकालने का काम नहीं करेंगे यह दो-ढाई लाख का शहर है पूरा पानी बाहर निकलता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियां, हरिजन बस्तियां हैं वह शहर के बीच में आ जाती हैं और शहर के बीच में अगर एक इंच पानी बरस जाय तो 3–4 फीट पानी चढ़ जाता है। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में....

श्री उपाध्यक्ष : इतना लम्बा मत करिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं चाहूंगा कि जवाहर नगर योजना है उस योजना में जो कुछ प्लाट बचे हुये हैं वहां माडर्न कालोनी और बना सकते हैं। उसका सारा पैसा डाइवर्ट करके और अपने विभाग की तरफ से कुछ पैसा डाइवर्ट करके कुछ पैसे का इन्तजाम करें जिससे यह काम हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण मामला इस सदन के माध्यम से उठाया है। गंगानगर शहर की स्थापना जब हुई उस समय मात्र 20–25 हजार की आबादी का छोटा-सा कस्बा था परन्तु जैसे-जैसे आबादी बढ़ती गई तो करीबन सारे शहर का पानी जिन बस्तियों में हम रहते थे उस समय वह कच्ची बस्तियां थीं उनके खड्डों में वह पानी जाता था। और पानी उन्हीं खड्डों में इकट्ठा होता रहा। उसका कारण यह हुआ कि 5–6 वार्ड, 8-9-10-11-12 आदि सारा स्लम एरिया हो गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इतना वातावरण खराब हो गया कि आप सुबह पीतल के बर्तन को उठा कर देखें तो हरी-हरी काई उसमें आ जाती है तो आप अन्दाज लगा लीजिए कि शरीर पर उसका क्या असर होगा? 1988 में स्कीम बनाई गई पानी को लिफ्ट करके निकालने की और पानी खेतों में देने की। क्योंकि पानी बहुत कीमती है, गन्दा पानी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन कालोनियों में हम तीनों माननीय सदस्य रहते हैं और खास कर जिस कालोनी में मैं रहता हूं, वहां सारी आबादी 8–9 वार्डों के करीबन हरिजन वार्ड्स हैं, वीकर सैक्शन के वार्ड है, सारे शहर का पानी वहीं आता है। पहले तो हम यह सोचते थे कि गन्दगी का सारा ढेर हमारे पर ही हो रहा है लेकिन डेढ़ साल से जिस प्रकार से डेनसिटी थी, जो ए, बी, सी, डी, क्लास उस समय बसाये गये थे उनके हालात भी ऐसे खराब हो गये कि जगह-जगह नाले टूट गये, खड्डे पड़े हैं। हरिजन बस्तियों की हालत तो छोड़ दीजिए, मेरे मौहल्ले में भी जहां मैं एक मंत्री की हैसियत से और एम. एल. ए. की हैसियत से भी रह रहा हूं, वहां पर कूड़ेकरकट के ढेर लगे रहते हैं। नगरपालिका से कहते हैं तो उनके पास पैसे नहीं हैं। सोर्स आफ इन्कम यू. आई. टी. के पास चला गया, सफाई और गन्दगी को हटाने का काम नगरपालिका के पास रह गया। तो इस प्रकार

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

की जो व्यवस्था है उसके कारण से नेचुअरली वहां पर पिछले साल महामारी फैली 12–13 बच्चे मर गए और बहुत से बच्चों को दाखिल करवाना पड़ा। माननीय मंत्री जी के पास पी. एच. ई. डी. विभाग भी है। वहां पर गन्दे पानी और पीने के पानी का एक साथ कनेक्शन हो गया जिसके कारण से बस्तियों में, हरिजन बस्तियों में लोगों को गन्दा पानी पीने को मिल रहा हैं। माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस पानी को निकालने के किए, मैं कोई ब्लेम नहीं लगा रहा हूं। मैं तो आपको सुझाव के तौर पर कह रहा हूं कि गंगानगर को यदि गन्दगी से बचाना है, क्योंकि हरिजन बस्तियां तो पहले ही गन्दगी से तबाह हो रही हैं लेकिन सवर्ण बस्तियां, जो हमारे अच्छे ब्लाक्स थे, जहां लोग आसानी से रह सकते थे वहां की भी हालत यह है कि वहां पर आप निकल नहीं सकते। आबादी बढ़ गई है। एग्रीकल्चर लैण्ड पर मकान बन गए हैं। नई-नई आबादियां बन गई हैं। संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जिस प्रकार से पहले जो स्कीम बनी थी सूरतगढ़ की तरफ पानी ले जाने की वहां पानी जाना मुश्किल है क्योंकि वहां लो लेवल नहीं है इसलिए शुगर मिल का पानी वहां आता है। 8, 9, 10, की गुणनांक बस्ती में जिस प्रकार जवाब में दिया है वहां से पानी लिफ्ट करके दो-तीन किलोमीटर, की एक कैनाल चैनल बना दी जाए और कैनाल चैनल में पानी लिफ्ट करके डाल दिया जाए। उस पानी को जितने उस एरिया में खेत पड़ते हैं उनको बेचा भी जा सकता है, उनको दिया भी जा सकता है। तो इस तरह की स्कीम बनाएं, हाई कोर्ट में स्टे है, उस स्टे को तुड़वाने की कोशिश कीजिए क्योंकि यह कम से कम दो लाख लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है। आज गंगानगर के बजाय गन्दानगर हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय इन्दौरा जी काफी कह दिया है। माननीय मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की यह समस्या है वास्तव में यह बड़ी गम्भीर समस्या है। जब से गंगानगर का निर्माण हुआ इस गन्दे पानी को निकालने के लिए एक नाला जरूर बना पर अन्तिम डिस्पोजल कहां किया, उस समय क्योंकि आबादी कम थी तो खुले खेत में उनको छोड़ दिया गया। आज भी वहां कुछ खड्डे हैं। उन खड्डों में यह पानी इकट्ठा होता है और वहां से फिर पम्प आउट करके इस गन्दे पानी को बेचा जाता है। तो बरसात के अलावा तो ज्यादा समस्या नहीं आती क्योंकि वह गन्दा पानी बिकता रहता है, पानी की आवश्यकता रहती है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : वहां भी मोनोपोली है। पानी नहीं उठाते तो उससे पानी वहीं रहता है। आप आगे सिस्टम बनाएगें तो पानी सभी लोग लेंगे। आज वही पर मोनोपोली है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, अभी आपने सुझाव दिया है मैं वही निवेदन करता हूं। जो वर्तमान व्यवस्था है जिससे परेशानी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पैदा होती है उसका मैं विवरण दे रहा हूं। तो उन खड्डों में जाने के बाद जो आस-पास के खेत हैं वह उस पानी को लेते हैं, खरीदते हैं, उनको देते रहते हैं। लेकिन इधर जो नई कालोनी बसी है, नया गंगानगर जो बना है जहां एक खेत आता है। वहां से तो पानी चला जाता है लेकिन आगे पानी देने के लिए जब तक हम को खेत में रास्ता नहीं मिले तब तक यह कठिनाई है। उसके लिए एक्वीजिशन की कार्यवाही चल रही है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और उसके कारण से हम उसको एक्वायर नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक तो निवेदन करूंगा कि जैसा आपने सुझाव दिया कि एक कोई योग्य वकील, अगर कोई इसको ठीक से नहीं देख रहा है तो योग्य वकील करें। उसकी देख रेख के लिए अधिकारी लगा देंगे यह भी सही है लेकिन यदि आप भी उस व्यक्ति को किसी भी तरह नगोशिएट करके इस बात के लिए राजी कर लें और जो उचित कीमत आप समझते हैं वह निर्धारित कर दें तो मैं समझता हूं इसका समाधान आसानी से कर लेंगे। यह दोनों ही काम करना लाभकारी होगा। अब माननीय सदस्य इधर जो पुरानी आबादी का मामला है यहां जो केदार नगर, आपके नाम पर भी एक नजर है, वहां पर गन्दगी ज्यादा रहती है यानी खड्डे वहीं हैं, उन खड्डों के कारण पानी वहां इकट्ठा होता है। दोनों तरफ ही खड्डे हैं। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि इन खड्डों में भी सिल्ट इकट्ठा हुआ और यह भर गए तो लोगों ने मकान बना लिए। हमारा पाइंट यह है कि एनक्रोचमेंट है उस पर भी दबाव यह रहा होगा कि इन लोगों को बसाने दिया जाए जो बस गए उनको रेगुलर करो। अब वह किसी न किसी प्रकार से रेगुलर भी हो गए। तो उन्होंने एक जगह जहां पानी फैलाने के लिए जगह थी वह भी रूक गई। अब इस स्थिति में हम यही कर सकते हैं कि एक्वीजिशन अगर हो जाए तो जल्दी से तो यह काम हल हो सकता है। उसके लिए मैं भी कोशिश करता हूं, विभाग भी कोशिश करेगा और आप भी करेंगे। और अगर पम्प छोटा है जिस कारण पूरा पानी नहीं निकल सकता है तो यह भी व्यवस्था की जा सकती है कि पूरा पानी निकालने की क्षमता वाला पम्प वहां लगा दिया जाए। जहां तक पुरानी आबादी का सवाल है वहां आस-पास में अभी कोई ऐसी जमीन नहीं है। तो मैंने नगरपालिका को यह निर्देश दिए हैं कि आप वहां के लिये यदि खर्चे की जरूरत हो तो हुडको से लोन लें। हुडको में एक शर्त लगाई जाती है कि जो कामर्शियल होता है उसी को वह देते हैं। जो कर्जा दिया जाएगा, जो रूपया लगेगा उसकी वापसी की क्या गारण्टी है यह एक सवाल उसमें रहता है। सौभाग्य से यह प्राब्लम यहां नहीं है।

श्री केदारनाथ शर्मा : गारण्टी तो स्टेट गवर्नमेंट देती है।

श्री भंवरलाल शर्मा : गारण्टी तो दे ही देंगे। सौभाग्य से यहां वह प्राब्लम इसलिए नहीं है कि पानी बेचते हैं। तो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह तो स्कीम ही पानी बेच कर लाभ कमाने की है। इसलिए मैं समझता हूं कि हुडकों में भी हम इसको क्लियर कराने में सफल हो जाएगें। यू. आई. टी. ने जो टैण्डर दिया है वह 7 अप्रैल, को उनके टैण्डर आने की तारीख है। उसके बाद मैं समझता हूं कि कुछ तो समाधान इससे कर देंगे, कुछ हुडको से करेंगे, कुछ आपकी मदद मिलेगी तो इस समस्या का समाधान करेंगे। यह समस्या बड़ी जटिल है। यह हम सब मिल कर लगेंगे। तो समस्या दूर हो सकती है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जनरल सफाई के बारे में माननीय मन्त्री महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित कहां है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं समझा नहीं काहे के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : मतलब जनरल शहर में गन्दगी रहती है उसकी....

श्री हीरालाल इन्दौरा : शहर में जो गन्दगी रहती है, कूड़ा करकट गिरा रहता है। नगरपालिका के पास पैसा नहीं है आप उसको पैसा दीजिए ताकि मौहल्लों की सफाई हो। कम से कम कूड़ा तो उठे।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बंशीलाल जी पटवा, सदस्य, विधान सभा, भीलवाड़ा में श्रम विभाग द्वारा लेबर कालोनी वहां की नगर परिषद् को नहीं सौंपे जाने से उसके सम्पूर्ण विकास में अवरोध आने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

भीलवाड़ा में श्रम विभाग द्वारा लेबर कालोनी नगर परिषद् को नहीं सौंपे जाने सम्बन्धी

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : भीलवाड़ा, लेबर कालोनी की समस्या से जुड़े हुए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री बाबूलाल खाडा (श्रम राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर परिषद् के क्षेत्र में श्रमिकों के लिए 500 भवनों के निर्माण केन्द्रीय सरकार की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1956-57 में कराया गया था। इस योजना के लिए सिवाय चक भूमि जिलाधीश, भीलवाड़ा द्वारा श्रम विभाग के नाम आवंटित की गई थी तथा भवनों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। यह भवन पूर्व में श्रमिकों को किराए पर दिए गये थे तथा बाद में केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार श्रमिकों को इनका स्वामित्व दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए। तब से निरन्तर नगर परिषद्, भीलवाड़ा ही इस कालोनी का रख रखाव करती आ रही है। तथा उस क्षेत्र में सफाई, पेयजल अथवा विद्युत

(श्री बाबूलाल खांडा)

की कोई शिकायत श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद्, भीलवाड़ा का उत्तर भी लिया है जो संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि आयुक्त, नगर परिषद् ने यह मत व्यक्त किया है कि नगर परिषद्, भीलवाड़ा अपने नागरिकों की शहरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। इस कालोनी में नियमित सफाई की व्यवस्था नगर परिषद् द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं इस कालोनी में सड़कों और नालियों के निर्माण तथा वास्तविक सब्जी मण्डी के सुधार के लिए नगर परिषद् ने दो लाख रुपए से ज्यादा के कार्य स्वीकार किए हैं और कार्य अभी चालू होने जा रहे हैं। उक्त उत्तर से यह स्थिति स्पष्ट होगी नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं का नगर परिषद्, भीलवाड़ा ध्यान रख रही है। तथा वहां निरन्तर सफाई एवम् अन्य कार्य उस क्षेत्र में कर रही है। आयुक्त, नगर परिषद् ने अपने इस उत्तर में यह व्यक्त किया है कि क्योंकि यह सम्पत्ति श्रम विभाग की है फिर भी नगर परिषद् अपने नागरिकों की भलाई के लिए पूरी तरह जगरूक है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि वर्ष 1956-57 में राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के अनुदान जिन श्रम कालोनियों का निर्माण राजस्थान में विभिन्न औद्योगिक नगरों में करवाया गया था उसके बाबत ऐसी कोई समस्याएं या आवेदन आज तक श्रम विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। यह श्रम विभाग की सम्पत्ति है तथा इसे नगर परिषद् को हस्तान्तरित कर दिया जाए। स्थिति तो यह है कि जो भी इस प्रकार की सार्वजनिक आवासीय योजनाएं बनती हैं। वह यदि नगर परिषद् के क्षेत्र में है तो नगर परिषद् अथवा यदि नगर विन्यास न्यास के क्षेत्र में है तो नगर विन्यास न्यास उन क्षेत्रों का विकास करती है तथा उनका रख रखाव करती है नगर परिषद् सफाई इत्यादि करती है। हाउस टैक्स व अन्य कर लेती है श्रम विभाग के पास इस प्रकार की न तो कोई योजनाएं हैं और न ही उनके क्षेत्र द्वारा किसी कालोनी का रख रखाव कराया जाता है। यह भी तथ्य है कि आज तक किसी भी नगर परिषद् यहां तक कि भीलवाड़ा, नगर परिषद् का कोई पत्र ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है कि श्रम कालोनी के रख रखाव के लिए इसका हस्तान्तरण नगर परिषद् के नाम कर दिया जाए। अब क्योंकि नगर परिषद्, भीलवाड़ा के आयुक्त ने अपने उत्तर में, जो कि संलग्न है यह भी अंकन किया है कि श्रम विभाग इसे उनको हस्तान्तरित कर दे इस सम्बन्ध में लेख है कि श्रम विभाग को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी किन्तु इसके लिये, जो भी प्रक्रिया है उसे विधिवत् अपना कर अग्रिम कार्यवाही कर ली जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : पटवा सहाब ! आपका उत्तर तो आ गया है, सन्तोषप्रद है।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर पर्याप्त नहीं है इसमें कई जगह इन्होंने इफ और बट लगा दिये हैं। प्रक्रिया अपनायेंगे और सम्पत्ति अपनी मानी है वहां हालत क्या है ? मैं

(श्री बंशीलाल पटवा)

अर्ज करूं । वह तो ओब्लीगेटरी काम करवा रहे हैं हम लोग । उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का उत्तर आया है वह बहुत स्पष्ट नहीं है और विभाग की लोकेलिटी है इन्होंने अपनी सम्पत्ति भीलवाड़ा लेबर कालोनी को माना है आज नगर परिषद् एक इन्च स्क्रिप लैण्ड को लेकर वेच नहीं सकती और सन् 1956 और 1957 में यह लेबर कालोनी बनी । पांच सौ क्वार्टर हैं । दो केटैगिरीज है । 1983 में जब मैंने हाउस में मामला उठाया और 1983 के बाद यह निर्णय लिया गया कि ये क्वाटर्स जो मजदूर श्रमिक रहते हैं उनको दे दिया जाये । उसमें भी करीब सवा तीन सौ क्वार्टर तो इन्होंने अलोट कर दिये और आज जो गरीब और कमजोर वर्ग का लेबर है जिसको छंटनी में निकाल दिया गया या वह बूढ़ा हो चुका है, काम करने लायक नहीं है वह नौकरी छोड़ कर अपने घर बैठा है । तो पोने दो सौ ऐसे गांव हैं उसमें से मुश्किल से 20-25 लोग ऐसे होंगे जो दूसरे लोग उन क्वार्ट्स में बैठे हैं । आज दिन तक एक ऐसी सख्त व्यवस्था की गई इफ और वट लगा दिया बाकी लोगों को तो दे दिये जो उनको आवंटित नहीं किये जा रहे हैं । लेबर कालोनी पर श्रम विभाग भुजंग बन कर बैठा है । सन् 1974 में जब कौउन्सिल में मैं चेयरमैन था तो ओब्लीगेटरी उस समय भी हमने वर्क करवाये और वहां पर आज भी कौउन्सिल ओब्लीगेटरी ही कुछ कामों को हाथ में ले रही है दो लाख रुपये हम लोग लगवायेंगे, क्या ऊंट के मुंह में जीरा । पांच सौ क्वाटर्स की एक लम्बी चौड़ी कालोनी है, आस पास में एग्रीकल्चर लैण्ड है उस पर बस्तियां बस गई और इसके साथ-साथ कुछ उद्योग भी लगे हुये हैं । सारे उद्योगों का पानी, एग्रीकल्चर लैण्ड पर बने हुये मकान है, उनका पानी, लेबर कोलोनी में आकर एकत्रित हो जाता है । 1956 और 1957 की नालियां बनी हुई है । 35 वर्ष हो चुके हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करूं यह स्थिति है कि मकानों के सामने लैटरीन्स हैं और लेटरीन्स के जितने सेफ्टी टैंक हैं उनमें मलवा जम चुका है । जो लेबर है वह वहां पर खाना खा नहीं सकती कीड़े तिलमिला रहे हैं, सफाई की दृष्टि से हम लोग प्रयत्न करते हैं, कौउन्सिल हमारी प्रयत्न करती है लेकिन जब तक यह श्रम विभाग इस लोकेलिटी को कौउन्सिल को विधिवत् नही सौंपेगा तब तक न तो हम उसका विकास कर सकते हैं । और इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाने की बात की है उस प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं स्थिति यह है कि यह प्रक्रिया तो लम्बी अवधि से चल रही है लेकिन आज दिन तक इस तरह का नहीं हुआ और जैसा वक्तव्य में कहा गया कि नगर परिषद् की और नगर न्यास की जिम्मेदारी होती है । नगर न्यास तो सफाई करवाता ही नहीं है । नगर न्यास तो लोकेलिटी बनाता है, बच्चा पैदा करता है और परवरिश के लिए कौउन्सिल को सौंपता है । उसी तरह से लेबर विभाग का भी यह दायित्व था कि यह इस तरह सौंपे और नहीं सौंपेगे तो वहां सारी लाइबिलिटीज पूरी कैसे की जायेगी, विकास कैसे किया जायेगा यह स्थिति बड़ी दयनीय है । जैसा कहा गया कि सफाई हो रही है

(श्री बंशीलाल पटवा)

नारकीय जीवन नहीं बिताना पड़ता है। वहां जाकर देखें जब मालूम पड़ता है नारकीय जीवन उनको बिताना पड़ता है। जो कमजोर वर्ग के आदमी है, जो 35-35 वर्ष से वहां पर रह रहे हैं। नालियां जर्जरित हैं और जितने भी लेटरीन्स है उनको दुरुस्त नहीं करवाते। एक पैसा श्रम विभाग ने आज दिन तक नहीं लगाया अपनी सम्पत्ति मानते हुये। वहां पर एक लेबर वेलफेयर डिस्पेन्सरी चलती है। कल्याणकारी कार्यक्रम की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अहाता घेर रखा है तो मेरा निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री बंशीलाल पटवा : एक मिनट में कम्पलीट कर रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि पांच सौ क्वार्टर का मामला और यह उपाध्यक्ष महोदय, कमजोर वर्गों से जुड़ा हुआ है और जब तक नहीं सौंपेंगे विधिवत् और यह प्रक्रिया नहीं अपनायेंगे, मैं आपको बताऊं फिर अगला सैशन आयेगा तब तक नहीं सौंपेंगे। तो मेरा निवेदन है कि एक तो पोने दो सौ क्वाटर्स नहीं दिये गये। जो श्रमिक है चाहे वह मिल छोड़ कर चले गये हो, उनको निकाल दिया गया हो, छटनी कर दी गई हो, चाहे वह बूढ़े होने के कारण आज मान लो काम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन श्रमिक तो रहे हैं ना। जब श्रमिक रहे हैं तो उनको उस प्रक्रिया के तहत आवंटित कर दिया जाये और इसके साथ-साथ जो 20–25 लोग या 30 लोग जो इस तरह के बचते हैं तो उनको मार्केट रेट से दे दिया जाये तो कुछ न कुछ रास्ता तो निकले। रास्ते तो निकलते नहीं और वहां सारी स्थितियां खराब है। मैं आपको बताऊं कि वहां इर्द-गिर्द काफी ब्लेंक लैण्ड पड़ी हुई है उस पर एनक्रोचमेंट हो रहा है और श्रम विभाग कुछ नहीं करता। मिली भगत से ऐसी स्थितियां, सारी विषम परिस्थितियों में लोकेलिटी खड़ी हो गयी वहां पर न कोई व्यवस्थित विकास हो रहा है। आज कौउन्सिल को यदि पूरी लोकेलिटी और पोने दो सौ क्वाटर्स है उनके सहित सौंप दें और सौंपने के बाद यदि 50 लाख रुपये लगाने हो तो कौउन्सिल लगायेगा। मैं यह गारन्टी से कहता हूं लेकिन कम से कम लेबर डिपार्टमेंट अपनी लाइबिलिटी तो समझे। कभी इन्होंने कौउन्सिल को सौंपा नहीं, 1974 में मैं कौउन्सिल का प्रेसीडेन्ट रहा हूं, मैंने चर्चा की है, मैंने मांगा है लेकिन नहीं दिया। अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इसमें तो जानकारी नहीं है। इस तरह से स्थिति नहीं चलेगी मेरा एक निवेदन है, हम सरकार चलाते हैं तो कम से कम लेबर के प्रति और कमजोर वर्ग के प्रति हमारी लाइबलिटी महसूस करें और लाइबल रहें। मैं आपको अर्ज करू कि स्पष्ट स्थिति यह है कि मंत्री महोदय यह कहें कि यह कब तक हमको सौंप देंगे विथ लैण्ड क्योंकि इसमें इफ बट नहीं चलेगा। एक पैसा इन्होंने नहीं लगाया। कोलोनी कब तक सौंप दी जायेगी? पोने दो सौ क्वाटर्स जो रह गये हैं इसके बारे में क्या नीति तय करेंगे और जब तक यह नीति तय नहीं करेंगे, नहीं सौंपेंगे? आज और भी कई विकास के काम हो सकते हैं, जमीन पड़ी हुई है उसको बेचने से भी पैसा आ सकता है और लेबर कालोनी आप

(श्री बंशीलाल पटवा)

बहुत अच्छी बना सकते हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्पष्ट रूप से करें इक और बट वाली प्रक्रिया नहीं अपनायें। यह कब तक सौंप देंगे? 6 महीने बता दें, 6 महीने में तो सरकार है। मंत्री महोदय बैठे हैं, काम्पीटेन्ट आथोरिटीज हैं, मंत्री महोदय बैठे हैं, यह प्रक्रिया 6 महीने में तो पूरी करें। यह तो बता दें, कोई अवधि तो बता दें. जितना पैसा लगाना है लगायेंगे उसका विकास करेंगे ताकि कोई लैण्ड बेचे तो उसका भी हमको ....(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि इसको स्पष्ट करें और जब तक नहीं करेंगे तो मैं आपको बताऊं यह नारकीय जीवन गरीबों को बिताना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल कर लीजिए। मदन लाल सैनी।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : दो-तीन सवाल है। एक, सरकार नीतिगत रूप से यह मानती है कि क्या नगरपालिका को इनका स्वामित्व जमीन सहित दे देगी? दूसरा, यह देने की प्रक्रिया कब से चल रही है और इसमें इतना विलम्ब होने के कारण क्या रहे हैं? वहां अतिक्रमण के लिये किसी दोषी व्यक्ति पर जिम्मेदारी डाली जाकर उसके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जायेगी और जो मजदूरों के पास क्वाटर्स नहीं है, 175 क्वार्टर खाली पड़े हैं या किसी ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उनको हटा कर उन क्वाटर्स को मजदूरों को कब तक दे देंगे? भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है वहां पर मजदूरों के रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है इस बात को ध्यान मे रखते हुये क्या श्रम विभाग कोई नई आवासीय कालोनी का निर्माण करने की योजना बना रहा है?

श्री बाबूलाल खाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय पटवा जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने लेबर कोलोनी पर ध्यान दिया और मेरा ध्यान दिलवाया। उनकी जो चिन्ता है उससे मैं सहमत हूं लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है कि नगर परिषद्, भीलवाड़ा ने कभी अपने पक्ष में हस्तान्तरित करने के लिये कोई अर्जी दी हो, प्रस्ताव दिया हो। अब चूंकि जैसी जरूरत बताई है मैं चाहूंगा कि इसका हस्तान्तरण जल्दी से जल्दी हो और जिस दिन से उपायुक्त, नगर परिषद्, भीलवाड़ा प्रस्ताव भेज देगा, आवेदन कर देगा, उसके 15 दिन बाद ही कलक्टर और लेबर कमिश्नर की मीटिंग करवा दूंगा और जो प्रक्रिया हस्तान्तरण करने की है उसमें देरी नहीं होगी। मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पटवा साहब अब कोई शेष ही नहीं रहा है।

श्री बंशीलाल पटवा : कौंउन्सिल क्या आवेदन देगी। यह तो इनकी लाइबलिटी है।

श्री बाबूलाल खाण्डा : यह कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई श्रम विभाग को सूचना ही नहीं है। अब इन्होंने 15 दिन के लिये कहा है।

श्री मदनलाल सैनी : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो अलाटमेंट का बताया....

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या देना, आपका सारा आ गया है....(व्यवधान) अब तो पूरा

(श्री उपाध्यक्ष)

सौंप रहे हैं। कोई प्रश्न ही नहीं रहता, कालोनी पूरी आपको सौंप रहे हैं.... (व्यवधान) जो प्रोसीजर है उसको सारा फाल। करने के लिए कह दिया है।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री मांगीलाल मेघवाल।

याचिकाओं का उपस्थापन।

ग्राम गुडली पं. स. केशवराय पाटन जिला बूंदी में विद्यालय भवन व पानी की टंकी का निर्माण

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिला बूंदी, पंचायत समिति, केशवरायपाटन के ग्राम गुडली के विद्यालय भवन का निर्माण करने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं। जिला बूंदी पंचायत समिति, केशवरायपाटन के ग्राम गुडली में पानी की टंकी का निर्माण करवाये जाने बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

ग्राम जालेड़ा तहसील बूंदी को विद्युतीकृत घोषित किया जाना

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तहसील बूंदी के ग्राम जालेड़ा को विद्युतीकृत घोषित किये जाने बाबत 5 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

अनुपूरक अनुदान की मांग (द्वितीय संकलन) 1991-92

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य की प्रस्तुति

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3 करोड़ 52 लाख 26 हजार तक की राशि प्रदान की जाए।

मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 19–मुख्य शीर्षक लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए।

श्री रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) :

1. राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदीकुई का भवन निर्माण कार्य धीमी गति से चलने से हो रही असुविधा पर चर्चा के लिये।

श्री मनीराम सियाग (लूनकरणसर)

2. लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवता पर और अधिक निगरानी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क)

3. विभाग को जी व एच क्वाटर्स गांधीनगर में मेन्टीनेन्स हेतु दी गई राशि का उपयोग न कर बड़े अधिकारियों के राजकीय आवासों पर खर्च किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

4. गांधीनगर में जी व एच क्वार्टर्स में चार दीवारी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी)

5. फागी रेफरल अस्पताल भवन के बन्द पड़े निर्माण कार्य को करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

6. सार्वजनिक निर्माण में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क)

7. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय)

8. विभाग द्वारा चूरू स्थित भरतीया अस्पताल इन्दमणी पार्क, समाज कल्याण छात्रावास व लोहिया महाविद्यालय व महाविद्यालय छात्रावास की लम्बे समय से मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना)

9. मकराना डाक बंगला जो विभाग से बनाया जाने का होने पर भी ठेकेदार के द्वारा घटिया कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

10. मकराना विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण कार्यों में स्थिलता बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिण्डवाड़ा)

श्री गुलाब सिंह (सुमेरपुर)

11. सुमेरपुर में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन)

12. केशवरायपाटन क्षेत्र कापरेन एवं केशवरायपाटन पुलिस थानों के भवन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. केशवरायपाटन के लाखेरी नगर के रेफरल अस्पताल एवं केशवरायपाटन अस्पताल भवन निर्माण करवाकर समस्या का समाधान करने पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल)

14. किशनपोल क्षेत्र के विभाग के भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

15. स्वीकृत भवन निर्माण कार्य समय पर पूरे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 19 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रकाश बैरवा।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 19 लोक निर्माण के सम्बन्ध में मैं अपनी ओर से आपके माध्यम से दो शब्द कहूंगा। बड़े अफसोस की बात है कि जब राजस्थान में

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब गांवों के लोगों को, किसान और मजदूरों को बड़ी उम्मीदें थी लेकिन सारी आशाओं पर पानी फिर गया, इन लोगों ने जो किया राजस्थान के विकास के बारे में, सारे लोगों की आशाओं पर पानी फिर गया। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं इनके डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है, मैं नहीं कहता कि ये इसमें लिप्त होंगे लेकिन इनके अधिकारी लिप्त हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पी. डब्ल्यू. डी. के पंचम खण्ड जयपुर के अन्दर अधिशाषी अभियन्ता द्वारा दिनांक 17.3.91 से 17.12.91 के बीच भ्रष्टाचार किया, उसके बारे में बताना चाहता हूं। 17.3.91 से 17.12.91 के बीच करीब 12 ट्रक मथुरा रिफाइनरी से डामर के जयपुर में आना बताया गया है लेकिन वे ट्रक आज तक जयपुर नहीं पहुचे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ फैक्टस मेरे पास मौजूद हैं, मथुरा रिफाइनरी की रसीदें मेरे पास मौजूद है। जो ट्रक भरतपुर चैक पोस्ट से होकर गुजरते हैं, जैसे ही चैक पोस्ट से ट्रक डामर के या ड्रमों के गुजरते हैं, वाणिज्यिक कर विभाग की उस पर सील लगती है लेकिन आपके अधीनस्थ अधिकारी चाहे वह एक्स. ई. एन. हो, चाहे ए.इ.एन. हो, चाहे जे. इएन. हो, उनकी मिलीभगत से एक भी गाड़ी की एन्ट्री नहीं हुई। अगर गाड़ी की एन्ट्री होती तो निश्चित रूप से माल जयपुर पहुंचता लेकिन एक भी गाड़ी जयपुर में एन्ट्री नहीं हुई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयपुर में 17.3.91 को चालान नम्बर 9800 गेट पास नम्बर 5851 ट्रक व टैंकर नम्बर यूआरआर–1146 जिसकी मात्रा 9.620 एम. टी. बताया है, जयपुर में नहीं आई है। इसी प्रकार 25.4.91 को चालान नम्बर 94085, गेट पास नम्बर 9707, ट्रक नम्बर यूएचएम 9705 इसकी मात्रा 9,890 एम. टी. जो जयपुर में नहीं पहुंची। इसी प्रकार मेरे पास 17.3.91 से 17.12.91 तक 12 ट्रकों की रसीदें, चालान नम्बर, ट्रक नम्बर सारे मौजूद है। आप चाहे तो मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कांड का भण्डाफोड कब हुआ, जब इस घोटाले के अन्दर अधिशाषी अभियन्ता द्वारा स्टोर कीपर को एन्ट्री दर्ज करने के लिए कहा गया तो स्टोर कीपर ने मना कर दिया कि मैं फर्जी रसीदें एन्ट्री नहीं करूंगा। जब उसने मना कर दिया तो उस स्टोर कीपर के साथ बड़ी यातनाएं की गई। उसको वहां से हटा दिया गया। उसके बाद 98,000 रुपये या करीब एक लाख रुपये की मिसलेनियस के फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया और उसको वहां से 3 माह के अन्दर-अन्दर हटा दिया गया। यह घोटाला करीब 6 लाख रुपये का है। इस घोटाले के अन्दर पंचम खण्ड के अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता, तीनों इसमें सम्मिलित रूप से पैसे को हजम कर गये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन पूरे तथ्यों की जानकारी करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें और जो सरकार का पैसा हड़प कर गये, उसको वसूल किया जाय। इस पूरे केस को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दे दिया जाय जिससे कि पूरे तथ्यों का खुलासा हो सके।

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

इसी प्रकार मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में राजस्थान विधान सभा के अन्दर 200 सदस्य मंत्री सहित बैठते हैं। आपके जिला खण्ड प्रथम में क्या हो रहा है ? विधायकों को दिये जाने वाले सामान में क्या हो रहा है ? बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है.... (व्यवधान) विधायकों के लिए दिये जाने वाले सामान की पर्चेजिंग में क्या हो रहा है ? एक डाइनिंग टेबल और डाइनिंग टेबल की चेयर 850 रुपये की, जिसकी कीमत मार्केट में 150 रुपये है। मंत्रीजी आप अगर चाहे तो सारे टेण्डर उन कुर्सियों के चैक कर लें। 200 रुपये के अन्दर-अन्दर मैं आपको दिलवा सकता हूं। राजस्थान में कई फर्मे है और उससे बढ़िया कुर्सियां मिलती है लेकिन उनकी कीमत 850 रुपये। डाइनिंग टेबल की कीमत 2500 और 3000 रुपये के बीच। एक-एक पलंग की कीमत देखिये, सोफा की कीमत देखिये, क्या हो रहा है। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को निवेदन किया था, लिखकर भी दिया था कि इतना फर्जीवाड़ा विधायकों को दिये जाने वाले सामान में किया जा रहा है क्योंकि पिछले बार विधायकों को सामान देने को जो राशि 20,000 रुपये दी थी, अब 25,000 रुपये कर दी गई। तो अब 25,000 रुपये की कीमत में भी पहले से सामान कम मिलेगा। कारण 800 रुपये की कुर्सी आपने एक विधायक को 6 टेबिलों को देकर कुल 5-6 हजार रुपये की डाइनिंग टेबिल की चेयर होती है उनकी कीमत मुश्किल से 1000–1200 रुपये होगी लेकिन उनकी कीमत 5,000 रुपये है। मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखकर दिया है। अध्यक्ष महोदय ने गृह समिति के अध्यक्ष को लिखकर दिया लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। इससे मुझे लगता है कि गृह समिति के अध्यक्ष भी उनसे भ्रष्टाचार में मिले हुए है। जांच नहीं हुई, आज 6 महीने से ज्यादा हो गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधायकों को जो सामान दिया जा रहा है, उसमें फर्जीवाड़े की, भ्रष्टाचार की जांच की जाय और किस-किसने कितना-कितना भ्रष्टाचार किया है, इसको आप देखें।

श्री उपाध्यक्ष : गृह समिति के अध्यक्ष नहीं है। वे इसका उत्तर दे देंगे।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि फागी, रेफरल अस्पताल के अन्दर काम रुका हुआ है और इस काम के पीछे....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तो आपने कल भी कह दिया था....।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आज इस मांग के बीच में इसमें बताना चाहता हूं कि इसके चैक नम्बर भी मेरे पास है जो बना हुआ है, शायद आज तक इसका भुगतान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यह ठेकेदार का मेरे पास प्रार्थना पत्र है। वहां मैं खुद मौके पर गया था, गांव के 5–7 व्यक्ति सरपंच, प्रधान जी और सारे लोग मेरे साथ थे। हमने मौका देखा, काम ठेकेदार ने बहुत बढ़िया किया है लेकिन उसको पेमेन्ट क्यों नहीं किया। इसके पहले मैंने कल निवेदन किया था, मैंने आपको लिखकर भी दिया है कि 5

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

प्रतिशत कमीशन आपके विभाग के अधिकारी मांग रहे हैं जिसकी वजह से वह काम 20-2-92 से बंद पड़ा है। 20-2-92 को जब हम खुद मौके पर गये, तो उस दिन काम चल रहा था लेकिन ठेकेदार ने कहा कि मैं आज काम बंद कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने जो काम किया है, मुझे आज तक भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान क्यों नहीं किया गया इसका कारण तो क्या होगा लेकिन उसके चैक नम्बर मेरे पास है। चैक भर भी दिया गया लेकिन अगले को भुगतान नहीं किया गया। चैक का नम्बर आप नोट कर लें। चैक नम्बर 836247 है लेकिन उस गरीब ठेकेदार को आज तक भुगतान नहीं किया गया और 20-2-92 से वह काम बंद पड़ा है। मैं निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में आप सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। काम को चालू करावें और इसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को निलम्बित करें।

(2.00 म. प.)

मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर मैंने 131 के अन्तर्गत एक प्रश्न लगाया था। उस प्रश्न का मुझे आपने जवाब दिया है कि 4 किलोमीटर रोड वाटिका से फतेहपुरा तक बनेगी क्योंकि वहां पर सत्यधाम का एक मन्दिर है। वहां तक एक रोड बनाने की इच्छा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने पूर्व में खेड़ा हनुमान जी जिसे विश्व प्रसिद्ध मंदिर कह सकता हूं, जयपुर जिले में इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं। खेड़ा हनुमान जी को सारे विधायक जानते होंगे, सारे जयपुर जिले के लोग जानते होंगे, राजस्थान के लोग जानते होंगे। मैंने आपको 3 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी थी। उसका आपने मुझे जवाब दिया है कि इसकी उपादेयता की जांच करवा रहे हैं। मैं उसकी उपादेयता की जांच करवा रहा हूं। मैं कहता हूं मंगलवार, शनिवार को वहां लाखों लोग जाते हैं। जयपुर के गोविन्ददेवजी के मुकाबले वहां यात्री जाते हैं लेकिन उस मंदिर के लिए रोड बनाने हेतु आपने एक पैसा खर्च नहीं किया और सत्यधाम की मैं कहता हूं कि वहां पर 100 आदमी भी साल में नहीं जाते होंगे जिसके लिए आप 12 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह केन्सिल होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि वह भी बननी चाहिये लेकिन खेड़ा हनुमानजी और दामड़िया के भैरूजी के मंदिर जहां पर साल में 2–3 बार मेले लगते हैं, लाखों लोग जहां मंगलवार, शनिवार को जाते हैं, ऐसी जगह पर आप सड़क निर्माण नहीं करा रहे हैं। क्योंकि वे कांग्रेस विधायक के क्षेत्र में हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 बड़े मंदिर हैं। द्वारकानाथजी समेलिया में, जहां पर साल में दो बार मेला लगता है, खेड़ा हनुमानजी में मंगलवार और शनिवार को मेला लगता है। तापड़िया के भैरूजी में जो पंचायत हैड क्वार्टर भी है वहां भी साल में दो बार बहुत बड़ा मेला लगता है। मेरा निवेदन है कि इन तीनों जगह पर आप रोड बनायें। वहां पंचायतें भी जुड़ेंगी और उसके साथ लाखों यात्री जो पैदल परेशान होते हैं उनको भी लाभ होगा। इसलिए वहां पर आप सड़कों की व्यवस्था कीजिए। मेरा निवेदन है कि तीनों मंदिर आपकी नीति के मुताबिक, जैसा आपने मेरे 131 के

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

प्रस्ताव के जवाब में लिखा है कि मैंने एक घोषणा की थी कि मंदिरों को सड़कों से जोड़ना हैं, उसके तहत यदि आपकी पार्टी के विधायकों के यहां करना चाहते हैं तो मैं अपनी ओर से कहता हूं कि तीनों मंदिरों के लिए भी आप सड़क के लिए व्यवस्था कराइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैंने इस सम्बन्ध में आपको पहले एक निवेदन किया था, आपके चीफ इंजीनियर ने भी आपको लिखकर दिया था वाटिका से फतेहपुरा तक के मामले में मैंने कहा था कि इस सड़क को घुमाव देकर बनाया जा रहा है मंत्री जी के आदेश से। मैं आपको कहना चाहता हूं रोड के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : कौन-सा रोड है ?

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : वाटिका से फतेहपुरा। उस रोड के लिए मैंने आपको और चीफ इंजीनियर को निवेदन किया था कि यह रोड टेढ़ी-मेढ़ी ले जा रहे है। इस रोड से मेरा इण्ट्रेस्ट यह है कि दोनों तहसीलों की 20 पंचायतें जुड़ने वाली है। हम चाहते हैं वाटिका से सीधी रोड रानोली को जाय। इसमें आगे सड़कें बन भी चुकी हैं लेकिन ग्रैवल्स हैं। ये सारी रोड्स सीधी हो जायेंगी अगर वाटिका से फतेहपुरा जहां अकाल राहत में काम चला है वहां से होकर यह बनाई जाय न कि ढाणियों से होकर घुमाव देकर बनाई जाय। 131 के जवाब में आपने लिखा है कि जहां आम रास्ता होगा वहां बनायेंगे। इसके लिए आपको कोई जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आम रास्ता है गाड़ियां, ट्रेक्टर, लड्ढे आदि वहां आते-जाते हैं। वहां सत्यधाम मंदिर में भी कई लोग जाते हैं तो मेरा निवेदन है कि सत्यधाम जहां मंदिर बन रहा है इसको वाटिका से सीधा जोड़ा जाय ताकि आगे जो 15 पंचायतें और जुड़ने वाली हैं भविष्य में इनका लाभ हमें मिल सके। मैंने पूर्व में भी 26 सड़कों का एक प्रपोजल दिया था जिसमें आपने मुझे यह जवाब दिया है कि अगर सारी रोडों को हाथ में लिया जाता है तो राजस्थान का सारा बजट इसमें खर्च हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैरवा साहब, पूरा कीजिए। आपकी महत्वपूर्ण बातें आ गई हैं।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन रोडों का मैंने प्रपोजल दिया है। आप 4 किलोमीटर के लिए 12 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। 12 लाख में 12 किलोमीटर रोड बन सकती है। ऐसी 26 रोड्स हैं जहां पर गवर्नमेंट का करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है। मेरा निवेदन है कि इन सारी रोडों को आप हाथ में ले करके बनायें। इस सम्बन्ध में मैंने आपसे पूर्व में भी कहा था कि माधवराजदा से खेड़ा हनुमान जी, रानोली, चांदमाई रोड जा रही है उस पर ग्रेवल्स रोड है, कम्पलीट बनी हुई है। अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करें तो यह कम्पलीट हो सकती है। फागी से समेड़िया बहुत बड़ा मंदिर है। 3 पंचायतें मांदी और परोनो इनके बीच में पड़ती हैं। ये ग्रेवल्स रोड हैं और इसमें भी

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

कुछ पैसा खर्च किया जाय तो ये रोड पूरी हो सकती है। माधव राजदा से बीची 2000 की आबादी का गांव है। आप कहते हैं कि हम 1500 की आबादी के गांव जोड़ेंगे। मैं कहता हूं कि इसकी आबादी ही 2000 की है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आज तो केवल बिल्डिंग का है, रोड्स का है ही नहीं।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : रोड्स का कैसे नहीं है, पी. डब्ल्यू. डी. का है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन के आधे सदस्य और आप स्वयं इस बात से वाकिफ नहीं हैं तो इनकी क्या गलती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री जी को कहना चाहिए था कि सड़कें नहीं हैं आप सड़कों पर मत बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी समझ में तो यह मांग संख्या कम्पलीट है। अब आप इसका कोई अर्थ लगा दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आपके हिसाब से पूरा है और मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री जी कब कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। वो तो आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा मार्गदर्शन ही होगा। जो बोलने वाले हैं वे बोल लेंगे, क्या तकलीफ है?

डा. चन्द्रभान : आपकी परफोर्मेंस वैसे भी अच्छी है सड़क के मामले में। (व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, हमारे सड़क के कटौती प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये गये यह कह करके कि इस डिमाण्ड में सड़क नहीं है। इसलिए हमारा इस सम्बन्ध में यह कहना है कि चाहे ये बोलने लें लेकिन आगे जो वक्ता है उनको तो आप रोकिए। आपने स्पष्ट कहा है कि सड़क के कटौती प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए बैरवा साहब। (व्यवधान) आप कह चुके हैं सारी बात। माननीय श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फागी व चाकसू में रैफरल अस्पताल के लिए जो काम चल रहा है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं सब सेक्टर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। फागी के अन्दर 10 सब सेक्टर हैं जहां पर आज उनको बैठने के लिए जगह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हैं आप? सब सेण्टर का कहां सम्बन्ध है? (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : कैसे नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : कैसे है?

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : बिल्डिंग वर्क्स हैं।

(१२८)

श्री उपाध्यक्ष : बिल्डिंग का तो अमाउन्ट होगा जब होगा। यह तो स्वास्थ्य विभाग देगा अमाउन्ट। ये तो केवल बनाने वाले हैं।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : इसका मामला बिल्डिंग से संबंधित है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो सारी बातों के लिए मुझे गाइड करोगे क्या? क्या बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गाइड तो नहीं करेंगे लेकिन निवेदन तो करेंगे ना।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातों के लिए गाइड करेंगे कि कौन पैसा देता है, कौन बनाता है, इतनी भी जानकारी नहीं है क्या? (व्यवधान) अब आप विराजिए। 4.00 बजे मुखबंद है, 10 वक्ता हैं। इसलिये मैंने आपको 20 मिनट दे दिए हैं अब आप बिराजिए। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : मैं फागी और चाकसू के रैफरल हास्पिटल के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय गुलाब सिंह राजपुरोहित।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आपने जो पैसा दिया है वह कम है।

श्री उपाध्यक्ष : बैरवा साहब, कृपया सहयोग कीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : धन्यवाद तो दे दो जो पैसा दिया है उसके लिए।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : पैसा दिया उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन निवेदन करता हूं कि जो पैसा दिया है वह बहुत कम है। क्योंकि दोनों जगह रैफरल के अन्दर (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : मुखबन्द के लिए पट्टियां बनानी पड़ेंगी वैसे तो मुख बंद रखेंगे नहीं उधर वाले।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : जो 10 लाख रुपए दिए हैं वे कम हैं इसलिए दोनों भवनों के लिए 10-10 लाख रुपए और स्वीकृत किये जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो डॉक्टर्स के रेजिडेंस के लिए क्वाटर्स बनने चाहिए उनके लिए भी व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई व्यवस्था मानेंगे या नहीं। आप अच्छे विधायकों में हैं। यों क्या कर रहे हो। विराजिए आप। माननीय श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित। (व्यवधान) बोलिए।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-19 लोक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में मैंने मेरे कट मोशंस दे रखे हैं उसके बारे में, मैं मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं। (व्यवधान) आप भी बात करेंगे उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं खराब किसी को नहीं कह रहा हूं। कुछ क्वालिटी होती है अलग-अलग।

श्री हेतराम बेनीवाल : इसका मतलब उधर वाले ही अच्छे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप और भी अच्छे हैं।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कट मोशन्स के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। दो साल पहले जब इस सदन में मैं चुनकर आया तब मैंने एक प्रश्न पर कहा था कि सबसे ज्यादा घपला सार्वजनिक निर्माण विभाग में है। लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि इस दो साल के अन्तराल में माननीय मंत्री जी के प्रयास से, इनकी कार्यशैली से, इनकी कार्यप्रणाली से जिस तरह का सुधार इस विभाग में हुआ है वह निःसंदेह बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। चाहे पक्की सड़कों का मामला हो, ग्रेवल रोड्स का मामला हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए। आप कंडोन मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के ऊपर भी बोल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा नहीं है। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग है।

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद : तो सड़क पर क्यों बोल रहे हैं। सड़क तो आज है ही नहीं। यह तो कोई चिकित्सालय भवन है या कोई डाक बंगला है या और कोई लोक निर्माण का भवन है उस पर बोलें। सड़क की मांग तो आज है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अगर कोई माननीय सदस्य विषयान्तर होकर बोलते हैं तो माननीय सदस्य सुनने के लिए बाध्य हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बिल्कुल नहीं है। हां, मैं भी नहीं हूं और चैयर भी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मांग संख्या क्या है, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग की है, मांग संख्या 19।

डा. चन्द्रभान : इसमें सड़क नहीं है, आप जांच कर लीजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसमें सड़क नहीं है, अभी भी आप करेक्ट कर लीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आज़ाद : इसमें सड़क नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। अगर सड़क होती तो निश्चित रूप से हम भी बोलते फिर।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसमें सड़क नहीं है, अब भी बता दीजिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : इसको सड़क और पुलिया से अलग रखिये आप।

(2.10 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

(130)

श्री दिग्विजय सिंह : माहिर आजाद जी, अगर सड़क नहीं है और बन जाय तो क्या हर्ज है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, वह बन नहीं रही ना।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय गृह मंत्री जी, आप डेढ़ घंटे से दूसरे की सीट पर बैठे हैं, अपनी सीट पर आइये पहले आप।

श्री डूंगरराम पंवार : आप सड़क के खिलाफ हैं क्या, सड़क होनी ही नहीं चाहिए।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : आप सुन तो लो।

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वह पीछे वाले आगे थोड़े ही आये हैं, आगे वाले पीछे गये हैं।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह विरोध प्रकट किया कि सड़कों की बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने सड़कों की मांग रखी नहीं, जिस विभाग से सम्बन्धित यह मामला है या मांग चल रही है और वह विभाग भी उनके पास है, तारीफ की जा रही है, उन्होंने सही काम किया है और उसी विभाग के अन्तर्गत अगर मैं उनको बधाई देता हूं, मैंने यह नहीं कहा कि मेरे सड़क बना दो, इसलिए कृपया इतना तो पेशेन्स रख लेते कि मैंने कोई नयी सड़क मांगी नहीं, मैंने मेरे कट मोशन में एक डिमाण्ड रखी है कि मेरे यहां सहायक अभियन्ता कार्यालय 'सुमेरपुर' में खोला जाय। मंत्री महोदय, आपने पिछली बार यही कार्यालय 'बर' से शिफ्ट करके सुमेरपुर लगाया था। चार-पांच महीने उसने वहां काम किया और कार्य से निःसंदेह हमें लाभ हुआ लेकिन वह कार्यालय वापस वहां से आपने हटा दिया इसलिए मैं वापस आपसे निवेदन और मांग करता हूं....

श्री यदुनाथ सिंह : इसकी भर्त्सना करो।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : मैं भर्त्सना नहीं, मांग कर रहा हूं।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान ना करें।

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : जो लगाया उसके लिए बधाई देता हूं वापस हटाया उसके लिए मैं मांग कर रहा हूं कि वापस हटाया तो सुमेरपुर में स्थाई रूप से सहायक अभियन्ता का कार्यालय खोला जाये। सुमेरपुर का क्षेत्र वैसे बड़ा है, व्यावसायिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और तीन जिलों को मिलाता हुआ है, जालौर, सिरोही और पाली। वहां पर वाटर वर्क्स का एक्स.ई.एन. ऑफिस है, विद्युत विभाग का ए.ई.एन. ऑफिस है और अन्य ऑफिसों में अभी एक अप्रेल से कृषि विभाग का शुरू हो जायेगा। मण्डी बड़ी है। सड़कों के निर्माण की दृष्टि से वहां पर कार्यालय खोला जाना नितान्त जरूरी है। दूसरा मेरा निवेदन है सभापति महोदय, सुमेरपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग का डाक

(श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित)

बंगला नहीं है, इसके न होने से वहां असुविधा होती है। चाहे अधिकारी हो, मंत्री हो, चाहे सरकार के प्रतिनिधि हों, उनको ठहरने में असुविधा रहती है। अतः सुमेरपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के डाक बंगले का निर्माण करवाया और उसे शुरू किया जाय। दूसरा, मेरे क्षेत्र में सांडेराव और ढोला में, गूंदोज, में डाक बंगले, छोटे हैं, चाहे वहां गैंग रहती है, उनमें भी रूकते हैं लेकिन वहां समुचित व्यवस्था नहीं है। इस ओर भी आप विशेष ध्यान दें और इस तरह की व्यवस्था करें तो बहुत उचित रहेगा विकास की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से। आज समय वैसे भी कम है और मेरी डिमाण्ड एक ही थी, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री मनीराम।

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, आज अनुपूरक मांग संख्या-19 में निम्न मदों पर विचार किया जा रहा है। डिग्री सम्बन्धी भुगतान हेतु, उचन्त मद से अधिक राशि की आवश्यकता के कारण, नेहरू रोजगार भवन निर्माण हेतु प्रतीक प्रावधान, केन्द्रीय प्रवर्तित एवं अन्य योजनाओं सम्बन्धी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कुछ अज्ञानतावश कटौती प्रस्ताव सड़कों के भी दिये थे लेकिन जब पता चला कि मेरा सिर्फ एक ही कटौती प्रस्ताव, जो लोक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर निर्भर था, वह ही स्वीकार किया गया और उसके माध्यम से ही मैं आज इस मांग पर बोल रहा हूं। गुणवत्ता का जब मेरा कटौती प्रस्ताव स्वीकार हुआ है तो माननीय सभापति महोदय, इन मदों से भिन्न जो लोक निर्माण के कार्य हुए उनमें जो मेटेरियल लगा है उसकी गुणवत्ता पर भी असर आया, वह तो मैं बाद में बोलूंगा, पहले भवन निर्माण सम्बन्धी निवेदन कर दूं। चूंकि अन्य योजनाओं के लिए भी यह अनुदान मांगें पास करवा रहे हैं, इसलिए मेरे जिले में निबन्ध योजना के तहत कुछ सड़कों पर पैसा व्यय हुआ है तो इन दो बातों के ऊपर मैं बाद में थोड़े में अपने विचार रखूंगा। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, माननीय मंत्री महोदय काफी बार बीकानेर सर्किट हाउस में पधारे होंगे, आपने देखा होगा कि गंगा सिंहजी महाराज के वक्त का बना हुआ सर्किट हाउस कितना अच्छा है, आज भी कितनी अच्छी कण्डीशन में है। आपके विभाग ने पांच कमरे पिछले वर्ष बनाये उनकी आज आप हालत देखें तो ऊपर की छत चू रही है। पिछली साल बनाये कमरों की हालत बहुत खराब है और उसका कन्सट्रक्शन भी इस तरह से किया है, आवागमन का कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा, जो बरामदा-गैलरी छोड़नी चाहिए थी वह भी बंद कर दी तो उसका उपयोग नहीं होगा, वह तो मात्र स्टोरेज के काम में आ सकता है और उसकी कोई सुन्दरता भी नहीं रही। यह मेरा निवेदन है। दूसरा, आपके विभाग द्वारा छतरगढ़ में समाज कल्याण विभाग का एक छात्रावास बनाया गया। उसकी हालत बहुत खराब है। आप देखेंगे तो सोचेंगे कि पांच-दस साल पहले बना होगा जबकि पिछले साल ही बनाया है, वह पूरा नहीं हुआ और आपके विभाग वाले बराबर समाज

(श्री मनीराम सियाग)

कल्याण विभाग पर दवाब डाल रहे हैं कि उसको टेक-ओवर करो। तो मेरा निवेदन है कि आप इतने चतुर और समझदार मंत्री होते हुए भी इस विभाग को कण्ट्रोल नहीं कर पाये, आपके नाम से ही डरने चाहिए थे। लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। तो यह तो था मेरा भवन निर्माण के बाबत।

दूसरा, जो लूणकरणसर में डाक बंगला है वह काफी वर्षों से बना हुआ जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा है। उसके लिए भी कुछ पैसे की व्यवस्था कीजिए। खाजूवाला और छतरगढ़ में पी. डब्लू. डी. ने कोई डाक बंगले नहीं बनाये, उससे वहां ठहरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहां आई. जी. एन. पी. वालों ने बनवाया है पर उनके अधिकारी पहले रोके रखते हैं। एक बीकानेर में पी. डल्लू. डी. का डाक बंगला है वह तो किसी को अलाऊ ही नहीं करते रूकने के लिए। पहले से ही स्टोर का सामान उसमें रखा हुआ है। चंद, एक-दो राजनीतिज्ञ हैं, जो कि पात्र ही नहीं हैं उसमें रूकने के लिए, वह ताला डाले हुए बैठे हैं। तो यह मेरा भवन निर्माण के बारे में था।

चूंकि गुणवत्ता की बात आई है, आपने एक सड़क पिछले वर्ष ही बनाई है महाजन से शेरपुरा, सात ही किलोमीटर और इस साल ही वह टूट चुकी है। उसका डामर घुल गया है और कंकड़ उसके ऊपर ही आ गये। दूसरा, आपने निर्बन्ध योजना में बीकानेर से रामसर वाया नापासर सड़क पर कुछ पैसा खर्च किया है, उस पैसे की भी पूरी देखभाल नहीं हुई और न सामान खरीदा गया। मान्यवर, मेरी विशेष आपसे शिकायत है कि जितने भी पी डब्लू. डी. के वर्क्स का टेण्डर होता है वह बी. एस. आर. रेट से बहुत ही ऊंचे पर होता है, जबकि पंचायतों में जो काम कराये गये हैं, मेरा अनुभव है, वह बी. एस. आर. रेट पर भी कराये जाते हैं और उनकी गुणवत्ता, उनका जो शेष बना हुआ है, पी. डब्लू. डी. के वर्क से बहुत ही अच्छा है। तो क्यों आप फालतू में अनुपूरक अनुदान की मांगे हमारे से पारित करवा रहे हैं। 25–25, 30–30, 50–50 पर्सेण्ट बी. एस. आर. रेट के ऊपर टेण्डर हो रहे हैं और पंचायतों के मेटेरियल के बराबर आपका विभाग मेटेरियल नहीं लगा रहा है। ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात मैं नहीं कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग में कमीशन लेने की जो आदत पड़ गई है, कृपया आप उस पर विशेष रूप से ध्यान देकर अलर्ट कीजिए और जिम्मेदार व्यक्तियों को ही निर्माण कार्यों का कार्य सौंपिये। आज नये-नये ठेकेदार बनते जा रहे हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं, कोई राजनैतिक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, कोई मन्त्री से जुड़ा हुआ है, कोई एम. एल. ए. से जुड़ा हुआ है और वह सिफारिश करके अपना भुगतान ले लेते हैं और मकान हैण्ड ओवर करवा देते हैं। तो मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि आपके विभाग में क्वालिटी के प्रति दिन पर दिन स्थिति गिरती जा रही है और क्वालिटी कण्ट्रोल के अधिकारी बिल्कुल ही नाम मात्र की खानापूर्ति करते हैं। कभी भी सेम्पल नहीं भरते, शिकायत करते है तो उलटा वह

(श्री मनीराम सिंयाग)

एक सील और लगा देते हैं कि मानदण्ड के अनुसार ही इसमें सामान लगा । तो मान्यवर, फिर बाद में यह और होती है कि कह कर हमने इस तरह से करवा लिया । मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में विशेषकर लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में और बीकानेर जिले में जितने भी काम हुए हैं उनके लिए मैं आपको निश्चित कहता हूं कि वह मानदण्डों के अनुरूप नहीं हुए और उनमें क्वालिटी कण्ट्रोल के अधिकारियों ने सतर्कता नहीं बरती । यही मेरा निवेदन है और मैंने जो कटौती प्रस्ताव गुणवत्ता पर और अधिक ध्यान दिये जाने के लिए प्रस्तुत किया है उस पर गहनता से विचार करें । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री मांगीलाल मेघवाल ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 19-लोक निर्माण पर अपने विचार विचार व्यक्त करते हुए माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन तहसील मुख्यालय पर जो अस्पताल की बिल्डिंग है सौभाग्य से यह चिकित्सा विभाग भी आपके पास ही है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस तरह की रीति-नीति बनाई है कि जितने भी तहसील हैड क्वार्टर्स की अस्पताल की बिल्डिंग हैं उनके तखमीने तैयार करने के लिए आपने विभाग को इस तरह की आज्ञा दी है । मेरे केशोरायपाटन अस्पताल बिल्डिंग के 4 लाख के तखमीने यहां भेज दिये गये हैं । मैं आशा करता हूं कि इस 92-93 के बजट में इनको प्राथमिकता से लिया जाना जनहित में बहुत बड़ा सहयोग होगा । इसी तरह से केशोरायपाटन और कापरेन इन दोनों के पुलिस थानों की बिल्डिंग बहुत जीर्ण-शीर्ण हालत में है । विशेष रूप से केशोरायपाटन की तो बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में हैं और भगवान न करे कभी किसी समय कोई दुर्घटना हो जाये । मैंने इसके लिए पुलिस विभाग और इस लोक निर्माण विभाग दोनों के तहत ही कटौती प्रस्ताव दिये हैं । यह बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग हैं और कहीं दुर्घटना नहीं हो जाये इसलिए इसको भी प्राथमिकता से लिया जाये । और कापरेन पुलिस थाने की बिल्डिंग रामदेवरा में चल रही है । अब रामदेवरा और पुलिस का मेलजोल तो शायद तत्कालीन महानिदेशक भी नहीं बैठा पाये । इसलिए सम्भव नहीं है कि उस रामदेवरा में कब तक इस थाने को चलाया जाये । सिपाहियों को बाहर टैण्ट लगाकर रहना पड़ रहा है इसलिए पुलिस के लोगों को जो जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं इनको राहत देने के लिए इन दोनों जगह पुलिस थाने की बिल्डिंग प्राथमिकता से बनवाई जाये, यह मेरी विशेष मांग है ।

मान्यवर, केशोरायपाटन में केशोरायजी के मन्दिर पर मन्त्री महोदय, ने विशेष प्रयास करके वहां 87 हजार रुपये लगाये हैं । मैं इसके लिए बार-बार आप को धन्यवाद दूंगा और केशोरायपाटन की जनता की तरफ से आपसे पुनः प्रार्थना है कि उसकी प्राचीनता, विशालता और

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

ऐतिहासिकता को देखते हुए पुनः उस मन्दिर की मरम्मत का कार्य करवाया जाये ताकि मन्दिर की विशालता और ऐतिहासिकता को बनाये रखा जा सके ।

मान्यवर, कापरेन में इसी तरह से पशु चिकित्सालय के भी तखमीने हमने जिला अधिकारियों के माध्यम से यहां भिजवाये हैं। मेरी मांग है कि कापरेन पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत थोड़े से पांच-दस हजार में हो सकती है–इस को भी प्राथमिकता दी जाकर बनवाया जाये ।

लाखेरी रेफरल अस्पताल खोला इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं क्योंकि लाखेरी उपेक्षित नगर है जहां एशिया की प्रख्यात ए. सी. सी. सीमेण्ट फैक्ट्री के प्रशासक के माध्यम से वहां रेफरल अस्पताल खोला गया । क्षय रोग से 75–80 प्रतिशत लोग बीमार थे और यह मेरी मांग थी, इस क्षेत्र की मांग थी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री हेतराम बेनीवाल : बिल्डिंग बनी या अस्पताल खोला ?

श्री मांगीलाल मेघवाल : अस्पताल खोला है और बिल्डिंग की बात भी है । वहां दूसरी जगह शिफ्ट किया गया और मुसीबत हो रही है इसलिए बिल्डिंग की मांग भी कर रहा हूं । खोल दिया उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं और बिल्डिंग की भी मांग कर रहा हूं ।

मान्यवर, इसी तरह से जो माननीय मन्त्री महोदय के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके तरह लोक निर्माण के कार्य करवाये जा रहे हैं और आम जनता की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई जा रही हैं पर दुख का विषय है, मैंने पूर्व में भी आपसे व्यक्तिगत निवेदन किया है, लिखा है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन से कापरेन जो बीच की नगरपालिका है, कापरेन का आधा हिस्सा ए. ई. एन. बूंदी के अण्डर में आता है और कापरेन से पूर्व का हिस्सा ए. ई. एन नैनवा के हिस्से में आता है । कापरेन से नैनवा 80–85 किलोमीटर है और कापरेन से बूंदी 95 किलोमीटर है और वहां जे. ई. एन. हैडक्वार्टर भी नहीं है । तो मैंने पूर्व में दो-तीन बार लिखकर भी दिया है और पुनः मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय विशेष प्रार्थना करूंगा कि उस क्षेत्र की भविष्य की जो पी. डब्लू डी. की योजनायें हैं । जैसे 1 किलोमीटर की सड़कें बनी हैं, 71 के तहत जो सड़कें बनी हैं, उसी तरह से 2 किलोमीटर के तहत जो सड़कें बनने वाली हैं पर वहां कोई देखने वाला अधिकारी का कार्यालय नहीं है इसलिए काम सफर कर रहा है और 15-15 दिन तक कोई देखने ही नहीं आता है इसलिए मेरी मांग है कि कापरेन जो इस विधान सभा क्षेत्र का केन्द्र बिंदु है तो यहां कापरेन में ए. ई. एन. हैडक्वार्टर खोला जाकर सहयोग करें । इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उनके लिए धन्यवाद ।

श्री सभापति : हेतराम बेनीवाल ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक

(श्री हेतराम बेनीवाल)

निर्माण विभाग के संबंध में माननीय मंत्री जी को दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। यह सार्वजनिक निर्माण विभाग हमारे देश में इतना बदनाम है कि मैं एक प्रान्त में जो उसकी स्थिति है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता और जो परम्परा हमारे इन्जीनियर्स की और टेक्नीकल लोगों की रही है उस लिहाज से कहीं भी अछूता इस बात से नहीं है। हम कमिशन को छुटा सकें यह सम्भावना तो शायद है ही नहीं पर यह निवेदन करना चाहूंगा एक मैं कि जो टेम्पोरेरी काम हम करते हैं रख रखाव के उन टेम्पोरेरी कामों के बारे में जो भ्रष्टाचार होता है उसको निश्चित तौर से हमारे मन्त्री महोदय को चाहिए उसका इन्तजाम करें और टेम्पोरेरी कार्य यह हैं माननीय सभापति महोदय कि एक सड़क बन गयी, सड़क बनने के बाद उसके दोनों तरफ तो मिट्टी डाली जाती है या एक कोई मकान बन गया उसकी जो मरम्मत की जाती है उस मरम्मत का सारा पैसा ही हड़प कर लिया जाता है। यह बड़े दुख की बात है। लेबर कालोनी है हमारे गंगानगर में, मजदूर जहां रहते हैं वहां लेबर डिपार्टमेंट से बजट मन्जूर होकर आता है, पी. डब्लू. डी. को मिलता है और पी. डब्लू. डी. उसके अन्दर टूट-फूट का काम करती है। मैंने देखा यह है कि टूटफूट के नाम पर जो हजारों रुपयों का काम है उसमें कोई सौ दो सौ का काम ही केवल किया जाता है। मेरे क्षेत्र में सड़कें हैं माननीय सभापति महोदय तीन-तीन साल तक मैंने देखा है एक एक और 1।।-1।। फुट नीचे गहरे गड्ढे हैं क्योंकि सड़क टूटने का मुख्य कारण ही यह है। सड़क का बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर उसकी साइड में मिट्टी नहीं डाली जाये तो और करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है मामूली मिट्टी नहीं डालने से। मिट्टी नहीं पड़ती और मिट्टी के पैसे उठा लिये जाते हैं....

श्री सभापति : आप भी सड़क पर आ गए ?...

श्री हेतराम बेनीवाल : सड़क पर नहीं हूं, रखरखाव पर हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सड़क में गड़बड़ी है, मैं यह कह रहा हूं कि जो पैसा यह उस पर खर्च करते हैं वह पूरा हजम करते हैं और इसका इलाज यह है कि जो वहां के प्रतिनिधि हैं उनको यह सूचित करवाया जाये आपके अधिकारियों द्वारा कि हमने मिट्टी इस महीने में डाली है और हम यह बता सकें कि वाकई मिट्टी डली है या नहीं डली है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर-गंगानगर के बीच में गर्मियों के महीने में सड़क बन्द हो जाती है और सड़क बन्द होने पर पिछले दो सालों में हजारों रुपये उठाये गये लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि पी. डब्लू. डी. का कोई कर्मचारी या कोई इंजीनियर यहां लगा हुआ हो। महीने में एक बार गया और सारा पैसा उठा लिया। तो निश्चित तौर से इसकी आप व्यवस्था करायें कि इस तरह के टेम्पोरेरी काम के लिए जो पैसा दिया जाता है वह उसी पर खर्च हो।

दूसरे माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहना है कि जिस बेरहमी से इस मेटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है वह

(श्री हेतराम बेनीवाल)

बहुत बड़े दुख की बात है । गंगानगर जिले में मैंने देखा है ड्रम तोड़ दिये जाते हैं, ड्रम फेंक दिये जाते हैं और गड्ढों के अन्दर 100 ड्रम का जो मेटेरियल है वह मेटेरियल बेकार रहता है । बहुत सी जगह तो मिट्टी में ही दाब दिया जाता है । सादुलशहर में हमने इसकी शिकायत की कि ड्रम ठेकेदार ले गया और उसने मेटेरियल वहां नहीं लगाया । उसकी इन्क्वायरियां हुई पर वह सारा का सारा मामला दबा दिया गया । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में मन्त्री जी ने जो चुस्ती उस विभाग में की, एक ग्राम चिकित्सालय के सिलसिले में । इस विभाग में भी कोई इन्टेलीजेन्स का ऐसा प्रोग्राम बनायें जिससे उनकी चैकिंग हो कि क्या मेटेरियल किस तरह से लगाते हैं । मुझे अफसोस है कि इनकी जो शुरुआत् थी बीकानेर के एडीशनल चीफ इन्जीनियर को सस्पेण्ड करके उसके खिलाफ इन्क्वायरी करके और दो तीन इन्जीनियर्स को और सस्पेण्ड करके राजस्थान में तहलका मचाया था और सारे पी. डब्लु. डी. के इंजीनियर्स एलर्ट हो गए और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि उनकी रफ्तार बहुत सुस्त हो गयी । मेरे गंगानगर में तो उल्टा हो गया जो सब से भ्रष्ट था वह भ्रष्ट आदमी पता नहीं गंगानगर में वापस कैसे पहुंचा गया ? सतराम सिंह जी वहां जिनको सस्पैण्ड किया गया, इन्क्वायरी करवाई गयी ...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या हैं ?

श्री हेतराम बेनीवाल : एक्स ई एन हैं माननीय मंत्री महोदय । उनके खिलाफ इन्क्वायरी हुई, सस्पैण्ड हुए, ट्रांसफर हुआ और पता नहीं कैसे, किस तरह से वे वापस पहुंच गये । एक करोड का कैश होगा उनके पास और जायदाद तो पता नहीं कितनी की होगी । इस तरह से इन्जीनियर हैं कम से कम इसकी जांच जरूर करवाइये । एक मुझे यह कहना है माननीय सभापति महोदय, जो निर्माण करवाते हैं, पी. डब्ल्यू. डी. जिस जगह पर भी निर्माण करवाती है, चाहे सड़क का करवाये, कोई बिल्डिंग ले, कुछ भी करे उसकी भूमि अवाप्त करते हैं उस भूमि का मुआवजा नहीं मिलता । मेरे क्षेत्र में सूरतगढ़ क्षेत्र में और सादुलशहर के क्षेत्र में, सादुलशहर पतली रोड बनी हुई है । पी. डब्ल्यू. डी. की रोड बनी हुई है सूरतगढ़ से अनूपगढ़ तक उसका पिछले 10 साल का मुआवजा आज तक किसान को नहीं मिला और किसान दफ्तरों के चक्कर काट-काटकर के परेशान है, यह जरूर है कि अब इन्होंने यह नियम बना दिया कि जब भी मुआवजा देंगे तो उस पर ब्याज जोड़ कर देंगे । पर ब्याज उसके जिन्दा परिवार को मिल जाय यह सम्भावना नहीं लगती । 10–10, 15–15 साल तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिले निश्चित तौर से यह भी एक वजह है जिससे पी. डब्ल्यू. डी. के उन अधिकारियों के चक्कर काट-काटकर के किसान यह समझता है या जिसकी जमीन अवाप्त की जाती है वह यह समझता है कि वह बिना पैसा नहीं देंगे । माननीय सभापति महोदय, यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में उसकी जांच करवायें ।

गुणवत्ता के सिलसिले में मैं उम्मीद करता हूं, एक ही एग्जाम्पिल दूंगा, हमारा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हास्पिटल हैं। हमने अपनी गवर्नमेण्ट काउन्सिल की मीटिंग में फैसला किया कि यह हास्पिटल किससे बनाया जाय ? टोटल मेम्बर्स की, पी. डब्ल्यू. डी. समेत यह राय थी कि पी. डब्ल्यू. डी. से मत बनाओ। बड़े अफसोस की बात है। ब्रिज कारपोरेशन को दिया है। वह कोई अच्छी संस्था हो, पता नहीं कैसी हो। मैं नहीं कह सकता पर पी. डब्ल्यू. डी. के बारे में जो लोगों का दृष्टिकोण बन गया, लोगों के मानस में यह बात आ गयी कि पी. डब्ल्यू. डी. के डिपार्टमेण्ट में जो माल बनेगा उसकी गुणवत्ता नहीं होगी, उसमें सही मेटेरियल नहीं लगेगा। यह निश्चित तौर से है। अभी हम को देरी लगेगी लोगों के मानस से यह चीज हटाने में। मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस मामले में जरूर इस विभाग को स्वच्छ करेंगे कि लोग यह विश्वास करें कि यह जो मेटेरियल लगायेंगे वह सही गुणवत्ता का होगा। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री राम किशोर सैनी (अनुपस्थित)।

श्री बिरधाराम चौधरी।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : सभापति महोदय, जो आज मांग संख्या 19 है भवन निर्माण कार्य पर, अभी कुछ माननीय सदस्य, जिनका बोलने का नाम नहीं वे एतराज कर रहे थे। मैं भवन निर्माण पर ही बात करूंगा। विशेष तौर से जो यह लोक निर्माण का महकमा है, जो पी. डब्ल्यू. डी. विभाग है। इस पर क्षेत्र का काफी विकास निर्भर करता है और विकास निर्भर इसलिए करता है कि यदि लोक महत्व के भवन होंगे, अच्छे भवन बनेंगे, उनकी अच्छी उपादेयता होगी और जो आवागमन

(2.36 म.प.)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

के लिए भी साधन होंगे तो देश का विकास होगा। मैं विशेष तौर से क्योंकि यह मांग भवन निर्माण तक ही है इसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कार्य पी. डब्ल्यू. डी. करवाती है वह दो तरह से करवाती है। एक तो पी. डब्ल्यू. डी. के मार्फत करवाती है और दूसरा कार्य ठेकेदार के मार्फत करवाती है लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन दोनों कार्यों में फर्क क्यों है ? और ऐसा क्यों होता है मेरे यह समझ से बाहर की बात है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस पर प्रकाश डालें। जैसे किसी भी बिल्डिंग के लिए टेण्डर मांगे जाते हैं, ठेकेदार आमंत्रित होते हैं और 5 ठेकेदार ने टेण्डर लगा दिये और किसी बिल्डिंग के 20 प्रतिशत अबाऊ का बता दिया कि 20 प्रतिशत अबाऊ का यह कार्य होगा लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. यह कह कर उसको कार्य नहीं देती कि वह महंगा है और इतने प्रतिशत से अबाऊ से हम कार्य नहीं करवायेंगे। उसके बाद उस कार्य को पी. डब्ल्यू. डी. अपने खुद के डिपार्टमेण्ट से करवाती है लेकिन पी. डब्ल्यू. डी. के पास कार्य करवाने के लिए मजदूर कहां से आयेंगे, मेटेरियल लाने वाला कौन होगा ? तो मेरा मतलब है कि वह कार्य होगा ठेके

(श्री बिरधाराम चौधरी)

पर ही, फिर वे क्या करते हैं कि उनको टुकड़ों पर. छोटे-छोटे टुकड़े में बांट के फिर ठेकों पर देते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में डाक बंगला बना है। मैं मंत्री महोदय को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह डाक बंगला हमारे मकराना में था और काफी साल पहले उसका बैंचान कर दिया और जो अधिकारीगण आते थे, जनप्रतिनिधि आते थे और आज भी आते हैं, दूसरों के घर ठहरते हैं और इससे काफी बड़ी परेशानी होती है और जो अधिकारीगण होते हैं उनके किसी के प्रभाव में आने की सम्भावना रहती है। डाक बंगले का कार्य शुरू करवाया लेकिन यह कार्य ठेकेदार से नहीं करवा कर के पी. डब्ल्यू. डी. स्वयं करवा रही है लेकिन जो कार्य हुआ वह एक ठेकेदार के मार्फत हो रहा था। मैंने विभाग को पूछा, ए. ई. एन. को चिट्ठी लिखी कि यह कार्य ठेकेदार से हो रहा है या पी. डब्ल्यू. डी. करवा रही है, तो उनका कहना है कि पी. डब्ल्यू. डी. करवा रही है ठेके से नहीं हो रहा है लेकिन काम वही, वही कारीगरी, वही ठेकेदार और हर मेटेरियल ठेकेदार लाता था फिर मैंने यहां विधान सभा में क्वेश्चन लगाया और आपने जवाब दिया है सारा काम ठेके पर हो रहा है लेकिन ऊपर तो लिख दिया कि यह कार्य पी. डब्ल्यू. डी. करवा रही है लेकिन अलग-अलग ठेके दे दिये थे। ऐसा क्यों? इससे क्या होगा कि कार्य को जो गुणवत्ता रहेगी वह जो ठेकेदार करेगा और आप उस पर सुपरविजन करोगे, मानीटरिंग करोगे वह मेरे ख्याल से सक्सेज नहीं हो सकती क्योंकि आपका डिपार्टमेण्ट यह सोचता है। मैंने बात की उसकी, तो कहा यह टेण्डर अबाऊ था इसलिए हम नहीं दे सके और हमें इतने रुपये में काम कराना है तो वह क्या करेंगे कि जो कार्य ठेके पर छूट रहा था उससे 5 प्रतिशत कम खर्चा बताने की कोशिश करेंगे लेकिन काम की गुणवत्ता इतनी नहीं आयेगी। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार 19-20 का काम होता है तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार बात वही की वही है। चाहे आप टुकड़ों में ठेका दें छोटे-छोटे, चाहे पूरा ठेका दो, मेरा निवेदन है कि इसमें जो स्थिति है उसमें आप सुधार लायेंगे।

दूसरी बात यह है कि जो भी कार्य हैं, विशेष तौर से मैं डाक बंगलों की बात कह रहा हूं, इसको थोड़ा-सा स्पीडली करवाने की कोशिश करें क्योंकि मकराना में जो भी अधिकारीगण आते हैं उनके लिए काफी समस्या होती है। दूसरा मेरा निवेदन करना यह था कि जो पी.डब्ल्यू डी. कार्य करवाती है और डिपार्टमेण्ट के कार्य उसको दिये जाते हैं। क्यों दिये जाते हैं? कि पी. डब्ल्यू.डी. अच्छे ढंग से कार्य करवा सकती है। इनके पास स्टाफ है, इन्जीनियर्स हैं, क्वालिफाइड हैं, विशेषज्ञ हैं इसलिए अच्छा कर देगी लेकिन बिल्डिंग तैयार होने के बाद भी काफी समय तक बिल्डिंग दूसरे डिपार्टमेण्ट को हैंड ओवर नहीं की जाती है या ली नहीं जाती हैं। इसका कारण क्या है? जब काम पूरा हो गया, काम अच्छा हो गया तो ऐसी समस्या क्यों आने लगी है? जैसे हमारे परबतसर में एस.डी.ओ. कोर्ट की बिल्डिंग बनी हुई है यह पी.डब्ल्यू. डी. के मार्फत बिल्डिंग बनाई है लेकिन

(श्री बिरधाराम चौधरी) :

आज तक वहां पर एस.डी.ओ. कोर्ट शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन अब इसकी जो स्थिति है मैं उसके बारे में ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा लेकिन फिर भी इसको रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट क्यों नहीं ले रहा है ? उसमें उसको कुछ न कुछ कमी बता कर। तो जो बिल्डिंग बनती है जल्दी से जल्दी बन कर तैयार हो जाय

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

एक मैं और निवेदन करूंगा श्रीमान्। दूसरा मेरा निवेदन करना था जो यह टेण्डर हैं पी.डब्ल्यू.डी. के उनके सम्बन्ध में मैंने पहले भी मंत्री महोदय को बताया था और जो मंत्री जी हैं वह इसमें काफी पर्टीक्यूलर भी है। और मकराना की तरफ काफी ध्यान दिया गया है। मकराना में सड़कों का काम दिया गया है। परबतसर के लिए भी आपने सड़क मंजूर की लेकिन आपसे एक, दो निवेदन और करना चाहूंगा कि आपने एक चिट्ठी निकाली थी 17-9-91 को चीफ इंजीनियर पी.डब्ल्यू.डी. को, जिसमें मकराना से जावली पंचायत समिति की उपादेयता के बारे में पूछा था, सिर्फ 5 किलोमीटर की सड़क को मकराना से जावली और दूसरी है कुचामन से चावंडिया, आसपुर। अध्यक्ष महोदय, आज डिमाण्ड तो बिल्डिंग की है। यह सड़क भी जो कल्याणपुरा बोरावा, मेसूर, वायाडेडा तक यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

क्योंकि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है और 50 हजार की तादाद में मजदूर आते हैं और उनके लिए बहुत जरूरी है तो आप इसकी तरफ भी विशेष ध्यान देंगे। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब सिंह। (अनुपस्थित) श्री मांगीलाल मेघवाल (अनुपस्थित) श्री महावीर प्रसाद जैन। (अनुपस्थित) श्री प्रभुराम गरासिया (अनुपस्थित)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बोल लिये सब।

श्री अध्यक्ष : जवाब दे दीजिए।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : एक रह गये, रामेश्वर जी भारद्वाज रह गये। हां बोल लीजिए।

श्री रामेश्वर भारद्वाज : मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत समय नहीं लेता हुआ जयपुर शहर में पी डब्ल्यू.डी. के माध्यम से बने कुछ भवन हैं। कुछ का रख रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है और कुछ शहर के बाहर आने जाने के जो रास्ते हैं, माननीय मंत्री जी एक बार उनकी ओर ध्यान दिलायें। इतनी ही बात कहकर बात पूरी कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप भी बस 5 मिनट में बोल लीजिए। 5 मिनट में जवाब दे दीजिए, हां बस ज्यादा जरूरत नहीं है।

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 का पारण

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

करना चाहता हूं कि उन्होंने अनुपूरक मांगों के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को काफी सुझाव दिये हैं। एक बात सच है कि सुझाव देते-देते बिल्डिंग पर कम विचार आकर सड़कें बीच-बीच में आती रहीं। यह बात भी सच है कि सुझाव देते-देते चूंकि मैं चिकित्सा मंत्री भी हूं, इसीलिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के साथ-साथ चिकित्सा भी इसमें बहुत आती रही है। इसलिए माननीय सदस्य बंधुओं ने जो सब प्रकार के मिले जुले सुझाव दिये हैं और मेरा और सरकार का मार्गदर्शन किया है, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में भवनों के निर्माण के लिए 3139.83 लाख का संशोधित प्रस्ताव 91-92 में आया है।

श्री अध्यक्ष : आप दो बातों का जवाब दे दीजिए, जिसमें इंट्रेस्टेड हैं। एक तो यह कि आपको जब कोई प्राइवेट आदमी भवन निर्माण करके देता है, संबंधित ले लेते हैं, मगर पी.डब्ल्यू.डी. 20 सालों तक एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरा उनकी रिपेयर्स का जो प्रोविजन आपके यहां है, वह ठीक प्रकार होता नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : दोनों का दूंगा, क्योंकि अनुपूरक मांगों से सबंधित विषय है, इसीलिए पाजिटिव दृष्टि से भी कहना इसलिए आवश्यक समझता हूं कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में भवन निर्माण के लिए इतनी बड़ी मद, विशेषकर चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपके माध्यम से इसलिए भी कहना चाहता हूं कि केशोरायपाटन से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ थानों का जिक्र कर दिया, कुछ और भवनों के निर्माण का जिक्र कर दिया। पी. डब्ल्यू. डी. तो एक मजदूर विभाग है। हमारा काम तो वह करना है जिसका पैसा हमको दूसरे विभागों से मिल जाता है इसलिए....

श्री सम्पत सिंह : मशहूर कि कुख्यात ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए जिन बातों की चर्चा की है, चाहे वह थाने के भवन हों, गृहमंत्रीजी अगर पैसा देंगे तो निश्चित रूप से हम बनायेंगे। वैसे चिकित्सा मंत्री मैं हूं ही। एक बहुत बड़ी धनराशि इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में उपलब्ध करायी है। सीमित साधन रहते हैं, सभी स्थानों पर भवन बनाना सम्भव नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक और 3139 लाख और उसके साथ केन्द्रीय परिवर्तित योजना है 333.31 लाख रुपये का निर्माण कार्य इस वर्ष लोक निर्माण विभाग ने किया है। शिक्षा विभाग की दृष्टि से तो 587 05 लाख और इसी प्रकार 91-92 में 297.68 लाख का प्रस्ताव 92-93 में करने का प्रयत्न किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला अवसर है जब 22 करोड़ के भवन निर्माण का कार्य एक वर्ष में करने की दृष्टि से से प्रयास हुआ है और जिस प्रकार 453 निर्माण कार्य हमको करने थे। 447 कार्य हम शुरू करा सके, 6 काम इसलिए शुरू नहीं हुए कि जमीन उपलब्ध नहीं हुई, 85 काम हमने पूर्ण करके विभाग को सम्भला दिये हैं और आज इस नाते से यह कीर्तिमान

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पुराने वर्षों के सारे बजट निकाल कर देखेंगे तो उनको लगेगा कि भवन निर्माण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा काम इस बारे में हुआ है। यहां जिक्र किया गया कि भवन हैंड ओवर नहीं होते विभाग को। प्रत्येक महीने में एक दिन विभाग इस प्रकार की मीटिंग आयोजित करता है। प्राइवेट संस्थाएं जिन्होंने भवन बनाये हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जो विभाग या स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्होंने भवन बनाये हुए हैं, उनके प्रार्थनापत्र जब हमारे पास आते हैं तो एक महीने में एक दिन इस प्रकार की मीटिंग का आयोजन करके देने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यक्तिगत रूप से भवन बनाने वाले बंधु या उस विभाग के जो इसको हैंड ओवर करना चाहते हैं, उनको बुलाते हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारी वहां रहते हैं, उस विभाग के अधिकारी वहां रहते हैं और उस दिन इस प्रकार से भवन लेने की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। पूरी लिखा पढ़ी का काम दो दिन में पूरा हो जाता है, तो जिस प्रकार की देने वाली बात उन्होंने एस. डी. एम. भवन की बतायी थी, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एस. डी. एम. क्षेत्र तक के भवन तो हमारे पास हैं और एस. डी. एम. क्षेत्र से नीचे के सारे क्षेत्र उनके अपने विभाग के पास हैं, इसलिए लेने का काम केवल एस. डी. एम. क्षेत्र तक होगा और कोई भी ऐसी सूचना हमको मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा करेंगे और एक निवेदन करना चाहता हूं कि डाक बंगले की चर्चा बहुत माननीय सदस्यों ने यहां की है, डाक बंगले बनाने का काम केवल एस. डी. एम. क्षेत्र तक होगा इसके नीचे क्षेत्र तक नहीं होगा। आप कहेंगे कई जगह नीचे बने हुए हैं, किस कारण से बने इसका मुझे पता नहीं है। वहां सुधार तो हम करेंगे किन्तु अगर एस. डी. एम. क्षेत्र के नीचे जैसे किसी एक माननीय सदस्य ने किसी एक स्थान का जिक्र किया था। वह एस. डी. एम. क्षेत्र नहीं था। हमारे पास इसको बनाने की दृष्टि से फाइनेंस नहीं है, कभी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हुई और जहां असफरों के इस नाते से आवागमन के साधन हुए तो उस बात को करने की दृष्टि से हम पूरा प्रयत्न कर सकेंगे लेकिन इस दृष्टि से नहीं हो सकेगा।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं ए.डी.एम. क्षेत्र पर नहीं होगा कैसोपुर जो छोटा कस्बा है, तहसील नहीं है, वहां डाक बंगला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : है ना, मैंने कहां मना किया। किसी ने बनाया तो मैं क्या कर सकता था। राज्य में कौन से कारण रहे होंगे, इसकी चर्चा यहां नहीं कर सकता, प्रायोरिटी कौन सी रही होगी, इसकी चर्चा नहीं कर सकता। अभी तक जो नियम बना हुआ है....

श्री अध्यक्ष : मगर अब जो बन गये हैं, उनका उचित तरह से रख रखाव....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उनकी तरफ तो काम करूंगा। नया बनाने की रिकवेस्ट यहां की जायेगी तो आज के फाइनेंस की दृष्टि से हम नहीं कर सकेंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : तुड़वाने की ती स्कीम नहीं है ना । मैंटीनेंस करने की तो स्कीम है ना आपके पास ? जो पुराने बने हुए हैं, उनकी मैंटीनेंस तो करोगे, तुड़वाओगे तो नहीं ना ।

श्री नत्थीसिंह : यह कह रहे हैं तुड़वा तो नहीं दोगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां, मैंटीनेंस की तो हम करेंगे, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं । मैं नये भवन के निर्माण की चर्चा कर रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चा की गयी गुणवत्ता की । यह बात सच है, मैं संकोच नहीं करूंगा । कन्स्ट्रेक्शन विभाग, क्वालिटी कण्ट्रोल के बारे में यह विचार किया जाता है कि जो कोई फिल्ड में नहीं रहे ऐसे व्यक्ति को गुणवत्ता विभाग में लगा दो । इस भावना को बदलने में बड़ा समय लग रहा है । किन्तु पिछले दो साल से जब से नयी सरकार आई है हम इस नाते से कटिबद्ध हैं और मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार हमने मूल्यांकन सप्ताह किया । एक-एक चीफ इंजीनियर एक-एक सम्भाग में सात दिन के लिये जाकर बैठे । उसने प्रत्येक डिविजन का गुणवत्ता की दृष्टि से और सब दृष्टि से पूरा-पूरा मूल्यांकन किया है । मूल्यांकन की रिपोर्ट बन रही है उसमें जो निष्कर्ष निकलेगा मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस वर्ष से इस मूल्यांकन सप्ताह को हमने प्रदेश में चालू किया है । गुणवत्ता की दृष्टि से रिपोर्ट बनाये, बड़े अच्छे अधिकारी लगाये जायेंगे । एक बात और हो गई, पिछले कई वर्षों से गुणवत्ता के विभाग को केन्द्र से हटाकर अपने-अपने एडीशनल चीफ इंजीनियर के अन्तर्गत लगा दिया । यह बहुत डिस्कस हुआ है । यह बात किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । गुणवत्ता को सेण्ट्रेलाइज यहां होना चाहिये । माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक एडीशनल चीफ इंजीनियर लगाया जाय गुणवत्ता के लिये अलग से और जो वहीं जाकर गुणवत्ता की सारी जांच करके रिपोर्ट दें ताकि सीधे-सीधे अधिकार एडीशनल चीफ इंजीनियर का न रहे । तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सुधार आ जायेगा । इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है कि डिवीजन से और वहां से न होकर गुणवत्ता की दृष्टि से यहां से होंगे यह प्रयत्न किया जायेगा । आज जो हमारे नये सेक्रेटरी 31 मार्च को बनने वाले हैं । एज दी स्पेशल सेक्रेट्री वह बहुत ही एफिसियेंट है । अभी-अभी बने हैं श्रीमान् लाहिया साहब, उनका विशेष रूप से यही प्रयत्न रहा है । पिछली बार....

श्री अध्यक्ष : वह एफिसियेंट साबित होंगे कि नहीं देख लेंगे वह तो ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जी हां । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भवनों के संधारण की भी चर्चा की । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेन्टिनेंस की बहुत प्रोब्लम रहती है । जीर्णशीर्ण भवन बने हुये हैं, कई साल पुराने, राजा-रजवाड़ों के समय में मेन्टिनेंस ठीक नहीं हुआ । इसीलिये अब यह व्यवस्था की है कि सामान्य रूप से मेन्टिनेंस तो की जाय किन्तु दो-तीन डिस्ट्रिक्ट एक वर्ष में ऐसे लिये जायं जिसमें इन्टेंसिव रूप से

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उनकी सारी बिल्डिंग की कर दी जाय और अगले साल तीन डिस्ट्रिक्ट लें ताकि मेंटिनेंस की प्रक्रिया ठीक प्रारम्भ हो जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अन्त में बात आपके माध्यम से मैं भ्रष्टाचार के विषय में कहना चाहता हूं। एक विषय की जानकारी फागी के माननीय सदस्य ने दी है। इसकी जानकारी मुझे भी आज के 25 दिन पहले मिली थी। हमने जांच उसकी बैठायी है, एक बहुत अच्छे आफिसर, चीफ इंजीनियर लेवल के आफिसर को लगाया है रिपोर्ट आते ही जो भी दोषी अधिकारी होगा, किसी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जायेगा अगर यह रहा किन्तु उसमें से ऐसा लगा कि कोई दोषी अधिकारी नहीं है तो निश्चित रूप से जांच की जायेगी। मैं तो आपके माध्यम से सदन के प्रत्येक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार चिकित्सा विभाग में नोडल आफिसर के नाते हमने सी. एम. एच. ओ., पी. एम. ओ. बनाये हैं उसी तरह एक्स. इएन., एडीशनल चीफ इंजीनियर है और उसके बाद सेक्रेटरी है। कोई शिकायत कीजिए अगर नीचे वाले हैं तो 15 दिन इन्तजार कीजिये, कोपी मुझे भिजवाइये, मेरे पी.एस. को भिजवाइये, सेक्रेटरी को भिजवाइये। जो प्रक्रिया हमने सी.एम.एच. ओ. और पी.एम.ओ. में कर रखी है वह निश्चित रूप से हमने पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में भी चालू की है।

मुझे बहुत आनन्द हुआ कि कल जब चिकित्सा विभाग की मांगों पर बहस हो रही थी जो हमारे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आप बहुत अधिक पी.डब्ल्यू.डी. देख रहे हैं मेडिकल नहीं देख रहे हैं। आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा आप मेडिकल पर बहुत जोर दे रहे हैं ग्रामीण चिकित्सा की तो आप मोनेटरिंग कर रहे हैं किन्तु पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ ध्यान नहीं है। दोनों ओर से सर्टिफिकेट भी है, दोनों की ओर से नेग्लीजेंस की भी चर्चा की गई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी कोशिश दोनों विभागों में, दोनों विभागों को ठीक प्रकार से देखने की प्रक्रिया के नाते की जा रही है और उसी नाते से पूरा प्रयत्न है किन्तु यह बात सच है कि इस भौतिकवादी जगत में कमीशन की चर्चा की गई। बात सच है चर्चा उसकी करना किन्तु उसमें धीरे-धीरे जिस प्रकार कि आज मोनेटरिंग शुरू हुई है उस कमीशन में रेट डाउन आते चले आ रहे हैं। यह समाचार आज कान्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष मुझे आज दे रहे थे। यह बात सच है कि उसकी चर्चा है तो धीरे-धीरे होगी। इसका एक कारण यही है कि समयबद्ध कार्यक्रम करना, हर तीन महीने में मोनेटरिंग करना भवनों के निर्माण की दृष्टि से, सड़कों के निर्माण की दृष्टि से विभाग में मोनेटरिंग का काम लगातार होना शुरू हुआ है और हमने तो स्थानान्तरण को केवल मोनेटरिंग से जोड़ा है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य, कोई भी व्यक्ति पी. डब्ल्यू. डी. में मुझे किसी को लगाने की सिफारिश नहीं करता क्योंकि उनको ध्यान

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आ गया कि तीन–तीन महीने की मीटिंग करने में अगर फिजिकल फाइनेंशियल टार्गेट अचीव नहीं किये, आफिसर अपने आप समझ जाता है कि मुझे इस क्षेत्र में कल ही चले जाना है। तो इसी नाते से प्रयत्न है इस मोनिटरिंग से फायदा हुआ है।

मेरा माननीय सदस्यों ने जो मार्ग-दर्शन किया है उनको फिर धन्यवाद देता हुआ और पी. डब्लू. डी. के निर्माण के कार्यों में जिस प्रकार की त्वरितता लाने की कोशिश हम कर रहे हैं उसमें पूरा-पूरा सहयोग आपका रहेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुयी। प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,52,26,000/–(तीन करोड़ बावन लाख छब्बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मुख बन्द करके बाकी की मांगों के लिये मतदान।–

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–1 राज्य विधान मण्डल के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,25,000/–(सैंतीस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–2

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–2 मन्त्री परिषद् के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,50,000/–(सड़सठ लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–3 सचिवालय के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 62,16,000/–(बासठ लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–4

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–4 जिला प्रशासन के संबंध में 31

(श्री अध्यक्ष)

मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/-(एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवायें के संबध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,69,93,000/-(एक करोड़ उनहत्तर लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुनान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,21,000/-(आठ लाख इक्कीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-8

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-8 राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,000/-(आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-9

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9 वन के संबंध में 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3, 85, 54, 000/-(तीन करोड़ पिचासी लाख चौव्वन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-10

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,88,000/-(दो लाख अट्ठयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–11 विविध–सामाजिक सेवायें के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,41,000/-(तेइस लाख इकतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–12

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–12 अन्य कर के संबंध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,34,000/–(दस लाख चौंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–13

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–13 आबकारी, के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,92,95,000/-(सात करोड़ बानवे लाख पिचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–15

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,77,67,000/–(बारह करोड़ सतहत्तर लाख सड़सठ हजार) तक को राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–16

प्रश्न यह हैं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,02,56,000–(बारह करोड़ दो लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,60,000/-(नौ लाख साठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,11,03,000/–(दो करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/–(नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 27,90,42-000/–(सत्ताईस करोड़ नब्बे लाख बियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,03,12,000/–(छः करोड़ तीन लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,69,08 000/–(इकसठ करोड़ उनहत्तर लाख आठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–28 ग्रामीण विकास के विशेष

(श्री अध्यक्ष)

कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/–(तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लेता हूं।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/–(तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,49,000/–(एक करोड़ तीन लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–30

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,69,85,000/–(एक करोड़ उनहत्तर लाख पिचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,58,000/–(एक करोड़ दस लाख अट्ठावन हजार) की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–34

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय

(श्री अध्यक्ष)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,19,000/–(एक करोड़ दस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,54,16,000/–(तीन करोड़ चौवन लाख सोलह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,26,23,000/– (सोलह करोड़ छब्बीस लाख तेईस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,72,90,000/–(सात करोड़ बहत्तर लाख नब्बे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,04,000/–(एक करोड़ सैंतीस लाख चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की को मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,86,000/– (छः लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,40,000/- (इक्कीस लाख चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–41

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रु. 2,55,00,000/- (दो करोड़ पचपन लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–42 उद्योग के सम्बन्ध में मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,65,01,000/- (दो करोड़ पैंसठ लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,14,000/- (पांच करोड़ चौदह हजार) तक राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,26,00,000/- (दो करोड़ छब्बीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–46 सिचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,67,42,000/- (पन्द्रह

(श्री अध्यक्ष)

करोड़ सड़सठ लाख बियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,25,50,000/- (बीस करोड़ पच्चीस लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

अनेक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लेता हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,25,50,000/- (बीस करोड़ पच्चीस लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : विनियोग विधेयक।

श्री कैलाश मेघवाल (मुख्य मंत्री के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह फाईनेंस मिनिस्टर बन गये क्या ? (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : राजा जो माने वह रानी बाकी सब पटरानी।

एक माननीय सदस्य : इनका एडमिनिस्टेटिव कन्ट्रोल नहीं हैं, जवाब क्या देंगे ?

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने मेरे से अनुमति ली है साथ में विरोधी दलों के नेताओं से भी अनुमति लेकर गये हैं। आप पुरःस्थापित करिये।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ के लिए।

विधेयक पर विचार

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) 1992 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा।

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक 1992 पर विचार

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की प्रशंसा करती हूं कि चुनाव में जो वायदे किये उसके अनुसार उन्होंने दस हजार रुपये तक के कर्जे माफ किये शायद कांग्रेस सरकार ने कर्जे दिलाये तो होंगे लेकिन माफी करने की बात ही नहीं की होगी। जिनको सब्सिडी देने की बात कही गई उनको भी सब्सिडी टाइम पर नहीं दी गई होगी। मैं सरकार की प्रशंसा करती हूं कि उन्होंने किया हुआ अपना वायदा पूरा किया।

मैं निवेदन करती हूं कि राज्य सरकार ने, आने के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो बारानी जमीन का लगान माफ करने की बात कही थी वह इन्होंने माफ किया। एक बात रह गई जो हमने वायदा किया था, मुझे आशा है कि इस साल में सरकार जो बेकारी भत्ता देने वाली थी नवयुवकों को जो रोजगार देने वाली थी, वह काम पूरा नहीं हुआ। मुझे आशा है कि इस साल में यह कदम आगे बढ़ेगा। मेरा यह भी अनुरोध है कि जो नवयुवक और नवयुवतियां ओवर ऐज होने जा रहे हैं उनकी लिस्ट बनाकर उनको कम से कम प्राथमिकता के बतौर सर्विसेस दें यह मेरा आग्रह है। मान्यवर, गांवों में 61 पर्सेन्ट, 60 पर्सेन्ट की योजना बनी कि हम खर्च करेंगे किन्तु खेद है कि पंचायतों के चुनाव न होने के कारण जो सचिव, अध्यापक और जो समिति बनी वह उस काम को पूरा नहीं कर रही है। जे.आर.वाई. के तहत जो पैसा है, जो अन्य माध्यमों से पैसा दिया जाने वाला था जो खर्च किया जाना था, वह इस साल में कार्य पूरा नहीं हो सका। आशा है कि शीघ्र ही पंचायतों के चुनाव करा लिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जो योजना बनी है उसका एक ब्ल्यू प्रिण्ट तैयार किया जायेगा और ग्रामों में जो 61 पर्मेन्ट पैसा खर्च होने वाला है वह खर्च किया जायेगा, यह स्थिति सामने आ जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह पैसा लैप्स नहीं होना चाहिये। ग्रामीणजनों की समितियां बनाकर तथा यह जो बी. डी. ओ., सचिव और शिक्षक आदि की समितियां हैं इनको एक दिशा निर्देश दिया जाये जिससे यह पूरा पैसा लग जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ हमें नियम बनाने थे, उसकी समितियां बनानी थीं। खेद है कि किराया नियंत्रण कानून जो किरायेदारों और मकान मालिकों को राहत देने के लिए आने वाला था उसको समिति का गठन नहीं हुआ और वह इस बार नहीं लाया गया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि कृषि भूमि नियमन की यहां घोषणा कर दी गई उसकी मैं प्रशंसा करती हूं लेकिन उसके बारे में कितने लोगों को राहत मिल पायेगी यह स्थिति स्पष्ट सामने नहीं आई। जितना मुझे ज्ञात है कि 25 प्रतिशत लोगों को भी उसका लाभ नहीं मिलेगा, यह स्थिति अच्छी नहीं है इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये और कार्य किया जाना चाहिये। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि महिला पोलोटैक्नीक पहले जयपुर में खुला, उदयपुर में खुला लेकिन मेरा आग्रह है कि भरतपुर और अलवर में तथा अन्य बड़े नगरों में भी खोले जाने की घोषणा करनी चाहिये जिससे महिलाओं को इस क्षेत्र में शिक्षा लेकर के कार्य करने का आगे अवसर मिले। मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी इस संबंध में घोषणा करेंगे इसी सत्र में कि महिला पोलोटैक्नीक का विस्तार करेंगे....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पोलोटैक्निक नहीं, पोलीटैक्निक।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पोलीटैक्निक कह लो। देखिये, मैं पंजाब से आती हूं और राजस्थान में मेरी भाषा मिल गई....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह जयपुर ग्रामीण से आती है और पंजाब का नाम ले रही है, यह नहीं चलेगा। जहां से आती है वहां का नाम लीजियेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी हैसीयत में और आपकी हैसीयत में फर्क है, मेरी बृज भाषा, राजस्थानी, यू.पी. की और पंजाब की मिली जुली भाषा है मैं आपसे आग्रह करूंगी मुझे बीच में नहीं टोकें।

श्री अध्यक्ष : मतलब यह हुआ कि आप प्योर नहीं हैं, मिली जुली हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ऐसा है, सारा भारतवर्ष मेरा है। मैं वंश के क्रम में पंजाब से आती हूं, पली मैं यू.पी. में हूं पैदा मेरठ में हुई हूं शादी मेरी भरतपुर में हुई है तो बृजभाषी हूं और राजस्थान में मैं 35 साल से रह रही हूं इसलिए सारा मिश्रण होकर के जो मेरी भाषा बनी है वह मेरी भाषा है और इसलिए मैं भारतीय हूं उस रूप में हिन्दी भाषी हूं तो जो मेरी एक्सेंट है सो है इसलिए मेरे ख्याल से कोई टोका-टोकी नहीं करें।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

अभी माननीय मंत्री महोदय, लोक निर्माण के संबंध में बोल रहे थे मुझे मौका नहीं मिला मेरे कटौती प्रस्ताव सारे कट गये इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि आप सुधार करें जो ठेकेदारी प्रथा है, एक–एक ठेकेदार कई–कई नाम से समितियां बनाते हैं और वह काम ले लेते हैं और काम लेने के बाद पटक देते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। मेरे यहां एक प्यारसीलाल ठेकेदार है बेनामी ठेके ले रखे हैं और उसी को ठेके मिलते हैं। अन्य कोई ठेकेदार है कि नहीं इस दुनिया में मुझे पता नहीं। मेरे इलाके में काम नहीं करता। ऐसा कानून बनाइये जो समय पर काम नहीं करे उसको भविष्य में कोई ठेका नही दिया जाये, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाये....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आई एग्री विद यू।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने उदाहरण देकर आपको बताया है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमने यहां एन्क्रोचमेंट का कानून बनाया लेकिन खेद है कि सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। हम नजर मिला रहे हैं लेकिन सरकारी भूमि पर कब्जों को जो तत्काल हटा दिया जाना चाहिये था मशीनरी गियर अप नहीं हुई। आप मेहरबानी करके मंत्री महोदय आपने यहां बिल प्रस्तुत किया है, मुख्य मंत्री जी से बताएं, गांवों में और शहरों में मेरे चैनपुरा में 100 मकानों की जमीन पर कब्जा हो गया, शाहपुरा में कब्जा हो गया और जिस दिन से नई ईंट लगनी शुरू हुई मैंने कलक्टर और उपजिलाधीश, तहसीलदार और बी. डी. ओ. सबको मैंने कहा है कि कब्जे हटाये जायं लेकिन शाहपुरा और चैनपुरा के कब्जे नहीं हटे और जयपुर में भी कब्जे बरकरार हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अनदेखी क्यों की जा रही है जब जानकारी में ला दिया गया तब भी कब्जे नहीं हटा रहे हैं। नहीं हटाना तो उनका नियमन कीजिये अनावश्यक रूप से सारी स्थिति को खराब करें, यह अच्छी बात नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि रोडवेज में 8 आर. एम. हुआ करते थे। रिजनल मैनेजर अपने--अपने दफ्तरों का काम देखते थे। खेद है कि उन आठों को दफ्तर दाखिल कर दिया अब वह दफ्तर में काम देखेंगे कोई आदमी मुकदमें निपटाने जायेगा, कोई कुछ निपटायेगा जो आर. एम. हैं वे केवल आगार प्रबन्धक रह गये हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे जो काम होना चाहिए, रीजन में काम का विस्तार होना चाहिए उसकी गति मद्धिम हुई है। मन्त्री महोदय, यहां बैठे हैं सारे मामले को देखें। इसमें कोई हठधर्मी नहीं। राजस्थान की जितनी एकल सेवाएं अन्य प्रदेशों में जा रही हैं वे उन प्रदेशो से कम हैं जिनकी सेवाएं हमारे यहां आ रही हैं। दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिये, पंजाब देख लीजिए-उन प्रदेशों की एकल उन सेवाओं की ज्यादा लम्बाई है, हमारी कम है। मैंने पहले भी आग्रह किया था कि यह राजधानी है। राजधानी से राजधानी-लखनऊ जाने तक की गाड़ी कट कर दी गयी, चण्डीगढ़ तक जाती है या नहीं, मुझे पता नहीं, अहमदाबाद जाती थी वह कट कर दी गयी, तीर्थ हरिद्वार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

जो जाती थी मथुरा होकर वह बन्द कर दी गयी, सहारनपुर जो बस जाती थी वह बन्द कर दी गयी, देहरादून बस जाने की बात यू. पी. ने स्वीकार कर ली लेकिन खेद है कि उसको नहीं चलाया जा रहा। इस प्रकार एकल सेवाओं में वे यहां से कमाकर ले जाते हैं और हम अपनी आय कम करते जा रहे हैं। हमको उनके कम्पिटीशन में आकर, उनके अनुसार पैसा लगाकर अपनी बसें आगे चलानी चाहिए। मान्यवर मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि महिला कल्याण के सम्बन्ध में अभी जो योजना बनी है वह बहुत कम है। इस सम्बन्ध में कार्य किया जाना चाहिए। उनकी सुरक्षा से लेकर उनके विस्तार तक सारे काम की योजना अलग से बनायी जानी चाहिए, यह मेरा आज आग्रह है। महिला आयोग बन जाय, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे परिप्रेक्ष्य को देखकर हमें काम करना पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमने अपराधों को कम करने की बात कही है, योजना बनायी है। लेकिन अपराधों की जननी शराब के बारे में हमारी हठधर्मिता बनी हुई है। बहुत अच्छी बात थी कि हमारी सरकार ने, भैरोंसिंह जी की सरकार ने इस रोग को समाप्त किया था। इस मोह को छोड़ देना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि दारू दुर्गुणों का घर है, पाप का घर, अत्याचार, अन्याय और असामाजिकता का घर है। इस सबसे ऊपर उठकर हमको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि इसको हम बन्द कर सकें। जितने पियक्कड़ हैं, चाहे वे 20 हजार हों 50 हजार हों या एक लाख हों, उनको मरने नहीं देना है, उनके लिए राशन कार्ड बनाकर पहले की तरह से व्यवस्था कर दें। राशन दे रहे हैं राशन कार्ड से, तो शराब भी दे देंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अरावली की पर्वत शृंखला जयपुर में भी आती है, मेरे जमवारामगढ़ में भी आती है। बड़ी हरी-भरी है। अरावली पर्वत शृंखला का जो क्षेत्र जमवारामगढ़ में पड़ता है, मैंने उस सम्बन्ध में आग्रह किया था कि वहां पर पर्यटन का बहुत बड़ा केन्द्र खोल सकते हैं। जहां एशियाड में नौकायन हुआ, जिसकी न केवल देश में बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति है। वहां से नौकायन का सारा सामान गायब। क्रीड़ा परिषद् कोई एक्शन लेना नहीं चाहती। जो पटियाला का केन्द्र है उसको सिर्फ जमीन हैण्डओवर करनी थी। हमारे खेलकूद मन्त्रीजी ने यहां हमारी सरकार कुछ नहीं कर पायी, इसका मुझे खेद है। पर्यटन मन्त्रीजी में हाउस में वायदा किया था कि मैं देखूंगी विस्तार करूंगी, वे एक वर्ष से वहां नहीं गयीं। वायदे का क्या हुआ, यह आप देखेंगे। मेरे यहां एक झोंपड़ियों का ग्राम बना था जब एशियाड हुआ। वे झोंपड़ियां टूट रही हैं। वहां जाने का कोई आकर्षण नहीं। न तो चाय की होटल। पता नहीं होटल निगम क्या कर रहा है। कोई आकर्षण वहां नहीं छोड़ा, सारा आकर्षण समेट कर जयपुर में ले आये। जमवारामगढ़ क्षेत्र का विकास हो सकता है लेकिन उस क्षेत्र के विकास की अनदेखी की जा रही है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कला और संस्कृति का बजट लैप्स हुआ। सारे कार्यक्रम लिये गये लंगों का कार्यक्रम, गुलाबों का कार्यक्रम दिखाने के।

(3.25 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारे यहां की कला-संस्कृति का विकास होना चाहिए था वह चाहे ध्रुपद का घराना हो चाहे कत्थक का घराना हो या हमारे यहां की अन्य सस्कृति हो। उसका विरोध किया गया। मैं यह नहीं कहती कि उनका कार्यक्रम नहीं दिखाएं। उनका भी विकास करें, वे लोक कला का माध्यम हो सकते हैं लेकिन जो यहां की ऐतिहासिक कलाएं हैं उनको इग्नोर किया गया, यह मेरा आरोप है। मेरा यह भी आरोप है कि पुरातत्व विभाग ने, पुरानी संस्कृति की देखभाल करके उसकी जो सुरक्षा की जानी थी वह भी नहीं की। जयपुर नगर के कंगूरे, यहां के मरमरी महल, यहां के दीवे ध्वस्त किये जा रहे हैं, डिस्टर्ब किये जा रहे हैं। मेरे यहां गंगापोल का दरवाजा है, उसको तोड़ दिया गया। जो खन्दा सांगानेरी गेट का है, अजमेरी गेट का है वहां दुकानें खोल ली गयीं, यहां तक कि नगर परिषद् ने भी अपनो दुकान खोली है। शर्म आनी चाहिए। या तो निर्णय लें कि एक मुश्त हम दुकान खोलेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक दुकान हाजरी के लिए खोल दी, एक दुकान यूनियन के लिए खोल दी। जब मैंने प्रश्न रखा तो मेरे साथ वहां नहीं जाकर उनको समाप्त किया गया। मुझे खेद है। अतिक्रमण की बातें करते हैं। पी. डब्ल्यू. डी. का दफ्तर अजमेरी गेट पर, कबाड़ा पड़ा हुआ है अजमेरी गेट के कोने में। बिजली के दफ्तर का कबाड़ा रामगंज की चौपड़ पर पड़ा हुआ है। यह सरकारी एनक्रोचमैंट क्यों नहीं हटाया जा रहा ? पब्लिक से तो उम्मीद करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि गरीब को गणेश जब माना तो गणेश की पूजा करें। फुटपाथ पर बैठने वालों को डिस्टर्ब किया गया है। तीन महीने से वे दुख पा रहे हैं। जो यूनियन हैं संस्थाओं की....

श्री रामेश्वर दयाल यादव: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कोई भी मन्त्री अपनी सीट छोड़कर आफिसर्स के पास क्या आधा घण्टे एक घण्टे तक मीटिंग ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक घण्टे तक तो नहीं जा सकते, लेकिन पूछने जा सकते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव: अगर उनको मिटिंग लेनी है, अपने चैम्बर में जाकर लें। इस तरह की परम्परा सदन में अभी तक नहीं रही है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई सूचना लेने में....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह सूचना नहीं, मैं घड़ी देख रहा हूं, आप पन्द्रह मिनट से खड़े हैं यहां ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : किसने कह दिया ? अभी तो....

श्री उपाध्यक्ष : सूचना लेने तो जा सकते हैं लेकिन अधिक समय तक....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : सूचना 15 मिनट तक नहीं ले सकते ।

श्रीमती तारा भण्डारी : इनकी सूचना ही गलत है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : ऐसी परम्परा नहीं रही है । मैं परम्पराओं के तहत बता रहा हूं आपको ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : यह नियमों के अन्तर्गत है, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामेश्वर जी यादव, आप भी वरिष्ठ हैं और माननीय मन्त्री महोदय भी बहुत वरिष्ठ हैं, नियमों का ख्याल रखेंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे बात पूरी कर लेने दें ।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : पूछ सकते हैं हैं । कहीं नहीं है कि इतने समय खड़े रहो ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें विवाद कहां हो गया ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, जो संगठित कारखाने हैं वे एकजुट होकर अपने हितों के लिए लड़ सकते हैं । जो फुटपाथ पर बैठकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, मुझे खेद है कि विधान सभा में रखने के बाद भी उनकी बात नहीं मानी जा रही है । मन्त्री महोदय ने ऐसा गन्दा चित्र उपस्थित किया है चांदपोल बाजार में कि चांदपोल के खंदे में लोग पेशाब करते हैं । + + + आनी चाहिए । मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप उनको कहें कि उन गरीबों के पेट का ध्यान करें, वर्ना, मैं आपको कहना चाहती हूं कि मैं उनको बैठाऊंगी, रोजी-रोटी वे कमाएं उसकी व्यवस्था करूंगी । जितना मुझे मारना है, जेल भेजना है, भेज दें ।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मितव्ययता समिति ने....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप थोड़ा तन्दुरुस्ती का ध्यान रखें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरी तन्दुरुस्ती अच्छी हो जाएगी ।

मान्यवर, मितव्ययता समिति ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी । वह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी । मितव्ययता समिति के आधार पर मितव्ययता नहीं की गयी,

---

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

यह मेरा आरोप है। पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री अभी कह रहे थे, हम तो मजदूर हैं । जो कोई पैसा देता है हम उसका काम कर देते हैं। बात ठीक है । सैक्रेटेरिएट में इतने कमरे बनाने की जरूरत हो गयी ? सैक्रेटरी अलग बैठेगा । मन्त्री अलग बैठेगा। सैक्रेटरी हर बार हाथ में नोटिस लेकर सैक्रेटेरिएट से आया करेंगे । मैं समझती हूं कि सैक्रेटेरिएट में काम में कमी आएगी । वह कोई व्यावहारिकता की स्थिति नहीं। एक विंग एक मन्त्री का होना चाहिए। खुद बैठे और पास में सैक्रेटरी बैठें । अनावश्यक रूप से वह बिल्डिंग बनायी जा रही है। मेरा एक और निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : काफी बोल गये, थोड़ा संक्षिप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, एक घण्टा हुआ है अभी, बस।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा। आपकी बारी नहीं आएगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा काम कर रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी, जयपुर नगर में जन्म और मृत्यु का रिकार्ड ठीक नहीं रखा जाता । खेद की बात है। जब कि सब मामलों में यह डाकूमैण्ट होता है। वहां पर रखने की जगह ही नहीं है, नगर परिषद् का कोई दफ्तर ही नहीं है जो दफ्तर की जमीन लेकर खोलने की बात कही गयी थी वहां पर नींव का पत्थर रखने के बाद मन्त्री महोदय बता दें कि क्या काम हुआ है। इस काम में कमजोरी आयी है। यह गलत बात है। उसको सम्भालें।

साथ ही जो मनुष्य के अन्तिम क्षण होते हैं, जयपुर के श्मशानों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। उन श्मशानों की स्थिति खराब है। 13 श्मशानों में से केवल 3–4 श्मसानों में मृत्यु प्रमाण-पत्र देने वाले मिलते हैं, बाकी में कोई नहीं मिलता। 13 आदमी अपाइण्ट करें तो मृत्यु की स्थिति वहां रिकार्ड की जा सकती है। यह स्थिति अच्छी नहीं है।

एक बात और कहना चाहूंगी। वक्फ की जमीन के सम्बन्ध में देवस्थान की तरह से ही व्यवहार होना चाहिये। उनको कुछ पैसा मिलेगा, जो उन जमीनों पर कबाड़खाने खुले हुए हैं, जो वक्फ की जमीन थी, उसको सुन्दर रखा जा सकता था, कुछ कार्य हो सकता था लेकिन वहां देखभाल नहीं है। अगर दफ्तर को देखें तो एक चपरासी और एक सेक्रेटरी के अलावा कोई नहीं, वहां टकण करने वाला कोई नहीं, दफ्तर की कोई व्यवस्था नहीं, रिकार्ड मेनटेन करने वाला कोई नहीं। देवस्थान की तरह से राजस्थान की वक्फ भूमि की आप सुरक्षा करें, इन्तजाम करें। जो पैसा सरकार की तरफ से आता है, और वसूलना है वैसे वसूलिये लेकिन जो सरकार की तरफ से आता है। 3 करोड़ रुपये से करीब, वह सरकार अपना रुपया तो उनको दे जिससे वक्फ की भूमि पर काम कर सके। यह मेरा निवेदन है।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

निवेदन यह भी मेरा है कि जो हमारी एकेडमियां खोली गई, वे ठीक काम नहीं कर रही हैं। सिन्धी साहित्य अकादमी, हिन्दी साहित्य अकादमी और पुस्तक ग्रन्थ अकादमी है, उन्होंने कितना छपाया है, यह तो देखिये। नया साहित्य कोई उनके पास जाता है, दर-दर भटक कर वापस आ जाता है। जो साहित्य का प्रकाशन उन्होंने थोड़ा बहुत किया है, उसको क्लासिकल साहित्य या साहित्य की नजर में रखें, यह मैं मानती नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि समस्त अकादमियों पर थोड़ा बहुत नियंत्रण और सुधार की स्थिति होनी चाहिये। मैं यह भी कहूंगी कि उनको पैसा और मिलना चाहियें कि वे अपना सुधार कर सके।

हमारे यहां अस्पतालों की यह स्थिति है कि आयुर्वेद का अस्पताल और एलोपैथी वाला अस्पताल भी गांव में कहीं-कहीं तो दो-दो हैं और कहीं-कहीं एक भी नहीं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसको देखिये।

हमारे यहां जो स्कूल खुलने चाहिये थे जुलाई में, खेद की बात है कि वे इतनी देर से खुले कि यह वर्ष शून्य हो गया और वहां टीचर्स अब भेजे जा रहे हैं, पहली बार। मेरा निवेदन है कि हर गांव में जिनकी संख्या 250 के करीब है, जो आपने अपना नार्म्स बना रखा है, वहां स्कूल खोलें जिससे वहां के लड़के-लड़कियों को पढ़ने की सुविधा मिल सके। शिक्षा मिलेगी तो संस्कार मिलेगा, संस्कार मिलेंगे तो सद्नागरिकता मिलेगी, सद्नागरिकता मिलेगी तो सारी गलत बात दूर हो जायेगी और हमारे सपनों का राजस्थान बन सकेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बुलाकी दास जी कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक जो हमारे माननीय सिंचाई मन्त्रीजी ने आपकी आज्ञा से अभी प्रस्तुत किया, इसके सम्बन्ध में अपने विचार रख रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार बकाया करों की वसूल करने में नाकामयाब रही है। अभी इस सदन में जो उत्तर सरकार के द्वारा समय-समय पर दिये गये, उसके अनुसार लगभग 200 करोड़ से ज्यादा की रकम अलग-अलग विभागों की बकाया है, इसके लिये सरकार ने क्या इन्तजाम किया? क्या कोई विशेष अभियान आपने चलाया? पिछले दिनों एक कमेटी बनी थी जो ललितकिशोर चतुर्वेदी कमेटी के नाम से, मितव्ययता कमेटी के नाम से और राजेन्द्र जैन कमेटी के नाम से विख्यात रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस कमेटी ने कोई काम नहीं किया और मितव्ययता के नाम पर राज्य का खर्च बढ़ाया है। कोई खर्च प्रदेश का घटा हो, ऐसे कोई ठोस आधार इस कमेटी के नहीं रहे।

इसी तरीके से प्रदेश का रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो होना चाहिए बजट के दो वर्षों में, वह भी राज्य सरकार जो ट्रेण्ड इन्क्रीज होती हैं, उसके अलावा कोई विशेष रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम भी आपने किया नहीं। इसी तरीके से यह भी मैं कहना चाहूंगा कि विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को यदि आप देखें तो रिट्रोग्रेड स्टैप के रूप में सामने आता है। जो पहले स्कूल खुले, उनको आपने बन्द किया और उसके बाद हजार-हजार खोलने का प्रावधान किया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इरिगेशन का पोटेंशल पहले की तुलना में 1987–1988–1989 में इरिगेशन का पोटेंशन जो नया क्रियेट हो रहा था, वह कम क्रियेट हुआ । मेरा चार्ज है सरकार पर कि एक मेगावाट बिजली आपने दो वर्षों में पैदा नहीं की । इन्फ्रास्ट्रक्चर का बजट कम किया गया । इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 60 प्रतिशत पैसा खर्च होता था, वह आज लगभग 45 प्रतिशत के ऊपर आप ले आये हैं । मुझे तो पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं, आप मुझे स्पष्ट करें कि पिछले दो वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिये आपने कितना पैसा खर्च किया ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में प्रत्येक एक-दो साल बाद अकाल पड़ जाता है । अभी तो स्थिति यह है कि कई इलाकों में 5-5 साल से अकाल पड़ रहा है । इस अकाल की स्थितियों में केन्द्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष 125 करोड़ रुपये का खर्च हो जाना चाहिये । उसमें मेरे को जो जानकारी आज प्रश्न के उत्तर में मिली, उसके अनुसार लगभग ढाई सौ करोड़, 242 करोड़ केन्द्रीय सरकार का 31 मार्च, 1992 तक आपके पास पड़ा है और आपका 3 साल का कंट्रिब्यूशन यदि लिया जाय तो 64 करोड़ रुपये होता है दो साल बाद । अगले साल की इन्स्टालमेंट भी आपको मिलने वाली है अप्रेल से, 25 करोड़ रुपया उसका यदि आप जोड़ लें तो यह लगभग 250 करोड़ से ऊपर होना चाहिये । लेकिन प्रदेश में आज लोग पेयजल के अभाव में प्यासे बैठे हैं । फलौदी के पास आज 16 लोग संक्रामक के कारण मर गये, कुपोषण के शिकार हुए और राज्य सरकार आंख बन्द करके, मूंद करके बैठी हुई है ।

ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एप्रोप्रियेशन बिल लेकर के आये हैं, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और बिन्दुवार 2–3 डिपार्टमेंट्स में क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको, सदन को अवगत कराना चाहूंगा ।

अभी पिछले महीनों में अजमेर, उदयपुर और रतनपुर नेशनल हाई-वे नम्बर 8 पर पहला कार्य किलोमीटर 210 से 235, दूसरा कार्य किलोमीटर 237 से 263.5, तीसरा कार्य 342 से 355 और चौथा कार्य 153 से 190 किलोमीटर, जहां जीरो है अजमेर का, इस कार्यों का एस्टिमेटेड कास्ट जो है वह पहले कार्य की 263.88 लाख, दूसरे काम की 335.72 लाख, तीसरे काम की कीमत 194 85 लाख और चौथे कार्य की प्रस्तावित एस्टिमेटेड कास्ट 416.74 लाख थी । उपरोक्त चारों कामों का टेण्डर इन्वाइट करने से पहले, उपाध्यक्ष महोदय, प्रि-क्वालिफिकेशन के प्रोफार्मा बनाये गये । प्रि-क्वालिफिकेशन के प्रोफार्मा मिनिस्ट्री आफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट के निर्देशानुसार दो करोड़ से कम काम के नहीं कराये जाते लेकिन इसमें ओपन टैण्डर नहीं कराने के कारण 194·85 लाख का टेण्डर प्रिक्वालिफिकेशन के माध्यम से कराया गया ताकि उसमें कोई ओपन कम्पीटिशन नहीं हो । इसके साथ-साथ, यह जोइण्ट वैन्चर में, उपाध्यक्ष महोदय, प्रिक्वालिफिकेशन्स कराये गये जो मैं समझता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार, मुझे करेक्ट कर दें, आज तक राजस्थान में जोइण्ट वैन्चर में प्रिक्वालिफिकेशन कभी भी नहीं हुआ, यह पहली

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बार राजस्थान की हिस्टरी में हुआ। और प्री-क्वालिफिकेशन में जो लोग चयनित हुए हैं उनमें उन लोगों ने 10 करोड़ और कुछ लाख का प्री-क्वालिफिकेशन में बताया है कि इतने इक्वीपमेंट्स हैं। जबकि, उपाध्यक्ष महोदय, उनके इन्कम टैक्स की रिटर्न की फोटोस्टेट कापी मेरे पास है। आपकी आज्ञा हो तो मैं सदन की टेबल पर रख दूंगा। उसमें उन्होंने केवल 90 लाख रुपये का काम होना बताया है। इन्कम टैक्स की रिटर्न में 90 लाख रुपये से ज्यादा उनका काम नहीं है लेकिन उन्होंने प्री-क्वालिफिकेशन के लिए 10 से अधिक के इक्वीपमेंट्स और काम इन्होंने बताये हैं। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, 7 काम्पिटेटर्स होते हैं जिसमें ब्रिज कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन राजस्थान भाग नहीं लेता है, एक फर्म आती नहीं है और दो पार्टियां कृष्ण मोहन कंस्ट्रक्शन, हैदराबाद और भवन एवं पथ निर्माण बोहरा कम्पनी, जयपुर इन दोनों को पुल के बाहर कर दिया जाता है। पुल बनाकर राजी कर दिया जाता है और 6.34 में मनमाने तरीके से, 87 पर्सेन्ट अबाउ रेट पर काम ले लेते हैं। यह 87 पर्सेन्ट अबाउ रेट पर, उपाध्यक्ष महोदय, काम लेने वाले लोग जिन्होंने राज्य में इसी प्रकार की नेचर के काम किया, स्वयं ने 1986 में बी.एस.आर. से 6 पर्सेन्ट बिलो रेट पर, महेन्द्रसिंह धर्मपाल 3 पर्सेन्ट बिलो रेट पर और प्रहलात राय केडिया, झुन्झुनू वाले भी आपका काम कर रहे हैं।

इसी तरीके से यह जो फर्म है 87 पर्सेन्ट अबाउ पर काम लेती है। इसने भी कुछ काम मिनिस्ट्री आफ सरफेस ट्रांसफोर्ट से लिया। 2 एस्टिमेट हैं नेशनल हाइवे नम्बर 14–ब्यावर, बर, पाली और सिरोही रोड पर 196.51 लाख एवं 213.57 लाख के और यहां उनकी प्री-क्वालिफिकेशन पास नहीं करवाई और रेट जो है 4.23 पर्सेन्ट बिलो बी.एस.आर., 1991. नारायणसिंह गुलाबसिंह हिम्मत नगर ने टेंडर में रेट जो दी है वह निश्चित रूप से मैंने 87 पर्सेन्ट अबाउ बताई यह वही लोग हैं जो एक स्थान पर 4.23 पर्सेन्ट बिलो बी.एस.आर. 1991 के अन्तर्गत काम लिए हैं। और उन्हीं लोगों को उपाध्यक्ष महोदय; 87 पर्सेन्ट अबाउ बी.एस.आर. रेट में काम दिया। यह फैक्ट्स मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि स्टेट के एक्सचेकर के साथ कितना धोखा हो रहा है, स्टेट एक्सचेकर के चूना लगाया जा रहा है और खून और पसीने की गाढ़ी कमाई कर के रूप में राज्य सरकार वसूल करती है उसका सार्वजनिक निर्माण विभाग दुरुपयोग कर रहा है।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अग्रवाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, सीकर कार्यालय आदेश द्वारा निवाई बाई पास टौंक रोड़ को दिया 2,61,66,288 रु. का टेण्डर दिया जिसकी प्री-क्वालिफिकेशन उसने पास नहीं करवाई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कब दिया ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह 14-3-1992 को पत्र दिनांक क्रमांक 5121 जिसके अनुसार अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कम्पनी, सीकर को जो कार्यालय आदेश निवाई बाई पास, टौंक रोड़ का दिया जिसकी अनुमानित लागत 2,61,66,288 रु. की है इसकी प्री-क्वालिफिकेशन पास नहीं की गई। जो अग्रवाल सीकर की रिटर्न है उसमें उन्होंने 6 वर्ष का काम बताया है 2.5 करोड़

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

2.25 करोड़, 2.00 करोड़, 1.09 करोड़, 1.80 करोड़ और 1.75 करोड़ का। यह प्री-क्वालिफिकेशन की जिस टेंडर की मैंने बात की है उसमें यह बात बताई थी जबकि उनकी आय के रिटर्न की फोटो कापी मेरे पास पड़ी है उसमें अपनी रिटर्न में बताया है कि 39.25 लाख, 30.48 लाख, 39.76 लाख, 54.86 लाख, 49.79 लाख। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से कोई व्यक्ति या कोई कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, ठेकेदार यदि प्री-क्वालिफिकेशन का गलत प्रोफार्मा भरती है तो क्या उसकी जांच विभाग द्वारा हुई? और क्या उसस जांच में आई?

उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्रीजी को एक पत्र लिखा है उसके ऊपर विभाग ने क्या कार्यवाही की? इसी तरीके से यह जो प्री-क्वालिफिकेशन निर्धारित रकम से कम गई इसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की? मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जांच जुडिशियल इन्क्वायरी के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होनी चाहिए। नहीं तो इस सम्बन्ध में जो रेट आई हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 87.00 पर्सेन्ट अबाउ पर रेट आई है यह रेट उन्हीं ठेकेदारों द्वारा जो दूसरे काम लिए जाते हैं और वर्तमान में यह काम जिसके बारे में 1992 का, पत्र संख्या 2268 इसी पार्टी को काम दे रहे हैं इसी नेशनल हाईवे पर वह 1 करोड़ 10 लाख का इसमें 36.67 पर्सेन्ट अबाउ में दिया है। अब 36.67 पर्सेन्ट में और 87 पर्सेन्ट में आम आदमी समझ सकता है कि इसकी रेट में भारी अन्तर है। यह अन्तर जाकर पूरे काम में लगभग 3 करोड़ से ऊपर आता है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा जो 3 करोड़ का अन्तर है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं।....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आप बता रहे हैं वह सुन ही नहीं रहे हैं जवाब क्या देंगे? प्रभारी मंत्री सुन नहीं रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुन रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप बतायें क्या कहा?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं समझाऊ क्या कह रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप जवाब थोड़े ही देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : पूछिये क्या कह रहे हैं?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप बतायें क्या कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं और बहुत सीरियस हो रहे हैं?

डा. चन्द्रभान : वह तो चिट्ठी लिख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत गम्भीरता से अध्ययन कर रहे हैं। हर बात का नोट ले रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : चिट्ठी लिखने का उनका स्कोप ही नहीं है और नम्बर वन भी बनने वाले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कहना चाहता हूं कि बेरी आयोग के पास हर मामले चले जाते हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से सरकार और सरकार के सम्बन्धित मन्त्री क्या बेरी आयोग को इसको देने के लिए तैयार हैं कि बेरी आयोग को देकर इसकी जांच करवा ली जाय ? यदि जांच नहीं होगी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से सम्बन्धित मन्त्रियों पर यह आरोप लगेगा कि इतना बड़ा 3 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है उसमें वे भी लिप्त हैं।

इसी तरीके से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में कोटा में एक इंजीनियर की मौत हो गई, एस. सी. माथुर की। उनकी मौत के पीछे कारण क्या था कि एक अजय सैल्स कारपोरेशन का जो डामर 6 हजार रुपये टन में एक तरह से बिकता है। उसको बिटूमेन ऐनुलेशन नाम की फर्म से 18 हजार रुपये प्रति मैट्रिक टन से यानी तीन गुना रेट से बिना टेंडर से इसकी खरीद की जाकर कोटा और जयपुर एक्सचेंज कार्यालय में सीधे स्टोर में आ रहा है, इन्द्राज हो रहा है। इसी तरीके से·····

श्री उपाध्यक्ष : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जिन मांगों पर आलरेडी यहां पर चर्चा हो चुकी है उनको यहां नहीं उठाया जाय तो ठीक है। जिनके ऊपर पूरी चर्चा हो चुकी है गम्भीरता से और पूरा समय लग चुका है उन पर चर्चा नहीं की जाय तो ठीक रहेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अप्रोप्रियेशन बिल पर तो। हां, श्रीमान्, मैं पी. डब्ल्यू. डी. को छोड़ रहा हूं और दूसरी जगह आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरी जगह आ जायं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस फर्म से डामर खरीदी गई वह बिना टेण्डर के खरीदी गई। मैं जानना चाहता हूं कि इस फर्म के कौन-कौन पार्टनर्स हैं ? इस फर्म से जो डामर खरीदी गई उसमें भारी घोटाला हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्रीजी जब जवाब दें तो यह बतावें कि इस फर्म के कौन-कौन पार्टनर्स हैं, उसका क्या-क्या हिस्सा है और इसके साथ-साथ बिटुमैन ऐनुलेशन के नाम से कितनी डामर अब तक खरीदी गई, जिस इंजीनियर की मौत हुई उसके लिए कौन जिम्मेदार हूं, किसने मौखिक आदेश दिए, किसके आदेश देने पर खरीदी गई ?

इसके साथ-साथ कुछ दुकानें है परशुरामपुरा के खसरा नम्बर का मुझे पता नहीं है। यहां पर 6 दुकानें हैं। उस जमीन को एक्वायर की गई है और एक्वायर करने के बाद····यह मेरे पास कागजात आ गए हैं। इसका खसरा नम्बर 29/64, इसका क्षेत्र फल है 1 बीघा 7 बिस्वा ग्राम परसरामपुरा यह 6 दुकानें जब बन रही थीं तो वहां पर लोग कह रहे थे कि पी. डब्ल्यू. डी. की दुकानें हैं और इन दुकानों पर कब्जा हो गया और इन दुकानों का निर्माण....यदि किसी ने व्यक्तिगत कराया है तो वह कौन है। इन सब बातों से ऐसा लगता है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इसी तरह से अजमेर पुलिया से सोड़ाला, न्यू सांगानेर रोड, संसार चन्द्र रोड से बड़ी चौपड़, चांदपोल

(164)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

से झोटवाड़ा, स्टेशन रोड़ से सिन्धी कैम्प, यहां सही डामर की सप्लाई नहीं होने से यह सड़कें बनी और आज तीन महीने में टूट गई। इस बात की किसी न किसी एप्रोप्रिएट एजेन्सी के माध्यम से जांच करवाइए। जो मुद्दे यहां उठाए जाते हैं उन मुद्दों के बारे में राज्य सरकार इनको गम्भीरता से ले और लेकर इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करवाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सहकारिता विभाग का एक नमूना और बताना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर तो बोल चुके हो। वह मांग आ चुकी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं मांग के दिन नहीं बोला था इसीलिए तो एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नियम यह है कि जिन पर चर्चा हो चुकी उनको तो टालो कम से कम। उत्तर तो दिया नहीं जाएगा।

श्री रामनारायण वर्मा : ऐसा कोई नियम तो है नहीं। अगर कोई नियम है तो आसन बता दें।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह जो अनुपूरक अनुदान की मांगें या जो विनियोग विधेयक रखा है विचारार्थ इसमें जिन डिमाण्ड पर चर्चा हो गई उसकी अनुपूरक मांगें नहीं है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : अनुपूरक मांगें तो सभी की है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : तो फिर उस पर क्यों नहीं बोल सकते। ऐसा कौनसा नियमों में इस तरीके का प्रावधान है ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह निवेदन था जहां तक हो सके वहां तक टाला जाए इसको।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद . यह एक बार आपने कह दिया अब कोई माने तो ठीक, नहीं तो बोल रहे हैं तो बोलने दो।

श्री परसादी लाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जनरल चर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मैं भी एग्री करता हूं। यह केवल मेरी एक सलाह थी आप लोगों से निवेदन था।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन लिमिटेड जयपुर द्वारा जालौर कस्बे के पास सायला रोड़ पर जो जमीन खरीदी गई, जिलाधीश जी ने अपने पत्र में स्पष्ट बताया है कि यह 15 हजार रुपये प्रति बीघा की दर से जमीन है और उसके अनुसार वह जमीन लगभग 150 रुपये प्रति गज से खरीदी गई और इससे सरकारी खजाने को साढ़े पैंतालीस लाख रुपये का चूना लगा और साढ़े पैंतालीस लाख किन अधिकारियों की जेब में गया इसकी क्या आपने जांच करवाई। जोधपुर कलक्टर चौपासनी रोड़ पर 150 रुपये गज में इसी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाऊसिंग फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर को जमीन देने के लिए तैयार है। तब इसी कारपोरेशन के द्वारा लिखा जाता है कि इसकी कीमत ज्यादा है। लेकिन सायला रोड़, जालौर की

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कीमत 150 रुपये इनको ज्यादा नहीं लगी। यही अधिकारी हैं सारे कागजात आपकी आज्ञा है तो यह भी मैं सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां इतना भारी घपला हो रहा है किन-किन का वर्णन करूंगा।

तिलम संघ के बारे में भी मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें बताई, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता लेकिन मैं सदन के सामने दो-तीन प्रश्न रखना चाहता हूं कि संचालक मण्डल में, मैं और बाबो धूनियो, मारवाड़ी में एक कहावत है अध्यक्ष और एम. डी., दो संचालक मण्डल के सर्वे सर्वा और सार्वभौम और वह निर्णय लेकर 26 करोड़ की खरीद कर लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह सही था तो अभी हाल ही में पांच लोगों को सचालक मण्डल की कार्य-कारिणी में क्यों लिया गया? यह प्रश्न इतना स्पष्ट है कि दो आदमियों ने मनमानी की। अब सरकार चाहे कितना ही प्रोटेक्शन दे लेकिन यदि दो आदमी सही थे तो अब तीन आदमियों को उसमें बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? या तो पहले गलत हुआ है या अब गलत हुआ है। कहीं न कहीं गलती है इस बात की।

इसी तरीके से मैं खेड़ा उद्योग के बारे में आपको बताना चाहता हूं। खेड़ा उद्योग की मशीनें हमेशा रीको और आर.एफ.सी. से जो पैसा दिया जाता है वह मशीन के निर्माणकर्त्ता को दिया जाता है लेकिन इसमें सीधा पार्टी को पैसा दे दिया गया और यह पैसा जो है खुर्द बुर्द होकर""

श्री कृष्ण कुमार गोयल : साल भी बता दो कब का है कब का नहीं है थोड़ा मालूम पड़ जाए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कब-कब हुआ तो सरकार में आप बैठे हो ना। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी हाल ही में पाइप की खरीद के बारे में पूरे साल भर तक पाइप नहीं खरीदे गए और जब अभी मार्च आया तो अफरा तफरी में पाइप खरीदने की बात आई और इसमें भी हमारे स्टेट की जो फर्म्स हैं इनकी जगह बाहर की फर्मों को आदेश दिए गए और वह आदेश पहले की रेट से ज्यादा रेट पर दिए गए।

इसी तरह से बैरी कमीशन के बारे में कई काम उनको दिए गए। बैरी कमीशन ने किन-किन लोगों को दोषी ठहराया, कितने-कितने भ्रष्टाचार के मामले बैरी कमीशन को दिए गए, बैरी कमीशन की क्या रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखकर डिसकस करना चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ : जोशी जी शिवचरण जी सब आ जायेंगे उसमें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई नहीं आयेंगे आप आ जाएंगे।

श्री कालीचरण सारफ : नहीं हम तो खैर सवाल ही नहीं, पर जोशी जी आ जाएंगे और शिवचरण जी आ जाएंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जब इतना खा, कमा रहे हैं तो इनको खाने कमाने दो, जनता अपने आप निपट लेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, बैरी कमीशन से हमको जो जानकारी मिली है उसके अनुसार चीफ सैक्रेट्री बी. बी. एल. माथुर (एक्स) को सवा करोड़ रुपये के घोटाले का दोषी पाया गया है। वर्तमान सरकार ने उनको राजस्थान मिनरल एण्ड डवलपमेंट कारपोरेशन का अध्यक्ष बना रखा है। आप तो भ्रष्टाचारियों को सबसे ज्यादा संरक्षण दे रहे हो और मेरा यह चार्ज है कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है और भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार का साक्षात अवतार है। जिसके कारण से आज जगह-जगह घोटाले हो रहे हैं। मैं कम से कम सैकड़ों उदाहरण देकर यह बता सकता हूं कि जो भ्रष्टाचार के दोषी लोग हैं, उन लोगों को चाहे मैसर्स कल्याण सुन्दरम का मामला हो, जिनके खिलाफ एफ. आई. आर. लाज की हुई है उन लोगों को यह सरकार प्रोटेक्शन दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार की जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। मैं उदाहरण देकर बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप और हम सब डेजर्ट इलाके से आते हैं। पर्यटन विभाग ने डेजर्ट काम्पलेक्स की योजना बनाई लेकिन क्या हुआ। डेजर्ट काम्पलेक्स की योजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई काम उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। जैसलमेर, पोकरण, बीकानेर, बाड़मेर और गैराडू के टैम्पल जिनका विकास किया जा रहा था उन विकास के कामों को इन्होंने एक तरह से ठप्प सा कर दिया है। आज पर्यटन के विकास की सम्भावनाएं राजस्थान में सब कुछ है। यहां बर्फ और समुद्र के अलावा राजस्थान में सब कुछ है जो पर्यटक को यहां पर मिलता है। लेकिन राज्य सरकार ने डेजर्ट काम्पलैक्स के डवलपमेंट के लिए, सैण्ट्रल काम्पलैक्स के लिए और मेवाड़ काम्पलेक्स के डवलपमेंट के लिए कोई विशेष काम नहीं किया जिसके कारण आज हमारा पर्यटन का विकास जो तेज गति से आगे बढ़ रहा था, जिसकी सेवन्थ फाइव ईयर प्लान और सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान में बेड केपेसिटी 900 से 915 हुई थी मैं समझता हूं कि पिछले दो साल में इन्होंने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के माध्यम से 100 बेड केपेसिटी भी नहीं बढ़ाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पर्यटन के लिए केन्द्रीय सरकार से जो सहायता मिलनी चाहिए उस सहायता को प्राप्त करने में भी यह सरकार विफल रही है। केन्द्रीय सरकार के माध्यम से समय-समय पर जो पैसा पर्यटन विकास के लिए मिलता रहा है उसमें भी गत दो वर्षों में कमी आई है क्योंकि यह प्रोजेक्ट बनाकर के भेजते ही नहीं हैं। और प्रोजेक्ट बनाकर नहीं भेजते हैं तो केन्द्र सरकार वह पैसा दूसरे राज्यों को दे देती है। राजस्थान में जयपुर हमारा जो है गोल्डन ट्रेंगल में आता है। लेकिन जयपुर के विकास के लिए, जो हमारी राजधानी हैं इस पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार ने दो साल में क्या किया? इन्होंने काम नहीं किया। फिर मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको कहना चाहूंगा कि बीकानेर का मेला जो होता था उसको भी इन्होंने बन्द कर दिया और एक दो मेले कहीं के बन्द कर दिए। पता नहीं तो मैं वहां से चुनकर आया हूं इसके कारण बन्द किया है या और किसी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कारण से किया है, मैं नहीं जानता लेकिन जो भी काम है उसमें राजनीतिक पक्षपात है।

पेयजल योजनाओं को ले लीजिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग को ले लीजिए। स्कूलें एक भी मेरे को तो याद नहीं है कि बीकानेर में इन्होंने कहीं हमारी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक भी स्कूल खोली है? इन्होंने सड़क के लिए बीस लाख रुपए सम्भागीय मुख्यालयों को दिए तो उसमें से 14 लाख रुपए बिथड़ा कर लिए और कोटा को भेज दिए। इसी तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल योजनाओं के लिए भी गत दो वर्षों में मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार पांच-सात लाख रुपए भी नहीं मिला है। जो सम्भागीय मुख्यालय हैं उनकी जो मेन्टीनेंस सड़कों की मेन्टीनेन्स का काम है। पेयजल योजनाओं का, अन्य योजनाओं का, इसके सम्बन्ध में बिल्कुल जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बोल चुके आप।

(4.00 म.प.)

श्री बुलाकीदास कल्ला : पांच मिनिट में खत्म कर दूंगा। जल्दी ही कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की मांग यहां डिसकस हुई। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि केन्सर के मरीज अभी नहीं है हमारे महाराजा गंगासिहजी के वक्त से बीकानेर में आते हैं, राज्य से नहीं पड़ौसी राज्यों से। आज कोबाल्ट थेरेपी का जो कोबाल्ट संयंत्र है वह बन्द पड़ा है। जयपुर का बन्द पड़ा है, जोधपुर का बन्द पड़ा है, उदयपुर का पता नहीं। सिंचाई मंत्री जी बता देंगे कि वहां बन्द है या चालू है। मैं असत्य बात नहीं कहूंगा। मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जिनकी जानकारी है मैं कह रहा हूं। कई महीनों से एक्स-रे के संयंत्र खराब पड़े हैं। सिटीस्केन की मशीन खराब पड़ी है और ग्लूकोज के संयंत्र तो पांचों मेडीकल कालेज में खराब पड़े हैं लेकिन इसके बारे में कोई विभाग कार्यवाही नहीं कर रहा है। मैं इसलिए एप्रोप्रियेशन बिल पर यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में नाकारा सिद्ध हुई है और इन्होंने किसी भी प्रकार का डवलपमेंट स्टेट का नहीं किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय सिंचाई मंत्री पिछले दिनों में अनुसूचित जाति के भाइयों के पक्ष में बोल रहे थे। मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा अनुसूचित जाति विकास निगम और अनुसूचित जन जाति विकास निगम उनको केन्द्रीय सरकार की तरफ से जो अपना स्वंय का व्यापार उद्योग लगाना चाहते हैं उन लोगों को प्रतिवर्ष रुपया स्टेट गवर्नमेंट की गारन्टी के आधार पर उनको देती है 6 प्रतिशत ब्याज पर या 4 प्रतिशत ब्याज पर, मुझे ब्याज की दर पूरी याद नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यू. पी. ने 49 करोड़ रुपया ले रखा है, दिल्ली ने काफी रुपया ले रखा है और हरियाणा जैसे ने 26–26 करोड़ रुपया लिया हुआ है लेकिन पिछले कई अर्से से स्टेट गवर्नमेंट इसकी गारन्टी नहीं दे रही है। जिसके कारण एक तरफ

(168)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

सरकार नौकरियों पर बेन, दूसरी तरफ जो हमारी स्वरोजगार योजना चल रही थी उसमें कटौती और जो अनुसूचित जाति, जनजाति के भाई हैं, उद्योग व्यापार करने के लिये पैसा उधार लेकर अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट गारन्टी नहीं दे तो लोग कहां जायेंगे। मैं समझता हूं आज सारे लोग ...

श्री जीवराम कटारा : आपकी जहां गवर्नमेंट है केन्द्र में वहां भी स्टेट गारन्टी नहीं दे रही हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं दे रही है तो हम उनकी भी चिन्ता करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह देते हैं इस बात को नोटिस में लाये, कोई गलत बात नहीं है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह लोग गारन्टी नहीं देंगे, अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को आज कम ब्याज के ऊपर जो पैसा भारत सरकार से मिलता है वह नहीं दिलायेंगे, कोई बात नहीं है लेकिन हम इस बात का विरोध करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की गारन्टी से यदि स्टेट को 30-40 करोड़ रुपया मिल सकता है तो निश्चित रूप से आपको हमारे राजस्थान के उन पिछड़े, कमजोर, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले भाइयों का ध्यान रखना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को गारन्टी देकर उनका पैसा मुहैया करना चाहिए ताकि वह स्वावलम्बी बन सके, आप तो गरीब को गणेश मान कर यह योजनायें बना रहे थे। आपकी कथनी और करनी में अन्तर क्यों है? आपने योजनायें उपाध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी बनाई है गोपाल योजना, सब कामजी योजनायें, भागीरथ योजना, अब वह भागीरथ तो गंगा लेकर आया था आप भागीरथ क्या करेंगे? राजस्थान को डुबोने में लगे हुये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : आत्मा से कह रहे हैं क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं आत्मा से कह रहा हूं। आप लोग डुबो दोगे राजस्थान को चौपट कर दोगे, धराशायी कर दोगे राजस्थान को।

श्री उपाध्यक्ष : अगर पानी लाकर डुबो देंगे तो कोई अन्याय नहीं होगा। राजस्थान को पानी चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : यह कलयुगी भागीरथ है।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक साल पहले आप सतयुगी थे क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, कलयुगी भागीरथ जो है वह गंगा तो लायेंगे कि नहीं लायेंगे लेकिन राजस्थान को चौपट करके रख देंगे। आज उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि इनकी जितनी भी योजनायें हैं, भागीरथ योजना की आपकी क्या उपलब्धि रही। 30 जिलों के काम के बारे में यहां जिक्र हुआ था।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

20 करोड़ में से तीन करोड़ की राशि आपने खर्च की। सब पोल इनकी खुल गई। विधान सभा के सदन में प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से और यही स्थिति अपना गांव और अपना काम में है। इस राजस्थान में 34 हजार के करीब गांव हैं और उन गावों में 30 प्रतिशत राशि गांव के लोग दें और 70 प्रतिशत राज्य सरकार अपना अनुदान देकर योजना बना कर क्रियान्वित करेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : 40 मिनट होने जा रहे हैं। पूरा कर दीजिए। लम्बा चौड़ा आपके पास ज्ञान का खजाना हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जितना इनको दिया उतना समय मुझे भी देंगे आप।

श्री उपाध्यक्ष : इतना तो नहीं दिया जा सकता। यह सभापति पेनल के आदमी हैं इनको तो....

श्री जोगेश्वर गर्ग : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य विरोध करते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। भगवान करे विरोध ही करते रहें।

श्री उपाध्यक्ष : रास्ता बता रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो प्रजातन्त्र में जिसको जो ड्यूटी मिलती है, आपको यह घमण्ड नहीं होना चाहिए कि आप यही रहेंगे....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कल कहां थे और आज कहां हैं आप इससे ही अन्दाज लगा लें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी योजनाएं इन्होंने बनायी है, केवल कागजी घोड़े दौड़ायें हैं। उन योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को नहीं मिला, राजस्थान को भ्रष्टाचार मिला है। अभी इन्दिरा गांधी नहर मंत्री बोल रहे थे। आप मेरे साथ चलें इन्दिरा गांधी नहर में छत्तरगढ़, पूगल रावला और पूगल जहां की पद्मिनी प्रसिद्ध हुई थी वहां भ्रष्टाचार प्रसिद्ध हो रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : पद्मिनियों में भ्रष्टाचार हो रहा है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक चक से तीस-तीस हजार रुपये वसूल किये जा रहे हैं। अब मंत्रीजी की जानकारी में आया या नहीं आया, मैं उन पर आरोप नहीं लगाता लेकिन मैं दावे के साथ हजारों काश्तकारों से कहलवा सकता हूं कि 30–30 हजार रुपये एक-एक चक से जो अभी मोगे बदले जा रहे हैं उनमें बिना रसीद के वसूल किये हैं। डेढ़ करोड़ की राशि इन्दिरा परियोजना क्षेत्र में लोगों से वसूल की गई। यह बातें आप लोगों के पता नहीं क्यों नहीं ध्यान में आती है या ध्यान में है और इसको नहीं देख रहे हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय कल्ला जी, स्पेसिफिक बता दीजिए कि फलां जगह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

फलां मौगे पर यह किया जा रहा है । मैं उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और निलम्बित करूंगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं जिले बता रहा हूं । खाजूवाला, रावला, छत्तरगढ़ और पूगल, इन चार स्थानों के चकों में तीस-तीस हजार रुपये वसूल किये गये ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ग्राफ इन्फार्मिशन, । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे । माननीय मंत्रीजी ने खड़े होकर कहा कि स्पेसिफिक शिकायत ग्राप बता दें मैं उस अधिकारी को निलम्बित कर दूंगा क्या ग्राप बिना जांच के कर देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले जब दोगे तो जो भी कार्यवाही करनी है अगर चार्ज साबित होता है तो निश्चित तौर से सस्पेण्ड कर दिया जायेगा । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मुझे खुशी है कि ग्राप उसकी जांच....

श्री कालीचरण सराफ : नाम तो बताग्रो इतनी बात कह दी तो व्यक्ति का नाम तो बता दो ।

श्री मनीराम सियाग : ग्रापको मैं बता सकता हूं । मेरे....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापका नम्बर ग्राये तब बता देना । ग्राप कह चुके हैं । इन्होंने नोट कर लिया । ग्रभी नहीं । प्लीज फिर यह होगा नहीं । मनीरामजी प्लीज यू ग्रलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इससे तो साबित हो गया कि बीकानेर जिले के लोग इन बातों को जानते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी ग्रनेक चीजें मैं ग्रापको बता सकता हूं लेकिन एक दो स्पेसिफिक चीजे हैं । ग्रभी हाल ही में 10–1–92 को एक ग्रधिसूचना राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं ग्रावासन विभाग द्वारा जारी की गई ग्रौर उसमें केन्द्रीय भूमि ग्रवाप्ति ग्रधिनियम (1894) का केन्द्रीय ग्रधिनियम संख्या 1 की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजकीय ग्रावासन मण्डल की सांगानेर चतुर्थ ग्रावासीय योजना के लिये ग्रवाप्त की जा रही भूमि को ग्रवाप्ति से मुक्त किया गया। मैसर्स ग्रारवर्ट प्राइवेट लि. जयपुर प्रमोटर ग्राम तहसील शोपुर सांगानेर खसरा नं. 906/1575 रकबा बिस्वा, तीन बीधा, डाइरेक्टर ग्रालोक कोटेवाला, त्रिपोलिया बाजार जयपुर में यह खसरा नम्बर 907, 908,909,911,912,914, 915, 916 918,920 इसमें कुल मिलाकर लगभग 50 बीघा के करीब जमीन को मैसर्स शुभ एग्रो कामर्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर, खसरा नम्बर 906,17 बीघा 19 बिस्वा यह ग्रावासन मण्डल की जमीन जो ग्रवाप्त की गई थी, इसको ग्रवाप्ति से मुक्त कर दिया गया । ग्रब जो योजनाएं भूमिहीन लोगों के लिए हैं, उनको जयपुर में इसलिए 12–12, 15-15 साल से मकान नहीं मिल रहे हैं ग्रौर दूसरी तरफ जमीन ग्रवाप्त की जा रही है । उनको ग्रवाप्ति से निकाला जा रहा है । ग्रब इसमें

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन को समझना है कि यह क्यों हो रहा है, इसमें किसका हाथ है। क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराने की मंशा रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व....

श्री कालीचरण सराफ : भूमि अवाप्ति में जो जमीन निकलती है, उसकी उसमें जांच की क्या जरूरत पड़ गई ? कोई इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री कालीचरण सराफ : वाह साहब कमाल कर लिया। इसमें कोई किसी दूसरे यूज के लिए जमीन है और उसकी अवाप्ति की नहीं तो भ्रष्टाचार कहां से हो गया ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने करवाई थी क्या इसको ?

श्री कालीचरण सराफ : मैं जयपुर का एम. एल. ए. हूं और मैं ही कराऊंगा और कौन करायेगा....(व्यवधान) इसमें भ्रष्टाचार कहां है, वह बताओ आप तो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है हमारे पास फेक्ट्स हैं। हम बतायेंगे। जो हाउसिंग बोर्ड की आवासीय योजनाओं की जमीनों को आप छुड़ाते हैं यह निश्चित रूप से सीलिंग में आएगी, इसमें निश्चित रूप से मेलाफाइड इन्टेन्शन है और लाखों रुपयों की बंगलिंग हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष । आप कन्क्लूड कीजिये अपने स्पीच को। 40-45 मिनट हो गये हैं। दूसरे वक्ता भी हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपसे इस विधान सभा क्षेत्र के अपने ही निर्वाचन क्षेत्र के बारे में अभी तक मैंने कुछ चर्चा नहीं की है....

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट और है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 2–3 मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : 2 मिनट खाली। 4.15 बजे आप अपनी बात को पूरा कर लेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय जेल मंत्रीजी यहां बिराजे हुए हैं। दो साल से ये कह रहे हैं कि जेल को हम शिफ्ट कर देंगे और अभी पिछले दिनों में पूर्व वित्त मंत्रीजी को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि हम जेल को शिफ्ट कर देंगे। बीकानेर की जेल को कब तक बीकानेर से बाहर शिफ्ट कर देंगे। यह स्कीम स्वीकृत है यू. आई. टी. से और इस यू. आई. टी. द्वारा इस जेल को शिफ्ट करने से लगभग 10 करोड़ रुपये की आय होगी और आपको जेल बनाने में 3 करोड़ रुपये भी नहीं लगेंगे। ऐसे फायदों के कामों को जनहित में क्यों नहीं करते ?

इसी तरीके से बीकानेर में रंगमंच के लिए, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 20 लाख रुपये दिये थे। इनमें से 6 लाख रुपये की पहली किश्त हमारे शासन के समय में दे दी गई, अब 14 लाख रुपये माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी कब देंगे और बीकानेर में रंगमंच कब बनायेंगे। जयपुर में रंगमंच के लिए भी 250वां वर्ष मनाया

(129)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

गया था, उस समय स्टेट गवर्नमेंट ने 20 या 25 लाख रुपये दिये थे लेकिन वह पहले यू. आई. टी. को मिला, अब जे. डी. ए. के पास पड़ा है। वहां पर वह रंगमंच नहीं बना तथा रंगमंच के रंगकर्मियों के आप क्यों खिलाफ हैं। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, पिछले दो साल से कहीं भी डिस्कशन में नहीं आ रही है। उसका न तो कोई प्रगति प्रतिवेदन आ रहा है। राजस्थानी भाषा साहित्य से सम्बन्धित जो पुरस्कार विद्वानों को मिलने चाहिये, वह नहीं मिल रहे हैं, उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है और उनका बजट लेप्स हो रहा है। इसके सम्बन्ध में जो अकादमी राजस्थान में बन गई हैं, उनको संरक्षण देना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह काम आपको सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिये और अन्त में मैं उपाध्यक्ष महोदय, आज विनियोग विधेयक रखा है, इस विनियोग विधेयक में राज्य सरकार को फालतू खर्चों में कटौती करनी चाहिये, मितव्ययता होनी चाहिये। उस मितव्ययता को रख पाने में राज्य सरकार नाकामयाब रही है और क्योंकि चाहे हम जो नान प्लान का एक्सपेंडिचर है। उसको कम करें, प्लान के एक्सपेंडिचर को बढ़ायें, इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करें। भ्रष्टाचार को कम करने की बात आप कर रहे थे, भ्रष्टाचार गत दो वर्षों में खूब बढ़ा है और इसके ऊपर अंकुश लगाइये और राजस्थान में वह काम जो वर्षों से नजुल प्रोपर्टी के बारे में अलग से बात करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो योजनाएं हमारी वर्षों से....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय शिवकिशोर सनाढ्य। अब इसको कन्क्लूड कीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ""लम्बित है उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिये और अन्त में धन्यवाद के साथ मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद भी दे रहे हो और विरोध भी कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करता हुआ कहना चाहूंगा कि यहां जो राजस्थान में नई औद्योगिक नीति आई उसके कारण राजस्थान के लोग, राजस्थान के मारवाड़ी उनके लिए तो यह प्रसिद्ध हो गया था "जहां जावे गाड़ी वहां जावे मारवाड़ी" यह मारवाड़ी सारे संसार में फैला हुआ था और इसी ने अपने उद्योग के लिए वहां के लोगों को काम दिया, रोजगार दिया, उनको खुशहाल बनाया लेकिन इनका ध्यान अपने ही क्षेत्र की तरफ नहीं गया लेकिन जो औद्योगिक नीति राजस्थान सरकार ने पिछले सालों में लागू की, उसकी वजह से प्रवासी राजस्थानी राजस्थान की तरफ उद्योग लगाने के लिए आये हैं और इस तरीके से यहां जो इन्डस्ट्रीज राजस्थान में लगेगी, आज 7 बड़े कारखाने जो सीमेंट के हैं, जिनकी क्षमता 10 लाख टन की है, ऐसे कारखाने राजस्थान में लगे तो

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

राजस्थान के लोगों को इसकी वजह से काफी लाभ होगा। यही नहीं, ये प्रवासी राजस्थानी ही नहीं बल्कि जो विदेशों में भारतीय बसे हुए हैं, उन भारतीयों का ध्यान भारतवर्ष की तरफ खास तौर से राजस्थान की तरफ गया है और वह भी नये-नये कारखाने लगाने के लिए और उद्योग लगाने के लिए राजस्थान में आ रहे हैं।

मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि उन लोगों को वहीं उद्योग लगाने के लिए इजाजत दी जानी चाहिये कि जिन उद्योगों के द्वारा हमारा कुछ जनहित हो सके। जैसे इलेक्ट्रोनिक्स का क्षेत्र है, अगर कोई अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी आती है उसका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन जो उद्योग यहां पर पनप रहे हैं, जो यहां के लोग चला सकते हैं, जो पैदा कर सकते है, ऐसे उद्योगों में अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी, जो आने वाली है, उनको राजस्थान में देना नहीं चाहिये, उसकी वजह से इस मुल्क का शोषण होगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो उद्योग अब तक डवलप हो रहे थे, जिन शहरों में डवलप हो रहे थे, वहां ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि वहां पर्यावरण की समस्या पैदा हो गई है, वहां ला एण्ड आर्डर की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, अब उनको छोड़ करके आज नये औद्योगिक क्षेत्र की जो रीको ने घोषणा की है, नये-नये औद्योगिक क्षेत्र ढूंढ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पिछले साल में 23 करोड़ रुपये की जमीन इन्होंने खरीदी है, इस जमीन को खरीदने का मतलब आज तक पिछले 6-7 सालों में अभी तक इतनी जमीन रीको ने नहीं खरीदी। इसका अर्थ है कि अब उद्योगों के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए हम लोगों ने यह जमीन खरीदी है लेकिन इस बात का पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये कि जिस तरीके से केमिकल्स की इण्डस्ट्रीज आज शहरों के मध्य में लगी हुई है और उनकी वजह से आसपास के कुओं का पानी खराब हो गया, वहां पीने के पानी की समस्या हो गई। जिस तरीके से वहां की जमीन की उपज समाप्त हो गई, ऐसे केमीकल्स लगाने की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों में लगाये जाने चाहिये जहां पर इनका प्रभाव ना पड़े। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि पर्यावरण की दृष्टि से निश्चित रूप से जिन उद्योगों को हम जगह दे रहे हैं, उनके लिए हम यह शर्त लगा दें कि वे इतने पेड़ लगायेंगे कि जिसकी वजह से वह पर्यावरण दूषित न हो सके। मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के क्षेत्रों में आज मार्बल की खानें चल रही है। उस मार्बल की घिसाई के लिए जो बड़े-बड़े गैंगसा लगाये गये हैं, उनका जिस तरह से वह मलवा बच जाता है जिसको जगह-जगह सड़कों पर डाल देते हैं, डम्प किया जा रहा है, उसकी वजह से आने वाले समय में जब वह सूख जायेगा और वह उड़ेगा तो वह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अनुपयोगी सिद्ध होगा। या तो उस मेटेरियल को काम में लाने के लिए कुछ उद्योग लगाने चाहिये ताकि वह मेटेरियल काम में आ सके और नहीं तो उसे ऐसे स्थान पर डाला जाना

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कहिये कि जिसकी वजह से प्रदूषण नहीं फैले। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो उद्योगों में नई नीति लागू की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उद्योग मन्त्रीजी को, अभी वे नहीं है यहां पर...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: आपका धन्यवाद उन तक पहुंचा देंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य: हां, साहब पहुंचा दीजिये। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लघु उद्योगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पहले 7.5 प्रतिशत ब्याज लगता था, उस ब्याज को कम करके सवा पांच प्रतिशत किया है। मैं तो यही चाहूंगा कि यह जो सवा पांच भी किया है, इससे भी कम करें ताकि लघु उद्योग पनप सके। लघु उद्योग पनप नहीं सकेंगे अगर इस तरीके से ब्याज पर ब्याज लेते है तो उन्होंने ब्याज तो माफ कर दिया। ब्याज तो वसूल करते हैं। ब्याज पर ब्याज पहले दण्ड था वह माफ कर दिया मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं चाहूंगा कि लघु उद्योग जितना हम अपने मुल्क में लगायेंगे, जिसको गांवों का देन कहा जाता है, गांधी का भारत अगर बनाना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भारत बनाना है तो निश्चित रूप से हमें गांवों की तरफ देखना होगा और गांवों में लघु उद्योग हैं उन्हें हमें पनपाना होगा। जब तक गांवों में लघु उद्योग नहीं पनपेंगे तब तक लोग शहरों की तरफ भागते रहेंगे और शहरों में जिस तरीके से आज ये उद्योग पनपते रहेंगे, उन उद्योगों के द्वारा शहरों पर भार बढ़ता रहेगा और इसीलिए यह लघु उद्योग जितने लगाये जायं, वे शहरों में नहीं लगा करके विभिन्न गांवों में बड़े बड़े कस्बों तक इनको ले जाना चाहिए और खासतौर से जो गांवों की इण्डस्ट्रीज हैं, पहले गांव का आदमी गांव के अन्दर काम चला लेता था, पं० नेहरू ने अपने हाथ से सूत कातकर अपनी बेटी इन्दिरा का विवाह किया व साड़ी उसको भेंट की। इस देश में जब तक हम लोगों में यह भावना नहीं होगी, स्वदेशी की भावना पैदा नहीं होगी, हमारे देश की ही चीज काम आवे, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक यह सपना अधूरा रहेगा। राजस्थान सरकार ने निश्चित रूप से अपने बजट का 60 प्रतिशत गांवों में खर्च करने के लिए रखा है। उसने गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा करने का जो ध्येय बनाया है वह तभी पूरा हो सकता है जब हम पंचायती राज के ढांचे को एक बार पुनः रिआर्गेनाइज करें। हम लोगों ने सोचा और शिक्षा दे दी, आयुर्वेद के अस्पताल दे दिए। वे सारे डिपार्टमेंट देने से पंचायत राज का उद्धार होने वाला नहीं है। गांवों का विकास तभी हो सकता है जब गांवों के विकास को किया जाय। जब ब्लाक्स बनाये थे, मैं स्वयं पंचायत राज में रहा हूं, मैं स्वयं ब्लाक्स में रहा हूं, ब्लाक्स बने थे तो उसका पहला उद्देश्य यह था कि न पी. डब्ल्यू. डी. में उसे जाना पड़े, न इर्रिगेशन में उसे जाना पड़ें, न शिक्षा विभाग में उसे जाना पड़ें। उस गांव के आदमी को सारी सुविधायें सहकारिता के, एनिमल हजबेण्डरी के जो हास्पिटल थे वह भी उस पंचायत राज के अन्दर उनके आफिसर्स वहां रहते थे वे राय देते थे लेकिन जिस तरीके से सहकारिता के के बीच में यह भ्रष्टाचार पनपा है, ये

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सहकारी संस्थाएं राजस्थान में इसलिए नहीं जड़ सकी हैं कि सहकारी संस्थाओं में जो उस समय के शासन करने वाले लोग थे उन लोगों ने उसे केवल अपने घर को भरने के लिए उसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार पैदा किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह सहकारिता विभाग के जो कॉपरेटिव बैंक्स हैं इन सबका रिआर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इन पर जितना रुपया खर्च होता है उसका लाभ उस किसान को नहीं मिल पाता, उस गांव के आदमी को नहीं मिल पाता। भूमि विकास बैंक का गठन किया गया, लैम्पस का गठन किया गया, कॉपरेटिव बैंक्स का गठन किया गया। इन सारे आर्गेनाइजेसंस को एक दफे देखना चाहिए और यह जो तमाम आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के ये क्यों लगते हैं इसके ऊपर एक कमेटी बिठा कर जांच करनी चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, मैं राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पंचायत राज में मिडिल स्कूलों को सौंप दिया था। प्राइमरी स्कूल्स तो सफल हो नहीं सकी थी। फिर मिडिल स्कूल सौंपी गई। उनको शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया। मैं चाहता हूं उसी तरीके से आयुर्वेद के अस्पताल जो सौंपे गये हैं पंचायती राज को वे हाईकोर्ट के द्वारा रोके हुए हैं। अगर हाईकोर्ट द्वारा नहीं रोके होते तो पंचायत राज में जिस तरह की राजनीति चल रही है जिस तरीके से राजनीतिक मोहरे बनाये जा रहे हैं उससे इसका विकास अवरुद्ध होता। मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि आयुर्वेद के अस्पतालों को भी विभाग में दिया जाय ताकि विभाग का कंट्रोल आये। उस सरपंच का, पंच का कंट्रोल नहीं रहे जो केवल अपनी राजनीति चलाने के लिए उस सरकारी आदमी का प्रयोग करता है। उससे सेवा नहीं होगी, उससे भ्रष्टाचार होगा। मैं एक सरपंच को प्रसन्न कर लूंगा और सारे दिन घर पर सोता रहा। उससे विभाग का कन्ट्रोल नहीं रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के औषधालय जो पंचायत राज को सौंपे गये हैं वे वापस ले लिए जायें। मैं पंचायत राज मन्त्री से भी निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहा है कि एक-डेढ़ महीने के अन्दर सब जगह शिक्षक लगा दिये जायें। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि डेढ़ महीने बाद तो स्कूल बन्द हो जायेंगे। गर्मियों की छुट्टियां हो जायेंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरह से आप नियुक्ति आदेश निकालेंगे। वहां मैरिट के आधार पर टीचर्स को नियुक्ति दे दी जाती है इस ढांचे को बन्द कीजिएगा। लोग आयें उनका इन्टरव्यू हो और इन्टरव्यू के आधार पर आप उनको दें और इसीलिए उसमें जब भ्रष्टाचार हुआ, क्योंकि यह तो बनाया ही भ्रष्टाचार के लिए गया था। इसकी नियुक्ति भ्रष्टाचार के लिए थी। आपको याद है इस कमीशन का सरकारी कर्मचारियों ने विरोध किया था और सरकारी कर्मचारियों ने जो कमीशन का गठन किया था उस कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनके मेम्बर्स थे, जो जिला परिषदों के माध्यम से टीचर्स की नियुक्ति होती थी उसका विरोध किया और इसलिए किया कि एक-एक आदमी से 5-5, 7-7 हजार रुपये की रिश्वत ले ली जाती थी ताकि वह पंचायत राज में भर्ती हो सके। उसे आपने बन्द तो किया है लेकिन उसकी वजह से स्कूल के ऊपर यह प्रभाव पड़ रहा है कि

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

टीचर्स नहीं लगे। मेहरबानी करके आप ऐसा कीजिएगा, विभाग में जो प्रणाली है उसे ही लागू कर दें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज बी. एल. डब्ल्यू. हैं इनकी भी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अगर गांवों का विकास करना है तो बी. एल. डब्ल्यू. की भी आवश्यकता होगी, टीचर्स की आवश्यकता होगी अतः उनकी पोस्टों को भरा जाय।

पंचायत राज में सेक्रेटरी बनाये जाते हैं वे 3-3, 4-4, पंचायत समितियों का काम देखते हैं और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि वह एक ही स्थान पर रहता है उसका किसी तरह का कोई कन्ट्रोल नहीं है, उसका कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता और उसकी वजह से वह भ्रष्टाचार करता रहता है वह निरन्तर लगा रहता है और गांवों के व्यक्तियों का शोषण करता रहता है। इसको बदलने के लिए एक बार पंचायत राज का रिआर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता है।

पंचायती राज की कई कमेटियां हैं। पटेल कमेटी की रिपोर्ट है, गिरधारीलाल व्यास कमेटी की रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट्स को आप देखें और एक कमेटी आप और बैठायें और इनका रिआर्गेनाइजेशन करें ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

चिकित्सा मन्त्रीजी ने चिकित्सा विभाग सम्भालने के बाद बहुत कुछ किया है लेकिन एक बात मैं उनको और ध्यान में दिलाना चाहता हूं। उन्होंने जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कार्डियालोजी डिपार्टमेंट खोल दिए। लेकिन कार्डियालोजी डिपार्टमेंट खोलने से वहां की समस्याओं का निदान नहीं होगा। विभाग में क्वालिफाइड लोग हैं उन क्वालिफाइड लोगों को आप वहां पर प्रमोशन दें। जब आप वहां प्रमोशन देंगे तभी उन लोगों का इन्टरेस्ट पैदा होगा और तभी लोगों को उसकी चिकित्सा प्राप्त हो सकेगी। मनोचिकित्सा विभाग, उदयपुर में भी है। उदयपुर का जो विभाग है उसमें प्रोफेसर नहीं है। उसमें रीडर हैं, उसमें लेक्चरर हैं लेकिन उसमें प्रोफेसर नहीं है और प्रोफेसर न होने की वजह से विभाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। आप चाहते हैं। वहां पिरामिड बने। नीचे के लेक्चरर्स की संख्या, उसके बाद रीडर्स की संख्या और तब प्रोफेसर्स की संख्या और प्रोफेसर्स तो 6–6 लेकिन लेक्चरर्स–4 व रीडर–2, इससे कैसे काम चलेगा। पैरा-मेडिकल की भी यही स्थिति है। पैरा-मेडिकल स्टाफ भी पूरा नहीं है। आप इस सारे आर्गेनाइजेशन का जब रिआर्गेनाइजेशन करेंगे तभी चिकित्सा विभाग की हालत सही हो पायेगी। मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग पुरानी सरकार के जमाने में 5 बजे के बाद ही चलता था। 5 बजे तक तो वहां कोई काम नहीं होता था लेकिन उसके बाद में जिस तरह से शासन होता था, जिस तरह के भ्रष्टाचार की बात पनपती थी। लेकिन फिर भी आवश्यकता है आप कम से कम जो लोग एक सीट पर बैठे हुए हैं उन लोगों को इधर-उधर हटायें तो सही। उनका विभाग तो बदलिए। अगर विभाग बदल देंगे तो उनकी जो मोनोपोली चल रही है वह समाप्त हो जायेगी।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा विभाग की तरफ भी शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था भाषाई अकादमियों के संदर्भ में। भाषाई अकादमियों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनका बजट बढ़ाना चाहिए। मैं भी चाहता हूं उनका रिआर्गेनाइजेशन करना चाहिए लेकिन शिक्षा विभाग जो लाखों रुपए की किताबें खरीदता है और भाषाई अकादमियां उन किताबों को छाप-छापकर अपने यहां पर ढेर कर देती हैं, उनका विक्रय नहीं होता है, कोई स्तर की किताबें खरीदी नहीं जाती। वे किताबें बहुत अच्छे लेखकों द्वारा तैयार की गई हैं। शिक्षा विभाग को अनिवार्य रूप से यह नियम बनाना चाहिए कि इन भाषाई अकादमियों के जो प्रकाशन हैं उन प्रकाशनों को वह खरीदे और स्कूलों में लिया जाय। ये जो किताबें खरीदते हैं ये कमीशन पर खरीदी जाती हैं.... जो अनुपयोगी किताबें खरीदी जाती हैं, जो वहीं के लेखक लिखते हैं और बड़ी-बड़ी कीमतों पर उनको बेचते हैं, यह भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए और भाषा अकादमियों के द्वारा जो किताबें छापी गई हैं उन किताबों को निश्चित रूप से शिक्षा विभाग खरीदे, यह मेरा आग्रह है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ब्लेक बोर्ड आपरेशन के लिए केन्द्र सरकार ने करोड़ों रुपया दिया था, करोड़ों रुपये का सामान ब्लैक बोर्ड आपरेशन के अन्दर खरीदा गया। मैंने इस सदन में इस चर्चा को उठाया था। मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकार से, राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री सत्य प्रकाश आचार्य ने एक रिपोर्ट की निदेशालय को कि इस ब्लैक बोर्ड आपरेशन में बहुत बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है, गबन है और उस गबन के कारण से यह शिक्षा विभाग बदनाम हो रहा है। उस समय जो निदेशक थे ललित के. पंवार, उन्होंने एक एफ. आई. आर. दर्ज करवाई शिक्षा विभाग की ओर से और उस एफ. आई. आर. के माध्यम से क्या हुआ, जानते हैं उपाध्यक्ष महोदय, वह पुलिस में जब जांच गई, उन लोगों ने केवल दो-तीन टीचर्स को, एक-दो क्लर्कों को पकड़ लिया, उनसे मारपीट की और कहा कि उन्होंने रुपया लाकर, जो भ्रष्टाचार किया था, वह हमारे यहां जमा करा दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग के चीफ अकाउन्ट्स ऑफिसर को, जो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार था, डबल ए. ओ., अकाउन्टेन्ट, उन लोगों को हथकड़ियां क्यों नहीं डाली गई? उन अधिकारियों को क्यों माफ किया गया? केवल छोटे-मोटे टीचर्स को बैठा करके भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता था? मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें लिप्त अगर राजनेता भी थे, उन राजनेताओं पर भी केसेज चलाये जाने चाहिए थे। उस समय जो भी लोग जिम्मेदार थे, ब्लैक बोर्ड आपरेशन के लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, डाइट का सामान खरीदने वाले लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, जब तक बड़े-बड़े लोग उसमें बचते रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट पायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन क्लर्कों ने सबसे पहले इस बात का बीड़ा उठाया शिक्षा विभाग में और उन्होंने उन राजनीतिज्ञों के खिलाफ बयान दिये,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

पुलिस में बयान दिये, जगह-जगह बयान दिये, उन लोगों को तो नुकसान हुआ, उनको बचाया नहीं। लेकिन भ्रष्टाचार की गंगा में जिन लोगों ने अपने हाथ रंग रखे थे उन लोगों तक वह पहुंचे नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि ब्लैक बोर्ड आपरेशन और डाइट में जो सामान खरीदा गया है जिसकी एफ. आई. आर. दर्ज हुई है, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें जो भी लोग शामिल है किसी भी आदमी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और यह अनुदान की जो संस्था है, जो विभाग है बीकानेर में, उसकी शिकायतें हैं कि वह जो अनुदानित संस्थाएं वहां पर जो लोग काम करते हैं, यह जो खर्चा किया है, उसके ऊपर अगले साल अनुदान देते हैं। खर्चा तो मैंने इस साल कर लिया और चूंकि मुझे उन्हीं लोगों से उस पैसे को मांगने जाना है तो जब तक कमीशन नहीं दो, जब तक वह जाकर वहां खड़े नहीं हों, तब तक उनके दुःख-दर्द दूर नहीं होते हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी का इस तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वहां जो वर्षो से बैठे हुए लोग हैं उनको हटायें। तभी यह भ्रष्टाचार मिट सकता है अन्यथा यह भ्रष्टाचार पनपता रहेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, जो तहसील हैडक्वार्टर पर लाइब्रेरीज है इनकी स्थिति बहुत खराब है। इनका पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और इस ढांचे को पुर्नगठित करना चाहिए, तभी उनका काम हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, करोड़ों रुपये का कर्जा माफ कर दिया। लेकिन मैं राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 1958 से लेकर 1970 तक तहसील व पंचायत समितियों के द्वारा किसानों को कुए खोदने के लिए, भूमि समतल करने के लिए ऋण दिया गया। इस ऋण के ऊपर ब्याज वसूल किया जा रहा है। यह तो राज्य सरकार का पैसा है, यह किसी बैंक का पैसा नहीं है, यह किसी बैंक से लोन नहीं लिया है और यह बहुत थोड़ा पैसा है। यदि राज्य सरकार उन किसानों को राहत देने के लिए, जिन लोगों ने यह डवलपमेंट का काम किया था, अगर इस कर्जे को माफ कर देंगे तो बहुत खुशी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस पाली जिले से आते हैं, उस पाली जिले में 1971–72 के अन्दर जब भीषण अकाल पड़ा था, राज्य सरकार ने पचास-पचास, सौ-सौ रुपये राहत के नाम पर लोगों को दिये थे। उनकी भूख मिटाने के लिए दिये। लेकिन उस सरकार ने उस समय उन्हें ऋण के रूप में यह पैसा दिया। आज पचास रुपये सड़सठ रुपये में बदल गये, सौ रुपये सवा सौ रुपये में बदल गये हैं। जिन लोगों की भूख मिटाने के लिए उस सरकार ने पैसा दिया था और आज उन गरीबों के नाम नोटिस जा रहे हैं। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं, मर्सी अपील करता हूं कि ऐसा जो कर्जा है, जब वह करोड़ों रुपये के कर्जे माफ कर सकती है, तो किसानों को भूख मिटाने के लिए जो कर्जा दिया गया था....

श्री उपाध्यक्ष : सनाढ्य साहब, चारा खरीदने के लिए गुजारे के लिए दिया गया था किसानों को।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : चारा खरीदने के लिए हो। अगर उस किसान की गाय बचाने के लिए दिया हो तो वह भी पेट भरने के लिए ही तो था। उस किसान का पेट नहीं भरा हो, उस जानवर का पेट भरा जो मूक प्राणी था लेकिन उसके ऊपर उस प्राणी से, जिसने उसको खाया नहीं है, वह तो उसका मालिक था, अगर उसका कर्जा राज्य सरकार माफ कर दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यह बहुत बड़ी सेवा होगी। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्लीज एण्ड कीजिए। प्लीज।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं। मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। यह जो पानी की समस्या है, यह सारे राजस्थान में है। उदयपुर में भी पानी की समस्या है। आज वहां के तालाब फिर सूखने लगे हैं। ऐसा अक्सर हम लोगों ने देखा है, जो झीलों की नगरी के लोग कहलाते थे, अड़तालीस-अड़तालीस घंटों में पानी मिला है। मैं निवेदन करना चाहता हूं स्वायत्त शासन मंत्रीजी यहां पर है नहीं, उनसे, यह तो जमीन नहीं दे सके, आपकी यू.आई.टी. जमीन देने में फेल हो गई, जिस तरीके से यू.आई.टी. में भ्रष्टाचार पनपा, आपका यह हाउसिंग बोर्ड फेल हो गया लोगों को मकान देने के अन्दर, लोगों ने अपनी कॉपरेटिव्ज बना कर कृषि भूमि के ऊपर जो मकान खड़े कर लिये हैं उनको आप रेगुलराइज करने जा रहे हैं, उनके कन्वर्जन का पैसा आपने ले लिया, उनको बिजली कौन देगा, पानी की समस्या कैसे हल होगी ? आज उनके सामने उनके बच्चों के लिए आवश्यकता है पानी पीने की, चाहे कहीं से भी आप प्रबन्ध कीजियेगा, यू.आई.टी. के लोगों को बैठाइये, नगर परिषद् के लोगों को बैठाइये लेकिन आप यह तय कीजियेगा कि जो बस्तियां बस गई हैं उनको बिजली, पानी, सड़क, नाली मिले, उनको सफाई मिले। कब तक गरीबी की अवस्था में वह लोग जीते रहेंगे, जो लोग टैक्स पे करते हैं, जो पैसा देते हैं। मेरा निवेदन है उनसे, पीने के पानी की समस्या का निदान निकाला जाय और खास कर मैं उदयपुर के लिए कहना चाहता हूं। मानसी वाकल के लिए एक करोड़ रुपया रख दिया। आप जानते हैं उसके लिए आंका गया कि 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह 25 करोड़ रुपये अगर आज की स्थिति में खर्च हो जाते हैं तो मानसी वाकल पूरी हो सकेगी। अगर यह मानसी वाकल उसी गंग नहर की तरह से, उसी इन्दिरा गांधी नहर की तरह से और यह जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसा माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने अपने एक भाषण में कहा था, यह प्रोजेक्ट्स लिये गये थे और उन पर बहुत कम रुपया खर्च होने वाला था लेकिन इन पर दो-दो सौ, चार-चार सौ करोड़ रुपये खर्च हो गये, जो पच्चीस करोड़ में पूरी होने वाली योजना थी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, चाहे सिंचाई विभाग ले, चाहे वाटर वर्क्स ले, इस मानसी वाकल योजना के लिए कहीं से भी रुपया जुटायें लेकिन निश्चित रूप से उसे इसी सत्र में पूरा किया जाय तो निश्चित रूप से हम लोगों को पानी की राहत मिलेगी। उपाध्यक्षजी, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा।....

(180)

श्री उपाध्यक्ष : अब और कीजिए सनाढ्य साहब ।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अन्तिम वक्ता है साहब, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय फूलचन्दजी, सभी बढ़िया बोलते हैं यहां । आप कम बढ़िया नहीं बोलेंगे, आप भी बोलने वाले हैं ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं तो अंतिम बात समाप्त कर रहा हूं । मैं तो राजस्थान सरकार को इस विनियोग विधेयक के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने गरीबों के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में, मजदूरों के संदर्भ में सोचा है, उनको सोचना चाहिए । परन्तु जो राज्य कर्मचारी हैं छोटे राज्य कर्मचारी हैं इस विभाग में, आप देखिये कि कितने आश्चर्य की बात है, एक अपाइंटमेंट विश्वविद्यालय का, पांच हजार का नौकर रख सकता है, एक बडा आदमी लगाया जा सकता है लेकिन एल. डी. सी. का चयन पी. एस. सी. करती है । क्या वह शासन चलाने वाला आदमी है ? जब पी. एस. सी. से एल. डी. सी. का चयन होता है और जब वह उधर भटकता है तो वह ठीक ढंग से काम नहीं कर सकता । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन नियमों में परिवर्तन करना चाहिए । एल. डी. सी. अगर जयपुर जिले का है तो वहीं के लोग उसे अपाइंटमेंट दें । शिक्षा में लगता है, वहां के डिपार्टमेंट में लगेगा । जयपुर में रहे । इसे चेंज करना चाहिए । उसकी योग्यता ऐसी नहीं है कि वह पी. एस. सी. से चयन किया जाना चाहिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 176 के पद जिनके ऊपर रोक लगा दी...

श्री उपाध्यक्ष : आप तो अपनी स्पीच को कन्क्लूड कर रहे थे आपने तो नया सबजेक्ट खोल दिया ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उसी को कन्क्लूड कर रहा हूं । रोक दिया है उनकी वजह से जो बेरोजगारी है वह मिटने वाली नहीं है । जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनके मन में भ्रम पैदा हो रहा है वह दूर हो जायेगा । मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि यह छोटी-मोटी नौकरियां हैं । आप उन तमाम जनजाति क्षेत्रों की तरफ देखें वहां पर नर्सेस, इन्जीनियर्स कभी नहीं पैदा हो सकेंगे । आज जनजाति क्षेत्रों की तरफ जिस तरीके से राजस्थान सरकार को देखना चाहिए उस तरफ राजस्थान सरकार देखे, ऐसा मेरा निवेदन है । मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूं ।

जय भारत,

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद,

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन वर्ष 1991–92 की सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स पर विचार कर रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, अगर, विगत वर्ष का जो निर्धारित बजट था उसको सही तरीके से खर्च किया जाता जो वसूली होनी थी उस वसूली को पर्याप्त और सुदृढ़ तरीके से वसूल किया जाता, फिजूलखर्ची पर रोक लगाई जाती, लीकेज

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

को रोका जाता तो आज इस सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट की आवश्यकता नहीं रहती । केवल कानून बना देने से, संशोधन कर देने से काम नहीं चलता । उपाध्यक्ष महोदय, जिस सरकार की नितियां जैसी हुई वैसा ही परिणाम आयेगा। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि अगर सरकार ने विगत वर्ष में सही तरीके से कार्य किया होता तो आज इन सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन पिछले साल सरकार ने एक तरफ फिजूलखर्ची को रोकने की बात कही, भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कही और किया क्या? चीफ सेक्रेटरी के एक पद को बढ़ाकर चीफ सेक्रेटरी केडर के 6 पद कर दिये, डी. जी. के पद बढ़ाकर 7-8 कर दिये, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों के हर जिले में एक के बजाय दो-तीन पद कर दिये-एक ग्रामीण चिकित्सा का हो गया, एक प्रिन्सिपल मेडिकल स्टाफ का हो गया और एक शहरी चिकित्सा का हो गया । शिक्षा विभाग में भी डी. ओ. के पदों को एक-एक जिले में तीन-तीन कर दिये कहीं एलीमेन्ट्री एजुकेशन का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन आफिसर, कहीं एडल्ट एजुकेशन का और कहीं ग्रामीण एजुकेशन का और अभी हाल में सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी कि पी. डब्लू. डी. में भी एक चीफ इन्जीनियर का पद और बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। आर. एस. ई. बी. के अन्दर भी आपने 17 ऐसे लोग कि जो रिटायर हो गए थे आपने री-एम्प्लायमेन्ट दे दिया। कसर रही तो सिर्फ यह रही कि मुख्य मंत्री भी आप दो तीन बना देते और घोषणा करने वाले शेखावत साहब, उद्घाटन करने वाले माननीय चतुर्वेदी जी, और उन सबकी क्रियान्विति करने वाले माननीय मेघवाल साहब। एक तरफ आप बड़े-बड़े पद बढ़ा रहे हैं दूसरी तरफ गांवों में पेयजल सुलभ कराने के लिए आप कहते हैं कि वित्तीय साधन नहीं हैं । अस्पताल खोलने की बात करें आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है और इस तरीके की आपकी नितियां और कार्यक्रम रहे । आज महिला और बाल विकास विभाग में परिवेक्षकों के साक्षात्कार आयोजित कर लिए और अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन छप गये, हजारों लाखों रुपये विज्ञापन पर खर्च हुए लेकिन लोग अपने घरों से चलकर यहां इन्टरव्यु देने के लिए आ गये और अंतिम समय में आपने उन इन्टरव्युज को पोसपोन कर दिये । आप नहीं जानते कि इससे कितनी असुविधा हुई राजस्थान के उन बेकार और बेरोजगार नौजवानों को जो राजस्थान के कोने-कोने से चलकर यहां आये । क्या कारण था उनका? इस तरीके की घोषणायें कर दीं । आपने कहा 60 प्रतिशत बजट का पैसा हम ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करेंगे । मैं उपाध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पैसा आपने खर्च किया ? ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है । कोई विकास का काम हुआ नहीं । घोषणायें करने से काम नहीं चलता 30 जिले और 30 काम की योजना कर दी । झुंझुनू जिले के लिए 57 लाख रुपये की राशि का आपने आवंटन किया और खर्च कितना किया 12-13 लाख ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सही बताओ आपकी जानकारी में कितना हुआ ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह इसमें भी आंकड़े सही नहीं हैं कि 13 लाख रुपये भी खर्च हो गए। इतना माना है। मैं वह आंकड़े पेश कर रहा हूं जो सरकार मान रही है। आज मार्च 27 हो गयी और 4-5 दिन इस वर्ष की समाप्ति में हैं और आप उसका 10-12 परसेन्ट खर्च कर पाये हैं। कई जिलें तो ऐसे हैं कि जिनमें एक पैसा खर्च नहीं किया गया। फिर आप गांवों के विकास की बात करते हैं। आपने घोषणा की थी लेकिन आज तक फसल बीमा योजना लागू नहीं की। किसानों को राहत देने का कोई आपने काम नहीं किया। आपकी नीति इस तरीके की है उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि शेखचिल्ली की तरह की नीतियां हैं सरकार की। एक शेखचिल्ली था उसी मां ने उसको उसकी रोटी और खाना कमाने के लिए भेजा वह गया। मजदूरी में उसको मिले पैसे। वह उस पैसे को उछालता हुआ ला रहा था खुशी खुशी कि आज तो मुझे पैसे मिले। नदी पड़ी रास्ते में वह नदी में गिर गए। घर आया तो उसकी मां ने कहा कि क्या कमाकर लाये कि पैसे तो मिले थे मैं उनको उछालता हुआ ला रहा था वह नदी में गिर गए। बोली कि बावले पैसे मजदूरी में मिलें उनको जेब में रखकर लाया कर। कि ठीक है। दूसरे दिन फिर और गया। काम पर उसने देखा कि इसके घर में काम आ जायेगा घी दे दो। उसने उठाकर उसको आधा किलो की घी की एक हांडी दे दी। क्योंकि उसकी मां ने कहा था कि जेब में रखकर लाना मजदूर उस घी को जेब में ठूंसकर ले आया। वह कपड़े भी खराब किये और फैलता आया। फिर जब घर आया पूछा कि क्या हुआ कि आपने जब तो कहा था कि मजदूरी मिले तो उसको जेब में रखकर लाना। यह जेब में रखकर लाया, यह उसका ही परिणाम हुआ। कि बाक्से ऐसे नहीं लाते हैं सिर पर रखकर लाना। दूसरे दिन उसने कहा कि तुम्हारे घर में चूहे हो रहे होंगे अनाज खा जाते होंगे कि ले बिल्ली ले जा। तो बिल्ली को सिर पर रखकर लाया और वह कूदकर भाग गयी। तो इस तरह की सरकार की नीतियां हैं।

इन्डोनेशिया गये स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के लोग वहां से एक किताब ले आये उठाकर और यह भी नहीं देखा कि इसका क्या औचित्य है, क्या इसका परिणाम रहेगा और राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने पुराने हकीम और इनसानी जिन्दगी के नाम से उस किताब को छपवा दी और उसमें ऐसे-ऐसे श्लोक लिख दिये। आप उसमें लिखवा रहे हैं नसबन्दी इस्लाम में जायज नहीं, एबार्शन की इस्लाम इजाजत नहीं देता, परिवार कल्याण इस्लाम कतई स्वीकार नहीं करता। यह काम तो आप शाही ईमाम अब्दुल्ला बुखारी और सैयद शाहबुदीन पर छोड़ देते। माननीय चतुर्वेदी जी आपका यह विभाग ऐसे काम क्यों करने लग गया? कहीं रूस गये, रूस की तकनीक ले आये। कोई चला गया अमेरिका देख लिया कि डिज़िनी वर्ल्ड में फ्लोरीडा है, डिस्ट्रिक्ट में डिज़िनी वर्ल्ड म्यूजियम है उस म्युजियम से बड़ा टूरिस्ट विकास होगा। उन योजनाओं को आप राजस्थान में लागू कर रहे हैं। इस तरह की घोषणायें करने से और ऐसी थोथी और कागजी नीतियां बनाने से प्रदेश का विकास नहीं

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

हो सकता। आपकी गत वर्ष की नितियों का परिणाम यह रहा कि राजस्थान में जो चहुंमुखी विकास होना चाहिए, विकास होने के बजाय राजस्थान दस साल पीछे चला गया। अगर आपकी नीतियां सही होती, उनके ऊपर सही तरीके से अमल करते सिचाई की स्थिति यह है उपाध्यक्ष महोदय कि आज इन्दिरा गांधी केनाल पर अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, आप माही और दूसरे बांधों पर खर्च कर रहे हैं और उठाकर आंकड़े देखें आज भी राजस्थान के अन्दर 60 प्रतिशत सिचाई किसान अपने खुद के कुओं से और खुद के बैलों से करते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने जिस तरीके से किसानों के ऋण माफ किये हैं सहकारी बैंकों के वर्ष 58-59 से 69-70 के बीच में तहसीलों, पंचायत समितियों द्वारा किसानों को कुएं खोदने और भूमि को समतल करने के लिए ऋण दिये गये थे जो कि बैंकों ने नहीं बल्कि खुद राज्य सरकार का पैसा था। मैं मांग करना चाहता हूं कि उसका ब्याज दर ब्याज चढ़ रहा है और किसान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह उस ऋण को चुकाये इसलिए राज्य सरकार को अन्य ऋणों की भांति किसान का बोझ कम करने के लिए, किसान को इस शोषण से मुक्ति देने के लिए इस ऋण को भी तुरन्त माफ किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की स्थिति यह है मेरे झुंझुनू जिले की स्थिति मैं बयान करूं। बड़ी-बड़ी टंकियां बना दी हैड टैंक पानी के जलाशय, लेकिन उससे कनेक्शन ही नहीं है पाइप लाइन का। यह टंकी बेमानी हैं उसका मतलब क्या है? लेकिन उसके अन्दर जाकर देखें किस तरीके का काम ले रहे हैं। कहीं कुएं हैं तो उनमें कनेक्शन विद्युत विभाग नहीं दे रहा है। मोटर लग रही है तो मोटरें खराब हो रही हैं और झुंझुनू की तो स्थिति यह है कि टैक्नोक्रेट्स की रिपोर्ट यह थी कि कम से कम 10 हार्सपावर की मोटर होनी चाहिए तभी पानी निकल पायेगा। 7।। हार्सपावर की देशी मोटरें खरीद लीं जो कुओं में लगने के बाद पानी नहीं दे रही हैं, चल नहीं रही है। इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, यह पेयजल की स्थिति है। आज गांवों के पानी की स्थिति यह है कि लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। प्राथमिक शिक्षा के लिए 5 हजार शिक्षा केन्द्र जो चल रहे थे उनको तो आप ने बन्द कर दिया और अब कहते हैं कि हम एक हजार शिक्षा केन्द्र खोल रहे हैं। चाहे उन विद्यालयों में जितने भी बच्चे पढ़ते थे, उनका साल खराब हुआ या नहीं हुआ और जो लोग बच्चों में आदत डालते हैं कि आप स्कूल में जाकर पढ़े, उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्कत करके तो उनमें आदत डाली स्कूल जाने की और आपने उनको बन्द कर दिया फिर वापिस गुल्ली डंडा खेलते गांवों के ग्वाड़े में मिलेंगे। वापिस दो वर्ष लगेंगे उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के लिए। कौन इसका जिम्मेदार है? एक तरफ आप शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बातें कर रहे हैं दूसरी तरफ शिक्षा की ऐसी स्थिति है।

कृषि की बात में फसल बीमा की बताई और उद्योग नीति भारत सरकार ने तो

(184)

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

बना दी और सरकार को भी चाहिए कि वह लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूंजी पर आधारित नियोजन के बजाय श्रम आधारित उद्योग धन्धे स्थापित हों इसकी योजना बनानी चाहिए और प्रभावी लोगों को प्रोत्साहित कर के इस प्रकार की योजना को क्रियान्वित कराना चाहिए ताकि श्रम आधारित अगर आप उद्योग लगायें तो जो....

श्री कालीचरण सराफ : राजस्थान की औद्योगिक नीति जो नई आयी है वह पढ़ी नहीं दिखती है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़ ली। मैं पूंजीवादी नीति को मानता ही नहीं। मैं श्रम आधारित नीति की बात कर रहा हूं। वह आपके लिए तो हितकारी है मैं तो जिसका रिप्रजेण्टेशन करता हूं उसकी बात कर रहा हूं। पूंजीवादी व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप श्रम आधारित उद्योग नीति बनायें ताकि बेरोजगार नव युवकों को भी रोजगार सुलभ हो सके।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सरकारी मुख्य सचेतकजी क्यों खड़े हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव कर रहे हैं समय बढ़ाने के लिए।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओम प्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1992 पर विचार एवं पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति से सदन का समय विनियोग विधेयक को पास करने तक के लिए बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय विनियोग विधेयक पारित करने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आप से और माननीय मुख्य सचेतकजी से विनम्र अनुरोध है कि आप समय पौने 5 बजे भी बढ़ा सकते थे जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं है। इस मामले में 5 बजे के पहले-पहले....

श्री ओम प्रकाश गुप्ता : मैंने व्यवधान नहीं किया है।

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में क्यों एतराज कर रहे हो। आपको तो विश्राम मिल गया।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय कालीचरणजी के साथ

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

इनकी दोस्ताना वार्ता हो रही थी उसका फायदा उठाकर

श्री कालीचरण सराफ : नहीं श्रीमान्, इनका फ्लो बिगड़ गया। तैयारी करके आये थे (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरी तैयारी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप देखना इससे ज्यादा फ्लो।

श्री उपाध्यक्ष : इनको विश्राम मिल गया।

विनियोग विधेयक पर विचार

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, एक तरफ हम विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं एक तरफ विद्युत विभाग ने पिछली साल एक अधिसूचना जारी कर दी, एक नियम बना दिया कि ग्रेनाइट्स का, मारबल का लीज डीड उन्हीं लोगों को दिया जायेगा, खनन कार्य करने की स्वीकृति उन्हीं लोगों को दी जायेगी जिनके पास या तो निर्यात करने का लाइसेंस हो, एक्सपोर्ट लाइसेंस हो या फिर जिनकी खुद की कटिंग और पालिसिंग मशीन हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या करना चाहते हैं आप इसमें? नहीं घोषणा नहीं की। कर दिया होगा चेन्ज मेरे नोटिस में भी है। यह जन विरोधी नीति है इसलिए इसमें सुधार होना चाहिए इसलिए मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, क्या कारण था इस नीति को लागू करने का? क्या यह विकेन्द्रीकरण करने की नीति है या एक पुष्ट जो मोनोपोलिस्ट हैं जिन्होंने देश में विकेन्द्रीकरण कर रखा है उन लोगों को, उद्योगपतियों को बढ़ावा देने की और उनके हक के लिए यह नीति बनायी गयी थी। इस तरह से स्थिति यह है कि वन विभाग में श्री राजेन्द्र जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी और उसमे जो अनावश्यक पद थे उन पदों को समाप्त करने का निर्णय दे दिया। आपने उन पदों को समाप्त कर दिया और उसके बाद आज राजेन्द्र जैनजी ने अपने प्रस्ताव वापस ले लिये और वापस लेने पर आप पर वित्तीय भार बढ़ गया। आज यह जो आपने अनुपूरक अनुदान की मांगें यहां रखी हैं इसके पृष्ठ संख्या 24 पर यह अंकित किया है कि श्री राजेन्द्र जैन कमेटी द्वारा पदों को समाप्त करने का निर्णय वापस ले लिये जाने से अतिरिक्त भार बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर तमाशा क्या है? किन कारणों से तो इन पदों को समाप्त करने का फैसला लिया गया और आज किन कारणों से आपने अपने निर्णय को वापस ले लिया? आखिर इसके पीछे क्या स्थिति थी? आप क्या कहना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि काफी दिनों से यह विचार चल रहा था कि काफी वन क्षेत्र में ऐसी सम्पत्ति है, जिसमें अच्छे खनिज पदार्थ हैं और उनको वन क्षेत्र से लेकर खनिज विभाग खनन कार्य के लिए दे तो प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ सकता है और उसको राजस्व विभाग से दूसरी लैण्ड अलाट करके और वृक्षारोपण के लिए दी जा सकती है लेकिन यह मामला अब तक केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। अब हाल ही में भारत

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

सरकार ने वन मन्त्रियों के सम्मेलन में यह फैसला कर लिया कि 20 बीघा तक का अगर वन क्षेत्र होगा, जो भूमि होगी उसको एक विभाग दूसरे विभाग से स्थानान्तरित करना चाहेगा तो उसके लिए केन्द्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह आप राज्य के स्तर पर भी फैसला कर सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको जिप्सम मिल सकता है, मार्बल मिल सकता है, ग्रेनाइट मिल सकता है जो रिजर्व फारेस्ट क्षेत्र में होने के कारण इसका सही रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा था और उस खनन का दोहन नहीं हो पा रहा था। क्या राज्य सरकार इस तरह का विचार रखती है? क्या वह इस तरह का स्थानान्तरण करने के लिए कोई योजना बना रही है? अगर इस सम्बन्ध में कोई बात हो तो हमारे सम्मुख रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, वनों पर पैसा खर्च करने में सरकार ने खूब दिल खोलकर के पैसा खर्च किया लेकिन स्थिति यह है कि आज वृक्ष, गत एक वर्ष में जितने वृक्ष राजस्थान में काटे गये पिछले 30 साल के इतिहास में कभी नहीं काटे गये। जनरल वृक्षों की बात नहीं करता। मैं आपको कहता हूं सवाईमाधोपुर का रणथम्भौर का अभ्यारण्य है उसमें आज जाकर के देखें, गुडाकटला में आपको टनों लकड़ी इकट्ठी मिलेगी। उसमें जो प्रोपर घाटी है वहां लकड़ियों का ढेर लग रहे हैं और जब सदन में यह बात चर्चा में आयी, चर्चा में लायी गयी तो वहां पर उन लकड़ियों में आग लगा दी गयी। अब फंसे, पकड़े जायेंगे। आज हर जगह जहां चले जाओ, झूंझनूं का बीड है उस पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अनेकों बार वन विभाग के अधिकारियों को, उप वन संरक्षक और वन विभाग के अधिकारियों को, मन्त्रियों को लिखा कि यह वन सम्पदा नष्ट हो रही है, बीड में लोग कब्जा कर रहे हैं, अनआथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको रुकवाओ लेकिन वृक्षों की अवैध कटाई को और जंगलात की धरती पर कब्जे को यह सरकार नहीं रोक पाई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अपनी नीतियां इस तरह की बनानी चाहिए कि जो नीतियों पर यह कह देना कि हम गरीब को गणेश मान कर चलेंगे, आज गणेश की हत्या हो रही है, गणेश का शोषण हो रहा है, आज गणेश भूखा मर रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, आज गणेश की कहीं सुनवाई नहीं। आज आपने गणेश को गोबर गणेश बना दिया और आप इस तरह की बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको केवल नीतियां और कार्यक्रम बना देने के बजाय कुछ ठोस काम करने चाहिए ताकि गांव के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को राहत मिले। अकाल के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया थोड़ा संक्षिप्त कीजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 15 मिनट भी नहीं हुए हैं। आप घड़ी देख

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

लीजिए और आपने 2 बार घण्टी बजा दी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं बुलाकीदास कल्ला नहीं हूं मैं माहिर आजाद हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : 20 मिनट हुए हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : बुलाकीदास कल्ला होता तो आपकी दया-दृष्टि ज्यादा रहती।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह सही है (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अकाल राहत मन्त्रीजी ने राजस्थान के 4278 गांवों को अभाव ग्रस्त माना है। अकाल राहत मन्त्रीजी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपने राजस्थान के 4278 गांवों को अभाव ग्रस्त माना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक अकाल संहिता बनी हुई है उसके अन्तर्गत आप अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित क्यों नहीं करते? अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित क्यों करते हैं? अगर आप अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें तो उस फेमिन कोड के तहत उस क्षेत्र के लोगों को खाना, पेयजल और रोजगार सुलभ कराने की सारी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है इसलिए आप अकाल ग्रस्त घोषित करने के बजाय केवल अभाव ग्रस्त घोषित करके अपने दायित्वों से बच जाते हो और इसका परिणाम होता है कि लोग भूख से मरते हैं। पिछले दिनों बाड़मेर में गडरा रोड में और धोरीमन्ना में लोग भूख से मरे और आपके डाक्टर वहां जांच करने जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, भूख कोई बन्दूक की गोली तो नहीं जो लगी और आदमी मर गया। जब 5, 7, 10 दिन तक आदमी को खाना नहीं मिलेगा, उसकी पेट की आंतें गल जायेगी, उसके प्राणपखेरू उड़ जायेंगे उसके जीवन का अन्त हो जाएगा। फिर आपके डाक्टर जायेंगे, जांच करेंगे और आकर रिपोर्ट यह देंगे कि इन लोगों की मृत्यु भूख के कारण नहीं बल्कि पेट की आंतें खराब हो गयी थीं इसलिए हुई है। आप यह कहना चाहते हैं।

राजस्थान में पशु भूखे मर रहे हैं। आज आदमियों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। आपने आज तक अकाल राहत कार्य अभी तक शुरू नहीं किये। आप लोगों को क्या राहत दे रहे हैं और कब देना चाहते हैं? रोटी जल जायेगी उसके बाद आप तवे पर से उसको हटायेंगे। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप कृपया अतिशीघ्र अकाल ग्रस्त क्षेत्र को अभाव ग्रस्त के बजाय राजस्थान की अकाल संहिता के अन्तर्गत अकाल ग्रस्त घोषित करें और वहां के लोगों की सारी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लें।

चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जहां अस्पताल हैं वहां डॉक्टर जाते नहीं और जहां आपने डॉक्टर लगा रखे हैं वहां अस्पताल नहीं। जैसे मैं कल जिक्र कर रहा था चूरू में बिदासर में अस्पताल भवन नहीं है। डाक्टर घुमक्कड़ की तरह कभी कहां बैठ कर दवा देता है कभी कहां बैठ कर देता है। मेरे क्षेत्र में बिजूसर में श्री हरिदेव दास राजकीय

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

चिकित्सालय, बड़ा आलिशान भवन प्रवासी राजस्थानियों ने बनाकर के दिया और उसकी स्थिति यह है कि वहां जो चिकित्सक तैनात कर रखा है उनके दर्शन नहीं होते। गांव में कभी जाते ही नहीं हैं। कल ही लोग आये थे और आकर वहां शिकायत करके गये। आज ही मुझ को कह कर गये हैं। लिखित में देकर गये हैं। एप्लिकेशन मेरे पास है माननीय पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या। तो मैं यह कहना चाहता हूं आपने पदमपुरा में नया चिकित्सालय खोला, वहां पर काफी दिनों तक तो एक नर्स से ही काम चलाया और फिर एक डाक्टर लगाया। अब उस डाक्टर का भी कहीं अन्यत्र ट्रांसफर कर दिया। एक तरफ तो फिजूलखर्ची का आलम यह है कि झुंझुनू के सी. एम. एच. ओ. के पास दो जीप, दो जिप्सी, एक खराब हो जाती हैं तो दूसरी। जैसा अरब के अन्दर होता है, शेख करते हैं, बड़े-बड़े पैसे-वाले कि कहीं रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती हैं तो टीले से उसको लुड़का देते हैं और फोन करके दूसरी मंगा लेते हैं। झुंझुनूं जिले के सी. एम. एच. ओ. की स्थिति तो यह है कि जीप खराब हो गयी, उसको सही कराने के बजाय जिप्सी मंगा ली। एक जिप्सी खराब हो गयी, दूसरी जिप्सी मंगा ली। यह फिजूलखर्ची और बरबादी आप कर रहे हैं, इन पैसों की दवाइयां आप गांवों के गरीबों को सुलभ कराते। उपाध्यक्ष महोदय, पहले लाइसेंस, परमिट और कोटे के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, आज चिकित्सा विभाग के अन्दर स्थिति यह हो गई है कि अगर आज गांव का कोई गरीब किसान और शहर का कोई गरीब इन्सान अगर दवाई के अभाव में अस्पताल में तड़प तड़पकर दम तोड़ दे तो उसकी लाश वापस लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ी है। चिकित्सा विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार का तो यह आलम है।

(5.00 सायं)

श्री उपाध्यक्ष: अब सारे पाइण्ट आ गये हैं। आजाद साहब, समाप्त कीजिए अब आप।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद: मैं भी अन्त में यही कहना चाहता हूं कि इस सरकार की एक तरफ भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ाना. एक तरफ फिजूलखर्ची को रोकने की बात और दूसरी तरफ अगर आप मन्त्रियों के यात्रा भत्ते, टेलीफोन व्यय और आतिथ्य सत्कार के खर्चे के बिल उठा कर देखेंगे तो आपकी आंख खुलेगी। यह मेरी समझ में आता है कि यहां विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया, वह सप्लीमेण्टरी ग्राण्टस में आना चाहिए। आपने विधान सभा के अन्दर 4–5 मैटाडोर खरीदी, वह आना चाहिए लेकिन यह खर्चे बढ़ रहे हैं। फिजूलखर्ची को रोकने की बात करते-करते आप खर्चा बढ़ा रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो वसूलियां होनी चाहिए थीं, वह हो नहीं रही हैं। इसलिए कृपया सरकार को पहले जो वसूलियां होनी चाहिए थीं विभागों की, उसको रोकना चाहिए था। लीकेज को रोकना चाहिए था, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए था और उनसे भी पूरी नहीं होती, उसके बाद अगर सप्लीमेण्टरी ग्राण्टस रखते तो उसका औचित्य होता। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज एप्रोपियेशन बिल पर विचार हो रहा है । यहां भ्रष्टाचार की भी बात कही गई. अनियमितताओं की भी बात कही गई । पिछले 44 वर्ष से हम डेमोक्रेटिक सैटअप के अन्तर्गत काम कर रहे हैं । बजट पेश होता है, मांगों पर विचार होता है, सप्लीमेण्टरी डिमांड्स पर विचार होता है । विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता सबको है और यह विधान सभा एक ऐसा सर्वोच्च स्थान है, यहां पर यदि हम कोई बात कहते हैं, आलोचना करने का अधिकार हैं, प्रशंसा करने का अधिकार है, करें लेकिन यथार्थ के आधार पर मामला होना चाहिए। जनरल डिमाण्ड पर विचार व्यक्त किये गये, उस समय भी भ्रष्टाचार की बात कही गई । हम अनादिकाल से कोई भी हिस्ट्री उठाकर देख लें. अनियमितताएं होती रही हैं, भ्रष्टाचार भी हुए लेकिन कल्याणकारी राज्य वह है जिसमें भ्रष्टाचार को मिनीमाइज किया जाये । इस सम्बन्ध में हमने इस दिशा में प्रयत्न किये हैं और जो कुछ भी योजनाएं हैं, उनमें भी सुधार करने की दृष्टि से प्रयत्न किये हैं । पिछले 40 वर्षों में ऐसे-ऐसे पद सृजित कर दिये गये, जो अफसर लोग दिन भर में एक लाइन नहीं लिखते थे, महीने में 2–4 लाइन लिखते होंगे और वह बड़ी-बड़ी तनख्वाह लेकर चले जाते हैं । तो इस तरह की इर्रेगुलर्टीज और इस तरह के खर्चे आखिर किसने पैदा किये ? किस कारण किये । कई बार तो इस तरह की नीतियां निर्धारित कर ली जाती हैं, जैसे केन्द्र सरकार ने वर्ल्ड बैंक के आधार पर, या दूसरों के आधार पर कह दिया कि यह योजना चलाओ, पांच वर्ष तक सारा खर्च हम उठायेंगे, 5 वर्ष के बाद राज्य सरकार करेगी । उस आधार पर लालचवश हमने इस तरह की स्कीम ले ली और पांच वर्ष तक तो उन्होंने सहयोग कर दिया, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक खर्चों, अधिकारियों और कर्मचारियों का भार बढ़ता गया और आज स्थिति यह हो गई कि आज हमने थानेदार तो पैदा किया, डिप्टी एस. पी. तो पैदा किया लेकिन बढ़ती हुई आबादी को को देखकर हमने सिपाही पैदा नहीं किया । हमने अफसर पैदा किया, लेकिन जहां कर्मचारी की आवश्यकता है, वह पैदा नहीं किया । छोटा कर्मचारी आवश्यक है तो वह हमने पैदा नहीं किया । धीरे-धीरे करके इस तरह से आर्थिक भार बढ़ता गया । बेसिक खर्चे भी होते हैं । बजट के मामले में लगभग आइटम्स लिखे जाते हैं अन्दाज से और उसके बाद बेसिक खर्चे होते हैं तो सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड भी आती है और वह विचारार्थ रखी जाती है । हम गम्भीरता से विचार करें कि कोई भी क्षेत्र हो, हम यदि उसमें काम करना चाहते हैं, चाहे हम एनीकट बनाना चाहते हैं, बांध बनाना चाहते हैं, तालाब बनाना चाहते हैं, पेयजल समस्या का निदान करना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में यदि हम कोई सुधार करना चाहते हैं, या और कुछ बढ़ाना चाहते हैं, मान लो शिक्षा के क्षेत्र में हम विद्यालय भवन बनाते हैं या प्राइमरी एज्यूकेशन सेण्टर खोलते हैं तो हम कोई भी काम लें तो उसको अधूरा न छोड़ें । क्योंकि पिछली सरकार की यह प्रवृत्ति रही कि चुनाव के दिनों में हम पहले चुनाव में तो प्लींथ लेवल तक स्कूल भवन बना देते हैं, फिर उसके बाद दूसरा चुनाव आता है तो दीवारें खड़ी कर देते हैं, फिर

(श्री बंशीलाल पटवा)

तीसरा चुनाव आता है तो छत डाल देते हैं, यदि हम कोई भी काम करते हैं, चाहे विद्यालय भवन हो, प्राइमरी एजूकेशन सेण्टर का भवन हो, वह कम्पलीट होना चाहिए। एनीकट का काम लेते हैं तो वह कम्पलीट होना चाहिए, उसके रिजल्टस आने चाहिए। पैसा लग जाता है, उसका काम नहीं होता और इस तरह की दुर्दशा हम पिछले 40 वर्षों से देखते आ रहे हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं, अच्छे पात्र में बनाते हैं तो अच्छी बनेगी, यदि गन्दे पात्र में बनायेंगे तो गन्दी बनेगी। एक कानून की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन यदि आदमी खराब है तो उसका स्वरूप विकृत कर देगा और यदि कानून की किताब खराब है और व्यक्ति अच्छा है तो वह उसका स्वरूप निखार देगा आज हम देश बनाने की बात करते हैं, कल्याणकारी राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग इस दिशा में लगे हुए हैं, सरकार इस दिशा में लगी हुई है कि प्रयत्न किये जायें। आप सोचें कि एक दिन में हम यह सब कुछ कर सकते हैं? अभी कहा गया कि मुर्दा लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। भाई, किसने कहा आप नहीं पकड़वाओं? उसको आप गिरफ्तार कराओ, आप सबूत लाओ। हम लोग गड़बड़ी करते हैं तो हमको पकड़वाओ आवेग में कुछ कह जाते हैं, यह तो कोई तरीका नहीं है। आलोचना करें, अच्छे ढग से करें और कुछ आधार लेकर करें।

तो मेरा यह निवेदन है कि कोई भी सैक्टर हो, हम उसमें यदि काम करना चाहते हैं तो हमको मितव्ययता से काम करना पड़ेगा, लीकेज बन्द करने पड़ेंगे, जिनमें बाकी है, वह वसूलियां करनी पड़ेगी। आज भी खनिज क्षेत्र में चले जाओ, राजस्थान खनिज पदार्थों से भरा पड़ा है। यदि आज हम केवल खनिजों के आधार पर अपनी योजनाएं बनायें तो शायद राजस्थान के एक नहीं दस बजट हम तैयार कर सकते हैं। आज हम ऊपर माल चले जायें लाइमस्टोन का खजाना भरा हुआ है। सीमेण्ट फैक्टरी खड़ी कर सकते हैं, दूरदराज में सीमेण्ट भेज सकते हैं विदेशों में भेज सकते हैं, और देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि करप्शन नहीं है, किसी की आलोचना नहीं करता हूं। आज की तारीख में भी करप्शन होगा और है लेकिन हम सब मिलकर यदि प्रयत्न करेंगे तो इसकी रोकथाम होगी। एक अंगूठे से पिन नहीं चुभायी जा सकती। चारों अंगुलियों को मिलाकर और अंगूठा मिलाकर किसी को मुक्का मारो तो कमर झुक जाती है। इसमें जोइण्ट रेस्पांसिबिलिटी की जरूरत है, सामूहिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। क्या हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं? उसके गुण दोष हम कहें, उसमें कहीं कोताही नहीं करें लेकिन सवाल इस बात का है कि आज भी अतिक्रमण जारी हैं, लोग ले जा रहे हैं और यहां तक कि सैल्स टैक्स हम एक सोसायटी से वसूल कर रहे हैं। दो, ढाई हजार का सैण्ड स्टोन एक ट्रक का बिल बनाते हैं और 14 हजार का माल लाते हैं। क्या हम व्यापारी से एक ट्रक पर डाइरेक्ट सैल्स टैक्स नहीं ले सकते? यदि हम डाइरेक्ट सैल्स टैक्स ले लें तो केवल ऊपर माल में 750 करोड़ रुपये का फायदा सरकार को हो सकता है। तो इस तरह की जो स्थिति है, आज भी जगह-जगह जितने भी माइनिंग इंजीनियर

(श्री बंशीलाल पटवा)

बैठे हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम भू-खण्ड आवंटित कर दिये, खातेदारी वालों को और गैर खातेदारी वालों को और यहां तक कि नोटिफाइड एरिया में कर दिये। इस तरह की सारी बातें आज भी मौजूद हैं और पिछले 40 वर्ष से भी करते आये हैं उनकी आदत पड़ी हुई है। ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनको हमको रोकना पड़ेगा। जो आफिसर अच्छे हैं उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं यह नहीं कहता हूं कि मशीनरी आकाश से टपक पड़ेगी। मशीनरी जो है उनसे काम लेना पड़ेगा, उनकी इच्छा शक्ति को जगाना पड़ेगा और हम जरूरत के अनुसार नियमित रूप से लगे रहें, प्रयत्न करते रहें, सदैव कोशिश करते रहें। यदि हमने इस तरह का प्रयत्न किया तो निश्चित रूप से सुधार होगा। आज जो एप्रोप्रिएशन बिल लाये हैं, उसमें आपको बताया कि कई चीजें ऐसी हो रही हैं आफिसर लेवल पर जिसको हम देखते नहीं है। सन् 1958–59 से लेकर सन् 1970 तक पंचायत समितियों ने कुछ कुओं के लिये कर्जे दिये, कर्जे माफी की बात कही लेकिन आज दिन तक वह अधूरे पड़े हुए हैं और ब्याज पर ब्याज बढ़ रहा है। इस बारे में आफिसर लेवल पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। हमने कर्ज माफ किये। राजस्थान बैंक हमको कोआपरेट नहीं कर रही है। राजस्थान बैंक यदि कोआपरेट नहीं करती तो सरकार तो कम से कम इसका निदान करें, अपने स्तर पर ले। आपने जो व्यवस्था की है उसके अनुरूप कुछ करें।

इसके साथ–साथ मेरा यह निवेदन है कि जो अधूरे कार्य हैं, पेयजल पर पुख्ता ध्यान दें, छिद्र बन्द करें, खनिज वाली अनियमितताओं पर हम ध्यान दें क्योंकि अनियमितताएं बहुत हैं। मैं कई बात कह सकता हूं। इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन है कि जितने भी अधूरे कार्य हैं, 1980 से लेकर आज की तारीख तक जितने अकाल पड़े हैं, उनमें...

एक माननीय सदस्य : खनिज को छुपा रहे हो।

श्री बंशीलाल पटवा : मैं छुपा नहीं रहा हूं। मेरा यह निवेदन है, मैंने आमेठ है, न्यू पर्वतीय क्षेत्र की बात कही है वहां पर घपले हुये हैं। खातेदारी के नाम पर जो आब्जेक्शन लेकर इस तरह से भूखण्ड दे दिये तो कार्यवाही करेंगे और करनी भी चाहिये।

दूसरी बात डेमोक्रेटिक सैट-अप में यदि हम कल्याणकारी राज अच्छा और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यह सारी स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : अभी कोई बात ऐसी नहीं चल रही है।

श्री बंशीलाल पटवा : उधर से कमेण्ट्स आया, उसका जवाब दिया है मैंने। तो मेरा यह निवेदन है कि इस तरह जो अनियमितताएं हैं इस बारे में हमारा राज चुप नहीं रहेगा। जो गड़बड़ियां करेंगे उनको सजा मिलेगी, अगर बंशीलाल पटवा भी गड़बड़ी करेगा तो राउण्ड-अप होगा और सजा मिलेगी। यह चरित्र की बात जिन लोगों ने अपने यहां डिटेरियोरेट किया, इस डिटेरियोरेशन को हम कम करना चाहते हैं, खत्म

(श्री बंशीलाल पटवा)

करना चाहते हैं। वैसे महाभारत के इतिहास में धृतराष्ट्र पैदा हुआ लेकिन हमारे राज में धृतराष्ट्र पैदा नहीं होने वाला है। सब लोग मिलकर प्रयत्न करेंगे और गड़बड़ी होगी तो आपस में सुधारेंगे। पिछली जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उसको ठीक करने के लिये प्रयत्न करेंगे। मेरा यह निवेदन है।

अन्त में जितने भी अकाल राहत के काम हुये हैं सन् 1980 से लेकर आज तक और सन् 1983 में जितने एनीकट बनाये गये, आज भी बड़े-बड़े तालाब पचायत समितियों के पास हैं, जो नोर्म्स के हिसाब से वह इरिगेशन डिपार्टमेण्ट के पास आने चाहिये। बड़ामोग्रा में मेरे यहां एक सूरतसागर है उसके जल की कैपेसिटी ज्यादा है। फाइल पड़ी हुई है और वह पंचायत समिति के पास रह नहीं सकता है। उस तालाब को सिचाई विभाग के अन्तर्गत ले तो यह एक मिनी मैजा प्रोजेक्ट बन सकता है और उससे किसी का कैचमेण्ट एरिया भी प्रभावित नहीं होता है। इस तरह कई एनीकट राजस्थान में हैं जिनमें पैसा तो लगा लेकिन उसके रीजल्ट आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे ग्रेवल रोड्स 1983 में बनी आज दिन तक एक तगारी धूल कांग्रेस वाले ने नहीं डलवायी है। हम लोग तो मितव्ययता के कारण हालत जो दयनीय छोड़ गये उसमें से निकल कर हम प्रयत्न कर रहे हैं।

तो मेरा निवेदन है अकाल राहत मंत्री जी और अपने पी डब्ल्यू.डी. मंत्री जी से, हालत है माली, जो संसाधन जितने जुटा सकते हैं उसी में से रास्ता निकालना पड़ेगा। कटोरदान में रोटियां 20 हैं और खाने वाले 50 हैं तो खिला नहीं सकते। जो स्थितियां हैं उसी में से रास्ता निकालते हुये हम केवल उन रोड्स पर ग्रेवल डलवा दें और रोडरोलर घुमवा दें तो मैं सोचता हूं कि वह सड़कें 5 वर्ष तक आसानी से ठीक रह सकती हैं। लोगों को उससे राहत मिल सकती है। इसी तरह जो एनीकट अधूरे हैं हम उनको पूरा करायें ताकि सिंचाई के अंक बढ़ सके। केवल हम पुस्तक लाते हैं, विवरण देते हैं, प्रतिवेदन देते हैं उसमें लिखते हैं कि हम इरिगेशन के अंक बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे नहीं बढ़ेगा। उसके लिये प्रयत्न करना पड़ेगा, खपना पड़ेगा और जीवन को सीमाओं में बांधना पड़ेगा और लोगों को सीमाएं देखनी पड़ेगी। समतावादी समाज को हम बनाना चाहते हैं तो गांवों में रोजगार देना पड़ेगा, अकाल राहत के कार्य खोलने पड़ेंगे। अकाल राहत कार्य खोले तो हम स्थाई कार्य करवाये और जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करवाये। नये काम हम हाथ में लेंगे और पहले वाले काम को यदि हम बेकार पड़ा रहने देंगे तो जो पैसा लगा है उसके रीजल्ट नहीं आयेंगे और मैं सोचता हूं कि यह अनुचित होगा। तो इस तरह से हर सेक्टर में जो स्थितियां हैं, हम हर सैक्टर में यदि अच्छा काम करना चाहते हैं तो हम अधूरा नहीं छोड़ें, पुख्ता जिम्मेदारी के आधार पर सक्षम व्यवस्था के आधार पर हम काम्पीटेंट आफिसर लगाये जो मोनीटरिंग ठीक कर सके, देखभाल ठीक कर सके और उसके रीजल्ट दे सकें। हालांकि एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं बढ़ा तो नहीं सकते लेकिन

(श्री बंशीलाल पटवा)

इसमें हमको अपने आपको खपना पड़ेगा और प्रयत्न करना पड़ेगा। उसी दिशा में हमको प्रयत्न करना पड़ेगा। मितव्ययता लानी पड़ेगी, छिद्र बन्द करने पड़ेंगे और आमदनी किस तरह से बढ़ सकती है, वह हम करें। जो आवश्यक खर्चे हैं, उसमें कटौती नहीं करें और जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर रोक लगानी पड़ेगी। यदि हमने यह प्रयत्न किया तो मैं सोचता हूं कि हमको लाभकारी आमदनी हो सकती है और अगली बार जो अभी सप्लीमेण्टरी ग्रांट लाये हैं शायद उसमें कम खर्चा मिलेगा। इस तरह के प्रयत्न करें ताकि हम अपने संसाधन भी जुटा सके और अपने आधार पर हम खड़ा हो सके। आखिर हम किराये का कुछ भी ले खड़े नहीं रह सकते। अपना आधार अपनी स्वदेशी योजनाओं से जुड़ना पड़ेगा, धरती के अनुरूप हमको काम करना पड़ेगा। उसके अनुरूप यदि हम प्रयत्न करेंगे और जो अपने पूर्वज कह गये उस दिशा में ध्यान देंगे, असके अनुरूप हम चलेंगे और उसके आधार पर सरकार का कामकाज बैठायेंगे, मितव्ययता के आधार पर चलेंगे और आमदनी बढ़ायेंगे तो मैं सोचता हूं यह सार्थक रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा। (अनुपस्थित)

माननीय श्री हीरालाल इन्दौरा।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मंत्री जी ने विनियोग विधेयक 1991–92 प्रस्तुत किया तथा सप्लीमेण्टरी डिमाण्ड्स पर माननीय सदस्यों ने अपने–अपने विचार रखें। मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय सिंचाई मंत्री जी जो पैनल में नीचे थे और बढ़ते–बढ़ते दो नम्बर पर आ गये और मैं समझता हूं वह भावी मुख्य मंत्री होंगे। देर आयें दुरस्त आये।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात कह कर आप माननीय सिंचाई मंत्री जी को क्यों परेशानी में डाल रहे हैं ?

श्री हीरालाल इन्दौरा : परेशानी कुछ नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : इनका पत्ता साफ नहीं हो जाय कहीं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : इनका पत्ता साफ होने वाला है। यह पत्ता साफ करने के लिए आये हैं। आप देख लीजिये बिल्कुल नीचे पैनल में थे। दो साल बाद में आये और....

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : इसमें आपको आपत्ति क्या है ? शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति है और शिड्यूल्ड कास्ट के मंत्री बने हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उल्टे अच्छी बात है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हमें आपत्ति नहीं है। हमें तो खुशी है इस बात की कि पहाड़िया जी के बाद में अनुसूचित जाति का व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको तो बाई पास कर जायेंगे।

(194) :

श्री दिग्विजय सिंह : मैं तो अपनी जगह पर हूं, कोई बाईपास वाली बात नहीं है। आप मेरी चिन्ता मत करो। मैं तो अपनी जगह पर हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सप्लीमेण्टरी ग्रांट क्यों आई ? मैं समझता हूं सप्लीमेण्टरी ग्रांट नहीं आती यदि अधिकारियों की लापरवाही नहीं होती, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेण्ट नहीं होता, पुराने आंकड़ों के आधार पर जो अधिकारियों की प्रवृत्ति रही है कि फिजीकली न जाकर, आंकड़े तैयार करने और उसके आधार पर एस्टीमेट तैयार करके बजट बनाना और बजट बनाने बाद विभागीय एलोकेशन करना, रेवेन्यू का प्रोपर कलेक्शन न होना और रेवेन्यू की चोरी होना।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई है, दो साल हो गये लगभग और बी.जे.पी. की सरकार ने आते ही माननीय मुख्य मंत्री ने दो काम मुस्तैदी से शुरू किये। एक तो यह कि आफिशल पंक्चुअलिटी बने, सभी अधिकारी दफ्तर में समय पर आये, समय पर जाये और आफिस में पूरी तरह से काम करें, जिला स्तर पर एक सक्षम अधिकारी को, ए.डी.एम. लेवल के अधिकारी को इस बात के लिये पाबन्द किया कि वह सुबह जाकर देखता है हर आफिस में कि अधिकारी और कर्मचारी समय पर आफिस आते हैं या नहीं आते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह भी टांय-टांय फिस्स हो गया। जैसे गुब्बारे में पिन चुभो दी जाती है और गुबार निकल जाता है, इस आफिशल पंक्चुयलिटी का नारा था, वह भी खत्म हो गया। अधिकारी कर्मचारी आफिस में नहीं आते हैं और भी यह जो सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट ले रहे हैं, उसका भी यह एक कारण है कि समय पर काम नहीं हो पाया और समय पर काम न होने की वजह से रेट बढ़ गई और रेट बढ़ने के कारण सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट आई।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने मितव्ययता समिति बनाई। समिति ने अलग-अलग विभागों से बातचीत करके कितनी मितव्ययता पिछले वर्षों में की, यह तो नहीं जानता लेकिन मैं समझता हूं कि मितव्ययता समिति बनने के बाद, उसके प्रयास करने के बाद भी, बराबर विभाग के अधिकारियों को सर्कुलर जारी करने के बाद भी कि मितव्ययता कीजिए, सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट 2700 करोड़ की आ गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इतना प्रयास करने के बाद सप्लीमेण्ट्री ग्रान्ट आती है तो मैं समझता हूं कि न कोई रोकने वाला है, न कोई रोक रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाल तो इस तरह का है कि किसी विभाग को उठाकर देख लीजिए। मैं उदाहरण के रूप में दो-तीन विभाग का यहां जिक्र करूंगा।

स्वास्थ्य विभाग। दूरदराज में रेफरल हास्पिटल खोल दिये गये। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य, जो आज मंत्रिमण्डल में भी है, उनके घर के बिल्कुल पास में एक रेफरल हास्पिटल है। दो लाख रुपया पर-मन्थ उस छानी वाली रेफरल हास्पिटल है। पांच डाक्टर और 15 का स्टाफ और दो लाख का खर्चा आता है। रिजल्ट-

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

निल । बत्ती नहीं है । एक चौकीदार सोया हुआ है, दवाइयां सड़ रही है । इस तरह का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैसे का मिस यूज, मिसयूटिलाइजेशन पिछले दिनों हुआ । फिर भी सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट की बात करते हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सीमावर्ती क्षेत्र में पांच साल पहले, 1986–87 में फकीरावाली और ग्राम कोनी में डिस्पेंसरी बना दी गई पर आज उनके रखरखाव की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है । टूट रही है, दीवार गिर रही है लेकिन जो पांच लाख रुपया खर्च किया, वह सुरक्षित कैसे रहे, विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है । मैंने बार-बार विभाग के अधिकारियों को लिखा है और कहा है, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की व्यवस्था है, पैसे का मिस-यूटिलाइजेशन हो, पैसे का दुरुपयोग हो, फिर सप्लीमेण्ट्री ग्राण्ट आये तो बहुत दुख की बात है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा पी.डब्ल्यू.डी. के बारे में, मंत्री महोदय हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप करके जो 1991 में पूरा हो जाना चाहिए था, उसको 92 में लेना चाहते हैं । जब 1992 में लेना चाहेंगे तो रेट बढ़ जायेगी । जो बी.एस.आर. के अन्तर्गत जो पहले 1991 में रेट आई थी, 1992 में जो काम होगा उसमें ज्यादा पैसे लगेंगे । तो इस तरह के उदाहरण हैं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र जूनागढ़ में पटवार प्रशिक्षण विद्यालय की शुरूआत 4-4-91 को की गई और आपके मंत्रिमण्डल के हस्तक्षेप के बाद वहां से इस भवन को चेन्ज कर दिया और गजसिंहपुर ले जाया गया । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पैसे की मितव्यतता तो एक तरफ पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा कि स्कूलों में अध्यापक नहीं है, कई जगह स्कूलों में अध्यापक नहीं जा रहे हैं । उदाहरण के तौर पर मैं एक बात करना चाहता हूं, मेरे नोटिस में एक स्कूल है जिसके बारे में शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को मिला और लिख चुका हूं, जिसमें 52 छात्र और 22 अध्यापक हैं । यह उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा आपको । हरिजन बस्ती, गंगानगर शहर में यह है । यह जांच करवा लें । इस तरह की अव्यवस्था कि एक जगह मास्टर नहीं हैं, दूसरी जगह 52 छात्रों पर 22 अध्यापक । दो छात्र पर एक अध्यापक यह व्यवस्था कब तक चलेगी ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इसी तरह की व्यवस्था चलेगी तो मैं समझता हूं कि बजट का दुरुपयोग होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : स्कूल का नाम बता दो ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : स्कूल नं. 1 हरिजन बस्ती, गंगानगर तो इस तरह की लापरवाही और भ्रष्टाचार की बात यह सरकार करती है । पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है । रजिस्ट्री खोल दी गई है । पांच-दस हजार नहीं दो तब तक खातेदारी लेण्ड की रजिस्ट्रियां नहीं करा सकते हैं ।

विद्युत के क्या हाल हैं ? ग्रामीण क्षेत्र

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

की तरफ देखें। गांव में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे टाइम में हमने एक-एक हजार गांवों को प्रत्येक वर्ष विद्युतिकरण किया और इन्होंने 700 भी कभी नहीं किये। फिर भी सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट मांगने का कोई औचित्य होना चाहिए और यदि नहीं है तो इस सदन को कोई सप्लीमेन्ट्री ग्राण्ट नहीं देनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहरों के बारे में कहना चाहूंगा कि नहरों की मेण्टीनेंस का पैसा आता है लेकिन मेण्टीनेंस का काम नहीं होता है। नहरों की सड़कें, नहरों के किनारे टूटे पड़े हैं और जो मोखे बन रहे हैं, उनका तो बुरा हाल है। गंग चैनल के मोखे जो 42 साल से लगे हुए थे उनको चेन्ज किया जा रहा है और चेंज करके पैसे भी कमाये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैसे कमाने का एक नया तरीका निकाला है कि तीन ईंच की च्वाइस दिखे ऊपर कर दो तो इतना पैसा, नीचे कर दो तो इतना पैसा। इस राज में इस तरह की व्यवस्था हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार पनपा है। मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार +++ है। आम जनता में चर्चा है, मास ओपीनियन बन गयी कि बिना पैसे कहीं काम नहीं होता है। अधिकारी बैठते नहीं है। पैसे बिना काम नहीं होता है। पी. एच. ई. डी. का यह हाल है कि गांवों में जो हैण्ड पम्प खुदे हैं, उनमें से 99 प्रतिशत बन्द है या खराब पड़े हैं। बिना पैसे के काम इस राज में होने वाला नहीं है, यह महसूस हो गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खनिज विभाग का आज एक प्रश्न था कि बूंदी में खनन के कितने मामले विभिन्न अदालतों में लम्बित पड़े हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन लम्बित मामलों के लिये खनिज विभाग में एम. ई. तक के अधिकारी रखे हुए हैं कि वह विभाग की तरफ से पैरवी करें लेकिन पैरवी प्रापर होती नहीं है, अधिकारी जाते नहीं हैं और एक तरफा फैसला हो जाता है। मैं इसमें सुझाव देना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट की तरफ से निगोसियेशन होना चाहिये। पार्टी, डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति बैठकर यह नेगोसियेशन करें कि अमुक मामले अदालतों में पड़े हैं और वह आपसी समझौते से वापिस हों ताकि फिजूल खर्ची जो हमारे विभाग के अधिकारियों पर अदालतों में जाने से हो रही है, वह बच जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आबादी बढ़ रही है, लोग खेती की जमीनों पर बस रहे हैं और प्राइवेट सहकारी समितियां पैसा कमा रही हैं। जो जमीन सरकार को अवाप्त करके कालोनियां बनानी चाहिये थीं, उन पर प्राईवेट एजेन्सियां पैसा कमा रही हैं। लैण्ड कन्वर्शन की ओर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती है? लैण्ड कन्वर्शन की तरफ ध्यान देना चाहिये और जो कालोनियां बस गई है खातेदारी की जमीनों पर, सिंचाई की जमीनों पर, उनसे पैसा लेकर रैगुलराइज करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की व्यवस्थायें इस सरकार में पनपी हैं।

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

जहां तक ग्रामीण विकास की सड़कों का मामला है, 1989 में सार्वजनिक विभाग ने कुछ सड़कें शुरू कीं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में दौलतपुरा से कोनीग्राम की पांच किलोमीटर सड़क 1989 में मन्जूर हुई। दूसरी सड़क जोधवाला से मठलीनाथान होते हुए गंगानगर लिंक रोड़ से जोड़ने की पांच किलोमीटर सड़क मन्जूर हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक किलोमीटर वह सड़कें बन कर रह गई हैं। हाल यह है कि एक-एक किलोमीटर सड़क पर जो पैसा खर्च हुआ, वह वेस्ट जा रहा है। इस प्रकार दो साल में एक किलोमीटर सड़क भी किसी क्षेत्र को नहीं दी है। तो यह हाल है इस सरकार का।

श्री फूलचन्द गूर्जर : बहुत दी है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : कौन सी दी है ? दे दी होगी तो ट्रेजरी बैन्चेज वालों को दे दी होगी। हम तो नान-आफिशियल एम. एल. ए. है। जो सरकारी एम. एल. ए. हैं उनको सड़कें दी होंगी। माननीय फूल चन्दजी को दी होगी। जहां तक ग्रामीण सड़कों का सवाल है, मार्केटिंग बोर्ड की 1989 में 15 सड़कें मैंने मेरे क्षेत्र में मन्जूर करवाई और आज तक विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से, टेन्डर हो गये, फाइनेंस से परमिशन मिल गई, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई, मैटीरिअल वहां जा कर गिर गया, सड़कें पूरी नहीं हो रही हैं, आज तीन साल हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। सरकार ने वहां जाकर कभी जायजा ही नहीं लिया है कि मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें कितनी कब शुरू हुईं, क्यों वैक्यूम में पड़ी है और वह पूरी क्यों नहीं हो रही हैं ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की लापरवाही और फिर सप्लीमैंट्री ग्रांट की बात, यह दोनों बातें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जचती नहीं हैं। यह काम करते और दो साल में कुछ रिजल्ट दिखाते तो हम समझते कि सप्लीमैंट्री ग्रांट देने का कोई औचित्य बनता है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेतराम बेनीवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के विरोध में अपना विचार रखते समय मैं निश्चित तौर से समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने जो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, शायद उसका अध्ययन नहीं किया है। राजस्थान की अगर कोई योग्यता है तो वह यह है कि हर क्षेत्र में चाहे आर्थिक रूप से, चाहे कृषि का उत्पादन हो, चाहे शिक्षा हो, सबसे पिछड़े हुए प्रान्तों में हैं। उस प्रान्त में जहां आधे गांव पानी के बिना प्यासे हैं, जहां पीने का पानी का इन्तजाम पूरे पचास साल में हम नहीं कर सके, जिस प्रान्त में यह स्थिति है तो एक फसली इलाका होने से तीन चौथाई प्रदेश बेकार रहता है, रोजगार नहीं मिलता। इस प्रदेश में औद्योगिक प्रगति इतनी कम हुई है कि यहां उद्योगों के द्वारा जिन लोगों को जीवनोपार्जन के साधन मिले थे, वह धीरे-धीरे कारखाने बन्द होने से छिनते जा रहे हैं।

(198)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

हमनें पिछले साल जो नीति अपनाई, वह वही नीतियां थीं जो इसके पहले के प्रशासन में चलती रहीं। उन नीतियों में परिवर्तन न करके हमने उसको उल्टा पहिया घुमाने की कोशिश की। प्रदेश के अन्दर जो थोड़े बहुत पब्लिक सैक्टर चल रहे थे, जैसे रोडवेज, पब्लिक सैक्टर में चलने वाले कारखाने उनकी तरफ ध्यान देने की बजाय हमने योजना बनाई कि अगर बिजली उद्योग आये तो भी प्राइवेट सैक्टर में, अगर प्रदेश के अन्दर कोई दूसरा उद्योग लगे तो भी प्राइवेट सैक्टर में। हमारे दिमाग में नक्शा यह था कि इस प्रदेश के अन्दर पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो जाये।

(5.37 सायं)

(श्री बुलाकीदास कल्ला, सभापति, पटासीन)

हम इस प्रान्त में जो यह समझते हैं कि आज केन्द्र सरकार ने इस देश के अन्दर जिस तरह की नीतियां अख्तियार की हैं, माननीय महोदय, मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी को भी, जो इन नीतियों को बड़ा सुनहरी समझती थी, आज तीन महीने बाद उसको सड़कों पर आना पड़ गया कि केन्द्र सरकार की जो नीतियां हैं इस देश के हित में नहीं हैं। इस देश के ग्राम किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों के हित में नहीं है। आज मजबूर होकर सारे के सारे असेम्बली मेम्बर्स पार्लियामेंट के खिलाफ है पर इनका जो विरोध है, मैं समझता हूं, असली विरोध न होकर सतही विरोध है। जो असन्तोष जनता में उभर रहा है, उसका फायदा उठाने के लिए विरोध कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया कि आई. एम. एफ. की लोन की जो शर्तें हैं, हमारी हिन्दुस्तान की सरकार को उनको मानकर कर्जा नहीं लेना चाहिये। उसके खिलाफ हम खड़े हो जायें, यह आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कह रही है। चार प्रान्तों में इस देश की जनता ने मौका दिया था राज्य करने का, इस देश की जनता के सामने कुछ करके दिखाने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी उस आर्थिक क्षेत्र में अपनी तरफ से इस प्रदेश में कुछ उद्योग धन्धे खोलें, इस प्रदेश के गरीब लोगों को रोजगार देने, इस प्रदेश के किसानों को कुछ ऐसी योजनाएं बनाकर उनके खेतों तक पानी पहुंचाने, उनको जमीनें देने उनकी बजाय उन्होंने यही नीति बनाई कि इस देश के अन्दर भी वही रास्ता अपनाया जाये जो यू. पी. की सरकार ने अपनाया है। माननीय सभापति महोदय, आज भारतीय जनता पार्टी पुनः उसी रास्ते पर आ रही है, आर्थिक नीतियों में कुछ करने की बजाय वह सिर्फ राजनैतिक तौर पर इस तरह के प्रोग्राम बना रही है, कि देश के लोग, देश की जनता टुकड़े-टुकड़े हो जाये। इसलिए मैं इस का विरोध करता हूं। आर्थिक प्रोग्राम के बिना कोई भी प्रदेश, कोई भी प्रदेश की जनता सुखी नहीं हो सकती, मुझे यह निवेदन करना है। अभी एक बहुत बड़ी तलवार डंकल प्रस्ताव को मानो अमरीका दबाव डाल रहा लटक रही है, अमरीका दबाव डाल रहा है कि जो शर्तें हम यहां वर्ल्ड बैंक में तय करें, वर्ल्ड बैंक में डोमीनेशन अमरीका का है, अमरीका के बड़े-बड़े धन्ना सेठ और मोनोपोलिस्ट्स वह नीतियां बनाना चाहते हैं

(श्री हेतराम बेनीवाल)

जो किसान पर लागू हों, मेहनत करने वाले पर लागू हों और राजस्थान की सरकार उसका आगे मुकाबला करने की बजाय उनके पीछे चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो हमने यहां राजस्थान में तय किया है, राजस्थान में जापान का पैसा आ रहा है, अमरीका का पैसा आ रहा है, उसकी शर्तें वही है जो हिन्दुस्तान की सरकार के सामने उन्होंने रखी हैं। आज चाहे झूठे दिखावे के लिए हम उसका विरोध कर दें पर निश्चित रूप से राजस्थान की बी. जे. पी. की सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है जिससे यह देश गिरवी रख जाये। इस देश के किसान बन्धुवा मजदूर बनकर अमरीका और धन्ना सेठों के सामने अपने +++ तो इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मैं यह समझता हूं कि आपने इस प्रदेश को एक नक्शा बताया था कि हम गरीब के लिए कुछ करेंगे मेहनत करने वालों के लिए कुछ करेंगे। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो गरीब जनता है, विशेष तौर से अल्पसंख्यक हैं, उनमें भय का वातावरण है, उनमें इस तरह का वातावरण है कि यह सरकार बड़े-बड़े लोगों की और व्यापारियों की सरकार है।

मैं निवेदन करूंगा माननीय सभापति महोदय, मेरे पास अभी बाप से एक पत्र आया है कि हरिजनों की क्या स्थिति है। मैंने कल एक सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य का भाषण सुना था कि यहां नौकरियों में किसी को नौकरी नहीं, यहां रोजगार में किसी को न्याय नहीं मिला, हरिजनों को। मेरे पास एक चिट्ठी आयी है विद्यार्थियों की बाप से जो फलौदी में है। वहां एक हॉस्टल है समाज कल्याण विभाग का। समाज कल्याण के उस हास्टल में इस तरह की खुराक दी गयी जिससे छात्र बीमार हो गये। छात्र बीकानेर में भर्ती किये गये। एक छात्र 4 तारीख को मर गया। वहां के सुपरिण्टेण्डेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। नकली ट्रांसफर हुआ उसकी बजाय। नाम आनन्द कुमार चतुर्वेदी, पुरोहित था। उस आनन्द कुमार को ट्रांसफर कर दिया। वह ट्रांसफर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब 23 तारीख को पुनः एक दूसरा विद्यार्थी मर गया। धर्मराम। उन विद्यार्थियों की मेरे पास चिट्ठी आयी है कि आप हमारी बात विधान सभा में उठाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह उस एक हरिजन पढ़ने वाले विद्यार्थी की बात नहीं है, यह राजस्थान के लाखों हरिजनों और लाखों गरीबों की बात है। एक ही तरह चलती है सरकार। जो बड़े-बड़े व्यापारी, धन्ना सेठ हैं उनकी सुनती है। जो लेबर डिपार्टमैण्ट है, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि उसका एक ही काम है कि इस प्रदेश में जो मजदूर और मेहनत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ धन्ना सेठ की मदद करे। और लेबर डिपार्टमैण्ट है ही नहीं राजस्थान सरकार में। मेरे पास सांचौर से अभी हरिजनों और मुसलमानों का एक संयुक्त 200 सिग्नेचर किया हुआ प्रार्थना पत्र आया है, कि हमारी बिल्डिंग बनायी हुई है, सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पर वहां के सेठ गो-शाला बना रहे हैं, धर्म-

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

शाला बना रहे हैं। यह प्रदेश का वातावरण बदल रहा है जो पिछड़े, हरिजन, गरीब हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, मेहनत करने वाले इन्सान की उपेक्षा हो रही है। किस तरह का राजस्थान आप बनाना चाहते हैं? राजस्थान का क्या वातावरण बनाना चाहते हैं? आपने 47 अरब रुपये पिछले साल इस प्रदेश पर खर्च किये, उसका नतीजा क्या रहा? क्या इस प्रदेश में नये रोजगार आपने खोले? जिन गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिलता, क्या इस प्रदेश के अन्दर आपने उनको कोई रोजगार दिया? बिजली का उत्पादन आपसे हुआ नहीं। मैं मानता हूं कि आप कोशिश कर रहे हैं। आप लगाएंगे भी बीकानेर में और सूरतगढ़ में, उसके बाद उत्पादन होगा। पर क्या, माननीय सभापति जी, इस प्रदेश की सरकार जो रोजगार हैं उनके अन्दर इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकती कि वे सारे श्रमाधारित हों? आज राजस्थान की सरकार ने पूरी छुट्टी दे रखी है कि पूरी तरह से मशीनीकरण हो उद्योगों का। इसीलिए राजस्थान में कारखाने बन्द पड़े हैं, जिनमें हड़तालें हुई हैं उसका कारण बुनियादी तौर से यह है कि वे मशीनीकरण करना चाहते हैं, अपना आटोमेशन करना चाहते हैं। इसलिए सेठों ने वे कारखाने बन्द कर दिये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विकास के मामले में जो रास्ता आपने अपनाया है, सारा का सारा पैसा राजस्थान के उस हिस्से में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रभुत्व कायम किया हुआ है, जिस जगह उसका राजनीतिक आधार है, खर्च किया है। चाहे वह कालेज खोलना हो चाहे टैक्निकल एजुकेशन देनी हो चाहे चिकित्सा की व्यवस्था करनी हो। माफ करें मैं पूर्वी राजस्थान के खिलाफ नहीं हूं, मैं दक्षिणी राजस्थान के खिलाफ नहीं हूं, पर सारा पैसा 47 अरब का बहुतायात का पैसा वहां खर्च किया है। पश्चिमी राजस्थान पूरा का पूरा सूना है। न वहां कोई कालेज खोला न कोई विकास का काम किया न कोई अस्पताल खोला वहां पर। जिस कैनाल से पंजाब का पानी राजस्थान में आता है, जिस क्षेत्र में....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : माननीय सभापति जी, इनके क्षेत्र कहां-कहां है?

श्री हेतराम बेनीवाल : सचेतक जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राजस्थान में इस तरह का विकास करोगे तो उसका नतीजा सिर्फ आपकी पार्टी के लिए ही नहीं, हम राजस्थान के लोगों के लिए बुरा होगा। विकास के मामले में राजनीतिक सोच अगर हम रखेंगे, हमारा राजनीतिक दृष्टिकोण होगा तो निश्चित तौर से सारे राजस्थान का बुरा होगा। इसलिए मुझे निवेदन करना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए आपकी पार्टी का राजनीतिक दृष्टिकोण है विकास के मामले में। नहीं तो क्या वजह थी कि आपने टैक्निकल एजुकेशन का मामला सारा का सारा वहां ले जाकर रख दिया? आपने बीकानेर का ख्याल किया? आपने गंगानगर का ख्याल किया? आपने उन क्षेत्रों का ख्याल नहीं किया। उन क्षेत्रों के अन्दर तो स्थिति यह हुई है कि जो उनको सुविधाएं मिलती थीं, जिस पानी को राजस्थान

(श्री हेतराम बेनीवाल)

में लाने के लिए दो हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए, वह पानी आज सूखता जा रहा है। आप जब प्रतिपक्ष में थे, बहुत मजबूती से इस मामले को रखते थे। हम बड़े खुश थे कि आप इस मामले में राजस्थान के उस हिस्से के लिए लड़ रहे हैं। पर जब आपकी हुकूमत आ गयी तो + + + जब आपकी हुकूमत आ गयी, अब पोंग डैम का पानी 10 फीट नीचे है, पोंग डैम नहीं भरा जाता। अब भाखड़ा डैम का पानी पंजाब जबर्दस्ती लोअर डाउन करके सारे गंगानगर के लोगों को उजाड़ रहा है। आपने एक बार भी आवाज नहीं उठायी। आप अगर यह कहें कि हम इसलिए आवाज नहीं उठा रहे कि केन्द्र की सरकार नाराज नहीं हो जाय, तो मुझे, माननीय सभापति जी, यह कहना है कि आज राजस्थान में जो सरकार चल रही है, राजस्थान की सरकार निश्चित तौर से राजस्थान के लोगों के हितों की बजाय सिर्फ अपने बचाव के हित में है कि किस तरह हुकूमत कायम रहे, किस तरह तिकड़मबाजी रहे, उस रूप में चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर हमने राजस्थान को एक साथ विकसित नहीं किया तो ऐसी असंगतियां पैदा होगी जिसका नुकसान पूरे राजस्थान को होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में टैक्निकल एजुकेशन हो। उस क्षेत्र में बीकानेर में एक यूनिवर्सिटी है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज सत्ताधारी दल की यह साजिश चल रही है कि उस यूनिवर्सिटी को तोड़ दिया जाय, उसके टुकड़े कर दिये जायं और उसका एक हिस्सा किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाय। इस तरह की साजिश मेहरबानी करके नहीं करो नहीं तो राजस्थान के पूरे विकास में गतिरोध होगा। पूरे राजस्थान को एक रखना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां देश की एकता की बात करते हैं, मैं जानता हूं आपकी देश की एकता से कितना प्यार है। देश की एकता से प्यार अगर आपको होता तो आप जो अयोध्या में करने जा रहे हैं, वह कभी नहीं करते। पर आपको राजस्थान की एकता से भी प्यार नहीं है। आपको इस बात से प्यार है कि आपका क्षेत्र कहां मजबूत हो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अन्त में मैं मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, गंगानगर जिले की, वे इनके सामने रखना चाहूंगा। गंगानगर के किसान इतने साल से एक बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थान कैनाल के किसान। माननीय सभापति महोदय, आज से 25-30 साल पहले, जमीनों की जो किश्तें थीं, वे पूरी किश्तें भर दीं पर अगर उसका 100 रुपया भी बकाया है तो सारी जितनी रकम है उस पर ब्याज वसूल कर रहे हैं। आप तो कहते हैं, हम किसानों के हिमायती हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : गलत है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मन्त्री जी, यह हो रहा है गलत होते हुए भी।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री देवीसिंह भाटी : सही कह रहे हैं। एक महीने में।

श्री हेतराम बेनीवाल : सही कर रहे हैं, बड़ा धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है अगर आप सही कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। पर मुझे लगता यह है कि आप सिर्फ जुबानी कह रहे हैं।

इसी तरह से मुझे आपसे यह कहना है कि राजस्थान में जो फ्रेगमैण्ट हैं, 4–4, 5–5 बीघा जो जमीन है उसको खरीदने की परमिशन नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी तो हैं नहीं। मुख्य मंत्री की जगह कोई बैठे हैं मेरे लिए तो वही मुख्य मंत्री हैं। जिस जमीन की कीमत 6 लाख रुपए है हम छः लाख रुपए में सौदा नहीं कर सकते। छः लाख की जमीन खरीदनी हो तो किसान को परमिशन नहीं है। आप क्या समझते हो कि किसान जमीन खरीदे तो 10 लाख वाली और बेचे तो भी 10 लाख रुपए की ? वह ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, वह हमको परमिशन नहीं है। गंगानगर जिले में बहुत-से मामले हैं। जो जमीनें खरीद लीं पाकिस्तान से आये लोगों की, दूसरे लोगों की जो ट्रांजैक्शन थी, ऐसे सैकड़ों मुकदमे हैं जो अदालतों में लटक रहे हैं। किसान ठोकर खाता हुआ अदालतों में मारा-मारा फिर रहा है। उसको आप बर्बाद कर रहे हैं। अफसरों की कोठियां बन रही हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। ऐसे बहुत से मामले हैं उस क्षेत्र के लोगों के, जिनसे राजस्थान की सरकार उनका पीछा छुड़ा सकती है, अगर आपकी वाकई नीयत हो तो। अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल में खालों का मामला बहुत सीवियर है। मन्त्रियों ने यह एलान तो कर दिया कि हम किश्तें नहीं लेंगे....

श्री भंवरलाल शर्मा (इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री) : वसूली रोक दी।

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर आपने वसूली रोक दी और पांच साल के बाद दुबारा शुरू कर दी तो क्या होगा ? पांच साल बाद 18 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगाकर आप वसूल करोगे, यह क्या है ? आप तय करें, हाउस में आप ऐलान करें कि हम पैसे को माफ कर देंगे। चाहे हिन्दुस्तान की सरकार कुछ करें या नहीं करे, राजस्थान की सरकार इसको सजा करके वसूल नहीं करेगी। अगर आपने यह सारा रोक दिया, इसके बाद 18 पर्सेंट ब्याज लेकर वसूल किया तो सिर्फ यहां तालिया बजा लोगे इन दिनों में, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा।

इसी तरह मुझे आपसे निवेदन करना है कि गंगानगर जिले की जो पानी की समस्या है, अहम समस्या, जैसा कि मैं समझता हूं, आपने बड़ी कोशिश की है लेकिन इसमें कामयाब तभी होंगे जब सारा राजस्थान, मैंने जैसा पहले कहा, एक तरह से विकसित होगा, हम राजस्थान की एक तरह से सुरक्षा करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री फूलचन्द जी गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही है तथा मैं इस पर अपने

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

विचार रख रहा हूं । यह बात सही है कि आज भी हमारे ग्रामीण विकास की हालत बहुत खराब है लेकिन यह पहली सरकार थी जिसने ग्रामीण विकास की तरफ ध्यान दिया। पूर्व में उस तरफ के माननीय सदस्यों ने कई बार ग्रामीण विकास की चर्चा रखी थी, आज भी एक-एक हजार की गांव की आबादी पर प्राथमिक शाला नहीं है, पीने के पानी की कमी है, सड़क नहीं है, चिकित्सा नहीं, शिक्षा के लिये कोई साधन नहीं है । लेकिन, माननीय सभापति महोदय, केवल मात्र यही अन्तर है पूर्व की सरकार में और इस सरकार में, इस सरकार ने शहर के विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास भी किया। जो 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती थी, आज वहां 60 प्रतिशत बजट का गांवों के विकास पर रखा । गांव और शहरों में बहुत ही विरोधाभास था। गांव में अगर कोई ढाणी बाहर होती थी तो उनको ढाणी की संज्ञा में मानकर उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती थी। जब कि उसके विपरीत शहर में अगर कोई मोहल्ला शहर से बाहर जाकर बसता था तो सरकार उसकी व्यवस्था के लिये लाइन डालने, रोड़ की व्यवस्था करना, स्कूल की व्यवस्था करना, चिकित्सालय आदि की व्यवस्था करना, यह एक शहर के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन गांव के साथ यह जुड़ा हुआ नहीं था । इस सरकार ने पहली बार यह कदम उठाया कि ढाणी भी गांव का मोहल्ला है, उसकी कालोनी है इसलिये उनमें भी विकास होना बहुत जरूरी है । पानी जैसी अहम समस्या ढाणियों में थी, न वहां हैण्ड-पम्प थे, न पानी की टंकी थी । पहली बार इस सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और आज दूरदराज बड़ी-बड़ी ढाणियों में पानी की व्यवस्था कराई है। प्राथमिक शाला खोली गई है, और भी उनके विकास की तरफ ध्यान दिया गया है लेकिन फिर भी हमारे ग्रामीण विकास में कुछ और शहर के विकास के साथ-साथ जुड़ती हुए समस्याएं हैं जिससे आज भी गांव का विकास जिस गति से बढ़ना चाहिये था, वह नहीं बढ़ पाया है । आज भी गांव और ढाणियों में काफी अन्तर है । उनमें विद्युत की सप्लाई है, उसमें बड़ी परेशानी आती है । इसलिए कि वह ढाणी की संज्ञा में है, रेवेन्यू विलेज नहीं होते हैं । सबसे बड़ी समस्या जो गांवों में आ रही है, कि आज भी शहर में तो 24 घण्टे लाइट दी जाती है लेकिन आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लाइट का बहुत कम समय रहता है । वहां पढ़ने वाले छात्रों को 9–10 बजे कोई प्रकाश नहीं मिलता है, उनके लाइट की सुविधा नहीं होती है । इसलिये हमको इस ओर ध्यान देना चाहिये कि ऐसी एक अहम समस्या है और गांव और शहरों के बीच जो विरोधाभास है, उसको दूर करना चाहिये।

इस सरकार ने रोजगारोन्मुखी रूप से भी काम किया है । अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे पहले कि हमारे यहां राजस्थान में जो नई औद्योगिक नीति आई है, इसके रोजगार के साधन मुहैया होंगे । यह बात सही है कि राजस्थान में आज भी उद्योगों के लिये प्रचुर मात्रा में रॉ-मेटेरियल है, आज भी कहीं कोई मेटेरियल की कोई कमी नहीं है लेकिन उनका

(204)

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

जो विकास होना चाहिये, वह नहीं हो पाया है। उद्योग मंत्री तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमारे उद्योगों का विकास और बढ़ सकता है। जैसे मैं कोटपूतली, बहरोड़, नीमकाथाना की बात बताऊं कि वहां सीमेंट के प्रचुर मात्रा में प्लाण्ट लगाने की योजना आयी है। मेरे एक प्रश्न में जानकारी दी गई कि सरकार ने 28–31 उद्योगों को 21.33 करोड़ के लगभग लोन स्वीकृत किया है लेकिन आज एक प्रकार की समस्या उनके सामने आयी है कि उनको कोई औद्योगिक बस्ती के रूप में उनको परिणत नहीं किया गया है। काश्तकारों के खेतों की जमीन ली जा रही है। बीच-बीच में और दूर-दूर जाकर वे उद्योग लगाये जा रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि जहां आबादी के पास लगेगा तो पोलूशन फैलेगा और जहां खेती की जमीन मे उद्योग लगाये जा रहे हैं उससे खेतों पर विपरीत असर पड़कर खेतों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिये इन उद्योगों को जैसे शाहपुरा में ग्रेनाइट की पूरी औद्योगिक बस्ती मानकर के उनको एक सामूहिक रूप से एक जगह विकसित किया, इसी तरह से सीमेंट उद्योग के जितने 28–30-40 प्लाण्ट हैं उनको नीमकाथाना और कोटपूतली के बीच में सरकार की जो काफी भूमि पड़ी हुई है, उस भूमि में उन उद्योगों को लगाया जाय जिससे उनका विभाग भी अच्छा होगा और खेती को उससे नुकसान नहीं होगा।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि जब से यह सरकार आयी है, ग्रामीण चिकित्सा के ऊपर पूरा ध्यान दिया गया है। गांवों में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां भवन नहीं था, या डाक्टर की पोस्ट खाली पड़ी थी या अर्गेंस्ट पोस्ट शहर में लगे हुए थे, उस सारी व्यवस्था को दूर करके वहां नये डाक्टरों की भर्ती की गई। लेकिन इसके बावजूद भी दूरदराज शहरी डाक्टरों को जो लगाया गया है, पूरे समय वहां नहीं रह पाते हैं। आज भी वे महीने में एक–दो बार हाजरी करके आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो डेली अप-डाउन करते हैं, उन पर रोक लगानी चाहिये जिससे वे पाबन्द हो तभी गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था हो सकती है। इसी के साथ-साथ हमारे बहुत सारे सब सैण्टर्स हैं, उन सब सैण्टर्स में भी ए. एन. एम. की व्यवस्था कर रखी है। पूर्व में एक व्यवस्था चली थी एडपोस्ट की। इससे काफी सुधार आया था कि वहां पर कम्पाउण्डर की पोस्ट होने पर व्यवस्था थोड़ी सुधार सकती थी। इसलिये उनमें एड-पोस्ट किया जाय।

इसी तरह मैं प्राथमिक शाला के बारे में भी बात रखूंगा। हमारी प्राथमिक शिक्षा के बारे में काफी चर्चा हुई। पूर्व सरकार ने 6000 प्राथमिक शालाएं खोलीं लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी विकृति कर और जोड़ दी और ऐसे टेम्परेरी अध्यापक लगाने की व्यवस्था की कि जिनकी तनख्वाह 450 रुपये थी। अब 450 रुपये में कौन आदमी काम कर सकता है? अनट्रेण्ड थे इसलिये वे काम करने की क्षमता में नहीं थे। केवल मात्र राजनीतिक लैवल से उनका चयन किया गया और चयनित करके उनको यह कह दिया गया कि यह आपके 450 रुपये पेंशन-भत्ते की तरह है, आप चाहें स्कूल जाओ, या शिक्षा

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

केन्द्र जाम्रो या नहीं जाम्रो। इसलिये और प्राथमिक स्कूल की शिक्षा चौपट हो गई। लेकिन पहली बार

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पंचायत मंत्री महोदय ने इस व्यवस्था को सुधारा है और उन्होंने जहां प्राथमिक शाला भवन नहीं थे, वहां भवन बनाये, चाहे उन्होंने संख्या कम कर दी लेकिन उन्होंने ट्रेण्ड अध्यापक लगाये, जहां अध्यापकों की कमी थी, उनमें नये अध्यापको की व्यवस्था की गई है। इससे प्राथमिक शिक्षा का सुधार होगा।

इसी प्रकार मैं पंचायतों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। यह बात सही है कि आज पंचायतों के चुनाव नहीं होने के कारण गांवों को परेशानी आ रही है। लेकिन यह बात भी सही है कि बहुत पुराना पांच ग्राम पंचायतों का था जिसमें बहुत बड़ी विकृति थी कि 10-10 हजार की ग्राम पंचायतें थी, 10-10, 15-15 गांव थे। इससे सब गांवों में विकास नहीं हो पाता था। एक गांव का सरपंच बनता था, वह अपने गांव का विकास करता था। इससे उनका परिसीमन होना बहुत जरूरी था। चाहे इसमें टाइम लगकर के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लेकिन इस परिसीमन की कार्यवाही निश्चित रूप से पूरी होगी और पूरी होने के बाद चुनाव होगा। इससे निश्चित रूप से हमारा विकास होगा। लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। आज हमने व्यवस्थापकों को सारी जिम्मेदारी सौंप रखी है कि वे सारा काम करें। उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है कि 3-4 ग्राम पंचायतों पर एक ही व्यवस्थापक है। वहां की यह हालत थी कि 6-6 महीने पंचायत की मीटिंग नहीं करते थे। आज, मान्यवर, उनके साथ एक व्यवस्था और जोड़े कि उनके साथ प्रधानाध्यापक और पटवारी को मेम्बर मानकर जोड़ दिया लेकिन अनअोफिशियल मानो, कैसे भी करके 5-5 आदमियों की निर्माण कमेटी बनाई जाय, उन ग्राम सेवकों के साथ उनको जोड़ा जाय जिससे वे ध्यान रखें, उनकी मोनिटरिंग वगैरह जो भी व्यवस्था है, उसमें सुधार करें। इससे निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों का विकास हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री फूलचन्द गुर्जर : दो-तीन बातें खनिज के ऊपर कहना चाहूंगा। आज हमारे राजस्थान में खनिज भण्डारों की कोई कमी नहीं है। आज भी इतनी बड़ी माल की खानें पड़ी हुई हैं लेकिन मोनोपोली इतनी हो रही है कि आज सिर्फ पूंजीपतियों को 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर की लीज दी जा रही हैं। उनमें कई प्रकार की विकृतियां हैं। मैंने कुछ मामले रखे थे। ऐसी शर्तों पर उनको लीज दी गई, उनको मेजर लीज दी गई, उनके साथ शर्त रखी गई कि वे सीमेंट उद्योग लगायेंगे। लेकिन आज तक सीमेंट उद्योग नहीं लगाया। इससे रोजगार पर गलत असर पड़ता है। हमारे राजस्थान का कच्चा माल दूसरी जगह जा रहा है तथा वहां उद्योगों में काम लिया जा रहा है।

(२०६)

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

इस सारी व्यवस्था को देखा जाय ? जहां जहां यह खनिज के अन्दर गड़बड़ी हो रही है, उन सब को दूर किया जाय जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिल सके, और राजस्थान की आय बढ़े।

अन्त में अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : अकाल पर अलग से चर्चा होगी।

श्री फूलचन्द गुर्जर : अकाल की यहां बात कर रहे हैं। यह बात सही है कि अकाल राहत कार्य पूर्वी राजस्थान में कम चालू किये गये हैं और पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा किये गये हैं। उसमें किसी तरह के टैक्स की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी यह बात कही थी और आज भी यह बात कही और आज फिर यह रिपीट कर रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश ही नहीं समुचे देश के सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि लोकप्रिय बजट वह होना चाहिए जिसमें समाज के सम्पन्न वर्ग के पर तो कर लगे और कर से जो आय हो, आमदनी हो वह पैसा गरीबों को सुविधाएं देने के लिए हो। यह सरकार सम्पन्न वर्ग के लोगों पर तो टैक्स लगाती नहीं है और जब टैक्स का पैसा नहीं आवेगा। तो फिर गरीबों को राहत कहां से होगी। जब हम लोग यहां पर यह बात उठाते हैं तो माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी कह देते हैं कि कौन सम्पन्न व्यक्ति हैं हमें बतायें। किसानों पर टैक्स लगा दें, डाक्टर्स पर टैक्स लगा दें? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कौन सम्पन्न व्यक्ति है यह बात तो आप से अच्छा कौन जानता है, आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि जिनसे एक एक कार्यक्रम में 51—51 हजार और 1—1 लाख रुपये चन्दे के रूप में लेते हैं वह जो 1—1 लाख रुपये की चन्दे की रसीदें कटवाते हैं वही सम्पन्न वर्ग के लोग हैं। आपको और किसी के बारे में पहचान करने की जरूरत क्या है, उन्हे आइडेन्टिफाई कीजिए। प्रदेश में जो साढ़े 4 करोड़ की जनता है उनमें से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख कौन सम्पन्न वर्ग के लोग हैं उन पर टैक्स आपको लगाना चाहिए और जब तक उन पर टेक्स नहीं लगायेंगे और फिर खर्चा करते जायेंगे विकास के काम नहीं करेंगे और इस तरह से विधेयक आप पारित करायेंगे इसका हम विरोध करते हैं। सभापति महोदय, न कोई विकास के काम हुए....

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : टैक्स चन्दे में ले लेते हैं फिर टैक्स कहां से लगावें?

डा. चन्द्रभान : टैक्स में चन्दा ले लेते हैं तो वह नहीं लेना चाहिए।

सभापति महोदय, गांवों में कोई विकास का काम हुआ नहीं, प्रदेश के नौजवानों के लिए कोई रोजगार का इन्तजाम नहीं किया गया....

(6.06 सांय)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार का कोई इन्तजाम नहीं किया गया और यह जो

(डा. चन्द्रभान)

पैसा खर्च हुआ है वह सिर्फ फिजूल खर्ची पर हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कई बार घोषणाएं की हैं, मितव्ययता की बात कही गई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मंत्रियों ने कितनी मितव्ययता की, सरकार के बड़े अधिकारियों ने कितनी मितव्ययता की ? एक बार तय हुआ था कि रविवार के रोज गाड़ियां नहीं चलेंगी, बिजली का एक्स्ट्रा बिल नहीं आयेगा, टेलीफोन का एक्स्ट्रा बिल नहीं आयेगा। वह थोड़े दिन तो चला लेकिन उसके बाद में वह सब व्यवस्था बन्द हो गई। या तो यह समझ लिया गया कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। लेकिन सवाल पेट्रोल की कमी का नहीं है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो आप और हम सरकार में तब हुआ था।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, सरकार को फिजूल खर्ची पर रोक लगानी चाहिए। आज गैर योजना मद ज्यादा बढ़ गया है उसको सरकार को रोकना चाहिये। यदि विकास और रोजगार के लिए पैसा खर्च किया जाता तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन उसके लिए वह धन खर्च नहीं हुआ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है और यही वजह है कि सरकार ने जितना क्राइटेरिया था, जो मापदण्ड उन सब को बदल दिया। अभी माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां पर उपस्थित नहीं है। उनके विभाग की अभी चर्चा हो रही थी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में कैसे काम हुए हैं। इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसमें पक्षपात हुआ। नयी सड़क बनाने के लिए सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि 1971 में 1500 की आबादी थी उन गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा, 1000 से 1500 की आबादी वाले जो ऐसे गांव थे उनको सड़कों से जोड़ेंगे और जो मुख्य सड़क है उनसे यदि ग्राम पंचायत हैड क्वार्टर 1 किलो मीटर की दूरी पर उनको भी सड़कों से जोड़ेंगे लेकिन इसके अलावा तो सरकार के पास दूसरा क्राइटेरिया या मानदण्ड नहीं था लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी सड़कें मंजूर हुई हैं। यह अलग बात है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यहां तो आधे-आधे घंटे तक माननीय सदस्य बोले हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे तो अभी 5-7 मिनट ही हुई है।

श्री अध्यक्ष : मैंने सब हिसाब देख लिया है। 15 मिनट से अधिक कोई नहीं बोला है। आप बोल रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यहां पर 40 और 45 मिनट तक बोले हैं आप जरा देख लीजिए। यह बहस 3.05 मिनट से चल रही है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए अपनी बात।

डा. चन्द्रभान : नहीं, यदि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं नहीं बोलूं तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : डा. साहब आप बोल रहे हैं और बोले हैं उनमें बहुत फर्क है। आप तो बिल्कुल सार की बात बोल रहे हैं जो सब आ गई और बोले हैं उन्होंने 40 मिनट भी लिए तो क्या हुआ? आपने 15 मिनट में सारी बात कह दी।

श्री अध्यक्ष : बोलिए।

डा. चन्द्रभान : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि यह सरकार यदि कोई जन-सुविधाएं बढ़ाने के लिए खर्चा करती तो भी समझ में आता। जैसा मैंने सड़कों के बारे में निवेदन किया। मैं बिलकुल यहां पर चार्ज लगाता हूं कि पक्षपात हुआ है। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है कि माननीय मंत्री महोदय यदि होते तो मैं और मजबूती के साथ कहता कि कोटा डिवीजन में क्राइटेरिया की उपेक्षा करके नई सड़कों की घोषणा कर दी, मंजूर कर दी और उन पर पैसा खर्चा कर दिया। हमारे जो जिले हैं जो रेगिस्तानी जिले हैं उनमें एक भी सड़क नई सरकार ने बनाई हो तो बताए।

अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है फतेहपुर में। माननीय मंत्री महोदय रामगढ़-फतेहपुर गए थे उसके दूसरे दिन घोषणा कर दी, अखबारों में छप गया कि रामगढ़-मंडावा का कच्चा मार्ग है उसको पक्के मार्ग में बदल दिया जायेगा और इसके लिए 50 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। और यह हमारे कारण से हुआ है डा. चन्द्रभान जो विधायक हैं उसके कारण से नहीं हुआ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक हुआ नहीं। यदि हो जाता तो भी हमको प्रसन्नता होती। 1 किलोमीटर सड़क मेरे क्षेत्र में इस सरकार ने नहीं बनाई। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में नहीं, बता दीजिए सीकर और झुन्झुनू जिले में कितनी सड़क बनाई और अकेले कोटा जिले के अन्दर कितनी सड़कें बनाई हैं। कोटा में सड़क बनाए हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन निर्धारित मानदण्ड हैं उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उनकी उपेक्षा होकर यदि सड़कें बनाई हैं और उसके लिए पी.डब्ल्यू.डी. में एक्स्ट्रा धनराशि का प्रावधान किया जायेगा और सरकार यदि करना चाहती है तो यह गलत है। यह भी आपको मानना चाहिये आपकी सरकार हमेशा सरकार रहने वाली भी नहीं है। जब दूसरी सरकार आयेगी और वह भी यदि इसी तरह से क्षेत्रवाद फैलायेगी तो उसका विरोध होना चाहिए। आप पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीने के पानी का जहां तक सवाल है। अध्यक्ष महोदय, फरवरी माह में 1991-92 के मद के पाइप खरीदे गये हैं। अब वह पाइप महंगे खरीदे जायेंगे। यदि वह जनवरी, 91 में खरीदे जाते तो महंगे नहीं होते। और सरकार कह देती है कि इसमें कोर्ट का स्टे आ गया। सरकार ऐसी गल्तियां करती ही क्यों हैं, विभाग ऐसी गल्तियां करता ही क्यों है और वह फरवरी में खरीदे गए हैं। अब वह कितने पहुंचेंगे इससे न तो जनता

(डा. चन्द्रभान)

को राहत मिली और वह पाइप महंगे खरीदे जायेंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जनता परेशान हुई और जनता पर आगे टैक्स लगेगा। जहां तक बिजली का सवाल है तो बिजली तो एक मेगावाट भी यहां पैदा की ही नहीं गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य पर कल यहां काफी चर्चा हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहूंगा कि मंत्री जी ने उद्घाटन तो बहुत किये हैं लेकिन उनके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया और कुछ इस तरह से जिन लोगों ने अस्पताल की बिल्डिंग बनाकर दे दी। बिना सोचे समझे वही पक्षपात की बात करते हैं। उनको टेक ओवर कर लिया उन पर खर्चा बढ़ गया। जहां जरूरी था वहां तो अस्पताल बने नहीं।

अन्त में, क्योंकि आप कह रहे हैं कि समय का अभाव है अध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि यह सरकार और इस सरकार के वित्त मंत्री जो यहां मौजूद नहीं है उनको मौजूद रहना चाहिए था। जो राजस्थान के मुख्य मन्त्री भी हैं और इस सदन के नेता भी हैं वह मनमोहन सिंह जी की तो प्रशंसा करते हैं और 26 तारीख को उस बजट का विरोध कर रहे थे। यह कौनसा विरोधाभास है यह सरकार कौनसी नीतियों को अपनाना चाहती है। यह सरकार पहले अपने आप में स्पष्ट हो जाए। जब सरकार की कोई नीतियां नहीं होंगी, को दिशा नहीं होगी कोई नीयत नहीं होगी तो इस तरह से फिजूल खर्चियां भी बढ़ती रहेगी। इस तरह से बिना सिस्टम के काम भी होता रहेगा और विकास के काम भी अवरुद्ध हो जायेंगे और जनता को भी कोई राहत नहीं मिलेगी न ही कोई सुविधाएं जुटेंगी। तो इस विनियोग विधेयक का मैं यह कहते हुए अध्यक्ष महोदय विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल जी।

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विनियोग विधेयक 1992 पर सदन में विचार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं तो इस सरकार को सरकार नहीं समझता हूं। यह राज नहीं है रात है। गांवों में कोई सुनने वाला नहीं है। गांवों में अन्धेरा हो रहा है। गांवों के अन्दर काम हो रहा है तो भ्रष्टाचार की आज बड़े जोर शोर से कह रहे थे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी तो यहां तक कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म ही कर दिया। ऐसी बातें हमारे मुख्य मंत्री जी इस सदन में जोर से बोलते हैं ' भ्रष्टाचार गांवों में ठेठ ग्रामसेवकों से जाकर पूछ लीजिए और मैं यहां सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपनी कोई कमेटी भेजिए और डी.डी.पी. के प्रोग्राम के अन्दर कोई कुएं खुद रहे हैं जो भी विकास के काम हो रहे हैं उनके लिए आप गांव वालों से पूछ लीजिए भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। यह मैं सत्य बात कह रहा हूं आपको। अध्यक्ष महोदय आज हमारी ऋण राहत योजनाओं की भी सरकार ने प्रशंसा की है। आपने चुनाव में वायदा किया था वृद्धावस्था पेन्शन देने के लिए, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। कहां है। जनता को गुमराह करने

(श्री मोहनलाल चौहान)

से इस प्रकार से वोट लेकर आने से जनता नहीं बख्शेगी आइन्दा आपको।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऋण राहत योजना के अन्दर बड़े-बड़े जो लाखों रुपए के लोन लिए हैं जिनमें दस हजार तक के कर्जे माफ कर दिए। आज गरीबों के लिए क्यों सोचा है आपने। जो दस्तकार लोग हैं, बुनकर हैं, कुटीर उद्योगों का धन्धा करने वाले जो चर्मकार लोग हैं जूती बनाने वाले हैं, बाण बनाने वाले हैं, लुहार हैं, कुम्हार है उनके दो-दो, ढाई-ढाई हजार के कर्जे लिए हुए हैं उनके कर्जे पर तो आप कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं। गरीबों पर कर्जे के भार चढ़े हुए हैं वे कर्जे से लथपथ हैं उनके लिए तो कोई विचार ही नहीं कर रहे हैं। सदन में पूछते हैं हम लोग और उसके लिए कोई विचार नहीं कर रहे हैं। आप दो-दो, ढाई-ढाई हजार, तीन-तीन हजार रुपए कर्जा है और उन पर चौगुना ब्याज हो गया उनका कर्जा माफ नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के आगे हमारे राजस्थान की सरकार ने तो घुटने ही टेक दिए हैं। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि नागौर जिले की जो सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक का चेयरमैन और एम.डी. विश्नोई जो 18 लाख का आडिट रिपोर्ट में गबन निकला और अनियमित तौर से नियुक्तियां की गई, अनियमित तौर से फर्नीचर खरीदा गया, अनियमित तौर से पदोन्नतियां की गई और लाखों रुपया उन्होंने रिश्वत के तौर से कमाया। ऐसी शिकायतें हमारे नागौर जिले की जनता कूक रही है। ऋण बांटने में बड़ा घोटाला किया। हमारे जिले की शिकायतों के ऊपर आज तक किस शक्ति का हाथ है किस राजनेता का हाथ है, पूरी शक्ति से उसको दबाने के अन्दर लगे हुए हैं और दो-दो बार जांच करवा ली और उन जांचों को राजनीतिज्ञों द्वारा दबाया जा रहा है जो लाखों रुपए का घोटाला है। अध्यक्ष महोदय यह बात अगर गलत हो तो यह इन्क्वायरी आप भ्रष्टाचार विभाग में दीजिए और जो नागौर जिले के सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला है इसकी अगर आपने जांच नहीं कराई, भ्रष्टाचार विभाग मे इसकी जांच कराइए तो ही आपका भ्रष्टाचार मिटाने का नारा सही हो सकता है। नहीं तो नागौर जिले को तो आपने भ्रष्टाचार से पूरा डुबो दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में एक हजार अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। पंचायत राज मन्त्री जी क्या व्यवस्था है आपकी। एक हजार पद एक साल से खाली पड़े हैं अध्यापकों के। 190 पद सब सैण्टर खाली पड़े हैं और 70 पटवारी के पद खाली पड़े हैं। कब भरेंगे आप? सरकार चला रहे हैं आपकी व्यवस्था क्या है। मैंने पंचायत राज मन्त्री जी को कहा कि आप स्थाई तौर से नियुक्तियां दीजिए तो कहा कि बी. डी. ओ. रिश्वत खायेंगे, आप ले लीजिए यहां हमारी जो स्कूलें खाली पड़ी हैं उनकी तो पूर्ति करिए आप। स्कूलों में एक-एक साल से मास्टर नहीं है। यह ताज्जुब की बात है एक हजार अध्यापकों के पद प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में खाली पड़े हैं। तो कब तक ऐसी

(श्री मोहनलाल चौहान)

व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था के मामले में तो आपकी सरकार बिल्कुल ही कमजोर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में बेरोजगारी की भारी समस्या है। हमारे पूर्व मुख्य मन्त्री शिवचरण जी माथुर साहब ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 के बजाए 58 साल की, 58 साल करके 50 साल का कर्मचारी आज आंखों से अन्धा हो जाता है लिखा पढ़ी नहीं कर सकता 58 साल कर दी। 58 की बजाए वापिस 55 करें तो आपके राजस्थान में शिक्षित बेरोजगारों....

श्री अध्यक्ष : आपकी उम्र कितनी है।

श्री मोहनलाल चौहान : मेरी उम्र पचास साल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 58 साल उम्र कर दी, आज उन कर्मचारियों को देखिये आप उनसे लिखा नहीं जाता, चश्मा लगाते हैं। आप 58 साल से 55 साल उम्र करिये तो कम से कम पचास हजार प्रशिक्षित बेरोजगारों की समस्या हल होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मंहगाई बढ़ रही है। आप 22 रुपए मजदूरी के दे रहे हैं, 22 रुपए से क्या होगा आज, आप अनाज का भाव देखिए, बाजरे का भाव 5 रुपए किलो, गेहूं का भाव 7 रुपए किलो, आज मजदूर 22 रुपए में क्या खाएगा दस आदमी परिवार में होते हैं। तो मेरी यह मांग है कि मजदूरी की रेट आप 22 के बजाए कम से कम 35 रुपए तो करिए। मजदूरों को अगर आप जिन्दा रखना चाहते हो, अधिकतर मजदूर मजदूरी पर निर्भर करते हैं और अधिकतर शिड्यूल्ड कास्ट के लोग, अनुसूचित जाति के लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नए राजस्व ग्राम घोषित किए हैं, जिनमें बिजली वालों को कहें तो बिजली वाले भी मानते नहीं हैं, न पानी वाले मानते हैं तो नए राजस्व ग्राम आपने सैंकड़ों घोषित किए हैं राजस्थान में। नागौर जिले में भी काफी किए है लेकिन आज तक उन गांवों को आपके राज के रेकार्ड में नहीं मानते हैं। न ही पानी वाले मानते हैं, न ही बिजली वाले मानते हैं। न तो उनको बिजली मिलती है, न ही उनको पानी पहुंचता है तो उन गांवों को तो लीजिए, बिजली मन्त्री जी बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आरक्षण नीति के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे आरक्षण नीति काफी वर्षों से लागू है, रोस्टर प्रणाली भी लागू है। आरक्षण नीति के बारे में मैं आज कई वैकेन्सिज पड़ी हैं, बैकलाग भी पड़ा है। पांच पर्सेन्ट कोटा पूरा हुआ है शिड्यूल्ड कास्ट का और 16 पर्सेन्ट कोटा है अब बताओ क्या उपलब्धियां हैं आप लोगों की ? सरकार की क्या उपलब्धि है ? शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अपन कहते हैं कि भई आपका उत्थान कर दिया। क्या उत्थान हुआ शैक्षणिक दृष्टि से। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी सदन में घोषणा की है कि बैकलोग पूरा कर देंगे। बैकलाग करो आप पूरा हम तो आपके आभारी रहेंगे। अनुसूचित जाति के लोग आपको बहुत-बहुत मानेंगे लेकिन आप करो तो सही हर साल आश्वासन देती है। पिछली सरकार भी आश्वासन देती थी, यह भी सरकार आश्वासन देती है दो साल से। जितने आपने

(श्री मोहनलाल चौहान)

प्रतिबन्ध लगा रखा है, कहां से आप आरक्षण के कोटे की पूर्ति करेंगे। आज स्कूलों के अन्दर, मिडिल स्कूलों के अन्दर चपरासी नहीं है, पानी मास्टर हाथों से लाकर पीते हैं, चपरासी नहीं है। चपरासियों की नियुक्तियों पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है। स्कूलों में चपरासी नहीं है। सफाई करने वाला कर्मचारी नहीं है। मैंने पिछली बार भी शिक्षा मंत्रीजी से कहा। आज तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से हमारी पदोन्नतियों के मामलों में, आरक्षण के मामलों में यह बड़ी भारी गड़बड़ी करते हैं हर डिपार्टमेंट वाले, हमारा हर जगह शोषण होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पदौन्नतियां देते हैं रोस्टर आ रहा है, जोन आफ कन्सीडरेशन लागू कर रखा है। जोन आफ कन्सीडरेशन में साल में दो बार डी. पी. सी. बैठाते हैं। तो एक बार डी.पी.सी. बैठा करके जो उनका हक है वह उनको दिया जाना चाहिए। यह नहीं करके उनके हकों पर कुठाराघात किया जाता है तो शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ में हर जगह पर विक्टिमाइजेशन होता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि डी.पी.सी. जो बैठती है, किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन के मामलों में एक बार बैठा करके उनको जो प्रमोशन देने हैं और जो उनके हक है वह उनको मिलने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के अन्तर्गत हमारे नागौर के अन्तर्गत 1985, 86, 87, 88 में आज जो सड़कों पर मजदूरी पर काम करने वाले लोग हैं, और जिन्होंने मस्टररोल पर काम किया उनकी मजदूरी की रकम तो उठा ली और भुगतान समय पर नहीं हो सका कहीं पर उनको मजदूर नहीं मिला और कम मजदूरी आने से मजदूर ने नहीं लिया वह रकम वापस जमा करवा दी जो करीब 15 लाख के आस पास मजदूरी है। 15 लाख की मजदूरी आज नागौर जिले के 6 हजार मजदूरों की बाकी पड़ी हैं, तीन साल से पड़ी है। अनपेड में जमा है वह रकम उठा कर पेमेण्ट करें गरीब मजदूरों को तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह से अकाल राहत के मजदूरों के जो बकाया भुगतान है उनको देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले में पानी की समस्या की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी की बड़ी विकट समस्या है। नागौर जिले में कुओं का जल स्तर नीचे जा रहा है और पानी की आने वाली गर्मी में बड़ी विकट समस्या आयेगी और पीने का पानी नहीं मिलेगा उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

डा हरिसिंह : पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है उसका करना क्या चाहिए।

श्री मोहनलाल चौहान : जहां पानी का जल स्तर नीचे जा रहा है उसका मैं सुझाव दे देता हूं। उनको बोरिंग कराना चाहिए। मैं इस सदन में सुझाव देना चाहता हूं कि वहां आप ट्यूब वैल खुदवाइये। नागौर जिले में नहर के लिये तो मैं पहले भी निवेदन कर चुका कि इन्दिरा गांधी नहर योजना अगर लाई जाये तो आने वाले दस सालों में जो पानी की समस्या आयेगी उसका निराकरण हो सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री मोहनलाल चौहान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के अन्तर्गत में यह सुझाव देना चाहता हूं, हमारे अकाल राहत मंत्री जी विराजे हैं। नागौर जिले में ग्रेवल रोड बना करके, कच्चे बांध बना करके मजदूरों को मजदूरी दी जा सकती है और जो पानी का जल स्तर नीचा जा रहा है तो कुओं को गहरा कराना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल (प्रभारी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : विराजिये आप मंत्री जी।

व्यवस्था का प्रश्न

प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में अन्य मंत्री द्वारा जवाब दिया जाना

श्री यदुनाथ सिंह : मेरा आब्जेक्शन है। कौल एण्ड शकधर में एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में व्यवस्था है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि "The concerned Minister shall be present in the House to reply the points raised by the Members." कन्सर्न मिनिस्टर वे नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत परम्परा डालने का यहां रिवाज चल पड़ा है। जब स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर मौजूद है। फाइनेन्स मिनिस्टर किसी काम से बाहर गये हैं। स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर मौजूद है। उनके होते हुये किसी अन्य मिनिस्टर से इस तरह से बाई पास करके सारी परम्पराओं को तोड़ा जा रहा है। यह उचित नहीं है और यह मिनिस्टर महोदय की भी एक तरह से बहुत बड़ी इन्सल्ट है। उनको एक तरह से इनएफीशियेन्ट साबित कर दिया गया। मेरा जैसा होता तो आज ही मंत्रिमण्डल से स्तीफा देकर बाहर निकल जाता।

श्री अध्यक्ष : आपका पाइन्ट आफ आर्डर क्या है।

श्री यदुनाथ सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि "Minister concerned" means who holds the administrative powers of that particular department.

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौल एण्ड शकधर की प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट के अन्दर पेज नम्बर 650 पर स्पष्ट लिखा हुआ है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगी "On the motion for consideration of the Appropriation Bill, the Minister concerned must be present in the House to answer those points."

फाइनेन्स बिल क्या। मैं आपको यह बताऊंगी फाइनेन्स बिल किसको माना है "Finance Bill' means the Bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the Government for the next financial year and includes a Bill to give effect to supplementary financial proposals for any period." यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मिनिस्टर होल्ड करता है इस डिपार्टमेंट को पहली बात तो मुख्य मंत्री जी को यहां होना चाहिए

(श्रीमती सुमित्रा सिह)

था और यदि मुख्य मन्त्री जी नहीं है किसी आवश्यक कार्य की वजह से तो स्टेट मिनिस्टर जो इस पोर्ट फोलियों को होल्ड करते हैं। वही इसका जवाब देंगे। हमारा आब्जेक्शन यह है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कुछ जवाब आप में से भी बोल रहे हैं। नहीं, आपने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है श्रीमती सुमित्रा सिह ने इसमें हमारे रूल्स में प्रावधान है। मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा कि "Finance Minister" includes any Minister.

यह डेफीनेशन हमारे रूल्स में है। राजस्थान विधान सभा के नियम और प्रक्रिया में यह दिया हुआ है कि "Finance Minister" includes any Minister.

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिए जो लिखा है एनी मिनिस्टर इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी मिनिस्टर के जवाब दे देने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है इसलिए मुख्य मन्त्री जी ने मुझे लिखित में मेरी स्वीकृति से कैलाश जी को जवाब देने के लिये अधिकृत किया है। इसमें माननीय विरोधी दल के नेताओं की भी सहमति है और इस नियम के अनुसार, चूंकि फाइनेन्स मिनिस्टर इन्क्लूड एनी मिनिस्टर इसलिये कोई भी मिनिस्टर जवाब दे सकता है। इसलिये आपकी व्यवस्था का प्रश्न मैं रद्द करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और कहने दी जाये। वैसे तो आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन क्या हमारी विधान सभा पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर से गाइड नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। पार्लियामेंट प्रोसीजर की जो प्रेक्टिस है उससे जरूर गाइड होती है लेकिन स्पेसिफिक रूल आपके यहां बनाया हुआ है तो फिर पहले उसी से गाइड होगी। यदि स्पेसिफिक रूल नहीं हो तो निश्चित रूप से वहां पर जो परम्परायें हैं उनको कोट किया जाता है। मगर जब हमारे स्पेसिफिक रूल है तो वह हमको फालो करना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय।

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1992 का पारण

श्री कैलाश मेघवाल (प्रभारी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा.... (व्यवधान).... नहीं मैं कतई नाराज नहीं होता हूं माननीय विधायक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नाराज नहीं हूं। विधान सभा में नाराज होना भी नहीं चाहिये। विधान सभा बहस का मंच है तर्क आने चाहिये अच्छे सुझाव आने चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने आज 227 करोड़ 85 लाख 40 हजार रुपये की अनुपूरक मांगों को स्वीकृत करने के लिये निवेदन कर रहा हूं। हमारा जो मूल बजट 1991-92 के लिये पास हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय, वह था 4 हजार 7 सौ 14 करोड़....

श्री अध्यक्ष : मांगें स्वीकृत हो गई हैं। आप एप्रोप्रियेशन पर बोल रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : मांगें पास हो गई है। इनको मालूम नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फाइनेन्स मिनिस्टर बिना नहीं बता पायेंगे इस बात का। और हमारा आब्जेक्शन क्या था। यही आब्जेक्शन था हमारा।

डा. चन्द्रभान : मांगें आपने पारित करवाई है....(व्यवधान).... माननीय मंत्री जी को जानकारी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्लिप आफ टंग जो है वह पाप नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकार करता हूं कि सारी सम्पूर्ण जानकारी मुझे उपलब्ध हो यह जरूरी नहीं है। यह कोशिश कर रहा हूं जानने की। और विनियोग विधेयक पर मुझे और आगे सोचते रहने का संकेत दिया है। इसका मैं स्वागत करता हूं। मुझे तो इस बात को मानने में क्या एतराज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था कि आज विनियोग विधेयक नम्बर एक पर वाद-विवाद हुआ है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कौनसे ईयर का है यह एप्रोप्रियेशन बिल ?

श्री कैलाश मेघवाल : 1991–92 का, यह + + + आज भी मुझे चुप रखना चाहती है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां किसी को + + + या कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं माननीय सदस्य हूं। हां, अपने शब्द वापस लो।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : देखिये वो + + + जरूर है लेकिन आपकी नहीं। हां बैठिये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनसे पूछ ले, सदन के बाहर वे मेरी क्या है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इस शब्द को एक्सपंज करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बाहर कुछ भी होगी। करा देंगे। ठीक है। करा देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : आप उनसे पूछ लीजिये कि सदन के बाहर मैं क्या सम्बोधन करता हूं। गलती से मैं अन्दर कर गया बाकी सदन के बाहर तो मैं स्वीकार करता हूं। इस सम्बोधन से वे प्रसन्न भी होती हैं। मैं आपको इस सम्बोधन से बोलूं तो....

श्री अध्यक्ष : अगर जो बात बाहर हो रही है वह रिकार्ड में यहां आवे, यह जरूरी नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : .... यह बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह जानना चाहती हूं।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(216)

डा. चन्द्रभान : बाहर तो हम भी बहुत कुछ कहते हैं आपको।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने 4 स्थितियां रखना चाहता हूं और वह इसलिये कि विनियोग विधेयक नम्बर एक पर वाद-विवाद पर जब चर्चा प्रारम्भ हुई तो मैं इस बात की उम्मीद करता था कि यहां जो हमने अनुपूरक अनुदान मांगों का सारा वितरण किया है, सारी सामग्री, सारी पुस्तिका और मैं सोचता था कि मेरा परीक्षण होगा, सरकार का परीक्षण होगा यह जो दस्तावेज है उसके आधार पर लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा यह मानना है, सदन की सहमति है या नहीं कि हमारे यहां महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होती है, उसके बाद बजट भाषण पर बहस होती है, उसके बाद विनियोग विधेयक नम्बर एक पर बहस होती है, विनियोग विधेयक नम्बर दो पर बहस होती है और माननीय सदस्य, सबकी मर्यादाएं अलग-अलग है....

श्री यदुनाथ सिंह : यह जरूरी नहीं है कि हर साल दो विनियोग विधेयक होंगे। हर साल दो होना क्या आवश्यक है, यह बता दीजिये। नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप जवाब दिलवाइये। क्या प्रतिवर्ष दो विनियोग विधेयक होना आवश्यक है। यह आप बता दीजिये। अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइये इसका, क्या यह आवश्यक है ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : आज सिंचाई मंत्री जी ने क्या अमाउन्ट किया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी, आप क्यों उठ रहे हैं ?

श्री बुलाकी दास कल्ला : क्या अमाउन्ट किया है। वह तो फिर बता दें।

श्री अध्यक्ष : अब यह इतना महत्वपूर्ण है कि उसे इतना जोड़ दिया जावे।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर विनियोग विधेयक नम्बर एक पेश नहीं होगा तो उस पर बहस नहीं होगी। जो विनियोग विधेयक यहां प्रस्तुत होगा, उस पर बहस होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : एक नहीं होगा तो दूसरा कैसे हो जायेगा ? आप बता दीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : वह पहला ही माना जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आप सीधे-सीधे अपने विषय पर आइये। आप विषय पर आ जाइये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं आखिर आज जो बहस होनी चाहिये थी, उस बहस का स्कोप जितना विस्तृत कर दिया गया है उतना विस्तृत है नहीं, उस बहस का आधार होना चाहिए था, यह अनुपूरक मांगों पर हमने जो संशोधित बजट दिया है उसके आधार पर, उसमें हमने कारण दिया है। मतलब यह है कि मैं इस तैयारी में आया था कि यहां प्रत्येक अनुपूरक अनुदान मांग को सदन में लेकर आये हैं और मैंने इस विनियोग विधेयक को और रेगुलाइज कराना चाहता हूं। उसका क्या कारण है ? ऐसा निर्णय कहीं पहले इस बहस में देखा नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, आप उनको प्रवोक कर रहे हैं। नहीं देखा है तो वह तो हमने मना किया है, आप अपना काम करिये। आप जस्टिफाई करिये। यह तो जान बूझकर रोका गया है। आप जस्टिफाई करिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अपना काम कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सबसे पहले जयपुर ग्रामीण से आने वाली माननीय विधायिका ने कुछ मुद्दे उठाये हैं, वे मुद्दे हैं बेकारी भत्ते के, नवयुवकों रोजगार देने के, जवाहर रोजगार योजना के काम ठीक ढंग से पूरा कराने के, पूरा पैसा लगाने के, किराया नियंत्रण कानून में संशोधन लाने के, कृषि भूमि नियमन के नियम बनाने के, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके सभी सुझाव सरकार ने नोट कर लिये हैं और उन पर यथोचित जब भी आवश्यक होगा, कार्यवाही की जायेगी।

बीकानेर से आने वाले माननीय विधायक ने एक घंटे का भाषण दिया और मैं नहीं चाहता कि वह प्रवोक हों। बहुत लम्बा भाषण था और जब वे आसन पर बिराज रहे थे तो मैं सोच रहा था कि उन्होंने कुछ मुद्दे उठाये हैं और कुछ बातों का हवाला भी दिया है। मुझे उस समय अंग्रेजी की एक कहावत याद आ रही थी। माननीय सदस्य महोदय, प्रवोक होने की आवश्यकता नहीं

Devil quoting scriptures.

इसकी हिन्दी में करना नहीं चाहता, हिन्दी ज्यादा उकसाने वाली बात है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बड़ा अनर्थ हो जायेगा अगर आपने हिन्दी नहीं की। इस सदन के अन्दर पहले बड़ा अनर्थ हो चुका है। हमको अंग्रेजी नहीं आती, आप बताइये, इसका क्या मतलब है ?....(व्यवधान)... आप बताइये, हमको अंग्रेजी नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में कोट किया है तो इसका मतलब बताना चाहिये। यह तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बता रहे हैं मगर आप हिन्दी की बेइज्जती मत करिये। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमान् मुझे डेविल की व्याख्या करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप बैठिये। उनको ही करने दीजिये। हां, बोलिये आप। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : कुछ कहावत होती हैं। वे कहावतें हिन्दी में भी होती हैं, अंग्रेजी में भी होती हैं। मैंने एक कहावत आपके सामने रखी है और माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, यह कह देना कि वे इस कहावत का मतलब नहीं जानते, मेरे से ज्यादा आप मतलब जानते हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे भी होने चाहिये और मेरे से ज्यादा अच्छी पृष्ठभूमि के भी आप हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको समझता हूं, आप इस कहावत का मतलब यही समझ लीजिये। अब आप शुरू करिये।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ही जोर-

(श्री कैलाश मेघवाल)

शोर से माननीय कल्ला साहब ने उठाया और अन्य सदस्यों ने भी उठाया। मेरा एक सवाल करना है कि माननीय भैरोंसिह जी शेखावत 4 मार्च, 90 को मुख्य मंत्री बने थे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के सदस्यों के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि 4 मार्च 90 से पहले तो गंगा की निर्मल धारा इस राजस्थान में बह रही थी, 4 मार्च से पहले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग नहीं था, 4 मार्च से पहले कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं होती थी, 4 मार्च से पहले राजस्थान के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी और सारे ठेकेदार सारा सिंचाई विभाग, निर्माण विभाग में बिल्कुल स्वच्छ छवि का काम चल रहा था, क्या ऐसी स्थिति थी। मैं माननीय कल्ला जी से पूछना चाहता हूं....

श्री रामसिंह विश्नोई : जो भी हो, आप थे या नहीं थे, यह हमने पहले मालूम किया नहीं। विश्व में ऐसा ही माहौल चल रहा है। लेकिन आपने कहा कि हम नाक में से निकलवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, आप 9 को 13 करना चाहते थे। वह हुआ नहीं आपसे इसलिए बात की थी।

श्री कैलाश मेघवाल : वैसे अगर कोशिश की गई है माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, सबसे पहले जालौर में सायला रोड का भ्रष्टचार का स्पेशिफिक मुद्दा उठाया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर में सायला रोड का मुद्दा फाइनल करने वाले जो आज कांग्रेस के महामन्त्री, तत्कालीन कांग्रेस के खजांची श्री चन्द्रराज सिंघवी उस राज में जिनको कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय हरिदेव जी जोशी ने इस कुर्सी पर बैठाया था। यह उनके वक्त में सारा फाइनल हुआ था। अब मुझे बताइये कि सायला रोड, सायला रोड, सायला रोड। भ्रष्टाचार की बात....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : न तो कभी चन्द्रराज सिंघवी मिनिस्टर रहे थे?

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं-नहीं वे उसके अध्यक्ष थे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : काहे के, काहे के अध्यक्ष थे?

श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान आवासन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते, आप सुन लीजिये।

श्री बुलाकी दास कल्ला : हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे, अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)....ये बहस में गलत बता रहे हैं....(व्यवधान)....

श्री परसादी लाल मीणा : सारी जानकारी गलत दी गई है....(व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : मैं आपको करेक्ट करूं, वे वित्त बोर्ड के थे....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़।

श्री परसादी लाल मीणा : वे तो कभी अध्यक्ष नहीं रहे, बताइये कब रहे।

श्री नत्थी सिंह : आज होमवर्क किया नहीं आपने।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं स्लिप आफ टंग से राजस्थान आवासन सहकारी संघ को अगर बार्ड बोल गया हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं

(श्री कैलाश मेघवाल)....

लेकिन यह सौदा फाइनल करने के लिए श्री चन्द्रराज सिंघवी थे जो कांग्रेस के द्वारा नियुक्त थे और अध्यक्ष महोदय, उस सौदे से राज्य....(व्यवधान)....मूल गया तो अब सहकारी समिति कर दिया हमने। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सही करने को तैयार हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : वे एस. सी. वाली 27 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं आपको...... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह संरक्षण मेरे लिए बहुत ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं। यह ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं चुनाव में मैं 27 प्रतिशत में ही चुनाव लडता हूं। आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने का अधिकार है इसलिए इतनी सी छूट आपने मुझे दे दी, सदन से भी यह छूट मैं चाहता हूं। इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने उन सबकी जांच की, जांच फाइनल हो रही है और फाइनल होने के बाद अदालत में चालान पेश करने की तैयारी हो रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार मिटाने के प्रयत्न चालू हैं या नहीं? जांच हो गई, चालान की स्थिति में आ गए हैं लेकिन इस सदन को माध्यम बना करके जिन अधिकारियों ने....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वो सड़क को मंजूर करने वाले कौन थे? किस हैसियत से उन्होंने वहां की सड़क मंजूर की?

श्री कैलाश मेघवाल : सड़क कहां मंजूर की, आपको मालूम तो है नहीं। जमीन खरीदी है उसका ज्यादा पैसा दिया है। जमीन का सौदा फाइनल किया है। राजस्थान हाउसिंग कॉपरेटिव के अध्यक्ष के नाते और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार विधान सभा में सायला का भ्रष्टाचार, सायला की जमीन कि भ्रष्टाचार के लिए कहते हैं। वो भ्रष्टाचार करने वाले कौन थे और जिस अधिकारी ने....

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह स्वीकृति गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। डिप्टी सेक्रेटरी के आर्डर हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, बार-बार मुझे इस तरह हस्तक्षेप नहीं करने दीजिए क्योंकि इन्होंने सारे भ्रष्टाचार के....

श्री रामसिंह विश्नोई : मन्त्री महोदय, इसमें रत्ती भर भी घोटाला नहीं है। आपको गलतफहमी है। अगर जांच भी हो रही है तो भी ठीक नहीं है और आरोप लगाये तो भी ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आगे चलिए। आगे चलिये।....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : अब अध्यक्ष महोदय, मेरा सोचना यह है कि कांग्रेस से आने वाले माननीय विधायक ने बार-बार भ्रष्टाचार कह कर उठाया तो राज्य सरकार ने जांच करा दी और जांच कराने के बाद अक्टूबर, 90 में जांच चालू करने के बाद वो चालान की स्थिति में आ गया है। अब यह अदालत ही फैसला करेगी कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं और इस केस की जांच के आदेश

(श्री कैलाश मेघवाल)

देने वाले और जांच की निगरानी रखने वाले अधिकारी पर बराबर यह आरोप लगाये जाते हैं कि वो भ्रष्टाचार का संरक्षण करने वाले हैं। आपने चौपासनी रोड, जोधपुर में भूमि खरीदी और वह आवासन मण्डल ने खरीदी जिसका भी आप बड़ा हवाला देते हैं। चौपासनी रोड, जोधपुर की जो भूमि खरीदी गई है वह श्रीराम गोटेवाला जब आवासन मण्डल के अध्यक्ष थे उस समय खरीदी गई। चौपासनी रोड का बार-बार हवाला दिया गया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं। मैंने इस सम्बन्ध में कोई मुद्दा ही नहीं उठाया है। यह आप अपने नेता के इशारे पर कह रहे हैं। मैंने जो मुद्दे उठाये उसमें एक का भी जवाब आप नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्ला जी, बहस नहीं। आपको कुछ शंका करनी हो तो आप बाद में कर लेना।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में एक झगड़ा उठा। एक श्री चारण नाम से कोई डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार थे। उन्होंने नवीन गृह निर्माण सहकारी समिति के खिलाफ पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज कराई और उसको उस समय की कांग्रेस सरकार ने निलम्बित कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जब तक कांग्रेस सरकार रही उसका बार-बार प्रामाणिक तथ्य होते हुए, दस्तावेजी सबूत होते हुए भी टाला जाता रहा, कई फाइल सीधी जाती रही और उस भ्रष्टाचार के लिए मुझे यह कह देने में खुशी है कि वर्तमान सरकार ने चालान करवा दिया उस केस में। ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात चल रही है।

इसके बाद खेड़ा उद्योग की बात कही गई अध्यक्ष महोदय। मैं खेड़ा उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं कि खेड़ा उद्योग का आपने जिक्र तो कर दिया। खेड़ा उद्योग की भूमिका कब बनी? खेड़ा उद्योग का सारा मसला फाइनल हुआ कांग्रेस पार्टी के वक्त में और एक कम दक्षता का प्लांट लगाने पर अधिक दक्षता के मूल्य के बराबर भुगतान कर दिया गया। खेड़ा उद्योग कांग्रेस के वक्त में हुआ है। आज हमारे उद्योग मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया है कि उसकी वो जांच कराने को तैयार हैं। हम इसकी भी पूरी जांच करायेंगे। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। कल्लाजी नहीं। Please, Kalla Ji, no interruptions

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने साफ कहा था उसमें वी. बी. एल. माथुर दोषी हैं। उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बैठिये। देखिये, आप जवाब सुनिये, उसके बाद मैं आपको कोई बात पूछनी है तो पूछिये। बीच में इटरप्ट करेंगे तो जवाब समाप्त नहीं होगा। अब जो बता रहे हैं आपने जो पूछा है वे अपना जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) अब बाद में पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : और उनको इन्होंने चेयरमैन बनाया है।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों पूछते हैं, यह तो बाद में पूछ लेना।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : ये प्रोसीक्यूशन और जजमेंट दोनों काम कर रहे हैं। आप ही आरोप हैं और जजमेंट भी आप हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक-एक शब्द जो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन के सामने बोलता हूं उसका उत्तरदायित्व लेता हूं और जैसे माननीय विधायकों की आदत होती है कि गलत है, गलत है। मैं सैकड़ों बार आपके मुंह से गलत सुन चुका हूं। अगर गलत है तो जो गलत बोलता हूं उसके खिलाफ इस संविधान की महान मर्यादा और महान्

(6.45 सायं)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही चलाई जा सकती है। आप मेरे खिलाफ गलतबयानी करने के लिए कार्यवाही करने का साहस कीजिए। आपमें वो साहस नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इस मंच को अपने किसी कारण से, +++ की वजह से प्रयोग करना है मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या निहित स्वार्थ हैं हमारे ? उपाध्यक्ष महोदय, ये ऐसा कह रहे हैं....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ये बार-बार खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह बमफोड़ की तरह बार-बार खड़े होकर डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको कोई जानकारी नहीं है। हमारे क्या स्वार्थ हैं इसमें ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार्ज लगाता हूं कि इस खेड़ा इण्डस्ट्रीज में बी. बी. एल. माथुर दोषी हैं, उनके खिलाफ राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की और उस दोषी अधिकारी को आपने मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन का अध्यक्ष बनाकर +++ प्रदान किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पोइण्ट ऑफ आर्डर है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा पाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि इस सदन में कही हुई किसी भी बात के लिए चाहे वो गलत है या सही है उसके लिए किसी के खिलाफ भी कोई मुकदमा चलाया नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बिल्कुल एक्जेक्टली करेक्ट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसलिए मंत्रीजी का यह कहना और चैलेंज करना संसदीय परम्परा के विरुद्ध है। उनको शायद ज्ञान नहीं है, मैं बता देती हूं।

+++ शब्द माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि सदन की इतनी वरिष्ठ सदस्या ने ऐसी बात कही है। मैंने मुकदमे की बात कही थी। मैंने यह कहा है कि इस सदन की प्रक्रियायें हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने कहा + + + हैं। क्या + + + हैं वो बताइये आप।

श्री कैलाश मेघवाल : बता दूंगा, वो भी बता दूंगा। अब प्रोवोक नहीं करूंगा मैं। आपसे भी प्रोवोक नहीं होऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, आप तो आसन से ही बात करो।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात कही। वह यह कही कि गलतबयानी करने के लिए विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जाता है। विशेषाधिकार समिति बनी हुई है। मैंने जो कहा वह यही कहा कि सदन की परम्पराओं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने विशेषाधिकार का नहीं कहा।

श्री कैलाश मेघवाल : उसके अनुसार मेरी गलतबयानी के लिए मेरे खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। मै एक-एक शब्द के लिए यहां पर उत्तरदायी हूं और उस पूरे उत्तरदायित्व के साथ आपके सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : काट इज पाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कांग्रेस का काम जनता दल के माननीय सदस्य कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि यह सदन का फ्लोर है। बार-बार मंच शब्द का क्यों उपयोग कर रहे हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, भाषा तो ठीक कही है। कोई गलत भाषा नहीं है।

डा. चन्द्रभान : सदन के फ्लोर पर आप अपनी बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कोई असंसदीय भाषा नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी लेकर सच बोलने के लिए कह सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंच शब्द की जगह प्रांगण शब्द बोल दिया करूंगा।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही है आप ध्यान दीजिए कि "माननीय सदस्य अपने + + + के लिए इस मंच का दुरुपयोग नहीं करें।" + + + का आरोप लगाया

+ + + अभिव्यक्ति /माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री नत्थी सिंह)

है। उसे आप एक्सपंज करें यह गलत बात है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप चुनौती देते हैं तो मैं भी इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। खेड़ा उद्योग में मेरे क्या + + + है। यह सदन की परम्पराओं का खुला उल्लंघन है।

श्री मदन लाल सैनी : कल्लाजी का नहीं है तो कल्लाजी के दोस्तों का है, उसमें।

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए केवल विधान सभा का प्रांगण ही नहीं है। किसी को भ्रष्टाचार की चुभन है, किसी की भ्रष्टाचार को मिटाने की भावना है तो उसके लिए लोकायुक्त का दफ्तर है, एफ. आई. आर देने के लिए पुलिस का दफ्तर है और यहीं हम आरोप लगाकर सालों उन आरोपों के बारे में चुप रहें और दूसरी जो एजेंसीज हैं वहां जाकर आप किसी तरह की कार्यवाही नहीं करें....

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार तो फेल है इस काम में।

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार बिल्कुल पास है। कल्याण सुन्दरम्....

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी लोकायुक्त जैसी संस्था के लिए कह रहे हैं "एजेंसी"। लोकायुक्त जैसी महान संस्था के लिए एजेंसी शब्द का उपयोग कर रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्या इनको बार-बार हस्तक्षेप करने का अधिकार है। क्या मुझे इसका जवाब देने का अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवधान ही पैदा करना चाहते हैं तो हाउस चलेगा नहीं। इन्होंने कहा है लोकायुक्त एक ऐसी संस्था है जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : संस्था नहीं कहा एजेंसी कहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : It is also an Agency.

डा. चन्द्रभान : नहीं एजेंसी फोर एजेंसी।

श्री कैलाश मेघवाल : लोकायुक्त भी एक एजेंसी है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : लोकायुक्त की गरिमा को कम किया है।

एक माननीय सदस्य : एजेंसी तो एजेंटस के लिए है।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई गलत नहीं है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : इसको निकालिये आप। एजेन्सी फोर एजेन्ट्स यह लोकायुक्त जैसी संस्था को एजेन्सी बता रहे हैं। यह कोर्ट को एजेन्सी कह रहे हैं, दूसरी संस्थाओं को, सब को एजेन्सी। यह संस्था शब्द को यूज नहीं कर सकते। किस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं यहां....

श्री यदुनाथ सिंह : हाई कोर्ट को एजेन्सी, गवर्नर एजेन्सी, या तो यह सब एजेन्सी है, और इस तरह कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार कह रहे हैं कि यह लोकायुक्त की एजेन्सी....

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, पाईंट आफ आर्डर सर। इन्होंने कहा है, लोकायुक्त की एजेन्सी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंह जी, बहुत कह दिया अब....

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये आप। जिस तरह के तेवर से बोलते है यह, इनको अपमान और घमण्ड तो नहीं हो गया।

डा. चन्द्रभान : यह मुख्यमंत्रीजी की स्टाइल में बोलें पर....(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब ने अभी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा उस मामले में।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, बोलिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय डाक्टर साहब ने अभी यह कहा कि लोकायुक्त को एजेन्सी बताया है। मेरी राय में शायद वह संस्था है, इन्स्टीट्यूशन है। आपकी क्या राय है इस मामले में, एजेन्सी मान कर दर्ज करायेंगे लोकायुक्त एजेन्सी है तो....(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : इन्होंने यह कहा है माननीय उपाध्यक्षजी, कि लोकायुक्त भी है और उसकी एजेन्सी भी है....

श्री जगमाल सिंह यादव : आप मानते हैं क्या इस बात को ? या तो आप अपनी रूलिंग दीजिए....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित : लोकायुक्त को एजेन्सी नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : एजेन्सी कहना अपने आप में कोई शब्द है, इसकी क्या व्याख्या करते हैं आप एजेन्सी की....

श्री जगमाल सिंह यादव : मतलब लोकायुक्त एजेन्सी हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : लोकायुक्त की एक संस्था है।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, एजेन्सी का अर्थ संस्था नहीं है। संस्था का मतलब है इन्स्टीट्यूशन।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री जगमाल सिंह यादव : एजेन्सी है या इन्स्टीट्यूशन, आप उसका अर्थ बताइए।

श्री उपाध्यक्ष : इसका आप दूसरा अर्थ क्यों लगा रहे हैं ?

श्री जगमालसिंह यादव : आप क्या व्यवस्था दे रहे है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो संस्था मानता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्स्टीट्यूशन कह देता हूं। बिराजो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं संस्था मानता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, रनिग कमेन्ट्री कम से कम न की जाये। मैं जब बोलने खड़ा हुआ हूं, या तो आरोप लगाने से पहले सोचा जाय कि इन आरोपों का जवाब आयेगा या फिर आरोप नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि भ्रष्टाचार 4-3-90 के बाद ही चालू हुआ है तो मैं बता दूं कि भ्रष्टाचार कब चालू हुआ और सुधार हम रहे हैं क्योंकि जिस कल्याण सुन्दरम सीमेंट की बात की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कल्याण सुन्दरम सीमेंट में पचास लाख का पेमेन्ट, एक ऐसी पार्टी को कर दिया गया कि जिसने सीमेंट सप्लाई नहीं की थी और इस फाइल पर दस्तखत जो हैं, एप्रुवल के, अनुमोदन के, माननीय शिवचरणजी माथुर के हैं। अब यह कोई करें क्या। इस प्रकरण को हमने राज्यपाल (व्यवधान) नहीं, यह नहीं होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइए।

श्री उपाध्यक्ष : अब प्लीज, कृपया सहयोग कीजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : शिवचरणजी का नाम इन्होंने लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या नाम लिया है, उस समय से है (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार बाधा उत्पन्न कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सदन का सदस्य नहीं है, उस पर आरोप नहीं लग सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आरोप क्या लगाया है। (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बार-बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं इनको रोकिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : कौन से नियमों के तहत बोल रहे हैं माननीय कल्लाजी।

श्री उपाध्यक्ष : आरोप क्या लगाया है। आरोप नहीं है। उन्होंने कहा है कि उस समय से चल रहा है, आरोप नहीं है।

श्री डूंगरराम पंवार : सुनने का माद्दा रखिये।

श्री उपाध्यक्ष : कोई आपके कार्यकाल में काम शुरू हुआ था, आपका नाम लेना कोई...

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरे वक्त में तो हुआ ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह ही कहा है इन्होंने ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं कहा ।

श्री उपाध्यक्ष : तो क्या कहा ?

श्री डूंगरराम पंवार : दूध के धोये हो तो फिर डर किस बात का । (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह फैक्ट्स को छिपा रहे हैं । कल्याण सुन्दरम फैक्ट्री में कुछ अधिकारियों ने गलत पेमेन्ट किया, उन अधिकारियों को प्रोटेक्ट करने के लिए शिवचरण जी का नाम बदनाम कर रहे हैं । फैक्ट्स को गलत नहीं रखना चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : सुनने का माद्दा भी रखिये आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जिन अधिकारियों ने गलत पेमेन्ट किया है उनको आज इन्होंने प्रमोशन दे दिया, उनके खिलाफ तो एक्शन लेने की माद्दा इनमें है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इस प्रकार नहीं कहा है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसी राजनीतिज्ञ को बदनाम करने की आप चेष्टा मत कीजिए । जिन अधिकारियों ने गलत पेमेन्ट किया है उसके खिलाफ एफ. आई. आर. लाज की हुई है । मैसर्स कल्याण सुन्दरम के जो मालिक हैं उनके खिलाफ जिन अधिकारियों ने पेमेन्ट किया है उनके खिलाफ आप कार्यवाही क्यों नहीं करते ।

श्री उपाध्यक्ष : तो माननीय कल्लाजी, यह सरकार माफ कर रही है क्या ।

श्री देवीसिंह भाटी : आप मिनिस्टर थे ।

श्री मदनलाल सैनी : बदनाम आदमी को क्या बदनाम किया जाय । जो बदनाम है उसको क्या बदनाम करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे सब से सहयोग की अपेक्षा करता हूं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहूंगा....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप अपने स्थान से बोलिए ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि कल्याण सुन्दरम का हवाला दिया गया है और सीधा उसका सम्बन्ध उद्योग से है ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं नाम की चर्चा में नहीं जाना चाहूंगा । लेकिन यह सत्य है कि कल्याण सुन्दरम जिस समय प्रोडक्शन में भी नहीं आई, उसमें एक कट्टा भी सीमेंट का बनना आरम्भ नहीं किया गया, उसके पहले ही उस कम्पनी को

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

पचास लाख रुपये का पेमेन्ट सीमेंट के अगेंस्ट इसलिए किया गया कि इन्दिरा गांधी नहर में यह सीमेंट सप्लाई करेगी। लेकिन यह सत्य है कि यह फाइल इस समय की, इस राज की नहीं है, कांग्रेस के राज के जमाने की है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह किस ने कहा ? लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ, जो इसमें दोषी थे, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की आपने। आप फैक्ट्स को हटा क्यों रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्लाजी, हर बात में बोलना जरूरी थोड़े ही है कोई।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय कल्लाजी, आप इससे इन्कार करते हो कि उस पर शिवचरणजी माथुर के हस्ताक्षर थे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वही कहा है मैंने।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय सदस्य, जो बारां से आये हैं, मैं बहुत आभारी हूं कि सत्यता को प्रकट करने के लिए बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य अगर इस प्रश्न को नहीं छेड़ते तो उत्तर भी कौन देता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने बेरी आयोग के बारे में कहा था। बेरी आयोग ने कुछ स्पेसिफिक मुद्दों के ऊपर रिपोर्ट दी है। उसमें वी. बी. एल. माथुर के खिलाफ और मैसर्स कल्याण सुन्दरम में जिन्होंने सीमेंट का घपला किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? आप फैक्ट्स को इधर-उधर करके गलो काट रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य कोई कमजोरी बताते हैं तो क्या आपत्ति है आप लोगों को।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, बिल्कुल नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बीकानेर से आने वाले माननीय विधायक का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उनको बता कर हमको यह चेताया है कि इनकी जांच करो और हम वह जांच कर रहे हैं। कल्याण सुन्दरम का जो मसला है। अब मैं पाइप घोटाला कांड का भी जिक्र करूंगा तो फिर प्रवोकेशन हो जायेगा, क्योंकि....

श्री डूंगरराम पंवार : कल्याण सुन्दरम को सत्यम शिवम् सुन्दरम मान कर वह पैसा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, माननीय कैलाश मेघवाल जी।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं पाइप खरीद घोटाला कांड के विस्तार में इसलिए नहीं जाना चाहता कि जब तक तथ्यात्मक विवरण सदन में नहीं आये....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायक मन्त्री भी रहे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे बिजनस के अनुसार मन्त्री तक एप्रूवल के लिए जाते हैं। इस पाइप घोटाला कांड का भी आपने जिक्र किया जो कांग्रेस के वक्त

(श्री कैलाश मेघवाल)

में हुआ और उस पर एप्रूवल देने वाले का नाम लूंगा तो कुछ प्रवोकेशन होगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें भी हम ईमानदारी से जांच की कार्यवाही कर रहे हैं। कांग्रेस शासन का भ्रष्टाचार मिटाने की जिम्मेदारी हमने ली है। यह सारे तथ्य हमने इसलिए रखे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि बार-बार, इसी तरह बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई और मुद्दे भी उठाये। उन्होंने नेशनल हाईवे का मुद्दा उठाया। इस सारी किताब में कहीं नेशनल हाईवे के लिए मैंने एक पैसा नहीं मांगा है, एक पैसे की हमने....

श्री बुलाकीदास कल्ला : चार करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें।

श्री कैलाश मेघवाल : वो हुआ होगा। वह तो आप, पता है जिस समय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला जी....

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : यह व्यवस्था का प्रश्न है इनको ताड़ना दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बोलते समय थोड़े खड़े होइए। (व्यवधान) नहीं-नहीं, बैठे-बैठे बोलने का कोई प्रोविजन नहीं है। प्लीज। अब मान लो, बोलने में आप थोड़ी खामोशी रखें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : भ्रष्टाचार हुआ उस समय नेशनल हाईवे का जो प्रि-क्वालिफिकेशन इन्होंने कराया, 87 प्रतिशत अबोव में काम दिया है पी. डब्लू. डी. में और इनकी सरकार ने दिया है। चार करोड़ का घोटाला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : वह कह चुके हैं आप कल्लाजी।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, इनका समर्थन एक भी कांग्रेस के माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते हैं कि समर्थन करें। सभी बोलने लग जायें क्या।

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने इसके अलावा फिजूलखर्ची रोकने के लिए, वसूली में सतर्कता बरतने और मितव्ययता करने के बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। जो अच्छे सुझाव दिए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उन पर सरकार विचार करेगी और आप विश्वास कीजिए कि आपके दिये हुए सुझाव उचित हैं तो उन पर मनन करके कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक ने प्रदूषण और पर्यावरण के बारे में, संगमरमर का मलवा जो उदयपुर में हो रहा है, मैं उनके उठाये हुए मुद्दे को वास्तव में गम्भीर मानता हूं और राज्य सरकार भी, संगमरमर का मलवा न केवल उदयपुर में, यह जहां से संगमरमर की खानें चालू हो जाती है गोमती से लगा कर डूंगरपुर तक और गोमती से लगाकर बांसवाड़ा तक सड़कों के दोनों ओर जो अरबों रुपये का वैभव आज पैदा हो रहा है यदि उसके साथ भी प्रदूषण की एक गम्भीर समस्या पैदा हो रही है, राज्य सरकार उस बारे में भी उन से यह सूचना मिलने पर सतर्क है, उस बारे में भी कार्यवाही की जायेगी। झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह से पद बढ़ाने की बात की है, वह है नहीं, लेकिन हमारे

(श्री कैलाश मेघवाल)

कई कार्यक्रम बढ़ रहे हैं। राजस्थान एक कल्याणकारी शासन के रूप में आगे बढ़ रहा है, राजस्थान में विकास के कई कदम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में जो अभी सांगरिया से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा उठाई कि जितने देश में राज्य हैं उनमें हर दृष्टि से नीचे ही नीचे राजस्थान का नाम आता है। एक ऐसी स्थिति में, चालीस साल में जो कांग्रेस सरकार द्वारा राजस्थान तैयार करके आज हमको विरासत में मिला है, राजस्थान की प्रगति के लिए, विकास के लिए, उसकी सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए और उनको क्रियान्वित करने के लिए हमको कई तरह के पद बढ़ाने पड़ेंगे। आज चिकित्सा विभाग में कई तरह की शिकायत होती है, उसमें कई तरह की प्रशासनिक नियन्त्रण की बातें तो हम करते हैं लेकिन जब उसके लिए पद बढ़ाये जाते हैं, अधिकारी बढ़ाये जाते हैं तो उस पर एतराज किया जाता है। यह सम्भव नहीं है। एक-एक पद सोच-समझ कर कार्य अनुरूप बढ़ाया जाता है। वह इस सदन के सामने विभागीय मांगों के वक्त भी और आपके सामने हमेशा आकर के यह सारी बात करेंगे। मैं उनके सुझावों का स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बात दोहराई थी इन्डोनेशिया वाली जो पुस्तिका थी जिसको उर्दू में छपवाकर नसबन्दी के रूप में, उसके लिए माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने पर्याप्त प्रकाश डाल दिया था इसलिए मैं उस बिन्दु पर कुछ निवेदन अभी नहीं करना चाहता हूं।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने अधूरे छोड़े हुए कामों को पूरा करने के लिए और प्रगति के लिए सामूहिक प्रयत्न करने के सुझाव दिये हैं मैं उनको स्वागत करता हूं। हमारे भाई हीरालाल जी इन्दौरा जो केसरीसिंहपुर से आये हैं उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं फाइनेन्शियल डिसिप्लीन के और अधिकारी लापरवाही नहीं करें उनके ऊपर नियन्त्रण रखा जाये, निगाह रखी जाये और सतर्कता रखी जाये, रेवेन्यू का काफी कलेक्शन भी हो जाये-इन सुझावों का मैं स्वागत करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हेतराम जी बेनीवाल, माननीय फूलचन्द जी गुर्जर, जो नीम का थाना के माननीय विधायक हैं और मण्डावा से आने वाले माननीय विधायक जो मेरी श्रेणी में हैं उनको मेरे ऊपर दया रखनी चाहिए, उनको सहानुभूति भी रखनी चाहिए कि हम जिस संत्रास का जीवन जीते हैं यह उनको भी मालूम है, उन्होंने जो अच्छे सुझाव दिये उनका मैं स्वागत करता हूं। सोचने के लिए उनके पास भी समय ज्यादा है और सोच-विचार कर बहुत समय दिया है ऐसा लगता है उस हिसाब से ही दिये हैं। हमारे परबतसर से आने वाले माननीय विधायक ने भी कई अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में भी यहां कई बातें कही गयीं। मैंने पहले भी विश्वास दिलाया है और अब 2 तारीख की बहस में राजस्थान में अकाल की दृष्टि को लेकर यह सरकार किस तरह से सारी व्यवस्था करेगी उस पर हम चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि इस विनियोग विधेयक को पारित किया जाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उपाध्यक्ष महोदय बेरी आयोग ने जिन-जिन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में जो रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है क्या आप उसको सदन की मेज पर रखेंगे ? क्या उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने कोई एक्शन लिया है और नहीं लिया है तो कब तक लेंगे ? चूंकि आप वित्त मन्त्री का काम भी आज देख रहे हैं इसलिए आप कृपया बतायें कि चार्ज अमाउण्ट क्या है ? तीसरा यह है कि इन्दिरा गांधी नहर एरिया में चौथ वसूल की जा रही है और लगभग 7॥ करोड़ रुपये, 30-30 हजार रुपये पर चैक इक्ट्ठे हुए हैं उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की और अभी जो डामर कोटा और बीकानेर में 6 हजार रुपये मैट्रिकटन का 18 हजार रुपया पर मैट्रिक टन में बेचा गया इसके बारे में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मन्त्रीजी प्रस्ताव कीजिए ।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं बीकानेर से आने वाले माननीय विधायक ने जो सवाल पूछे हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : फिर मैं भी पूछूंगा ।

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा वह यह चाहते हैं कि मैं यह बिल पारित करने का प्रस्ताव रख दूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1992 (1992 का विधेयक (संख्या 5) को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1992 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1992 को पारित किया गया । सदन की कार्यवाही कल शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 1992 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7 बजकर 6 मिनट पर शनिवार, दिनांक 28 मार्च, 1992 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

231

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 626 की सूची

सूची–क

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र :

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरगढ़

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :

1. प्रा. स्वा. केन्द्र, सोमसर
2. प्रा. स्वा. केन्द्र, तेना
3. प्रा. स्वा. केन्द्र, सोईन्तरा
4. प्रा. स्वा. केन्द्र, सेतरावा
5. प्रा. स्वा. केन्द्र, देचू

उच्चीकृत स्वास्थ्य उपकेन्द्र :

1. उच्चीकृत उपकेन्द्र, जाटी माण्डू
2. उच्चीकृत उपकेन्द्र, साई
3. उच्चीकृत उपकेन्द्र चोरडिया
4. उच्चीकृत उपकेन्द्र, चांदसम्मा
5. उच्चीकृत उपकेन्द्र, खिरजा खास

(232)

सूची–छ

प्रश्न के भाग दी गई सूची

संस्था का नाम	स्वीकृत पद						
	कनिष्ठ विशेषज्ञ	वरिष्ठ चिकित्सा अधीकारी	चिकित्सा अधीकारी	सेलनर्स श्रेणी प्रथम	द्वितीय	स्टाफ नर्स	ए. एन. एम.
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शेरगढ़	2	–	3	–	2	5	1
2. प्रा. स्वा. केन्द्र, सोमेसर	–	1	–	–	2	–	1
3. प्रा. स्वा. केन्द्र, तेना	–	–	1	–	2	–	1
4. प्रा. स्वा. केन्द्र, सेतरावा	–	–	1	–	2	–	1
5. प्रा. स्वा. केन्द्र, सोईन्तरा	–	–	1	–	2	–	1
6. प्रा. स्वा. केन्द्र, देचू	–	–	1	–	–	–	1
7. उच्चीकृत उपकेन्द्र, जाडीमाण्ड	–	–	–	–	1	–	1
8. उच्चीकृत उपकेन्द्र, साई	–	–	–	–	1	–	1
9. उच्चीकृत उपकेन्द्र चौरडिया	–	–	–	–	1	–	1
10. उच्चीकृत उपकेन्द्र, चांदसस्मा	–	–	–	1	–	–	1
11. उच्चीकृत उपकेन्द्र, खरजाखास	–	–	–	1	–	–	1

सूची-ग

रिक्त पदों का विवरण

संस्था का नाम	रिक्त पद का नाम	पद संख्या	समय जब से रिक्त है
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शेरगढ़	1–मेलनर्स श्रेणी–2	1	जुलाई, 91 से
	2–स्टाफनर्स	2	दिसम्बर, 91 से
2. प्रा. स्वा. केन्द्र, सोमेसर	मेलनर्स श्रेणी–11	1	मई, 91 से
3. प्रा. स्वा. केन्द्र, तेना	1–चिकित्साधिकारी	1	दिसम्बर, 91 से
	2–मेलनर्स श्रेणी–11	1	सितम्बर, 90 से
4. प्रा. स्वा. केन्द्र, सेतरावा	मेलनर्स श्रेणी–11	2	जुलाई, 91 से
5. प्रा. स्वा. केन्द्र, देचू	चिकित्साधिकारी	1	नवम्बर, 91 से
6. उच्चीकृत उपकेन्द्र, जाटीमाण्ड	1–मेलनर्स–11	1	फरवरी, 89 से
	2–प्रसताविका	1	फरवरी, 90 से
7. उच्चीकृत उपकेन्द्र, साई	मेलनर्स–11	1	फरवरी, 89 से
8. उच्चीकृत उपकेन्द्र, चोरडिया	प्रसाविका	1	फरवरी, 90 से
9. उच्चीकृत उपकेन्द्र, चांदसम्मा	प्रसाविका	1	फरवरी, 90 से
10. उच्चीकृत उपकेन्द्र, खिरजाखास	प्रसाविका	1	फरवरी, 90 से

परिशिष्ट - 2

तारांकित प्रश्न संख्या 628 की सूची

	(राशि करोड़ रुपयों में)
1. शहर की दीवारों की मरम्मत–	0.50
2. माचिया पार्क एवं आस-पास के क्षेत्र का विकास–	1.00
3. मसूरिया पहाड़ियों का विकास–	10.00
4. शहर के आस-पास की पहाड़ियों का सुन्दरीकरण–	5.00
5. ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम मण्डोर उद्यान–	0.80
6. मसूरिया पहाड़ियों पर रोपवे–	1.50
	18.80

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 629 की सूची

वर्ष 1989–90 एवं 90–91 में किया गया व्यय का विवरण

(करोड़ों में)

क सं.	मद	वर्ष 89–90	वर्ष 90-91
1.	पेयजल व्यवस्था	21.0575	11,4025
2.	चारे की पूर्ति	0.20	00,0002
3.	राहत कार्य	7.2010	26 1300
4.	बाढ़ ओलावृष्टि आदि	0.9250	3.4253
5.	अग्नि सहायता	0.2834	0.3472
6.	निदेशन तथा प्रशासन	0.7261	0.6935
7.	अन्य	1.17	0.2009
	योग :–	31.5630	42.1996

परिशिष्ट–"ब"

निर्धारित श्रमिक सीमा तथा कार्यरत श्रमिकों का विवरण

क. स	नाम जिला	राहत कार्यों पर मार्च, 92 हेतु निर्धारित श्रमिक संख्या	राहत कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या	विभागीय कार्यों पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या	कुल कार्यरत श्रमिक संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बांसवाड़ा	10,000	2,200	27.500	29,700
2.	बाड़मेर	15,000	3,195	18,141	21,337

1	2	3	4	5	6
3.	बीकानेर	15,600	5,265	10,268	15,533
4.	चित्तौड़गढ़	3,000	–	9,000	9,000
5.	चूरू	10,000	2,630	9,857	12,487
6.	डूंगरपुर	10,000	850	13,036	13,886
7.	जैसलमेर	7,000	3,610	11,339	14,949
8.	जालौर	3,000	–	9,000	9,000
9.	जोधपुर	8,000	2,100	18,000	20,100
10.	नागौर	3,000	–	8,500	8,500
11.	पाली	3,000	–	9,000	9,000
12.	सिरोही	4,000	–	11,000	11,000
13.	उदयपुर	9,000	1,344	27,706	29,050
	योग :—	1,00,000	21,195	1,82,347	2,03,542

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 631 की सूची

परिशिष्ट "क"

पाली जिले में वर्ष 1988 से अब तक स्वीकृत सम्पर्क सड़कों की सूची (पूर्ण/अपूर्ण)

क. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	जुड़ने वाले गांव का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत राशि (लाखों में)	पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
	कृषि उपज मण्डी समिति, पाली					
1.	मोरिया से सोनाई लाखा	लाखा	90–91	5.00	10.00	पूर्ण
2.	बस्सी से पाली	पाली	90–91	4.00	8.00	,,

1	2	3	4	5	6	7
3.	लाल की (रोहिट)	रोहीट	90–91	4.00	8.80	पूर्ण
4.	खाती खेड़ा	खातीखेड़ा	90–91	4.00	8.00	,,
5.	बाडाई से ढाबर	ढाबर	90–91	2,00	4.00	,,
6.	खंताबास	खंताबास	90–91	2.00	4.00	,,
7.	पुनायता	पुनायता	90–91	2.00	4.00	,,
कृषि उपज मण्डी समिति, सोजतरोड						
8.	हरियामाता से करालिया	करालिया	88–89	6.00	8.50	,,
9.	हेमलिया बास से मारवाड़ जं.	हेमलियाबास	88–89	1.00	1.50	,,
10.	मण्डला	मण्डला	89–90	0.50	0.85	,,
11.	बडागुढा से रामसिंह का गुंढा	रा. का गुढा	89–90	1.00	1.80	,,
12.	मण्डी यार्ड से बगढीवाली रो.	बगडी. रोड़	89–90	0.50	0 50	,,
13.	पाचुण्डा कला से बगडी. रोड	पाचुण्डाकला	89–90	1.50	2.00	,,
14.	धुन्धाला से मेलावास	मेलाबास	89–90	3.00	5.00	,,
कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण						
15.	चांग से रेलडा	रेलडा	89–90	3.00	6.00	,,
16.	निमाज से खेडा	खेडा	89–90	3.00	6.00	,,
कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर						
17.	मालनू	मालनू	88–89	3.00	4.50	,,
18.	मन्दर	मन्दर	88–89	2.00	3.00	,,
19.	शंवतलाव	शंवतलाप	89–90	3.00	6.00	,,
20.	बाखा से पाताब	पाताब	89–90	3.00	7.50	,,
21.	कोट बालियान से टीपरी	टीपरी	89–90	3.00	7.50	,,
22.	पेखा से बैडल	बैडल	89–90	3.00	7.50	,,
23	लालराई से बाली	बाली लाल.	89–90	3.00	7.50	,,
24.	कोशेलाव से व या गां. बड़गांव	बड़गांव	89–90	1.50	3.00	,,
25.	पालडी से सलोदरिया	सलोदरिया	88–89	4.00	6.00	अपूर्ण
26.	तैजा	तैंजा	88–89	4.00	6.00	,,
27.	दानवरती से कोयलबास	कोयलबास	89–89	11.00	14.00	,,
28.	मालनू से लुणावा	लुणावा	89–90	4.00	5.20	,,
29.	चिमनपुरा	चिमनपुरा	89–90	3.00	7.50	,,

1	2	3	4	5	6	7
30.	लाखा से लुणावा	लुणावा	89–90	3.00	7.50	अपूर्ण
31.	दान बराली से कोयलवाव का विस्तार	दानबराली	89–90	2.00	2.60	,,
32.	नैतरा से रोजड़ा	रोजड़ा	91–92	3.00	9.00	,,
33.	नैतरा से पराकिया	पराकिया	91–92	3.00	9.00	,,
34.	खिन्दारा गांव	खिन्दारा	91–92	3.00	9.00	,,
35.	पराकिया से खिन्दारा	खिन्दारा	91–92	3.00	9.00	,,
36.	मलेश्वर महादेव	मले. महा.	91–92	3.00	9 00	,,
37.	अनोपपुरा से बिठड़ा	बिठड़ा	91–92	3.00	9.00	,,
38.	मावुन्दा से बड़गांवड़ा	बड़गांवड़ा	91–92	3.00	9.00	,,
39.	पावा से मावुन्दा वाया पैनवा	पैनवा	91–92	3.00	9.00	,,
40.	विरमपुरा	विरमपुरा	89–90	3.00	7.50	,,
41.	सोकड़ा	सोकड़ा	89–90	3.00	7.50	,,
42.	बाखा से लुणावा	लुणावा	89–90	3.00	7.50	,,
43.	मोरी गांव	मोरी गांव	89–90	3.00	7.50	,,
44	सोकड़ा से मागली विलासपुर	विलासपुर	89–90	3.00	7.50	,,
45.	बेड़ा से कुमटीया बस स्टेण्ड	कुमटीया	89–90	2.00	5.00	,,
46.	बेडल	बेडल	89–90	3.00	7.50	,,
47.	कोयलबाव से भीमाणा	भीमाणा	89–90	3.00	7.50	,,
48.	नोबी से मरूदा	मरूदा	89–90	3.00	7.50	,,
49.	गोगरा से हिंगोला	हिंगोला	89–90	3.00	7.50	,,
50.	जाखोड़ा से फालना स्टेशन	फालना स्टे.	89–90	3.00	7.50	,,
51.	सैला नई आबादी (पुरानी आबादी)	सैला	89–90	2.00	5.00	,,

परिशिष्ट (ख)

मण्डी समिति का नाम	क्रमांक	सड़क का नाम	दूरी (कि. मी.)	अनुमानित लागत (लाख रु.)
सोजत रोड़	1.	इमलियावास से खेड़िया	3	अंकित नहीं
	2.	गागुडा से भूलेलाव	4	"
	3.	बड़ागुढा से गुडाश्यामा	2	"
	4.	कोलपुरा से गोपावास	3	"
	5.	हमीरवास से सबराड़	6	"
जैतारण	1.	रायपुर से दीपावास	8	16·00
	2.	रामगढ़ चांग से रेलडा	7	14 00
	3.	चावंडिया से सींगला	3	6·00
	4.	सींगला से पटवा	3	6·00
	5.	रातडिया से बड़ीपोल	4	8·00
रानी	1.	गुड़ा ठाकुरजी मोड़ से सीवास	4	9·50
	2.	विजोबा फाटक से चाचोड़ी की तरफ वाया भगवानपुरा	3	7 00
	3.	किशनपुरा से खारड़ा रोड़ तक	4	10·00
	4.	पिलोवणी से सोमेसर	4	11·50
	5.	नादाना माटान से जवाली तक (क्षतिग्रस्त)	4	11·70
	6.	डायलाणाकला से डायलाणा खुर्द	1·50	3·80
सुमेरपुर	1.	सलोदिया से फतापुरा	3	12·50
	2.	कानपुरा से सलोदिया	3	10·50
	3.	कानपुरा से फतापुरा	4	17·00
	4.	मालनू से सिवेरा	6	27 00
	5.	सेनाड़ी से पीपला	5	21·50
	6.	चामुण्डेरी से लुन्दाडा	6	27·50
	7.	मोरीवेडा से जाम्बेश्वर	6	25·00
	8.	लुन्दाडा से मालनू	3	14·00

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 632 का विवरण

परिशिष्ट—1

सहरिया विकास परियोजना

अन्तर्गत वर्षवार आवंटित राशि का विवरण

वर्ष	कुल आवंटन (लाख रुपये)
1977-78	7.000
1978-79	7.430
1979-80	32.570
1980-81	20.000
1981-82	20.000
1982-83	20.000
1983-84	19.500
1984-85	29.800
1985-86	8.000
1986-87	18.850
1987-88	40.070
1988-89	29.320
1989-90	65.583
1990-91	183.410
1991-92	41.910
योग :—	543.443

नोट :—वर्ष 1989-90 में 35.40 लाख रुपये की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि प्राप्त हुई तथा वर्ष 1990-91 में 152.53 लाख रुपये की राशि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत प्राप्त हुई।

परिशिष्ट — 2

सहरिया विकास परियोजना

अन्तर्गत वर्षवार व्यय राशि का विवरण

सेक्टर/सबसेक्टर	वर्ष 1977–78 से जनवरी 92 तक व्यय की गई राशि (लाख रुपये)
1. कृषि	12.826
2. लघु सिंचाई	98.102
3. वानिकी	5.595
4. पशुपालन	1.880
5. शिक्षा	94.964
6. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	14.607
7. पेयजल	42.560
8. सहकारिता (राजसंघ)	2.820
9. प्रशिक्षण कार्यक्रम	1.672
10. विद्युतिकरण	0.480
11. लिंक/एप्रोचसडक/पुलिया निर्माण	0.928
12. ग्रामीण गृह निर्माण	8.100
13. वृद्धावस्था पेंशन हेतु सर्वेकार्य	0.050
14. बचत समूह योजना	0.034
15. मुफ्त कानूनी सहायता	0.015
16. राजस्व रिकार्ड में तरमीम कार्य	0.896
17. सहरिया परिवारों को प्राकृतिक आपदा आदि पर सहा.	0.022
18. परियोजना कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन निर्माण	3.590
19. कोर बजट	0.750
20. प्रशासन	31.940
योग :—	321.831

सहरिया विकास परियोजना

(विकास कार्यक्रमों का क्षेत्र में निरीक्षण अनुसार पाई गई स्थिति का विवरण)

सहरिया विकास समिति की मीटिंग दिनांक 7/12/1991 में यह निर्णय लिया गया था कि सहरिया विकास समिति की माध्यम से अब तक बने एनीकटो, लिफ्ट योजनाओं, समूह डीजल पम्पसेटो से सहरिया जाति के व्यक्ति किस प्रकार से लाभान्वित हुए, इसका सर्वे पंचायत समिति शाहाबाद एवं किशनगंज के मार्फत करवाया जावे। फलस्वरूप इन योजनाओं का सर्वे कराया गया। दोनों विकास अधिकारियों से अधिकांश मामलों में सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसका नतीजा निम्न प्रकार रहा है :—

(1) एनीकट :—

सहरिया-विकास परियोजना के माध्यम से अब तक 26 एनीकट बने है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इन सभी एनीकटो का मौके पर निर्माण कार्य हुआ है। इनमें से 15 का सर्वेक्षण किया गया है तथा 11 का सर्वे किया जा रहा है। इसके आधार पर वर्तमान में 1834 बीघा भूमि पर सिचाई कार्य होने लगा है।

(2) जलोत्थान सिंचाई योजना :—

सहरिया विकास समिति द्वारा 6 जलोत्थान सिचाई योजना संचालित की जा रही है। सभी योजनाएं मोके पर बनी हुई है। इन योजनाओं द्वारा 123 कृषकों की 621 बीघा भूमि लिफ्ट बनने से सिंचित हो रही है।

(3) समूह डीजल पम्पसेट योजना :—

सहरिया विकास परियोजना द्वारा 74 समूह डीजल पम्पसेट के समूह बनाकर वितरण किये गये है जिनसे 379 सहरिया कृषकों की 414 हेक्टर भूमि सिंचित होनी थी। अब तक 61 समूह डीजल पम्पसेट के समूहों की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसके अनुसार एक को छोड़कर सभी समूह डीजल पम्पसेट मोके पर मौजूद है। एक समूह डीजल पम्पसेट मरम्मत के लिए मध्यप्रदेश में भेजा हुआ है। इन समूह डीजल पम्पसेटो से 317 हेक्टर भूमि में सिंचाई हो रही है।

(4) फल विकास कार्यक्रम :—

इस वर्ष 86 सहरिया कृषकों को 50–50 पौधे नीबू, अमरूद के दिये गये हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मौके पर सभी कृषकों को लाभांवित होना पाया गया है परन्तु 50 पौधों में से जीवित पौधों की संख्या लगभग 30–35 है।

(5) रिवाल्विग फण्ड अन्तर्गत खाद बीज ऋण :—

रिवाल्विग फण्ड अन्तर्गत ग्राम शुमधारा व बीलखोडाडांग के 26 कृषकों को 0.431 लाख रुपये का खाद बीज वितरण किया गया जिसकी मौके पर जांच कर ली गई है जो सही है।

(6) बाकी निम्न योजनाओं का भी सर्वे कराया गया है :—

अ–आश्रम छात्रावास संचालन 7 है जो संचालित व निर्मित है।
ब–कृषि प्रदर्शन वर्ष 91–92 में 200 लगाए गए हैं जो सही है।
स–ग्रामीण गृह निर्माण 989 हुए हैं जो मौके पर सही है।
द–हैडपम्प 118 स्थापित है।
य–डीपवैल हैडपम्प 22 स्थापित है।
र नल विस्तार योजना 11 है जो चालू है।
ल–मुफ्त पोशाक वितरण वर्ष 90–91 व 91–92 में 7589 छात्र/छात्राओं को लाभांवित किया गया है जो सही है।

परिशिष्ट—6

तारांकित प्रश्न संख्या 633 की सूची

क्र सं. 1	विद्यालय का नाम 2	अध्यापक संख्या 3	छात्र संख्या 4	क्र. सं. 1	विद्यालय का नाम 2	अध्यापक संख्या 3	छात्र संख्या 4
1.	प्रा. शा. शिवपुरी	5	84	15.	खाडूल्या	1	45
2.	,, देवली	2	85	16.	कन्या बपोर	2	96
3.	घोलाखेडा	2	90	17.	अरनिया केदार	2	100
4.	,, ककराज कलां	9	45	18.	मून्डिया	1	57
5.	ककराज खुर्द	1	55	19.	लहन	4	116
6.	देवरनिया	2	60	20.	पालडी	3	105
7.	कारोला	2	25	21.	वजीरपुरा	3	161
8.	मांची	2	92	22.	अमीनपुरा	2	57
9.	सईदाबाद	2	50	23	बोरदा	2	51
10.	सरवराबाद	2	57	24.	अल्लापुरा	3	62
11.	इस्लामपुरा	1	61	25.	शकूरपुरा	3	97
12	युसुपपुरा	3	60	26,	गफूरपुरा	2	60
13.	पारखेडा	2	62	27.	नवाबपुरा	1	40
14.	किशनपुरा	2	101	28.	बाडा जैर किला	3	70

1	2	3	4	1	2	3	4
29.	अहमदपुरा	2	50	64.	लक्ष्मीपुरा	2	75
30.	बिचुड़ी	1	51	65.	निरवाना	4	40
31.	मोहम्मदनगर	2	50	66.	सोयला	6	144
32.	नासिबपुरा	2	55	67.	हथोना	4	206
33.	सतीपगज	2	58	68.	छात्र पराना	3	150
34.	विढारस	2	55	69.	कन्या पराना	2	150
35.	बाडा अब्दुल्लापुरा	2	59	70.	वजीराबाद	2	107
36.	गोहरपुरा	2	63	71.	खलीलाबाद	2	51
37	मालियों को झोपडियां	2	60	72.	अनवरपुरा खेड़ा	2	77
38.	अरनिया माल	2	143	73.	दादिया	2	65
39.	देवपुरा	2	60	74.	दोताना	2	60
40.	कावरा	2	80	75.	शुक्लपुरा	2	110
41.	बोरडी	2	82	76.	मोलीपुरा	1	55
42.	साडागांव	1	75	77.	डूसरी	2	55
43.	उदीनाना	2	67	78.	दौलतपुरा	2	50
44.	हाजीपुरा सुनेमा	2	50	79.	जेबडिया	1	40
45.	इलाहीपुरा	1	73	80.	इस्माइलपुरा	2	55
46.	याकूबगंज	1	52	81.	ढाणी मख्तारनगर	2	66
47.	बीठौला	1	55	82.	मोठूका	3	82
48.	करीरिया	2	60	83.	पीतावास	2	55
49.	बिशनपुरा	1	45	84.	हाडीखुर्द	2	50
50.	रुपपुरा खेडा	1	45	85.	पीपलू	5	135
51.	नूरपुर खेडा	1	61	86.	कठमाना	3	183
52.	रहीमपुरा घास	2	48	87.	रानोली	5	225
53.	छान	5	200	88.	बगडी	5	300
54.	महुआ	3	105	89.	अनवरनगर	1	30
55.	खेडा छान	2	55	90.	जयकिशनपुरा	2	100
56.	थली	4	111	91.	बगडवा	1	74
57.	वजीरपुरा-कला	2	70	92.	मवासीपुरा	2	70
58.	रानीपुरा	2	70	93.	नाथडी	1	50
59.	करीमपुरा	2	40	94.	ढूढिया	2	105
60.	अलीपुरा	11	99	95.	हमीरिया	1	40
61.	महमूदगंज	1	40	96.	सीसोला	1	65
62.	ताखोली	1	125	97.	गुढारामदास	2	50
63.	भवर खो	1	40	98.	हाणीपुरा	1	40

(२५५)

1	2	3	4	1	2	3	4
99.	मोहम्मदनगर ढाणी	1	30	116.	अहमरगंज	2	50
100.	आजमपुरा	1	30	117.	मालीपुरा	1	70
101.	सीतारामपुहा	1	50	118.	अतालिकपुरा	1	30
102.	ढोढरिया	3	85	119.	हनोतिया	2	50
103	डोडवाडी	3	100	120.	लाक	1	40
104.	गोवर्धनपुरा	2	65	121.	रहीमपुरा नानेर	2	126
105.	समदपुरा	1	43	122.	परासिया	1	35
106.	नया टीला	1	105	123.	कल्याणपुरा	1	30
107.	बीजवाड़	1	52	124.	मोहनाबाग	1	30
108.	जवाली	2	108	125.	देवरी	1	35
109.	मुमाना	2	60	126.	युसुपगंज	1	30
110.	सोन्धीपल	2	103				
111.	हमजापुरा	1	50		योग	2445	
112.	इब्राहीमपुरा	1	30				
113.	मदारीपुरा	1	30				
114.	मोहनी	1	62				
115	हरिपुरा	2	80				

ह.
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, टोंक

कार्यालय पंचायत समिति टोंक (राजस्थान)

विभिन्न उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का वर्णन

क्र सं	विद्यालय का नाम	अध्यापक संख्या
1	2	3
1	उ प्रा विद्यालय कुरेडी	2
2.	,, पालड़ा	2
3.	,, मेहन्दवास	4
4.	,, लवादर	1
5.	,, अहमदपुरा चौकी	1

1	2	3
6.	उ. प्रा. वि. अरनिया नील	1
7.	निमोला	1
8.	बरोली	2
9.	काशीपुरा	2
10.	नीमेडा	1
	योग :-	17

गोस्वारा

कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 126

कुल छात्र संख्या 13824

कुल अध्यापकों की संख्या	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद	योग
सामान्य योजनान्तर्गत	227	211	16	
श्यामपट्ट योजनान्तर्गत	91	51	10	
योग :-	318	262	56	

प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत	245
उ. प्रा. वि. में कार्यरत	17
योग :-	262

नोट : —माह फरवरी में अध्यापकों के सामान्य योजनान्तर्गत 13 पद स्वीकृत हुए है जिनका बजट प्रावधान प्राप्त नहीं हुआ है ।

क्रमांक 2620–2672 दिनांक 23-3-92

ह.

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, टोंक (राज.)

परिशिष्ट–7

तारांकित प्रश्न संख्या 634 की सूची

परिशिष्ट "अ"

1. ऊन के क्रय विक्रय, कल्पन, ग्रेडिंग व विपणन का व्यापार करना।
2. कल्पन, वर्गीकरण एवं विपणन केन्द्रों की स्थापना करना।
3. ऊन के कल्पन, वर्गीकरण व विपणन हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।
4. भेड व बकरों के विपणन को हाथ में लेना तथा स्टाक यार्ड स्थापित करना।
5. बूचड़खाने (स्लास्टर हाऊस) स्थापित करना।
6. ऊन के विपणन में अनुसंधान और विस्तार कार्य को हाथ में लेना और उपरोक्त उद्धेश्यों को प्रभावशाली ढग से प्राप्ति हेतु अध्ययन करना।
7. उपयुक्त व्यापार में काम आने वाले यन्त्र, सहायक यन्त्र एवं अन्य सामान का निर्माण करना और उनमें व्यापार करना।
8. जो भेडपालक सहकारी समितियां भेडपालकों के हितों को बढावा देने या उनके कल्पन या विपणन या ऊनी माल तैयार करने के उद्धेश्य से बनी है उनको सलाह, कानूनी सहायता, वित्तीय सहायता देना ताकि उनके हितों को बढ़ावा एवं सुरक्षा मिले।
9. राज्य में ऊन व्यवस्था के विकास की योजनाओं को बढ़ावा देना व संचालन करना और उनके लिये रिपोर्टस, बिल्यु प्रिन्टस, आंकड़ें एवं दूसरी सूचनायें तैयार करना एवं उनको संकलित करना।

परिशिष्ट "ब"

क्र सं.	अध्यक्ष/उपस्थित प्रतिनिधी का नाम	समिति का नाम
1.	श्री भंवर लाल चौधरी,	लोहावट जाटावास भेडपालक सहकारी समिति, लोहावट
2.	,, बलवन्तसिं,	भेडपालक सहकारी समिति, चिराई
3.	,, भेरदीन,	,, ,, पीलवा
4.	,, रमनराम,	,, ,, ग्रासोप
5.	,, लच्छमन,	,, ,, ग्रोडवाला
6.	,, गुमानसिंह,	,, ,, मोकलसर
7.	,, श्री नूरशाह	,, ,, जामसर
8.	,, अर्जुनराम,	,, ,, बाजबा
9.	,, रामगोपाल,	,, ,, मावता
10.	,, छोगनाराम,	,, ,, रतननगर
11.	,, रामचन्द्र जाट,	,, ,, सिन्दोलिया मामाजी
12.	,, रामरतन,	,, ,, सांगरिया
13.	,, भूराराम गूजर,	,, ,, पबालियां
14.	,, बेंदलाल,	,, ,, तसवारिया
15.	,, देवाराम,	,, ,, बीडलाछडसर(चूरू)
16.	,, प्रेमाराम,	,, ,, राजलदेसर
17.	,, बिमाराम,	,, ,, हाडेतर
18.	,, पन्नाराम	,, ,, सुरनाणा
19.	,, ग्रब्दुल,	,, ,, नारायण
20.	,, संकराराम,	,, ,, गजरूपदेसर
21.	,, जयराम,	,, ,, शाहपुरा
22.	,, माधोसिंह,	,, ,, गोगेलाव
23.	,, मूलाराम,	,, ,, जाँवला
24.	,, नारायण सिंह,	,, ,, खानियाद
25.	,, गोधीराम,	,, ,, निम्बीजोधा

परिशिष्ट- 8

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 635

(स्थगित)

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

636. **श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा)** : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की नीति से सहमत है ?

(2) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी/ अर्द्ध सरकारी व निजी संस्थाओं में मजदूरों की भागीदारी की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, ।

(2) श्रमिकों की प्रबध में भागीदारी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. किन्तु सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी/अर्द्ध सरकारी व निजी संस्थानों में श्रमिकों की भागीदारी की व्यवस्था स्वैच्छिक आधार पर लागू करवाई गई है । प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी योजना 18 संस्थानों में किसी न किसी रूप में लागू है, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

परिशिष्ट "स"

श्रमिकों की भागीदारी योजना किसी न किसी रूप में लागू कर दी गई है :—

1. मै. हिन्दुस्तान कोपर लि., खेतड़ी नगर ।
2. मै. सच. एम. टी. लि., अजमेर ।
3. मै. विजय कोटन मिल्स, विजयनगर
4. मै. एडवर्ड मिल्स, ब्यावर
5. मै. महालक्ष्मी मिल्स, ब्यावर
6. मै. उदयपुर काटन मिल्स लि., उदयपुर
7. मै. राजस्थान स्टेट माईन्स एन्ड मिनरल्स लि., उदयपुर
8. मै. हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर
9. मै. उदयपुर सीमेन्ट वर्क लि. उदयपुर

10. मैं. राजस्थान स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि., जयपुर
11. मै. जयपुर मेटल्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि. जयपुर
12. मै दी गंगानगर शूगर मिल्स लि., श्रीगंगानगर
13. मै. राजस्थान को-ग्रापरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा
14. मै. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स लि., गुलाबपुरा
15. मै. ए. सी. सी. लि,, लाखेरी
16. मै. श्रीराम रेयन्स, कोटा
17. मै. सांभर साल्ट लि., सांभर लेक
18. मै. इन्स्टूमेन्टेशन लि., कोटा ।

मलेरिया/वायरल बुखार की रोकथाम हेतु प्रयास

637. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले में वर्ष 1990–91 में ग्राई बाढ़ के पश्चात् मलेरिया का भयंकर प्रकोप हुग्रा था ? यदि हां, तो जिले में कुल कितने लोगों को इस रोग का शिकार होना पड़ा था ?

(2) उनके इलाज की क्या व्यवस्था की गई थी ?

(3) क्या उन मरीजों के खून का नमूना लेकर उनकी जांच करवाई गयी थी ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम सामने ग्राया ?

(4) उन परिणामों को मद्देनजर रखते हुए भविष्य में मलेरिया ग्रथवा वायरल बुखार न फैलें इस दृटि से सरकार ने क्या विशेष प्रयास किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1990 को बाढ़ के पश्चात् मलेरिया का प्रकोप हुग्रा था । इस वर्ष 7058 लोग इस रोग से ग्रसित हुए ।

(2) जालौर जिले के प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सकों के 17 स्थानीय दल एवं निदेशालय द्वारा 11 विशेष दल ग्रन्य जिलों से भेजे गये । इसके ग्रतिरिक्त ग्रठारह मलेरिया निरीक्षक एवं 6 लेब टेक्नीशियन भी भेजे गए । दवाइयां समुचित व प्रचुर मात्रा में ग्रावश्यकता के ग्रनुसार उपलब्ध कराई गई । कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव की भी व्यवस्था की गई ।

(3) जी हां, वर्ष 1990 में मरीजों के खून की जांच कर परिणाम निम्नानुसार रहे :–

खून के नमूने की जांच की गई	मलेरिया के किटाणु पाये गये
123629 सैम्पल्स	7058 सैम्पल्स

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री)

(4) प्राकृतिक आपदाओं के कारण मलेरिया अथवा वायरल बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रत्येक जिले में समक्ष मलेरिया नियंत्रण ईकाई कार्यरत है । आवश्यकता होने पर अतिरिक्त दल भेजने की व्यवस्था की जाती है ।

नीमकाथाना, कोटपूतली एवं बहरोड के लघु सीमेन्ट उद्योग

638. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीमकाथाना) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्तमान में नीमकाथाना, कोटपूतली तथा बहरोड में कितने लघु सीमेन्ट उद्योग हैं तथा कितने प्रस्तावित हैं ? कितने उद्योगों को ऋण स्वीकृत किया जा चुका है तथा कितनों को दिया जाना शेष है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल तथा चूना पत्थर, जिप्सम लेटर-राइट आदि नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस संबध में क्या कदम उठा रही है ?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में कोई बड़ा सीमेन्ट सयत्र लगना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या उक्त बड़े सयंत्र के आने के पश्चात् इस क्षेत्र में पनप रहे कई लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ?

उत्तर

(1) नीमकाथाना, कोटपूतली तथा बहरोड में वर्तमान में स्थापित लघु सीमेन्ट उद्योग तथा प्रस्तावित लघु सीमेंट उद्योगों की संख्या निम्नानुसार है :–

	उत्पादनरत	प्रस्तावित
नीमकाथाना	–	10
कोटपूतली	1	38
बहरोड़	13	20

उक्त क्षेत्रों में कुल 28 लघु सीमेंट उद्योगों को रुपये 2133.01 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया है एवं 18 लघु सीमेंट उद्योगों को ऋण स्वीकृत किया जाना विचाराधीन है ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(3) किसी उपक्रमी से उक्त क्षेत्रों में बडा सीमेंट उद्योग लगाने हेतु कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । बड़ा उद्योग चूने पत्थर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात ही लगाये जाने की योजना बनाई जाती है । अतः लघु सीमेंट उद्योगों पर इसमे विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना प्रतीत नहीं होती ।

अजमेर रंगमंच के निर्माण पर व्यय

639. **श्री हरीश झामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या कला एवं सांस्कृतिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर शहर रंगमंच निर्माण का कार्य कबसे आरम्भ हुआ ? इसके निर्माण कार्य पर कितनी राशि व्यय करने की योजना है ?

(2) इस निर्माण कार्य पर किस-किस मद एवं विभाग से कितना-कितना खर्च होगा ?

(3) क्या इसके निर्माण पर होने वाले खर्चे के प्रस्ताव का लोक निर्माण

(श्री हरीश कुमावनानी)

विभाग अथवा सामान्य प्रशासन विभाग से विधिवत अनुमोदन करवाया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(4) अजमेर शहर के रंगमंच का निर्माण कार्य कब पूर्ण होने की योजना है ?

उत्तर

(1) रंगमंच निर्माण कार्य जून, 1991 में प्रारम्भ किया गया था । योजना के अनुसार कार्य की संशोधित अनुमानित लागत 80 लाख रुपये की है ।

(2) इस निर्माण कार्य पर निम्न विभाग/मद से राशि खर्च होगी :-

1. 17.11 लाख अनटाइड फण्ड से
2. 10.00 लाख अल्प बचत से (जिलाधीश महोदय के माध्यम से)
3. 25.00 लाख कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार से
4. 10.00 लाख नगर सुधार न्यास द्वारा
5. 5.00 लाख नगर परिषद से
6. 12.89 लाख जन सहयोग से

80.00 लाख

(3) शहरी विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश सं. पफ. 10 (23) नविआ/1/89 दि. 8-11-89 द्वारा रंगमंच निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

(4) वर्तमान संकेतों के अनुसार रंगमंच निर्माण का कार्य अगस्त 1992 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।

सिंचाई उपखण्ड करौली में मस्ट्रोल पर नियुक्त श्रमिक

640. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिंचाई उपखण्ड करौली जिला सवाई माधोपुर में मस्ट्रोल संख्या 10964 से 10992 तक एवं 11039 से 11053 तक किस सन् में भरी गई ? उक्त मस्ट्रोलों में कितने-कितने श्रमिक लगाये गये एवं श्रमिक किस-किस गांव के थे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त मस्ट्रोल्स में की गई अनियमितताओं की जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) मस्ट्रोल संख्या 10964 से 10988 एवं 10989 से 10992 दिनांक 29-10-90 को क्रमशः सिंचाई उप खण्ड करौली व सिंचाई उप खण्ड गंगापुर को जारी की गई । मस्ट्रोल संख्या 11039 से 11053 सिंचाई उप खण्ड करौली को दिनांक 31-7-91 को जारी की गई । इनको माह 11/90 से 1/92 के बीच उपयोग किया गया । श्रमिकों को ग्राम वाइज संख्या परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(सिंचाई मन्त्री)

(2) जी हां। जांच करवाई जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिंक स्मेल्टर देबारी से प्रदूषण

641. **श्री रामकिशन** (भरतपुर), **श्री गणपतराम गाडेगावलिया** (दूदू) एवं **श्री शम्भूदयाल बडगुजर** (केकड़ी) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रदूषण निवारण मण्डल अथवा इसके अधीनस्थ कार्यालयों को जिंक स्मेल्टर देबारी, उदयपुर के खिलाफ वायु प्रदूषण के मामलों की शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो अब कब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ?

(2) जिंक स्मेल्टर देबारी के प्रबन्धकों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पिछले पांच सालों में प्रदूषण निवारण मण्डल अथवा इसके अधीनस्थ कार्यालयों को जिंक स्मेल्टर, देबारी, उदयपुर के खिलाफ वायु प्रदूषण के मामलों की 5 शिकायतें प्राप्त हुई है।

(2) उपरोक्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मण्डल ने अपना "मोनिटरिंग" दल भेजा ताकि प्रदूषण के स्तर का पता लगाया जा सके। मोनिटरिंग रिपोर्ट में यह पाया गया कि वातावरण में प्रदूषक तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। अतः उपरोक्त शिकायतों के आधार पर उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

क्षार समस्या के समाधान हेतु एग्रीकल्चरल ग्रेड जिप्सम

642. **श्री मनीराम सियाग** (लूणकरणसर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के लूणकरणसर, छत्रगढ़, खाजूवाला आदि इलाके राज्य के प्रमुख मूंगफली फसल पैदा करने में अग्रणीय हैं ?

(2) क्या यह सही है कि लूणकरणसर लिफ्ट नहर की लूणकरणसर गांव की कृषि भूमि में क्षार एवं सेम की समस्या भी दिनों दिन बढ़ रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि क्षार की समस्या के समाधान हेतु एग्रीकल्चरल ग्रेड जिप्सम की मांग काश्तकार लम्बे अर्से से कर रहे हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय विकास आयुक्त बीकानेर ने माह अक्टूबर तक 150 टन जिप्सम की मांग भेजी थी ?

(5) किस अधिकारी की लापरवाही से उक्त 150 टन का कोटा आवंटित नहीं हुआ ? सरकार ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है तथा उक्त 150 टन जिप्सम तत्काल भिजवाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। कृषि भूमि में सेम की समस्या के कारण ही लवणीय एवं क्षार की समस्या बढ़ रही है।

(3) किसानों की ऐसी कोई मांग कृषि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है वैसे भी चाहें तो किसान जिप्सम बाजार से खरीद सकते हैं।

(4) जी, नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता है। सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा इस क्षेत्र में जिप्सम देने की कोई मांग नहीं की है फिर भी इस बारे में आयुक्त क्षेत्रीय विकास बीकानेर से चर्चा की जावेगी।

मत्स्य बीज की खरीद

643. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जन जाति क्षेत्रीय विकास निगम, मत्स्य पालन कार्य-क्रम के अन्तर्गत मत्स्य बीज भी खरीदता है ? यदि हां, तो वर्ष 1990-91, 1991-92 में मत्स्य बीज खरीद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई और कहां-कहां से खरीदा गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि जो राशि मत्स्य बीज पर खर्च की जाती है उसकी आधी आय भी मत्स्य आखेट से नहीं हो पाती है ? यदि नहीं, तो वर्ष 1990-91, 1991-92 में मत्स्य आखेट से निगम की क्या आय हुई ?

(3) क्या यह सही है कि सोमकागदर बांध पर मत्स्य बीज पालन केन्द्र हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितने मत्स्य बीज तैयार किये जाते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मत्स्य बीज पालन केन्द्र से आदिवासी कृषकों को कोई फायदा नहीं है ? यदि हां, तो लाभान्वित व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 90-91 एवं 91-92 में मत्स्य बीज पर निम्नलिखित राशि व्यय की गई एवं निम्नलिखित फर्मों से क्रय किया गया।

वर्ष 90-91		वर्ष 91-92	
फर्मों का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों में)	फर्मों का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1. वेस्ट बंगाल स्टेट फिशर मेन		1. मै. इन्टरनेशनल फिशसीड सेन्टर	

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री)

1	2	
	को-आपरेटिव फेडरेशन लि., कलकत्ता	
2.	कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर	31.69
3.	गुजरात, फिशरीज डवलपमेंट कार्पोरेशन, गुजरात	
4.	बालाजी फिशसीड उत्पादक केन्द्र, हनुमानगढ	
5.	मुखर्जी मत्स्य उद्योग जयपुर	
	जयसमंद ।	
2.	वेस्ट बंगाल स्टेट फिशरमेन को-आपरेटिव फेडरेशन लि., कलकत्ता	17.84

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है कि जो राशि मत्स्य बीज पर खर्च की जाती है उस व्यय के अनुपात में उस वर्ष में आय मत्स्य आखेट से नहीं हो पाती है।

मत्स्य आखेट आय

1. वर्ष 90-91 6[illegible].33 लाख रु.
2. वर्ष 91-92 32.83 लाख रु. (माह जनवरी, 92 तक)

(3) 1. सोमकागदर बांध पर चाईनीज हेचरी निर्माणाधीन है। 2. गत वर्ष में किसी प्रकार का मत्स्य बीज उत्पादन नहीं हुआ है। वर्ष 91-92 में कामन कार्य मछली का प्रजनन कराया गया है। करीब 15-20 लाख बीज उत्पादन की सम्भावना है।

(4) जी नहीं। उक्त मत्स्य बीज पालन केन्द्र से आदिवासियों को मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जावेगा। 2. आदिवासियों को मार्च, 92 में लाभान्वित किया जायेगा जिनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागौर जिले के प्राथमिक विद्यालय

644. **श्री बिरधा राम चौधरी** (मकराना) : क्या पंचायत राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं एवं उन विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों के पद सृजित हैं। विद्यालयों एवं प्रत्येक विद्यालय में सृजित पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं। यदि हां, तो कुल कितने व उनको कब तक भर दिया जायेगा?

(श्री गिरधाराम चौधरी)

रिक्त पदों की पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में 1104 प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं। इन विद्यालयों हेतु 2993 पदे अध्यापकों के सृजित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। 739 पद अध्यापकों के रिक्त है। मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के कारण चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी। स्थगन आदेश खारिज होते ही रिक्त पदों को शीघ्र भर दिया जावेगा। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तारांकित प्रश्न संख्या 645

(स्थगित)

मजदूर व मालिक के मध्य समझौते

646. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया): क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में श्रम विभाग ने वर्ष 1991 में कितने समझौते मजदूर व मालिक के बीच करवाये ?

(2) श्रीगंगानगर के जे. सी. टी. मिल में बायलर के वर्कलोड को लेकर मिल मालिक व मजदूरों के संघर्ष में आपसी समझौते की पहली बातचीत कब व किस स्तर की शुरू की गई ?

(3) क्या श्रम मन्त्री की उपस्थिति में भी इस विवाद पर कोई बातचीत हुई थी ? यदि हां, तो वह कितनी बार हुई उसमें समझौता वार्ता में श्रम मन्त्री ने कोई प्रस्ताव रखकर एक कमेटी का निर्माण किया था ?

(4) क्या सितम्बर में हुई समझौता वार्ता में मालिक के प्रतिनिधियों ने बॉयलर चलाने के लिए 25 मजदूरों की संख्या स्वीकार कर ली थी ? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत 21 श्रमिकों से बॉयलर चलाने का आदेश किस आधार पर जारी किया ?

(5) क्या यह सही है कि मिल मालिक ने कई श्रमिकों को ड्यूटी पर नहीं लिया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) श्रम विभाग द्वारा वर्ष 90-91 में समझौता अधिकारियों की मध्यस्थता से 526 समझौते करवाये गये तथा 95 द्विपक्षीय समझौते सम्पन्न हुए।

(2) जे सी. टी. मिल, श्रीगंगानगर के विवाद में सहायक श्रम आयुक्त, श्रीगंगानगर के स्तर पर प्रथम समझौता वार्ता दिनांक 19-5-91 को शुरू की गयी।

(3) जी हां, श्रम मन्त्री जी की उपस्थिति में 7 बार बातचीत हुई थी। श्रम

(श्रम एवं नियोजन राज्य मन्त्री)

मन्त्रीजी की उपस्थिति में दिनांक 5-9-91 को एक समझौता सम्पन्न हुआ था तथा इस समझौते के तहत एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था।

(4) मालिक प्रतिनिधियों ने बॉयलर चलाने हेतु 25 श्रमिकों के सुझाव को इस शर्त पर स्वीकार करने की मंशा व्यक्त की थी कि यदि श्रमिक पक्ष अन्य शर्तों के साथ इस सुझाव को स्वीकार करले तो वे भी सहमत होंगे किन्तु श्रमिकों द्वारा इस पूरे सुझाव पर सहमति नहीं दिये जाने के कारण 25 श्रमिकों से बॉयलर चलाने को प्रारम्भ करने का सुझाव स्वतः ही समाप्त हो गया।

नियोजक द्वारा नये बॉयलर को चलाने हेतु निर्माता कम्पनी द्वारा बतायी गयी 13 श्रमिकों की संख्या को पर्याप्त बताया था लेकिन श्रमिक पक्ष पूर्व की 42 श्रमिकों की संख्या से ही बॉयलर चलाना चाहते थे। क्योंकि दोनों पक्षों के मध्य कोई समझौता नहीं हो पाया, अतः हड़ताल समाप्त कराने के उद्देश्य से एवं श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों से विचार-विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (के) के अन्तर्गत तदर्थ आधार पर 21 श्रमिकों से बॉयलर चलाने हेतु आदेश जारी किया गया। लेकिन बॉयलर चलाने हेतु श्रमिकों की अन्तिम संख्या का निर्धारण करने के बिन्दु को औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है जो अभी विचाराधीन है।

(5) प्राप्त सूचना के अनुसार 5 श्रमिकों को नौकरी पर नहीं लिया गया है क्योंकि वे समझौते में दी गयी निर्धारित अवधि के पश्चात् उपस्थित हुए थे। इस कारण नियोजक ने उन्हें कार्य पर नहीं लिया है। इन श्रमिकों बाबत विधिवत कोई विवाद श्रम विभाग के पास प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

जिला चित्तौड़गढ़ की सड़कों की मरम्मत पर व्यय

647. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1990 से जनवरी, 1992 तक चित्तौड़गढ़ जिले में सड़कों के मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क के लिए स्वीकृत की गई ?

(2) किस-किस ठेकेदार से किस-किस सड़क का कार्य करवाया गया ? विभाग द्वारा किस-किस सड़क की मरम्मत का कार्य किया गया व कितनी-कितनी धनराशि किस-किस सड़क पर खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले में कितनी सड़कों पर अभी तक मरम्मत नहीं हुई है तथा नहीं होने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में जनवरी, 1990 से जनवरी, 1992 तक सड़कों की मरम्मत हेतु निम्न प्रकार से राशि आवंटित की गई :—

अवधि	राशि
1/90 से 3/90	18.93
4/90 से 3/91	230.50
4/91 से 1/92	245.00

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

सड़कवार स्वीकृति की गई राशि सूची "अ" में संलग्न है।

(2) ठेकेदारों द्वारा करवाये गये सड़क कार्यों का मय व्यय के सूची "ब" तथा विभाग द्वारा करवाये गये स्वीकृत कार्यों की मय व्यय के सूची "स" में संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में स्वीकृत सड़कों में सिर्फ दो सड़कों पर कार्य शुरू नहीं किया गया जिसका ब्यौरा मय कारणों के संलग्न सूची "द" में दर्शाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

औद्योगिक नीति के अन्तर्गत चुंगी मुक्ति प्रावधान

648. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राजस्थान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योगों को मशीन एवं कच्चे माल पर चुंगी मुक्ति देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो माल आते ही चुंगी क्यों ले ली जाती है ?

(2) क्या यह सही है राज्य सरकार के प्रसारित आदेशानुसार चुंगी मुक्ति हेतु उद्योग विभाग एवं सम्बन्धित नगर परिषद् के अधिकारियों की बैठक के पश्चात् निदेशक स्वायत्त शासन संस्थान के अनुमोदन पश्चात् चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाकर चुंगी रिफण्ड की जाती है जिससे चुंगी रिफण्ड में कई वर्ष लग जाते हैं।

(3) क्या इस प्रक्रिया में उद्योगों को वास्तविक सुविधा उपलब्ध हुई है ? यदि नहीं, तो सरकार इस प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। सम्बन्धित इकाई द्वारा नाके पर चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आने वाले कच्चे माल पर चुंगी वसूल कर ली जाती है। जिसे चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर वापस कर दी जाती है।

(2) जी हां। चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी होने के पूर्व औद्योगिक इकाई से नगरपालिका सीमा में कच्चा माल एवं मशीनरी आयात करने पर अग्रिम चुंगी राशि वसूल की जाती है, जिसे 2 माह की अवधि में चुंगी मुक्ति प्रमाण सहित आवेदन करने पर वापस देने का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका (चुंगी) नियम, 1962 में निहित है। सम्पूर्ण प्रक्रिया व औपचारिकतायें पूर्ण करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है।

(5) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में दिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए उद्योगों को चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में प्रचलित प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है। जिसके फलस्वरूप पात्र उद्योगों को चुंगी मुक्ति प्राप्त करने में काफी सुविधा हुई है। प्रक्रिया को सरलीकरण करने सम्बन्धी निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

निदेशक स्थानीय निकाय विभाग,

राजस्थान, जयपुर–5

क्रमांक : टैक्स/एफ. 38 (विविध) डी. एल. बी./68/पार्ट II/2074–3294

दिनांक : 22–8–91

1. महाप्रबन्धक,
   जिला उद्योग केन्द्र,
   (समस्त)...........
2. जिला उद्योग अधिकारी,
   ग्रोथ सेन्टर,...........
3. अधिशाषी अधिकारी/प्रशासक,
   नगरपालिका/नगर परिषद (समस्त)

विषय :—चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत ।

उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना टैक्स/एफ. 38/मिसले/एल एस. जी./68/33–299 दिनांक 3–7–90 आपको उद्योग निदेशालय के पृष्ठांकन क्रमांक ए. 9 (47) चु. मु./उद्योग/पार्ट–6 दिनांक 7–7–90 के द्वारा प्रेषित की गई है । उक्त अधिसूचना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते हैं कि चुंगी मुक्ति की सुविधा दिए जाने बाबत निम्न प्रक्रिया अपनायी जाये :—

(1) आवेदक इकाई को अपनी योजना के साथ सादे कागज पर आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इकाई द्वारा आयात होने वाले यन्त्र, कच्चा माल की संख्या/मात्रा उल्लेखित होगी कच्चे माल की एक वर्ष की आवश्यकता लिखी जावे । यह आवेदन सामान्यतः माल आने से पूर्व ही इकाई द्वारा दिया जाना चाहिये ।

(2) इकाई द्वारा मशीनरी/कच्चे माल पर चुंगी मुक्ति का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर मशीनरी/कच्चे माल (जो कि उत्पादन प्रक्रिया से सम्बन्धित हो) की सूची सम्बन्धित नगरपालिका/परिषद को आपके द्वारा प्रमाणित कर तुरन्त भिजवाई जावे ।

(3) उक्त आवेदन के आधार पर जिला उद्योग केन्द्र, द्वारा उक्त अधिसूचना के जाबिंदु (1) के अनुसार गठित समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की जावेगी तथा इस समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र परिषद/पालिका द्वारा इकाई को जारी किया जावेगा, जिसकी प्रति सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र को भी दी

दी जावेगी। (प्रमाण-पत्र का नवीन प्रारूप संलग्न है) बैठक आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र आयोजित की जावे, जिससे कि इकाई का माल/संयंत्र आयात होने से पूर्व ही चुंगी मुक्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

(4) इकाई का माल अथवा संयंत्र, यंत्र जब भी आयातित हो तभी नगर-पालिका/परिषद को सम्बन्धित इकाई द्वारा उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति बिल एवं आर. आर. जी. आर. की प्रति सहित दी जावेगी। एवं इसके आधार पर सम्बन्धित नगर-पालिका/परिषद द्वारा इकाई के माल/संयंत्र को चुंगी से मुक्त किया जावेगा।

नोट :—बिन्दु संख्या 3 में जारी प्रमाण-पत्र निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अनुमोदित किये जाने पर ही जारी करने की तिथि से लागू माना जावेगा।

(5) दिनांक 3-7-90 द्वारा जारी अधिसूचना में इकाई से किसी प्रकार के शपथ पत्र/अन्यायाचिक स्टाम्प पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 3-7-90 के बिन्दु 5 (3) में विस्तार हेतु प्रमाणिकरण के लिये निदेशक, उद्योग का भी उल्लेख है, इस सम्बन्ध में निर्देश है कि लघु इकाईयों के लिए विस्तार का अनुमोदन व प्रमाणित जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार औद्योगिक इकाई को यंत्र/संयंत्र हेतु स्थापना व विस्तार से पूर्व एक बार तथा कच्चे माल हेतु एक वर्ष में एक ही बार आवेदन करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक बार माल हटाने पर संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एवं संयुक्त बैठक समय पर नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों का भी निवारण हो सकेगा।

उक्त निर्देश निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर की सहमति से जारी किये जाते हैं।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग, राज.
जयपुर।

गागोरनी (डग) बांध का निर्माण

649. **श्री बालचन्द** (डग) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि डग विधान सभा क्षेत्र में गागोरनी बांध का सर्वे हो चुका है ? सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कितने बीघा भूमि सिंचित हो सकती है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त बांध की स्वीकृति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इसका सिंचित क्षेत्र 15609 हैक्टर प्रस्तावित है।

(2) योजना का आंकलन स्वीकृति हेतु केन्द्रीय जल आयोग के पास विचाराधीन है। इस योजना के जल ग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश राज्य का भी भू क्षेत्र आता है अतः मध्य प्रदेश राज्य की सहमति प्राप्त होना आवश्यक है जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में रेंज आफिस की स्थापना पर व्यय

650. **श्री ईश्वर लाल सैनी** : (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गत 4 वर्ष पूर्व मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) पर राज्य सरकार के आदेशानुसार रेंज आफिस की स्थापना हुई थी और तभी से वहां वन विभाग द्वारा 2 कमरों को किराये पर लेकर कार्यालय चलाया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है उक्त कार्यालय भवन एवं रेन्जर के निवास के लिए लगभग 6 लाख रुपये राज्य सरकार से स्वीकृत हुए ?

(3) क्या डी. एफ. ओ. मुख्यालय, अलवर ने उक्त रेंज आफिस एवं रेंजर निवास के लिए अलवर शहर में भवन निर्माण हेतु टेण्डर आदि दिनांक 25-1-1992 को जारी किए हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य को तुरत फुरत पूरा कराने के लिए डी. एफ. ओ., अलवर ने दिनांक 29-1-1992 को ही टेण्डर की औपचारिता पूरी किए बिना ही निर्माण कार्य का ठेका दे दिया और कार्य दिनांक 29-1-1992 से चालू हैं ?

(5) क्या यह सही है कि यह कार्य राज्यादेश की खुली अवेहलना है ?

(6) क्या राज्य सरकार अपनी नीति अनुसार ग्रामीण विकास एवं विकेन्द्रीयकरण की नीति पर कायम रहना चाहती है ? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण तुरन्त बन्द कराकर राज्य सरकार द्वारा स्थापित रेंज आफिस व निवास लक्ष्मणगढ़ (अलवर) पर ही बनाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या अलवर मुख्यालय पर डी. एफ. ओ. द्वारा ऐसा निर्माण प्रारम्भ करने के लिए दोषी अधिकारी जिसने दिनांक 18-1-1992 को अलवर मुख्यालय के बगल में उक्त निर्माण के लिए जगह देने के लिए दर्जनों बड़े-बड़े हरे वृक्ष भी कटवा दिये, को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) लक्ष्मणगढ़ में सामाजिक वानिकी रेंज की स्थापना के आदेश दिनांक 30-4-1988 को जारी हुए थे किन्तु मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ पर किराये के मकान मे रेंज कार्यालय दिनांक 2-2-1990 से ही प्रारम्भ हुआ है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) वर्तमान में अलवर मुख्यालय पर निर्माणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय एवं निवास भवन वन चेतना केन्द्र मुख्यालय अलवर का है, लक्ष्मणगढ़ के रेंज कार्यालय का नहीं है। आगामी वर्षों में लक्ष्मणगढ़ में भूमि उपलब्ध होने एवं धनराशि उपलब्ध होने पर लक्ष्मणगढ़ में रेंज कार्यालय एवं निवास का निर्माण किया जा सकेगा।

(7) जी नहीं।

सुजानगढ़ (चूरू) के ग्रामों को जल सप्लाई व्यवस्था

651. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंचायत समिति सुजानगढ़ जिला चूरू के गांव मोजलाई, जिन्दरासर, बिलासी, टांडा, भानीसरिया सेज, बड़ाबट आदि गांव अलग फीडर से जुड़े हुए हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को शहर सुजानगढ़ के फीडर से जोड़ रखा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इससे शहर सुजानगढ़ की सप्लाई पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त गांवों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत स्कीम से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो कब तक इन गांवों को अलग फीडर से जोड़ दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, पंचायत समिति सुजानगढ़ के ग्राम मोजलाई जिन्दरासर, बिलासी, टांडा, भानीसर एवं तेजसिंहोटान ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की स्वीकृत योजना के अनुसार एक फीडर से ही जोड़े गये हैं जो कि तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त है।

(2) जी हां, स्वीकृत योजना के अनुसार उक्त ग्रामों को 33/11 के. वी. सबस्टेशन सुजानगढ़ से जाने वाले फीडर से जोड़ा गया है। यह फीडर सुजानगढ़ शहर के अन्य फीडर से टेप करके खींचा गया है। क्योंकि वर्तमान में 33/11 के. वी. सबस्टेशन पर 2 ही आऊट गोइंग ब्रेकर्स हैं और उनसे 11 के. वी. के 2 अलग-अलग फीडर निकलते हैं, अतः ग्रामीण फीडर के ट्रान्सफार्मर एवं अन्य उपकरणों की सुरक्षा हेतु इसे शहर के अन्य 11 के. वी. फीडरों से जोड़ा गया है। परन्तु कभी-कभी सप्लाई में व्यवधान होने पर ग्रामीण सप्लाई को अलग कर शहर की विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी जाती है।

(3) उक्त ग्रामों को ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीम के अनुसार ही जोड़ा गया है। 33/11 के. वी.

(ऊर्जा मन्त्री)

सब-स्टेशन पर ब्रेकर उपलब्ध होने पर गांवों के फीडर को शहर के फीडर से अलग कर दिया जायेगा ।

अकाल राहत के अन्तर्गत डूंगरपुर में आश्रम विद्यालयों का निर्माण

652. **श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)** : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या डूंगरपुर जिले में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत आश्रम विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो कितने आश्रम विद्यालयों के भवन प्रारम्भ किये गये थे तथा वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है ? इन भवनों पर कितना रुपया खर्च हुआ था ? प्रत्येक भवन का अलग-अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इन भवनों पर अकाल राहत के अलावा और कोई राशि खर्च की गई है ?

(3) क्या सरकार इन अधूरे भवनों को पूर्ण कराने की इच्छा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है । इन छात्रावासों के लिए विभाग के स्वयं के भवन नहीं हैं । इन छात्रावासों को स्वयं के भवन उपलब्ध कराने हेतु 7 छात्रावासों का कार्य अकाल के समय हाथ में लिया गया जिसमें अकाल राहत के अन्तर्गत 50 प्रतिशत श्रम प्रभाग मद में तथा 25 प्रतिशत सामग्री मद में व 25 प्रतिशत सामग्री का टी. ए. डी. मद से उपलब्ध कराया गया है । ये भवन निर्माणाधीन हैं, कार्य प्रगति पर है । विस्तृत सूचना परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है । इन भवनों पर अलग अलग मद से खर्च की गई राशि का ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है ।

(2) अकाल राहत मद के अलावा वर्ष 89–90 में कार्य पूर्ण करने हेतु टी. ए. डी. मद से 10.45 लाख रु. की राशि उपलब्ध कराई गयी है ।

(3) जी हां । इन भवनों को शीघ्र निर्माण करने के लिए. टी. ए डी. विभाग ने वर्ष 91–92 में रु. 24 60 लाख की स्वीकृति प्रदान की है ।

263

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	देवलपाल	छतों का कार्य पूर्ण कर दिया है, प्लास्टर व फर्श भी पूर्ण है। शेष कार्य प्रगति पर है।
2.	चुण्डावाड़ा	भवन अंशत: छत तक तथा अंशत: की छत भरी हुई है।
3.	आसपुर	चुनाई का कार्य छत तक पूर्ण।
4.	निठाऊआ	छत तक कार्य पूर्ण।
5.	मन्धवापाल	प्लास्टर एवं फर्शी का कार्य प्रगति पर है।
6.	झलाप	लिन्टल लेवल तक चुनाई का कार्य पूर्ण है।
7.	गामड़ी अहाड़ा	नींव का कार्य पूर्ण है।

रूपवास (भरतपुर) पंचायत समिति, अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास हेतु आवण्टित राशि

653. **श्री निर्भय लाल (रूपवास) एवं श्री मोतीलाल (सवाई माधोपुर)** : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की रूपवास पंचायत समिति को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं बाबत बजट आवण्टित किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1988 से फरवरी 1992 तक किस-किस मद में कितना-कितना बजट आवण्टित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति को आवण्टित बजट वर्षवार एवं मदवार खर्च किया जाता रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1988 से फरवरी, 1992 तक किस-किस मद में कितना-कितना बजट किस-किस प्रयोजन हेतु खर्च किया गया ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1988 से फरवरी, 1992 तक आवंटन की सूची मदवार सदन की पटल पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जी हां। वर्ष 1988 से फरवरी, 1992 तक आवंटित बजट की मदवार वर्षवार एवं योजनावार उपयोग का विवरण भी उक्त सूची में दे दिया गया है।

264

भाग संख्या 1 की सूची

इन्दिरा आवास

क्र. सं.	वर्ष		बजट आवंटन	व्यय	प्रयोजन
1	2		3	4	5
1.	1988–89	R.L.E.G.P.	324291	235613	आवासन भवन हेतु
2.	1989–90	J.R.Y.	83905	47962	(रिहायशी)
3.	1990–91	J.R.Y.	700800	545000	
4.	1991–92	J.R.Y.	–	107000	

जीवन धारा

1.	1988–89	R.L.E.G.P. N.R.E.P.	375982	100733	सिचाई कूप
2.	1989–90	J.R.Y.	94410	203506	निर्माण बाबत
3.	1990–91	J.R.Y.	1371100	975240	
4.	1991–92	J.R.Y.	3508800	2178000	

आवासीय अनुदान सहायता :– (छप्पर)

1.	1988–89	210750	210750	रिहायशी आवास
2.	1989–90	23750	23750	हेतु
3.	1990–91	22500	22500	
4.	1991–92	54000	16500	

दुकान सहायता (माडा) S.T.

1.	1988–89	–	–	रोजगार उपलब्ध
2.	1989–90	–	–	कराने बाबत

1	2	3	4	5
3.	1990–91	12000	12000	
4.	1991–92	8000	–	

आवास योजना (मांडा) S.T.

1.	1988–89	–	–	रिहायसी
2.	1989–90	–	–	सहायता
3.	1990–91	3000	1500	
4.	1991–92	28500	28500	

ग्रामीण दुकान S.C.

1.	1988–89	75000	30000	रोजगार
2.	1989–90	200000	104000	
3.	1990–91	180000	196500	
4.	1991–92	120000	112000	

शिल्पी शाला (S.C.)

1.	1988–89	32500	21658	रोजगार
2.	1989–90	–	10842	
3.	1990–91	80000	33500	
4.	1991–92	145000	83000	

बुनकर शाला (S.C.)

1.	1988–80	33009	25000	रोजगार
2.	1989–90	–	8000	

1	2	3	4	5
3.	1990-91	75000	43000	
4.	1991-92	90000	56500	

ग्रामीण विकास योजना :-

सामान्य कार्य

1.	1988-89 N.R.E.P.	15334	118172	ग्रामीण
2.	1989-90 J.R.Y.	1709650	1757742	विकास के विभिन्न
3.	1990-91 J.R,Y.	3121026	2761206	कार्य
4.	1991-92 J.R.Y.	2270539	803000	

प्राथमिक शाला भवन

1.	1988-89 R.L.E.G.P.	64200	73505	शिक्षा के प्रसार
2.	1989-90	–	–	हेतु
3.	1990-91 J.R.Y. (आपरेशन ब्लेक बोर्ड)	1360000	1366000	
4.	1991-92 ,,	670000	620000	

:- अपना गांव अपना काम :-

1.	1988-89	–	–	ग्रामीण
2.	1989-90	–	–	विकास के
3.	1990-91	36.000	258000	कार्य
4.	1991-92	385799	514517	

खनिज क्षेत्रों में सड़क निर्माण

654. **श्री प्रकाशचन्द बैरवा** (फागी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) खनिज क्षेत्र में सड़क बनाने के बारे में सरकार की क्या नीति निर्धारित है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र फागी में कहां-कहां से क्या-क्या खनिज निकलता है और उससे सरकार को कितनी वार्षिक आय होती है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) लाखों रुपये की आमदनी होने के बाद भी विधान सभा क्षेत्र फागी में अब तक खनिज विभाग की ओर से क्या कोई सड़क बनाई गई है ? यदि हां, तो कौन सी ?

उत्तर

(1) खनिज क्षेत्र में स्वीकृत पट्टों की संख्या एवं निगमित खनिज के गुजरने वाले वाहन/राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली आय को ध्यान में रखते हुये सड़क बनाने का निर्णय लिया जाता है।

(2) विधानसभा क्षेत्र फागी में ग्राम-मण्डावरा, भोजपुरा, गुल्ला, निमोरिया एवं चाकसू से क्रमशः खनिज गारनेट, फैल्सफार, क्वार्टज, सिलिकासैण्ड, चेजा पत्थर निकलते हैं। इनसे राज्य सरकार को वर्ष 1991–92 में लगभग रुपये 24,464/–वार्षिक आय हुई है।

(3) जी नहीं। फागी क्षेत्र में खनिज विभाग को लाखों रुपये की आमदनी नहीं होती। विभाग द्वारा इस क्षेत्र में अब तक कोई सड़क नहीं बनाई गई।

सपोटरा (सवाई माधोपुर) क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों का निर्माण

655. **श्री प्रभुलाल** (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में ऐसे कितने पंचायत मुख्यालय हैं जिनको कच्ची सड़कों से जोड़ रखा है तथा कितने को नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 49 पंचायत मुख्यालयों में से 23 पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए हैं। सूची "अ" संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में 3 पंचायत मुख्यालय कच्ची सड़क (ग्रेवल) से जुड़े हैं तथा 26 पंचायत मुख्यालय बिना सड़क से जुड़े

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

हुए हैं। इनमें से 11 पंचायत मुख्यालयों के लिये सड़क कार्य स्वीकृत है और प्रगति पर है। विवरण सूची "अ" में अंकित है।

(3) पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने की सरकार की नीति है। सड़क से एक कि. मी. दूरी. तक के पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ने का कार्य इस वर्ष प्राथमिकता पर प्रारम्भ किया गया है शेष पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना योजनान्तर्गत प्राथमिकताओं एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सूची 'अ'

क्र. सं	पंचायत मुख्यालय का नाम	सड़क से जुड़े तथा बिना जुड़े मुख्यालयों की स्थिति				विशेष विवरण
		डामर सड़क से	मेटल सड़क से	ग्रेवल सड़क से	बिना जुडे	
1	2	3	4	5	6	7
1.	नारौली	बी.टी.				
2.	सपोटरा	बी.टी.				
3.	चौड़ा गांव	बी टी.				
4.	बालोती	बी.टी.				
5.	सलेमपुर	बी.टी.				
6.	कुड़गांव	बी.टी.				
7.	डबरा	बी.टी.				
8.	लांगरा	बी.टी.				
9.	मांकरो	बी.टी.				
10.	गुरदाह	बी.टी.				
11.	रौधई	बी.टी.				
12.	मंडरायल	बी.टी.				
13.	ओंड	बी.टी.				

1	2	3	4	5	6	7
14.	अन्देलीपुरा	बी टी.				
15.	श्यामपुर	बी.टी.				
16.	लोहरा	बी.टी.				
17.	अटेवा	बी.टी.				
18.	महमदपुर	बी टी.				
19.	कोंजरोदा	—	मेटल	—	—	डामर सड़क की स्वीकृत है।
20.	बापोती	—	मेटल	—	—	" उपरोक्त "
21.	बूकना	—	—	ग्रेवल	—	" उपरोक्त "
22.	इनायती	—	—	ग्रेवल	—	
23.	कसेड			ग्रेवल	—	करण रोघई विशेश समस्या ग्रस्त स्वीकृत सड़क पर स्थित है। डामर सड़क का कार्य स्वीकृत हैं।
24.	खेरला	—	—	—	बिना जुड़ा	निर्बंध योजना में ग्रेवल सड़क स्वीकृत है कार्य प्रगति में है।
25.	जोरोता	—	—	—	बिना जुड़ा	. उपरोक्त..
26.	एकट	—	—	—	बिना जुड़ा	—
27.	हाडौती	—	—	—	बिना जुड़ा	मलारना रेल्वे स्टेशन से हाडौती को सम्पर्क सड़क को आंशिक स्वीकृति है।
28.	बगीदा	—	—	—	बिना जुड़ा	—
29.	जोरली	—	—	—	बिना जुड़ा	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में डामर सड़क स्वीकृत है कार्य प्रगति में है।
30.	जाखोदा	—	—	—	बिना जुड़ा	चौड़ा गांव से जाखोदा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में डामर सड़क स्वीकृत हैं। कार्य प्रगति में है।
31.	मरतून	—	—	—	बिना जुड़ा	निर्बन्ध योजना में ग्रेवल सड़क स्वीकृत है।
32.	लेदिया	—	—	—	बिना जुड़ा	
33.	तूलोद	—	—	—	बिना जुड़ा	

1	2	3	4	5	6	7
34.	गोठड़ा	—	—	—	बिना जुड़ा	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में डामर सड़क स्वीकृत है कार्य प्रगति में है।
35.	अमरवाड़	—	—	—	बिना जुड़ा	सपोटरा अमरवाड़ सड़क न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में डामर सड़क स्वीकृत है।
36.	वाजणा	—	—	—	बिना जुड़ा	—
37.	अमरगढ़	—	—	—	बिना जुड़ा	—
38.	दौलतपुरा	—	—	—	बिना जुड़ा	—
39.	निर्भरा	—	—	—	बिना जुड़ा	—
40.	नानपुर	—	—	—	बिना जुड़ा	बालेर-करणपुर विशेष समस्या ग्रस्त में डामर सड़क है स्वीकृत पर स्थित है।
41.	बहादुरपुर	—	—	—	बिना जुड़ा	लांगरा कैलादेवी डामर सड़क स्वीकृत सड़क पर स्थित है।
42.	बुगदार	—	—	—	बिना जुड़ा	निर्बन्ध योजना में ग्रेवल सड़क स्वीकृत हैं कार्य प्रगति में है।
43.	भौरेटा	—	—	—	बिना जुड़ा	—
44.	नींदड़	—	—	—	बिना जुड़ा	—
45.	मोगेपुरा	—	—	—	बिना जुड़ा	—
46.	रानीपुरा	—	—	—	बिना जुड़ा	—
47.	करणपुर	—	—	—	बिना जुड़ा	कैलादेवी करणपुर डामर सड़क स्वीकृत सड़क पर स्थित है।
48.	बडौदा	—	—	—	बिना जुड़ा	—
49.	गेरई	—	—	—	बिना गुड़ा	—

मालवीय औद्योगिक क्षेत्र में भवन निर्माण

656. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में अनियमित भवनों का निर्माण हो चुका है ? यदि हां, तो कितने भू-खण्डों पर निर्माण हो चुका है ? भू-खण्डों की संख्या, नम्बर, फर्मों का नाम एवं कब से अनियमित निर्माण किया है । सहित सूची सदन की मेज पर रखें

(2) क्या रीको अनियमित निर्माण कार्यों का नियमन करता है ? यदि हां, तो इसकी क्या प्रक्रिया है ? विगत दो वर्षों में कितने निर्माण कार्यों को नियमित किया गया ? भू-खण्डों की संख्या, फर्मों के नाम एवं कब नियमन किया गया का पूर्ण विवरण एवं सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि कई उद्यमियों ने रीको को गत वर्ष अनियमित निर्माण को नियमित करने हेतु आवेदन किया था और रीको द्वारा नियमन नहीं, किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या रीको गत वर्ष की दर पर इनका नियमन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अनियमित निर्माण को नियमित करने हेतु प्रक्रिया में सरलीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । प्रक्रिया के विवरण की सूची "क" एवं गत दो वर्षों में रीको द्वारा नियमित किये गये भू-खण्डों के विवरण की सूची परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) रीको द्वारा उन्हीं उद्यमियों के अनियमित निर्माण को नियमित किया जाता है जो नियमित करने के लिए आवेदन करते हैं । गत दो वर्षों में रीको के यहां कुल 13 उद्यमियों से अनियमित निर्माण को नियमन करने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे । इन सभी उद्यमियों के भू-खण्ड पर किये गये अनियमित निर्माण का नियमन कर दिया गया है । अनाधिकृत निर्माण को पुरानी दर पर नियमीकरण हेतु रीको द्वारा दिनांक 26 व 27-3-92 तक अभियान/शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसमें अनाधिकृत निर्माण संबंधी उद्यमि लाभ उठा सकते हैं ।

(4) रीको द्वारा समय-समय पर नियमो में संशोधन कर उद्यमियों के अनियमित निर्माण को नियमित करने हेतु प्रक्रिया में सरलीकरण किया गया है । जिसके अंतर्गत उद्यमियों द्वारा सेट बैंक एरिया में साईकिल शेड, शौचालय, चौकीदारी क्वार्टर, एच. टी. मीटर-रूम इत्यादि का निर्माण कार्य करवाया जा सकता है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिले में राहत कार्य

657. **श्री मोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनूं) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू जिले में इस वर्ष कौन-कौन-सी तहसील में कब-कब से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने का निर्णय सरकार ने लिया है तथा इसके क्या मानदण्ड बनाये गये हैं ? क्या अकाल के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, चूरू ने रिपोर्ट भेजी है ?

(2) क्या यह सही है कि चूरू तहसील के आधे गांवों में जिला कलक्टर, चूरू की रिपोर्ट के अनुसार भयंकर अकाल है परन्तु फिर भी चूरू तहसील में अकाल राहत कार्य सरकार द्वारा नहीं खोले गये तथा जिला कलक्टर की उसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने सरदारशहर, रतनगढ़ व डूंगरगढ़ तहसील में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किये जाने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो दोहरे मानदण्ड क्यों ?

(3) चूरू तहसील में कितने सस्ते चारे के डिपो कहां-कहां व कब-कब खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार ने चूरू तहसील के अधूरे कार्यों को अकाल राहत में पूरा करवाने के प्रस्ताव जिला कलक्टर से मंगवाये हैं । यदि हां, तो सरकार कब तक इन प्रस्तावों पर कार्य करवाने की मंशा रखती है ? प्रस्तावों की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला कलक्टर से गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है । चूरू जिले की तहसील सरदारशहर, रतनगढ़ एवं डूंगरगढ़ में 22-2-92 से राहत कार्य चलाये जाने की स्वीकृति दी गई है । राहत कार्यों के अन्तर्गत सर्वप्रथम प्राथमिकता गत अभाव-वर्षों के अधूरे रहे कार्यों, कुओं का कार्य, स्कूल भवन इत्यादि के कार्यों को प्राथमिकता से लेने का मापदण्ड निर्धारित किया गया है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा अभाव स्थिति की विषमता को ध्यान में रखकर प्राथमिकता से चूरू जिले में सरदारशहर, रतनगढ़ व डूंगरगढ़ तहसीलों के 286 गांवों में अभाव स्थिति की घोषणा की गई है । चूरू जिले की शेष तहसीलों के बारे में अभाव की घोषणा करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जावेगा ।

(3) चूरू तहसील में अभी चारे के डिपो स्वीकृत नहीं किये गये हैं ।

(4) जी नहीं । राहत कार्य नियमानुसार स्वीकृत करने हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है । चूरू जिले की शेष तहसीलों में राहत कार्य स्वीकृत करने का मामला विचाराधीन है । शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जावेगा ।

वनवासी परिषद् की स्थापना

658 **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर), **श्री नारायण लाल** (लसाडिया) एवं **श्री गमीर लाल मीणा** (सराडा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार वननासी क्षेत्र में सम्पूर्ण विकास के लिए वनवासी परिषद् की

(वन मन्त्री)

स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) वनवासी विकास परिषद् का क्या प्रारूप होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांदीकुई बडियाल कलां सड़क की मरम्मत

659. **श्री रामकिशोर सैनी** (बांदीकुई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या बांदीकुई से बडियाल कलां जाने वाली सड़क जो कृषि उपज मण्डी समिति की ओर से बनाई गयी थी, की मरम्मत मंडी समिति द्वारा कराये जाने का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो इस सड़क की अब कब तक मरम्मत करा दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां। इसका निर्माण मण्डी समिति द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाया गया था। इस सड़क पर वर्ष वार निम्न प्रकार से मरम्मत कार्य पर व्यय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है :—

(1) वर्ष 1989-90 रुपये 2,00,000/-
(2) वर्ष 1990-91 रुपये 5,00,000/- (विशेष मरम्मत)
(3) वर्ष 1990-91 रुपये 1,53,000/-

राजस्थान् जनजाति संघ, बांसवाड़ा द्वारा गुड़ की खरीद

660. **श्री सोमा** (बागीडोरा) :

श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में राजस्थान जनजाति संघ क्षेत्रीय प्रबन्धक का वर्तमान वित्त वर्ष (1991-92) में कुल कितनी राशि के गुड़ खरीदने का लक्ष्य था ? कितना क्रय किया गया एवं किसके माध्यम से क्रय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक को 7 लाख के टारगेट के अनुसार गुड़ की खरीद करनी थी ? यदि हां, तो अधिक क्रय के क्या कारण रहे ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सामग्री (गुड़) को आई. सी. डी. एस. को बेचने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो किस भाव से ?

(4) क्या यह भी सही है कि आई. सी. डी. एस. ने उक्त सामग्री को खरीदने से मना कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त गुड़ घटिया किस्म का खरीदा गया ? यदि हां, तो क्यों एवं इससे राज्य सरकार को कितनी राजस्व की हानि हुई ?

(6) क्या राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसबाड़ा जिले में राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि., के क्षेत्रीय कार्यालय को वर्तमान वित्तीय वर्ष (1991-92) में गुड़ खरीदने के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे। प्राथमिक सहकारी संस्थाओं (लैम्पस) के द्वारा 1797.62 क्विंटल गुड़ खरीदा गया जो कि राजस संघ ने विपणन हेतु लिया।

(2) गुड़ खरीद का कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं था। अतः कम या ज्यादा खरीदने का प्रश्न ही नही उठता।

(3) जी हां, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर की सहमति पर जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही एवं भीलवाड़ा एफ. ओ. आर. परियोजना केन्द्र पर 572/- रु. प्रति क्विन्टल की दर से सभी कर अतिरिक्त तथा जिला कोटा एवं बारां में 577/– रु. प्रति क्विन्टल की दर से सभी कर अतिरिक्त पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया।

(4) जी नहीं। निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को संघ द्वारा खराब क्वालिटी का गुड़ सप्लाई करने की शिकायत प्राप्त होने पर निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग ने निर्देश जारी किये कि खराब क्वालिटी के गुड के स्थान पर संघ अपने खर्चे पर अच्छी क्वालिटी का गुड़ सप्लाई करे।

(5) जी नहीं। क्षेत्रीय प्रबन्धक, राजस संघ, बांसवाड़ा द्वारा गुड़ उक्त क्षेत्र में उत्पादित किस्म का ही खरीदा गया, परन्तु लैम्पस के पास गांवों में पर्याप्त उचित भण्डारण व्यवस्था के अभाव के कारण गुड़ की गुणवत्ता में गिरावट आई। उक्त गुड़ के बेचान में राज्य सरकार को किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है।

(6) जी हां, राजस संघ द्वारा आदेश क्रमांक एफ. ( ) राजस संघ/कृषि/92/2678 81 दिनांक 31–1–92 द्वारा भण्डारण व्यवस्था की जांच करने हेतु प्राथमिक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसकी जांच रिर्पोट दिनांक 18–2-92 को प्राप्त हुई। प्राथमिक जांच रिर्पोट के आधार पर तत्कालीन कार्यवाहक क्षेत्रीय प्रबन्धक, वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण व पुर्नविचार) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन आरोप पत्र जारी किये हैं। एवं सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत विस्तृत जांच हेतु विभागीय अधिकारी को नियु किया गया जिसकी जांच रिर्पोट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

फिदूसर (जोधपुर) की खान सं. 340 का आवण्टन

661. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास),

श्री परसादी लाल (लालसोट) एवं

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के फिदूसर क्षेत्र की खान सं. 340 तथा वासणा का टांका फिदूसर बाल समन्द रोड की खान रेशमी देवी पत्नी श्री कुम्भाराम तथा छेलाराम पुत्र श्री लक्ष्मण राम को अनुसूचित जाति के आरक्षण के आधार पर विभाग ने

(श्री हीरालाल मीणा)

आवंटित की थी ? यदि हां, तो यह आवण्टन कब-कब किया गया था तथा आवण्टन के बाद कितना किराया कब-कब भरा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन व्यक्तियों की आवण्टित खानों पर, प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जे कर लिये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अनुसूचित जाति के आवण्टियों को खानों का कब्जा दिलाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि खान सं. 340 फिदूसर (जोधपुर) खान विभाग की बिना पूर्ण स्वीकृति के प्रभावशाली ठेकेदार को आखली के रूप में तहसीलदार, जोधपुर ने आवण्टित कर दी है ? यदि हां, तो इस आखली को निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर के फिदूसर क्षेत्र की खान संख्या–340 न तो रेशमीदेवी को आवंटित है और न ही छेलाराम को। ब्राह्मणों का टांका फिदूसर बालसमन्द रोड की खानसंख्या–2158 श्री छेलाराम मेघवाल के नाम व खानसंख्या–2159 श्रीमती रेशमीदेवी के नाम वर्ष 1988 में विभाग द्वारा आवंटित की गई। लेकिन उक्त खानें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित नहीं थीं। उक्त पार्टियों द्वारा जमा कराई गई किराये की राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

(2) जी नहीं। श्री छेलाराम व श्रीमती रेशमीदेवी को आवंटित खानों पर किन्हीं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा किये जाने की विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) जी हां। खान संख्या–340 के कुछ हिस्से में तहसीलदार, जोधपुर ने आंखली आवंटित की। विभाग को इसकी जानकारी होने पर तहसीलदार द्वारा आवंटित आखली को निरस्त कराने हेतु राजस्व विभाग को लिखा जा चुका है, जिस पर आगे कार्यवाही जारी है।

परिशिष्ट "अ"

श्री छैनाराम पुत्र लक्ष्मणराम को आवंटित खान सं. 2158–फिदूसर द्वारा जमा कराई गई किराये की राशि का विवरण

क्र. सं.	अवधि	जमा कराई गई राशि	जमा कराने की तिथि
1.	किराया अवधि 26-4-88 से 25-4-89 तक व अन्य देय राशि	500/–रु.	30-4-88

1	2	3	4
2.	लिरामा अवधि दिनांक 26-4-89 से 31-12-90 तक व अन्य देय राशि	855/–रु.	31-3-89
3.	किराया अवधि दिनांक 1-1-91 से 31-12-92 तक व अन्य देय राशि	890/–रु.	31-3-90

श्रीमती रेशमीदेवी पत्नि श्री कुम्भाराम को आवंटित खान सं. 2159 फिदूसर द्वारा जमा कराई गई किराये की राशि का विवरण :–

क्र. सं.	अवधि	जमा कराई गई राशि	जमा कराने की तिथि
1.	किराया अवधि दि. 26-4-88 से 25-4-89 तक व अन्य देय राशि	500/–रु.	30-4-88
2.	किराया अवधि दिनांक 26-4-89 से 31-12-90 तक व अन्य देय राशि	855/–रु.	31.3-89
3.	किराया अवधि दिनांक 1-1-91 से 31-12-91 तक व अन्य देय राशि	890/–रु.	31-3-90

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 991 की सूची

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1991–92 में निर्माणाधीन/निर्मित मिसिंगलिक रोड़

क्र सं.	विधान सभा क्षेत्र	सड़क मिसिंगलिक का नाम	स्वीकृति का क्रमांक/दिनांक	स्वीकृति राशि (लाखों में)	मिसिंगलिक की लम्बाई किमी.
1.	2.	3.	4	5	6.
1.	भरतपुर	मिसिंगलिक-इकरन से पीपला सड़क	एफ. 12/351/ सै.II/91/ भरतपुर 19-6-91	1.50	800 मी.

1	2	3	4	5	6
2.	भरतपुर	मिसिंगलिंक–सैथरा से जाटोली (सैथरा ग्राम का भाग)	एफ. 12/35/351/ सं. II/91/भरतपुर 19-6-91	1.00	508 मी.
3.	नगर	मिसिंगलिंक झंझार से खोरी	डी–115/9 1-5-91	10.50	3.8 किमी

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 994 की सूची

अजमेर जिले में मार्च, 1990 से 31 जनवरी 1992 तक स्वीकृत सड़कें :–

क्र. संख्या	सड़क का नाम	मद	स्वीकृत लम्बाई कि.मी. में	स्वीकृत राशि लाखों में
1.	सम्पर्क सड़क सलेमाबाद वाया रोडावास पालडी बबाइचा (पाट लम्बाई 4 कि.मी) जो नं. 523/ 5054/एम.एन. पी./पी/91–92	5054 जिले की सड़के एम. एन. पी	4	12
2.	इम्प्रूवमेंट ग्राफ धूघरा माकडुवाली बूढ़ा पुष्कर (पुष्कर बाई–पास)	5054 शहरी सड़कें	5.5	15
3.	सम्पर्क सड़क घातोल	5054 ग्रामीण सड़कें	11	3
4.	सराना डबरेला रोड़ (वाया शेरगढ़)	जवाहर रोजगार योजना	7	7
5.	बामनहेड़ा से साम्यागाफा संख्या रोड़	,, ,, ,,	7	13.50
6.	जुनिया से हिंगोनिया सड़क	5054 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	6.50	12

परिशिष्ट "व"

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में 1971 की जनगणनानुसार 500 से अधिक आबादी के गांवों को सड़क से जुड़ने/नहीं जुड़ने का विवरण

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र	सड़क से जुड़े हुए				सड़क से नहीं जुड़े हुए कुल ग्राम
	डामर सड़क से	मेटल सड़क से	ग्रेवल सड़क से	कुल ग्राम	
75	30	3	20	53	22

सड़क से नहीं जुड़े हुए गांवों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	1971 के आधार पर आबादी
1	2	3
1.	केरोट	1349
2.	काचरिया	879
3.	मेवदाखुर्द	759
4.	नीमोड	589
5.	फारकिया	913

1	2	3
6.	छबडिया	608
7.	नया गांव	818
8.	सदारिया	608
9.	ग्रामली (सावर)	972
10.	गिरवपुरा	805
11.	निमेडा	600
12.	खोयरा	708
13.	बिडला (काला तालाब)	995
14.	खीरिया खुर्द	968
15.	निमेडा (करोट)	658
16.	काचोरिया (मिनाय)	516
17.	तेजपुरा	540
18.	चकवां	714
19.	चांदली	528
20.	चांद मटोलाव	503
21.	हिंगसुड़ा	654
22.	मानखण्ड	879

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 998 की सूची

परिशिष्ट–"अ"

(क) उपक्रम जिन्होंने वर्ष 1989–90 में लाभ कमाया

क्र. सं.	निगम का नाम	लाभ (लाख रुपयों में)
1.	राज. राज्य पथ परिवहन निगम	15.27
2.	राज. वित्त निगम	738.19
3.	राज. राज्य भंडार व्यवस्था निगम	76.12
4.	राजस्थान आवासन मंडल	447.54
5.	राज. भूमि विकास निगम	11.95
6.	राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड	19.16
7.	राज. राज्य खान एवं खनिज	467.96
8.	राज. औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि.	107.12
9.	राज. राज्य खनिज विकास निगम	100.19
10.	राज. राज्य होटल निगम लि.	3.75
11.	राज. पर्यटन विकास निगम लि.	75.52
12.	राज. राज्य पुल एवं निर्माण निगम लि.	0.21
13.	राज. राज्य हाथ कर्घा विकास निगम	4.94
14.	राज. राज्य जल संसाधन विकास निगम लि.	7.47
15.	राज. अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि.	177.70
16.	राज. राज्य बुनकर सहकारी संघ लि.	28.89
17.	राज. राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन संघ लि.	10.35
18.	राज. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.	10.13
19.	राज. सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., गुलाबपुरा ।	149.90
20.	गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., गंगापुर	133.82
21.	गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि., हनुमानगढ़	114.79
22.	राज. स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना	
	(अ) सोडियम सल्फेट वर्क्स	14.89
23.	राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना ।	45.71
24.	राजकीय लवण स्रोत, पचपदरा ।	11.49
	कुल योग :–	2773.06

(ख) उपक्रम जिन्होंने वर्ष 1989–90 में घाटा उठाया

क्र सं.	निगम का नाम	हानि (लाखों रुपयों में)
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल	16860.58
2.	दी गंगानगर शुगर मिल्स लि.	28.03
3.	राज. लघु उद्योग निगम लि.	10.45
4.	राज. राज्य बीज निगम लि.	90.36
5.	राज. राज्य कृषि उद्योग निगम लि.	128.17
6.	राज. राज्य वन विकास निगम लि.	1.08
7.	राज. इलेक्ट्रोनिक्स लि.	25.62
8.	राज. राज्य टंगस्टन विकास निगम लि.	51.23
9.	राज. सहकारी डेयरी फैडरेशन लि.	376.06
10.	राज. जनजाति विकास सहकारी संघ लि.	30.00
11.	राज राज्य क्रय विक्रय संघ लि.	180.07
12.	राज. राज्य सहकारी हाऊसिंग फैडरेशन लि.	12.16
13.	श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि. केशोरायपाटन।	17.15
14.	श्रीगंगानगर सहकारी आयल शीड प्रोसेसिंग मिल्स लि. खगजसिंहपुर	30.30
15.	राज स्टेट केमिकल वर्क्स, डीडवाना (अ) सोडियम सल्फाईड फैक्ट्री	13.04
	कुलयोग: –	17854.30

नोट: –लाभ–हानि की स्थिति 39 उपक्रमों के संबंध में है। राजस्थान स्टेट टैनरीज जो की बन्द पड़ी है के वर्ष 1989–90 के लेखे अभी तक तैयार नहीं हुए है। राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ में वर्ष 1990–91 में कार्य प्रारम्भ किया है।

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 999 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

स्थायी स्थगन के विरुद्ध ए. सी. जे. एम. कोर्ट डीग से कार्यवाही का विवरण

30-11-91 दोनों वकील उपस्थित बहस की गई बाद में न्यायालय द्वारा कार्य पर स्थगन आदेश जारी किया गया। मूल दावा में वास्ते जवाब दिनांक 3-2-92 नियत की गई।

3-2-92 जवाब दावा जो डिपार्टमेंट से एप्रूव न होने की वजह से प्रेषित नहीं हो सका। अग्रिम पेशी वास्ते जवाब 10-3-92 दी गई।

10-3-92 जवाब दावा ला डिपार्टमेंट से एप्रूव न होने की स्थिति में पेश नहीं हो सका। अग्रिम पेशी 5-5-92 दी गई।

परिशिष्ट "ब"

स्थायी स्थगन के विरुद्ध ए. डी. जे. कोर्ट डीग में कार्यवाही का विवरण

3-1-92 न्यायालय में अपील एवं स्थगन के खिलाफ स्थगन दरख्वास्त विभाग द्वारा प्रेषित की गई। सुनवाई का दिनांक न्यायालय द्वारा 7-1-92 वास्ते नोटिस तामील नियत की गई।

7-1-92 नोटिस तामील नहीं हो सकी अतः अग्रिम पेशी 9-1-92 दी गई

9-1-92 नोटिस जारी कर तामील के लिए पहुंचाये गये अग्रिम तारीख 20-1-92 नियमित की गई।

20-1-92 पार्टी को नोटिस तामील नहीं हो सके। अग्रिम पेशी 3-2-92 दी गई।

3-2-92 दोनों फरीकेन उपस्थित बहस के लिये अग्रिम दिनांक 7-4-92 नियत की गई।

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न सख्या 1001 की सूची

परिशिष्ट "भ"

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम एवं स्वीकृत लम्बाई	योजना	स्वीकृत राशि रु. लाखों में	व्यय राशि जनवरी, 1992 तक (लाखों में)	भौतिक प्रगति
1.	शाहपुरा	सम्पर्क सड़क बारो जोरी लम्बाई 1 कि मी.	स्पेशल कम्पोनेंट प्लान	3.00	1.17	एक लेयर डब्ल्यू बी. एम. की पूरी हो चुकी है, कार्य प्रगति पर है।
2.	जयपुर ग्रामीण	सम्पर्क सड़क जयसिंह पुरा खोर लम्बाई 1 कि.मी.	,, ,,	3.00	2.46	एक कि.मी. डामर सड़क बन चुकी है।
3.	फुलेरा	सम्पर्क सड़क हिगोनियां लम्बाई 1 कि.मी.	,, ,,	3.00	1.38	एक कि.मी. सड़क पर डब्ल्यू. बी. एम. कार्य पूरा हो चुका है। डामर कार्य प्रगति पर है।
4.	सांगानेर	सम्पर्क सड़क लूनियावास लम्बाई 1 कि.मी.	,, ,,	3.00	1.37	एक कि.मी. सड़क मेटल का कार्य हो चुका है। डामर कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1008 की सूची

भाग 1 व 2 की सूची

क्र. सं.	नाम. व पद	स्थगन का वर्ष	प्रभारी अधिकारियों के नाम
1.	डा. सुरेश मित्तल, चिकित्सा अधिकारी	1991	डा. के. एल. सैनी, कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र) सामान्य चिकित्सा, अलवर।
2.	डा. धनेश कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी	1991	डा. हरीश मनोचा, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) अलवर।
3.	डा. सुभाष चन्द अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी	1990	डा. फतहसिंह स्टेट लेप्रोसी आफिसर, निदेशालय जयपुर।
4.	डा.एस. के. यादव, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1991	डा.बी.एल. गुप्ता कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलाजी) स. चि. अलवर।
5.	डा. सी. एस. प्रधान, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1991	डा. हरीश मनोचा उप मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी (स्वा.) अलवर।
6.	डा. मोहन लाल विरानी, चिकित्सा अधिकारी	1992	डा. एस. सी. शर्मा, कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जन) एवं प्रभारी. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगढ़।
7.	डा. सी.पी. बबवा, चिकित्सा अधिकारी	1989	डा. सुबोध कुमार अग्रवाल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सीटी डिस्पेन्सरी नं. 1, अलवर। हाल उप मु. चि. एवं स्वा. अधि. (प.क) अलबर

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1016 की सूची

STATEMENT SHOWING DISTRICTISE PROGRESS OF STERILIZATION

Sl. No.	District	1990–91 Target	Achievement	Percentage	1991–92 (Upto FEB.) Target	Achievement	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	AJMER	10800	7583	70.21	10800	3433	68.82
2-	ALWER	11400	10281	90-19	11400	11090	97.28
3-	BHARATPUR	7700	4237	55.03	7700	4480	58.18
4-	CHOLPUR	3600	1542	42.83	3600	1564	43.44
5-	JAIPUR	24000	17078	71.16	20000	15291	76.46
6-	DAUSA	—	—	—	4000	2934	73.35
7-	SIKAR	8500	7995	94.06	8500	7330	86.24
8-	JHUNJHUNU	8000	8520	106.50	8000	7341	91.76
9-	TONK	4900	2405	49.08	4900	2335	47.65
10-	S. Madhopur	9000	5280	58 67	9000	3976	44.18
11-	BIKANER	6100	4524	74.16	6100	4894	80.23
12-	GANGANAGAR	15200	13410	88.22	15200	13759	90.52
13-	CHURU	8000	6015	75.19	8000	5145	64.31
14-	NAGOUR	9500	7645	80.47	9500	8255	86.89
15-	JODHPUR	11100	4855	43.74	11100	5824	53.45

1	2	3	4	5	6	7	8
16-	JALORE	6000	1721	28 68	6000	3374	39.51
17-	BARMER	5800	1034	17-83	5800	1802	31.07
18-	JAISALMER	1300	1247	95.92	1300	383	29.46
19-	PALI	8600	3834	44.58	8600	3625	42.15
20-	SIROHI	3400	1284	37.77	3400	1310	38.53
21-	KOTA	11000	7881	71.00	6100	4880	80.00
22-	BARAN	—	—	—	5000	2862	57.24
23.	BUNDI	3800	2722	71.63	3800	2284	60-10
24-	JHALAWAR	5500	2772	50.40	5500	4106	74·65
25-	UDAIPURA	15500	7528	48.57	11084	5153	46.49
		—	—	—	4416	2081	47.12
27-	CHITTORGARH	8100	5087	62.80	8100	4920	60.74
28-	BHILWARA	8400	4090	48.69	8400	3841	45.73
29-	DUNGARPUR	4300	4150	96.51	4300	1234	28.70
30-	BANSWARA	5400	3710	68.70	5400	4177	77.35
	RAJATHAN	225000	148430	65.97	225000	146683	65.19

THE LIST OF DEPARTMETNS ALONG WITH THE TARGETS ALLOTTED FOR STERILIZATION OPERATION:

SL. No.	DEPARTMENTS	1990–91	1991–92
1.	REVENUE	27910	21965
2.	DEVELOPMENT	39830	32565
3.	EDUCATION	11812	12520
4.	AYVRVED	13671	12335
5.	CO-OPERATIVE	6194	4010
6.	P.H.E.D.	2575	2360
7.	IRRIGATION	2505	1850
8.	SOCIAL WELFARE	1810	1955
9.	AGRIDULTURE	2910	3030
10.	P.W.D.	28[illegible]2	2520
11.	R.S.E.B.	1982	1745
12.	FOREST	1991	1715
13.	MUNI CIPAITIES+ LOCAL BODIES	8015	7700
14.	DAIRY	1545	1400
15.	I.C.D.S.	10766	11080
16.	ANIMAL HUSBANDARY	1175	1115
17.	SUPPLY DEPTT.	1122	1220
18.	INDUSTRY	1146	1025
19.	MINES DEPTT.	760	975
20.	SALE TAX	400	495
21.	TRANSPORT	430	790
22.	MEDICAL & HEALTH	78989	96866
23.	OTHER (LABOUR– SHEEP & WOOL ETC.)	4740	3764
	TOTAT-	2,25,000	2,25,000

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1019 की सूची

नोटीफाइड स्वास्थ्य निरीक्षकों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	पूर्णकालीन खाद्य निरीक्षकों की संख्या	अंशकालीन खाद्य निरीक्षकों की संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	1	10
2.	अलवर	1	14
3.	भरतपुर	1	10
4.	धौलपुर	1	4
5.	जयपुर एवं दौसा	1	22
6.	झुंझुनू	1	9
7.	करौली	1	12
8.	सीकर	1	7
9.	सिरोही	1	4
10.	जैसलमेर	1	2
11.	बाड़मेर (खा.निरी. के पद के विरुद्ध)	1	8
12.	जालौर	1	8
13.	जोधपुर	2	12
14.	पाली	1	7
15.	डूंगरपुर	1	4
16.	चित्तौड़गढ़	1	9
17.	भीलवाड़ा	1	11
18.	उदयपुर एवं राजसमन्द	2	17
19.	बांसवाड़ा (खाद्य निरीक्षक के पद के विरुद्ध)	1	6
20.	बून्दी (खाद्य निरीक्षक के पद के विरुद्ध)	1	5
21.	झालावाड़	1	4

1	2	3	4
22.	कोटा एवं बारां	2	14
23.	टौंक	1	5
24.	बीकानेर	1	7
25.	चूरू	1	7
26.	गंगानगर	1	12
27.	नागौर	1	10
	केन्द्रीय दल	4	—
	योग:–	34	240

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 1020 की सूची

सूची–क

आदिवासी औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा घोषित क्षेत्र निम्नांकित है–

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील
1.	बांसवाड़ा	1. घाटोल
		2. गढी
		3. बांसवाड़ा
		4. बागीडोरा
		5. कुशलगढ़
2.	डूंगरपुर	1. डूंगरपुर
		2. सागवाड़ा
		3. आसपुर
		4. सीमलवाड़ा
3.	उदयपुर	1. झाडोल
		2. खैरवाड़ा

(291)

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील
		3. कोटड़ा
		4. सराड़ा
		5. परियावद
		6. सलूम्बर
		7. गिरवा (अंशतः)
4.	चित्तौड़गढ़	1. प्रतापगढ़
		2. अरनोद
5.	सिरोही	1. आबूरोड (अंशतः)

1. वर्तमान में आदिवासी औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा सामान्य से एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर में छूट प्रदान की जाती है।

2. इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने हेतु बिक्री कर प्रोत्साहन, डेफरमेन्ट योजनाओं के तहत जनजातीय उप क्षेत्र योजना में स्थापित नई सीमेन्ट इकाईयों को 75 प्रतिशत विक्रय कर दायित्व की छूट आस्थगन सुविधा उपलब्ध है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ऐसी बड़ी व मध्यम सीमेंट औद्योगिक इकाईयों को 25 व 50 प्रतिशत तक के विक्रय कर दायित्व की छूट उपलब्ध है।

3. साथ ही राज्य सरकार द्वारा योजनागंत जो राशि आवंटित की जाती है उसमें 10 से 12 प्रतिशत तक जनजाति क्षेत्र में व्यय किये जाने का प्रावधान रखा जाता है जिससे इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को अंशपूंजी एवं सावधि ऋण की मार्जिन मनी उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाती है।

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1029 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER LIFT IRRIGATION DIVISION JHALAWAR (RAJASTHAN)

LIST OF PROPOSED LIFT SCHEMES TO BE TAKEN UP DURING 1992-93

S. No.	Name of Scheme	Tehsil	River	Area to be hene-fited.	Approx. Cost (lacs)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bhumara Lift Scheme	Bakani	Kalisindh	530Acre	13.00	
2.	Amlaoda	Aklera	Parwan	530 "	11.00	
3.	Bhumariya	-do-	-do-	500 "	13.00	
4.	Sareri	-do-	Newaj	500 "	13.00	
5.	Jawari	-do-	-do-	500 "	13.00	
6.	Kunjara	-do-	-do-	500 "	13.00	
7.	Bhukhari	Khanpur	Parwan	300 "	13.00	
8.	Kangrikhera	-do-	-do-	500 "	13.00	
9.	Mawasa	Aklera	-do-	500 "	13.00	
10.	Akodia	Pirawa	Ahu	500 "	13.00	
11.	Arnia	-do-	-do-	400 "	10.00	
12.	Lalavata	Rhanpur	Ujjar	300 "	7.50	
13.	Dunda	-do-	Kharaud	300 "	7.50	
14.	Barni	-do-	Ujjar	300 "	7.50	
15.	Mohnpura	-do-	-do-	500 "	13.50	
16.	Singola	-do-	-do-	500 "	13.00	
17.	Hanotia	M. Thana	Parwan	500 "	13.00	
18.	Khejra Patlun	Khanpur	-do-	500 "	13.00	

1	2	3	4	5	6	7
19.	Sewnia	-do-	-do-	400 "	10.00	
20.	Khethuni	-do-	Kharaud	300 "	7.50	
21.	Semli Chauhan	Pirawa	Ahu	300 "	7.50	
22.	Harnawada gaja	-do-	Ahu	300 "	7.50	
23.	Pura Galana	-do-	Ahu	300 "	7.50	
24.	Chhapihera	Khanpur	Parwan	500 "	13.00	
25.	Halihera	-do-	Kharaud	300 "	7.50	
					273.00	

Total cost of proposd scheme—272.00 lacs
likely expenditure —150.00 lacs
during 92–93.

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 1031 का विवरण

परिशिष्ट–अ

वर्ष 1990 तथा 1991 की औसत आवपाशी विवरण

I–सिंचाई संघनता

क्र. सं.	नाम-चक	वर्ष 89–90		वर्ष 90–91	
		खरीफ%	रबी%	खरीफ%	रबी%
1.	8 जी.बी.एस.	46	37	41	60
2.	9 जी.बी.एस.	46	53	42	66
3.	11 जी.बी.एस.	24	26	21	41
4.	12 जी.बी.एस.	27	30	26	50

क्र. सं.	नाम चक	वर्ष 89-90		वर्ष 90-91	
		खरीफ%	रबी%	खरीफ%	रबी%
5.	14 बी.एन.डब्ल्यू.ए.	40	42	37	57
6.	14/बी. " "	57	34	37	53
7.	15 " "	34	30	35	50
8.	20ए/एस.डी.एस.	50	35	41	54
9.	20बी " "	40	36	37	52
10.	21 " "	27	28	26	34
11.	10एल.एल.बी.	24	28	25	40
12.	11 " "	32	32	33	50
13.	12-13 " "	41	36	37	48
14.	18 एल.पी.एम.	21	39	24	54
15.	19 " "	13	27	15	44
16.	20 " "	5	13	9	48
17.	13 एस.डी.पी.	45	38	36	52
18.	14 " "	37	38	32	53
19.	15 " "	22	30	20	40
20.	16. " "	23	27	21	40
21.	37 पी.टी.पी.	45	41	33	62
22.	38 " "	40	40	37	58
23.	39-40 " "	37	30	34	52
24.	41 " "	39	32	36	47
25.	42 " "	42	32	36	48
26.	9 ए./बी.जी.पी.	55	63	45	53
27.	9 बी/ " "	52	53	48	53
28.	10 " "	61	60	56	62
29.	11 " "	55	58	50	69
30.	12 " "	50	54	44	63
31.	28-29 ए.एम.पी.	42	37	39	49
32.	30 " "	41	34	38	52

प्रपत्र–ब

वर्ष 1990 तथा 1991 की औसत आबपाशी विवरण सिंचाई खण्ड–प्रथम
हनुमानगढ़ जंक्शन

2. सिंचाई संघनता

क्र.स.	नाम चक	वर्ष 1989-90		1990-91	
		(खरीफ%)	(रबी%)	(खरीफ%)	(रबी%)
1.	1 के.एस.डी.	56	61	57	67
2.	2 के एस.डी.	56	59	56	69
3.	3 के.एस.डी.	48	48	49	60
4.	4 के एस.डी.	70	63	72	81
5.	1 पी.टी.पी.	46	50	58	58
6.	2–3 पी.टी.पी.	42	48	43	52
7.	4 पी.टी.पी.	49	52	46	63
8.	1 एम.जे.डी.	66	61	61	62
9.	2 एम.जे.डी.	53	53	55	62
10.	3 एम.जे.डी	49	49	48	62
11.	4 एम.जे.डी.	43	46	44	54
12.	1 एम.एम.के.	43	49	44	51
13.	2 एम.एम.के.	39	46	47	57
14.	3–4 एम.एम.के.	43	53	51	56

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 1034 का विवरण

सूची–क

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	मस्ट्रोल व्यय	टेन्डरों द्वारा व्यय	कार्य प्रभारी कर्मचारियों पर व्यय	अन्य व्यय	योग
988–89	1.11	1.73	3.92	0.25	7.01

1	2	3	4	5	6
1989–90	—	3.28	4.55	0.07	7.90
1990–91	0.04	16.16	4.40	0.05	20.65
1991–92 (2/92 तक)	—	2.99	4.39	0.02	7.40
योग	1.15	24.16	17.26	0.39	42.96

सूची–ख

वर्ष 198?–90 व 1990–91 में जिन कार्यों पर व्यय किया है विस्तृत सूची निम्नानुसार है।

वर्ष	नाम कार्य	व्यय राशि (लाखों में)
1989–90	1. चौमोरा केनाल को चैन 20 पर पुलिया का निर्माण	0.66
	2. जलालिया केनाल को चैन 180 पर पुलिया का निर्माण	0.57
	3. पीपल वाली कैनाल को चैन 380 पर पुलिया का निर्माण कार्य	0.65
	4. हुसैपुर दो मोरा कैनाल की चैन 80 पर पुलिया का निर्माण कार्य	0.59
1990–91	1. रिनोनेशन कार्य सीकरी मैन फीडर की	
	1. चैन 150 से 250	3.93
	2. चैन 400 से 620	3.61
	3. चैन 0 से 150	3.50
	4. चैन 250 से 400	4.15
	2. हुसैपुर दो मोरा कैनाल	1.28
	3. मैन फीडर पर पुलिया का निर्माण कार्य चैन 200 पर	1.18
	4. मैन फीडर पर पुलिया का निर्माण कार्य चैन 530 पर	1.08
	5. हुसै दो मोरा कैनाल पर पुलिया का निर्माण	1.71

परिशिष्ट-21

अतारांकित प्रश्न संख्या 1035 की सूची

परिशिष्ट—अ

बारखेड़ तालाब के डूब क्षेत्र में आने वाले आदिवासी परिवारों की सूची:—

क्र. सं.	नाम
1.	श्री भीखा पुत्र श्री लालू मीणा
2.	श्री कचरा पुत्र श्री बदिया मीणा
3.	श्री हरिया पुत्र श्री माना मीणा
4.	श्री कमजी पुत्र श्री हकरा मीणा
5.	श्री कुरिया पुत्र श्री माना मीणा
6.	श्री धुला पुत्र श्री माना मीणा
7.	श्री हलिया पुत्र श्री मेगा मीणा
8.	श्री लम्बा पुत्र माना मीणा
9.	श्री पूंजा, सोमा, धनजी, माणजी, पुत्र श्री मानजी, देवजी, छगन पुत्र श्री मेवा, शंकर पुत्र श्री कचरा मीणा
10.	श्री वक्ता पुत्र श्री बालाजी मीणा
11.	श्री रागा पुत्र श्री लाला मीणा
12.	श्री विजय लाल, रामजी, वागजी, मकना पुत्र श्री नाथू मीणा
13.	श्री वदा, रूपा पुत्र श्री देवजी मीणा
14.	श्री मंगला, हुका, हवजी, लक्ष्मण पुत्र श्री भीमा मीणा
15.	श्री वजा, देवजी, माना, कलिया पुत्र श्री नागा मीणा
16.	श्री थाना पुत्र श्री हकरा मीणा
17.	श्री कारा पुत्र श्री हकरा मीणा
18.	श्री भीखा पुत्र श्री डूंगरा मीणा
19.	श्री धुला लक्ष्मण पुत्र श्री हीरा मीणा
20.	श्री शंकर पुत्र श्री भीखा मीणा
21.	श्री हाजिया पुत्र श्री कालिया भील
22.	श्री अमरा पुत्र श्री वालेंग भील
23.	श्री नाथू पुत्र श्री सोमा भील
24.	श्री हाजा पुत्र श्री वालेंग भील
25.	श्री हुरजी पुत्र वालेंग भील

1	2
26.	श्री हुका पुत्र श्री मीमा भील
27.	श्री वजा पुत्र श्री तेजा भील
28.	श्री नाना पुत्र श्री तेजा भील
29.	श्री लखमा पुत्र श्री कालिया भील
30.	श्री हुरजी पुत्र श्री कालिया भील
31.	श्री दिता पुत्र श्री भोगजी भील

परिशिष्ट–"अ"

परिशिष्ट–22

अतारांकित प्रश्न संख्या 1039 का विवरण

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
RELIEF DEPARTMENT

No. F. 8(1)RC/Flood/90/19508-40 Dated : 1-9-90

ORDER

The norms for flood relief ure revised as under :—

S.No.	Item	Unit	Present norms(Rs.)	Revised norms (Rs.)
1.	Ex-gratia payment to families of deceased persons.	Per deceased person	5000	10,000
2.	Assistance for repair restoration of damged housed :			
(a)	Particlly dameged (pucca House)	Per unit	—	500
(b)	Partielly damaged (Kachha House)	Per unit	—	200

1	2	3	4	5
(C) Fully demaged				
	(1) Pucca House	Per unit	1000	1750
	(2) Kachha House with mud walls and tile roofs/corrugated sheets.	Per unit	500	1000
	(3) Kachha House with mud walls and thatched roofs	Per unit	200	500
3.	Gratuitous relief to adult	Per head Per day	2.00	4.00
4.	Gratuitous relief to child	Per head per day	1.00	2.00

Sd/-

(M. D. Kaurani)
Relief Secretary.

Copy forwarded to :—

1. All Collectors, Rajasthan.
2. Secretary to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. P. S. to Relief Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. P. S. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
5. Finance Secretary, Rajasthan, Jaipur.
6. All Officers/Sections of Relief Department.

Sd/-
Dy. Secretary (Relief)

परिशिष्ट "ब"

NORMS REGARDING RELIEF TO FIRE SUFFERERS :

(A) For food and provisional shelter @ Rs. 150/- per member of the family subject to maximum limit of Rs. 1000/- for the family.

(B) For damage to house, if covered under Hut Insurance Scheme, the relief will be provided as per norms of Hut Insurance

3०७

Scheme otherwise relief to the extent of 1/6th of the total loss subject to the limit of Rs. 1000/– may be sanctioned provided the annual income of the family from all sources does not exceed Rs. 10,000/–.

(C) For loss of cattle, relief at the following facts may be awarded :—

(i) Buffalow/Cow/Bullock and Camel @ Rs. 750/– per cattle

(ii) Goat/Sheet etc. @ Rs. 250/– per animal.

(D) Losses for general house-hold belongings including grain fodder and other belongings subject to a maximum limit of Rs 500/– for each house-hold.

For losses/injuries to human life :—

(i)	Death of a member of family	Rs. 10,000/–
(ii)	Permanent incapacitation whether of earning or unearing member of family	Rs. 2,500/–
(iii)	Temporary incapacitation	Rs. 1,000/–
(iv)	Grevious hurt short af incapacitation	Rs. 500/–

NORMS REGARDING ASSISTANCE IN CASE OF HAIL STORM :

S.N.	Item	Present norms (Rs.)	Revised norms (Rs.)
1.	Agricultural input subsidy (for agriculture crops, Horticultutal crops and Plantation crops)	200/– per hac.	300/– per hac. limited to small and marginal farmers.
Animal Husbandary		**Unit**	
	Subsidy for replacement of bullocks, milch animals and other drought animals (for small & marginal farmers/ agricultural labourers)	Pair of bullocks or milch animai	As per IRD pattern subject to strict institutinal tie up and ceiling on subsidy per family;1/4 & 1/3rd as subsidy on the cost followed by NABARD.

The norms applicable for loss of Human Life in case of Flood and Fire as per Order No. F. 8(1) RC(Flood/90/19508–40 dated 1-9-90 s'all be applicable in case of Hail storms losses also.

परिशिष्ट–स

जयपुर जिले में आकस्मिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में विवरण

क्र. सं.	नाम तहसील	कुल आपदाओं की संख्या	संख्या जिनमें सहायता दी गई	संख्या जो प्रकरण लम्बित है	संख्या जो प्रकरण निरस्त किये गये।	विशेष विवरण
	अग्निकाण्ड :—					
1.	जयपुर	171	43	28	100	
2.	सांगानेर	197	140	50	7	
3.	चाकसू	94	25	57	12	"
4.	बस्सी	214	118	96	—	"
5.	आमेर	368	232	126	10	"
6.	जमवारामगढ़	273	135	76	62	"
7.	चौमू	346	207	112	27	"
8.	कोटपूंतली	170	131	38	1	"
9.	शाहपुरा	394	327	34	33	"
10.	विराटनगर	117	98	6	13	"
11.	फागी	45	9	36	—	"
12.	दूदू	62	4	18	40	"
13.	फुलेरा मु. सांभर	268	110	120	38	"
	कुल योगः—	2719	1579	797	343	

2. वर्षा (बाढ़) ——————————शून्य——————————

3. आंधी तूफान —————————— " ——————————

4. ओलावृष्टि —————————— " ——————————

5. अन्य —————————— " ——————————

(302)

परिशिष्ट–23

अतारांकित प्रश्न संख्या 1041 का विवरण

"सूची"

अविद्युतिकृत ग्रामों की सूची (10.3.1992)
विधान सभा क्षेत्र केकड़ी

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नम्बर	पंचायत समिति
1.	अजगरी	10.4.95	अराई
2.	प्रतापपुरा	10.4.83	"
3.	सूरजपुरा	10.4.84	"
4.	चरडडाली	10.4.94	"
5.	चकवा	10.4.90	"
6.	चकवी	10.4.89	"
7.	रामवाली	10.4.97	"
8.	बीलिया	10 4.98	"
9.	चकबीलिया	10.4.96	"
10.	गोपालपुरा	10.4.105	"
11.	कल्याणपुरा	10.4.104	"
12.	श्यामपुरा	10.4.106	"
13.	खेडी	10.4.102	"
14.	सोपली	10.4.103	"
15.	कतई खुर्द	10.5.58	भिनाय
16.	बीलिया	10.5.56	"
17.	सोलकला	10.5.49	"
18.	कादोलाई	10.5.80	"
19.	ताजपुरा	10.4.85	अराई
20.	छापडी	10.4.87	"

परिशिष्ट–24

अतारांकित प्रश्न संख्या 1042 का विवरण

परिशिष्ट–अ

पंचायत समिति इटावा एवं सुल्तानपुर की सूची

	पंचायत समिति इटावा		पंचायत समिति सुल्तानपुर	
	संख्या	आय लगभग	संख्या	आय लगभग
घरेलू	6029	2,40,000·00	9089	3,60,000·00
व्यवसायिक	636	1,10,000·00	519	1,00,000·00
लघु उद्योग	140	81,000·00	170	68,000·00
मध्यम "	17	1,80,000·00	2	40,000·00
उच्च "	—	—	2	6,00,00·00

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–25

अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 का विवरण

गत 10 वर्षों में वर्गवार पदोन्नत कर्मचारियों का विवरण

क्र सं.	वर्ग	वर्ष 1982–83 सा.अजा.अजजा.			1983-84 सा.अजा.अजजा.			1984–85 सा.अजा.अजजा.			1985–86 सा.अजा.अजजा.			1986–87 सा.अजा.अजजा.			1987–88 सा.अजा.अजजा.		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	च.श्रे.क. से जमादार	1	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	8	1	1	8	1	–
2.	च.श्रे.क. से क. लिपिक	24	4	1	8	4	–	–	–	–	–	–	–	2	1	2	8	6	–
3.	क.लि. से व. लिपिक	3	–	–	23	14	6	13	–	–	2	–	–	5	–	–	1	–	–
4.	व लि. से पर्यवेक्षक	3	–	–	8	1	–	14	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–
5.	व.लि./पर्यवेक्षक से क. लेखाकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	2	–	3	–	–	–	–	–

क्र. सं.	वर्ग	1988–89 सा.	प्रजा.	प्रजजा.	1989–90 सा.	प्रजा.	प्रजजा	1990–91 सा.	प्रजा.	प्रजजा.	1991–92 सा.	प्रजा.	प्रजजा.	योग सा.	प्रजा.	प्रजजा.
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	8
1.	च.श्रे.क. से जमादार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19	2	2
2.	च.श्रे.क. से क. लिपिक	3	1	–	–	–	–	2	–	–	9	1	2	56	17	5
3.	क.लि. से व.लि.	–	–	–	4	1	–	–	–	–	30	3	–	81	18	6
4.	व.लि. से पर्यवेक्षक	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	30	2	–
5.	व.लि./पर्यवेक्षक से क. लेखाकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	2	–
													योग	196	41	13
													कुल योग		–250	

परिशिष्ट–26

अतारांकित प्रश्न संख्या 1048 का विवरण

परिशिष्ट–"क"

शेरगढ़ अभ्यारण्य में गत वर्षों में किये गये व्यय का विवरण

लेखापद	व्यय का विवरण (लाख रु. में) 1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92 (फरवरी 92 तक)	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2406–वानिकी और वन्य जीवन							
02–पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन							
110–वन्य जीवन							
111–वन क्षेत्रों का संधारण	1.278	0.979	1.348	2.004	1.722	7.331	स्थापना पर व्यय
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	0.295	0.095	—	—	—	0.390	पुराने 200 हैक्टर कार्यों का संधा.

1	2	3	4	5	6	7	8
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	1.453	0.378	—	—	—	1.831	25 है.वृक्षा. एवं 100 हैक्टेयर संधारण
जवाहर रोजगार योजना	—	—	0.261	6.835	4.642	11.738	200 है. वृक्षा. एवं 325 है. में संधा.
एकीकृत पड़त भूमि विकास योजना	—	—	—	—	24.320	24.302	750 है. वृक्षारोपण
महायोग	3.026	1.452	1.609	8.839	30.684	45.610	

परिशिष्ट–"ख"

शेरगढ अभ्यारण्य में वन्य जीवों का विवरण

क्र. सं.	नाम वन्य जीव	वन्य प्राणियों की वर्तमान गणना संख्या
1.	बाघ	—
2.	तेन्दुआ	8
3.	भेडिया	14
4.	जंगली कुत्ते	15
5.	जरख	10
6.	वन बिलाऊ	24
7.	लोमड़ी	53
8.	सियार	135
9.	चिकारा	55
10.	चीतल	14
11.	सांभर	12
12.	काला हिरण	34
13.	जंगली सुअर	190
14.	सेहली	24
15.	नीलगाय	—
16.	पाड़ाखोह	8
17.	बन्दर	641
18.	अजगर	2
19.	खरगोश	निश्चित संख्या बताया जाना संभव नहीं है।
20.	नेवला	—"—
21.	मोर	—"—
22.	उल्लू	—"—
23.	तीतर	—"—
24.	सारस	—"—

परिशिष्ट-27

अतारांकित प्रश्न संख्या 1049 का प्रतिवेदन

जांच प्रतिवेदन

श्री रणजीतसिंह, बिशम्बर पूर्व सरपंच एवं समस्त ग्रामवासी सणसपुर, देसुसर, चारणवास सीती तथा झुंझुनू के नाम से दिनांक 29-11-91 को रोक शिकायती पत्र वन मंत्री राजस्थान, जयपुर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा जिला कलक्टर, झुंझुनू को प्रेषित किया गया। उक्त शिकायती पत्र में निम्न बिन्दु उठाये गये :-

1. बीड झुंझुनू में श्री नन्दलाल व उसके पुत्र ने काफी कब्जा कर रखा है। जिसमें वे होटल बनाने की तयारी में है तथा इन्होंने भारी मात्रा में लकड़ियां कटवां रखे हैं।

2. वन विभाग के कर्मचारी पेड़ों को कटवाने एवं जमीन काश्त में पैसा लेते हैं।

उप वन संरक्षक, झुंझुनू द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण की जांच करने के आदेश दिये गये थे। मैंने शिकायत कुनिन्दा से सम्पर्क किया तथा श्री नन्दलाल द्वारा किये गये कब्जे का मुआयना किया। बीड झुंझुनू का निरीक्षण किया तथा सोती व चारणवास के ग्राम के कई लोगों के बयान भी कलम बद्ध किये। शिकायत कुनिन्दा ने चर्चा के दौराम लिखित रूप से अवगत करोया कि नन्दलाल ने पिछली साल ही विभाग की चौकी के पास 15 बीघा में कब्जा कर लिया और काश्त कर रहा हैं। बीड के स्थानीय स्टाफ के पैसे लेने के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि श्री नन्दलाल ने पेड़ पिछली साल कटवाये थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अवगत कराया कि सहायता वन बंदोबस्त अधिकारी पुराना कब्जा बताकर वनभूमि को अभी भी विभाग की भूमि को खुद काश्त कर रहे हैं। ऐसी भूमि को कलक्टर से मिलकर छुड़वाना चाहिये तथा अभियान के रूप में कब्जे हटाने चाहिये। उन्होंने श्री चन्दगीराम गुलाई द्वारा पठ के पास बीड में चार पांच हजार मन पत्थर भी डालना जाहिर किया।

शिकायत कुनिन्दा की रिपोर्ट, बीड के निरीक्षक एवं अन्य गवाहों के बयानात आदि से निम्न तथ्य सामने आये हैं :-

1. श्री नन्दलाल ने बीड झुंझुनू को भूमि पर पुराना कब्जा किया हुआ हैं। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी, जयपुर ने बीड झुंझुनू में श्री नन्दलालसिंह पुत्र खुशालाराणजाद के पक्ष में आपने फैसला, दिनांक 17-6-80 एवं 30-4-75 द्वारा

क्रमशः 4 बीघा 15 बीस्वा तथा 9 बीघा भूमि वन सीमा अलग की गई। इसके अतिरिक्त 20 बीघा भूमि उनको खातेदारी को होना भी 30-4-75 के फैसले में बताई गई है। परन्तु उक्त फैसलों से यह स्पष्ट नहीं कि उक्त 13 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी को भूमि के अतिरिक्त पृथक की गई है या यह उसी 20 बीघा में सम्मिलित हैं। मौके के अनुसार श्री नन्दलाल का कब्जा 40 बीघा से भी अधिक भूमि पर प्रतीत होता है कि जिसका सही नाप सर्वे उपरांत ही किया जा सकता हैं। वैसे सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा कोनसी भूमि वन सीमा से पृथक की गई है, इसका सीमांकन मौके पर तथा नक्शों में नहीं किया गया। श्री फूलचन्द, वनपाल की रिपोर्ट अनुसार नन्दलाल ने उक्त खातेदारी एवं वन सीमा से बाहर की हुई जमीन के अलावा कुछ अन्य जमीन पर भी कब्जा किया था जिसकी कार्यवाही उन्होंने एफ. आई. आर. 168/9 दिनांक 7-12-95 दर्ज कर सहायक वन संरक्षक न्यायालय में चालान किया जिसका फैसला होना बाकी हैं।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि श्री नन्दलाल सिंह व उनके पुत्र राजेन्द्रसिंह ने बीड़ भंभून की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा हैं। उक्त कब्जा पुराना हैं। इस कब्जे को हटाने के लिए सहायक वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा मौके पर एवं नक्शों में वन सीमा से पृथक की गई भूमि का सही सीमांकन किया जाना चाहिये, उसके उपरांत भू-राजस्व अधिनिय की धारा 91 के तहत उक्त कब्जों को हटाया जाना संभव हो सकता हैं। जहां तक नन्दलाल द्वारा पेड़ कटवाने का प्रश्न है स्वयं शिकायत कुनिन्दा ने वह पेड पिछले वर्ष कटवाया जाना अंकित किया है तथा मौके पर कोई बडे पेड उनके कब्जेशुदा भूमि में नही पाये गये है। अतः श्री नन्दलाल सिंह द्वारा पेड कटवाने की शिकायत प्रमाणित नही हुई है। होटल बनाने संबंधी कोई कार्यवाही फिलहाल मौके पर नहीं की जा रही।

2. स्थानीय स्टाफ के विरुद्ध किसी से पैसा लेकर पेड कटवाना या काश्त करवाना के आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है।

3. श्री चन्दगीराम की कब्जेशादा भूमि पर पत्थर पडे रहने संबंधी आरोप सही पाया गया है परन्तु यह पत्थर श्री चन्दीराम के पक्ष में सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पृथक की गई भूमि पर पडे है या अन्य वन भूमि पर यही विस्तृत सर्वे के उपरान्त ही पुष्टि हो सकती है। श्री चन्दगीराम के पक्ष में हुए फैसले दिनांक 9-9-88 के विरुद्ध में अपील करने के सम्बन्ध में भी विचार किया जाना आवश्यक है।

4. बीड के अन्दर छंगान एवं पेडों का कटान भी पाया गया है। यह कटान समलपुर, प्रतापपुरा एवं चारणदास की ग्रामों की सीमा के पास कुछ अधिक है। इस कटान को [illegible] स्थानीय स्टाफ द्वारा मुकदमें दर्ज कर कार्यवाही की जा रही

है। परन्तु अवैध कटान को रोकने के लिए और मुस्तैदी से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

5. बीड झुंझुनूं की काफी भूमि को सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के विभिन्न फैसलों से वन सीमा से पृथक कर दिया गया है। इस पृथक की गई भूमि का सीमांकन मौके पर व नक्शों में नहीं हो पाया है। सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी के अधिकतर फैसलों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में अपीलें की हुई है। उक्त फैसलों की आड में ज्यादातर काश्तकार पृथक की गई भूमि से भी अधिक भूमि पर कब्जा कर बैठे है इसका सही सीमांकन होने के उपरान्त ही बेदखली की कार्यवाही संभव होती है।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु उप वन संरक्षक, महोदय को प्रेषित है।

संलग्न :– मूल जांच पत्रादि पृष्ठ–16

ह/–
सहायक वन संरक्षक,
झुंझुनूं

परिशिष्ट–28

अतारांकित प्रश्न संख्या 1055 का विवरण

विधानसभा क्षेत्र शिव

जिला	पंचायत समिति	प्रा.क्र./दि.	शाला का नाम
बाड़मेर	बायतू	219/7-2-92	1. पूनियो की ढाणी
			2. रामसिरिया कुआ
			3. साण्डियो की ढाणी
			4. मीलों की बस्ती
			5. नचलो का पाना
			6. लेगों का तला
			7. मेघवालों की ढाणी
			8. केयरली लड़ी
			9. नूलाबी मेघवालों की ढाणी
			10. बागड़ों की ढाणी